राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 02] पन्द्रहवीं विधान सभा के दूसरे सत्र का तेरहवां दिवस [संख्या: 04

मंगलवार,

09 जुलाई 2019

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: श्री बलवान पूनियां।

तारांकित प्रश्नोत्तर

पुलिस थानों में नफरी बढ़ाने की कार्ययोजना

49. **श्री बलवान पूनियां** (भादरा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में पुलिस थानों में एक माह में कितना डीजल खर्च हो रहा है? सरकार द्वारा इसके क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में थानों में नफरी की वर्तमान स्थिति क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार पुलिस थानों में नफरी बढ़ाने हेतु नई भर्ती करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या पुलिस के जवान की ड्यूटी के घण्टे तय हैं? यदि हां, तो कितने व नहीं, तो क्यों?

स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री (श्री शान्ती कुमार धारीवाल): (1) माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान पुलिस थानों में माह जनवरी, 2019 में 246112, फरवरी, 2019 में 240914, मार्च, 2019 में 225919, अप्रैल, 2019 में 255961 एवं माह मई, 2019 में 251902 लीटर डीजल खर्च हुआ है। थानों पर डीजल खर्च के संबंध में कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं है।

(2) प्रदेश में औसत रूप से शहरी थानों में 60, ग्रामीण थानों में 45 एवं महिला पुलिस थानों में 30 कार्मिकों की नफरी स्वीकृत है। स्वीकृत नफरी के विरुद्ध जिलेवार पदस्थापन का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

(3) स्वीकृत पुलिस नफरी के विरुद्ध रिक्त पदों को भरने की सतत् प्रक्रिया है। पुलिस कान्सटेबलों के वर्तमान रिक्त पदों के विरुद्ध भर्ती करने हेतु प्रक्रिया जारी है।

(4) राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 33 के अनुसार पुलिस अधिकारी सदैव ड्यूटी पर माने जाते हैं, जिसका तात्पर्य है कि पुलिसकर्मी की ड्यूटी की आवश्यकता होने पर कभी भी बुलाकर ड्यूटी पर तैनात किया जा सकता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री बलवान पूनियां (भादरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा छोटा-सा प्रश्न और रह गया इसमें कि क्या गश्त के लिए थानों में अलग से व्यवस्था है या फिर ड्यूटी पर लोग हैं वही लोग गश्त करते हैं? जैसे अभी जयपुर में मौके पर चेतक की गाड़ियां पूरे जयपुर में आप सफर करेंगे तो आपको दो या तीन जगह नजर आएंगी, चोरियों की घटनाएं आए दिन राजधानी में और पूरे प्रदेश में बढ़ रही हैं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): गश्त का जहां तक सवाल है, वह चाहे थाने की नफरी हो, चाहे पुलिस लाइन से भेजे जाएं, पर गश्त लगातार होती रहती है। यह बात सही है कि कई जगह गश्त की शिकायतें आती हैं, शिकायतों पर अविलम्ब कार्यवाही भी की जाती है, ध्यान भी दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री अर्जुन लाल जीनगर।

नई सड़कों के निर्माण के मानदण्ड

50. **श्री अर्जुन लाल जीनगर** (कपासन): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा नई सड़कों के निर्माण व नवीनीकरण के कोई नियम व मानदण्ड निर्धारित हैं? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत पांच वर्षों में विधान सभा क्षेत्र कपासन में किस-किस मद से कितनी लम्बाई की कितनी-कितनी राशि से नई सड़कें बनाई गईं तथा कितनी सड़कों का नवीनीकरण किया गया? लम्बाई, राशि व कार्य की प्रगति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

(3) क्या यह भी सही है कि प्रदेश में सरकार ने ग्रामीण गौरव पथ व मिसिंग लिंक सड़कों की निविदाएं जारी कर संवेदकों को वर्क आर्डर जारी होने के बाद कार्य को रोकने के आदेश जारी किये हैं? यदि हां, तो प्रदेश में कितनी सड़कों के कार्यों पर रोक लगाई गई है? सड़कों के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) सरकार जारी किये गये सड़कों के निर्माण कार्यों के वर्क आर्डर की सड़कों को कब तक पूर्ण कराने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उप मुख्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (1) माननीय अध्यक्ष महोदय, जी हां। सरकार द्वारा नयी सड़कों एवं नवीनीकरण के दिशा-निर्देशों की प्रति परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) विधान सभा क्षेत्र कपासन में गत पांच वर्षो में बनाई गई नई सड़कों का विवरण परिशिष्ट-2 एवं नवीनीकरण सड़कों का विवरण परिशिष्ट-3 पर प्रस्तुत है।

(3) ग्रामीण गौरव पथ व मिसिंग लिंक सड़कों के वर्क आर्डर जारी होने के बाद कार्यों को रोकने के लिए आदेश सरकार द्वारा जारी नहीं किये गये हैं।

(4) स्वीकृत निर्माण कार्यों को बजट की उपलब्धता व विभिन्न कार्यों की पारस्परिक प्राथमिकता एवं वरीयता के आधार पर अतिशीघ्र पूर्ण किया जाएगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से मंत्री महोदय ने जवाब दिया प्रश्न के खण्ड 3 में कि कोई भी सड़क का काम बंद नहीं किया गया, न रोका गया। यह पूर्ण रूप से यह पूरा सदन जानता है चाहे किसी भी दल का हो।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न, प्रश्न पूछें।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): मैं यह कह रहा हूं कि यह काम नहीं रोके गए हैं तो यह सरकार कैसे कह रही है, अख़बार में छप रहा है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, यहां अख़बार को कोट नहीं करेंगे। प्रश्न पूछिए माननीय सदस्य। (व्यवधान) प्रश्न पूछेंगे, अख़बार को कोट नहीं करेंगे।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): मेरा प्रश्न यह है कि जब आप यह कह रहे हो कि कोई रोक नहीं लगा रखी है तो फिर जिन सड़कों को ठेकेदारों ने उधेड़ दिया है, उन सड़कों पर काम क्यों नहीं हो रहा है? ठेकेदारों का भुगतान क्यों नहीं हो रहा है? यह बात हो रही है तो यह बात आप किस तरह से कह रहे हैं?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): मेरा प्रश्न यह है कि जब आपने रोक नहीं लगा रखी है तो ये काम प्रारम्भ क्यों नहीं हो रहे हैं? ठेकेदारों ने क्यों यह बात कर रखी है? कहीं काम को स्लो डाउन करने के लिए तो आपने नहीं कह रखा है? यह अख़बार कैसे बता रहा है?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा, अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): 000 ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, बैठें आप। माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें, स्पेसिफिक प्रश्न पूछें, आपने प्रश्न पूछा उसका जवाब दे रहे हैं, आप इसको लम्बा क्यों कर रहे हैं? माननीय मंत्रीजी।

श्री सचिन पायलट (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि माननीय सदस्य ने अपने विधान सभा क्षेत्र पर केन्द्रित सवाल पूछा था, मैंने और मेरे विभाग ने पूरी कोशिश करके आंकड़े लेकर आए हैं। प्रश्नकाल है, इस समय मैं बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन जो बात अभी माननीय सदस्य ने बोली है, उसका जवाब भी मैं आपके माध्यम से देना चाहता हूं। वर्ष 2014 में, पिछली सरकार के पहले बजट में, इसी सदन में घोषणा की गई थी कि 20 हजार किलोमीटर सड़क बनेगी, आज इतने साल हो गए, 1 किलोमीटर सड़क का निर्माण नहीं हुआ। दूसरी बात, माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले विधान सभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठे-बैठे न बोलें, सुनिए, आप सुनिए, माननीय सदस्य, सुनिए।

श्री सचिन पायलट (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात, विधान सभा चुनाव जब आने वाले थे, यह बात मैं सदन में बहुत गम्भीरता से रखना चाहता हूं, चुनाव हर पांच साल में आएंगे, सरकारें बदलें या न बदलें लेकिन चुनाव से पूर्व, आचार संहिता लगने से पहले जिस प्रकार सड़कों के निर्माण की घोषणा की गई, वर्क आर्डर जारी किए गए, जानते हुए

(श्री सचिन पायलट)

कि वित्तीय स्थिति इसको परमिट नहीं करती है, उसका भी बोझ आज जनता को, सरकार को उठाना पड़ रहा है। लेकिन मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य जो कपासन के हैं, बहुत सक्रिय हैं, मैं चाहता हूं कि जितना काम हमने इनके क्षेत्र में अनाउंस किया है, उस काम को पूरा किया जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके विधान सभा क्षेत्र में 274 किलोमीटर की सड़क स्वीकृत की गई है, उसमें से 226 किलोमीटर बन चुकी है। पूरे चित्तौड़गढ़ जिले में सबसे ज्यादा काम कपासन में हुए हैं, मैं यह माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं। जो रिपेयर वर्क हैं, 444 किलोमीटर रिपेयर का वर्क चालू किया गया है, उसमें 344 काम पूरे हो गए हैं, जो बचा है, चूंकि आचार संहिता लगी थी 3 महीने के लिए, बजट पास होगा और अतिशीघ्र सारे काम पूरे करवाएंगे।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी के जवाब से तो सहमत हूं लेकिन आपने सरकार ने 20 हजार किलोमीटर सड़क के लिए कहा था। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठें।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): लेकिन आपका रिकार्ड बता रहा है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। अगला प्रश्न श्री अमृतलाल मीणा।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): 000

श्री अध्यक्ष: आप बैठें, श्री अमृतलाल मीणा, अगला प्रश्न।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): 000

श्री अध्यक्ष: हो गया, आप बैठें। आप बैठिए, श्री अमृतलाल मीणा, अगला प्रश्न।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): 000

श्री अध्यक्ष: श्री अमृतलालजी, पूछना है आपको?

सलूम्बर में कृषि कनेक्शनों की डिमाण्ड राशि

51. **श्री अमृतलाल मीणा** (सलूम्बर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के तहसील

(श्री अमृतलाल मीणा)

सलूम्बर, तहसील सराड़ा, तहसील सेमारी और उप-तहसील झल्लारा के किसानों द्वारा कृषि कनेक्शन हेतु डिमाण्ड राशि जमा करा चुकी है? यदि हां, तो उनमें से अब तक कितने किसानों को कृषि कनेक्शन जारी किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त विधान सभा क्षेत्र में 11000 व 33000 की विद्युत लाइनों के तार ढीले पड़े हुए हैं। यदि हां, तो बिजली मरम्मत हेतु सरकार द्वारा कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र के सलूम्बर, सराड़ा, सेमारी, झल्लारा के कितने परिवार घरेलू विद्युत कनेक्शन से वंचित हैं? राजस्व ग्रामवार, पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार टीएसपी के गरीब परिवारों, किसानों के कृषि बिलों को माफ करने की योजना बनाने का विचार रखती है?

ऊर्जा मंत्री (श्री बुलाकी दास कल्ला): (1) विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर की तहसील सलूम्बर, तहसील सराड़ा, तहसील सेमारी और उप तहसील झल्लारा में वर्तमान तक 2514 आवेदकों द्वारा कृषि श्रेणी में मांग पत्र की राशि जमा करवायी गयी है, जिनमें से 1561 आवेदकों को वर्तमान तक कृषि विद्युत कनेक्शन जारी किये जा चुके हैं। शेष रहे 953 मांग पत्र जमा आवेदकों को सामान की उपलब्धता एवं प्राथमिकतानुसार माह सितम्बर, 2019 तक कृषि विद्युत कनेक्शन जारी किया जाना संभावित है। तहसीलवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) 33 केवी एवं 11 केवी की विद्युत लाइनें निगम नियमानुसार सही खीचीं जाती हैं, परन्तु प्राकृतिक आपदा यथा आंधी, तूफान के कारण कभी-कभी विद्युत लाइनों के तार ढीले हो जाते हैं, जिन्हें चिन्हित कर समय-समय पर दुरुस्त किया जाता है।

विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में 11 केवी एवं 33 केवी की विद्युत लाइनों को समय-समय पर विभिन्न योजनाओं के माध्यम से एवं दैनिक रख-रखाव के अन्तर्गत दुरुस्त किया गया है/जाता है। गत एक वर्ष में 33 केवी एवं 11 केवी विद्युत लाइनों की मरम्मत पर अनुमानित रुपये 28 लाख व्यय किए गए हैं।

(3) विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर की तहसील सलूम्बर, सराड़ा, सेमारी एवं उप तहसील झल्लारा में 'सौभाग्य योजना' के अन्तर्गत योजना के सर्वे

(श्री ऊर्जा मंत्री)

अनुसार वर्तमान में 4694 घरेलू आवासों को विद्युतीकृत किया जाना शेष है, जिन्हें विद्युत कनेक्शन जारी किया जाना प्रस्तावित है, जिनका ग्रामवार एवं ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट 'ब' पर उपलब्ध है।

(4) राजस्थान सरकार के पत्र दिनांक 16 जुलाई, 2018 की अनुपालना में टीएसपी एवं सहरिया क्षेत्र के बी.पी.एल. विद्युत उपभोक्ताओं को दिनांक 01.08.2018 से घरेलू विद्युत कनेक्शन पर 50 यूनिट तक प्रति माह उपभोग पर अतिरिक्त टैरिफ सब्सिडी देकर नि:शुल्क बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के आदेशानुसार समस्त सामान्य कृषि उपभोक्ताओं को बिलिंग माह नवम्बर, 2018 से प्रति माह अधिकतम 833 रुपये पात्र कृषि उपभोक्ताओं को डीबीटी के अनुदान की राशि विद्युत बिलों के माध्यम से दी जा रही है। माह अगस्त 2019 तक उक्त राशि विद्युत बिलों के माध्यम से एवं तत्पश्चात् उपभोक्ता के बैंक खाते में सीधे हस्तानान्तरित किया जाना प्रस्तावित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से मैं यह जानना चाहूंगा कि आपने 2514 आवेदकों को परिपत्र जारी किया है, लेकिन किस-किस वर्ष में कितना-कितना किस-किस किसान के लिये जारी हुआ, कृपया यह बताने की कृपा करें। दूसरा, आपने 28 लाख खर्च बताया, लेकिन अगर मौके पर जाकर देखें तों लाइनें खींची हुई नहीं हैं, पोल टेढ़े हैं, उस लाइन पर झाड़ियां आ रही हैं और कई जगह पोल गिरे हुए हैं। मेरा यही पूछना है कि कितने-कितने और किन-किनको विद्युत कनेक्शन जारी किये?

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मार्च, 2018 तक कृषि श्रेणी में जमा मांग पत्र आवेदकों की संख्या तहसील सलूम्बर में 100, 2018-19 में मांग पत्रों की संख्या 397, 2019-20 में 356, इसके अगेंस्ट में अब तक तहसील सलूम्बर में 506 कुल जारी कृषि कनेक्शनों की संख्या है। इसी प्रकार सराड़ा में वर्ष 2018 तक 598, 2018-19 में 208, 2019-20 में 45, कुल मांग पत्र 851, कुल जारी कृषि कनेक्शनों की संख्या 483, तहसील सेमारी में 2018 में 265, 2018-19 में 175, 2019-20 में 37, कुल मांग पत्र जमा आवेदकों की संख्या 477 और कुल जारी कृषि कनेक्शनों की संख्या 333 है।

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

उप-तहसील झल्लारा में मार्च, 2018 तक 83, 2018-19 में 239, 2019-20 में 11 कुल मांग पत्र जमा आवेदकों की संख्या 333 और कुल जारी कृषि कनेक्शनों की संख्या 239, इस प्रकार 1561 कनेक्शनों की संख्या थी, उसमें से 953 बाकी रहे हैं और बाकी 1561 को हमने कृषि कनेक्शन जारी कर दिये हैं।

जहां तक इन्होंने दूसरा प्रश्न किया है कि वर्षा, तूफान और अन्य प्राकृतिक कारणों से जो पोल वगैरह गिर गये थे, तो सलूम्बर में 390 पोल लगाये गये, उस पर 8 लाख 46 हजार रुपये का खर्चा आया। सराड़ा में 423 पोल लगाये गये, उस पर 9 लाख 86 हजार रुपये का खर्चा आया। सेमारी में 290 पोल बदले गये जिन पर 7 लाख 52 हजार रुपये का खर्चा आया और झल्लारा में 97 पोल बदले गये जिन पर 2 लाख 16 हजार रुपये का खर्चा आया। इस प्रकार कुल खर्चा 28 लाख का हुआ। इसके अलावा भी देखिये, यह तो प्रकृति है, आज ठीक है, कल मान लीजिये तूफान आ गया और एक-दो गांव में कहीं तार ढीले हो गये हैं या कहीं काम करना है तो आप मुझे बता दीजियेगा, मैं ठीक करवा दूंगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, आपने यह बताया कि 1561 कनेक्शन हमने दे दिये और 953 बाकी हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि मार्च, 2018 तक जिन लोगों का पैसा जमा था, उनमें से इस 953 में कितने हैं?

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): देखिए, वर्ष 2018-19 में जारी कृषि कनेक्शनों की संख्या, जिसमें 2018 भी सम्मिलित है, 1291 कराये गये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, इसमें से कोई पैंडिंग हैं क्या, मैं यह पूछ रहा हूं।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): मेरे खयाल में नहीं होना चाहिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मेरे खयाल में, यह कोई सवाल का जवाब थोड़े ही हुआ।

श्री अध्यक्ष: चलिए, मंत्री जी आप एक बार चैक कर लें। अगला सवाल।

जयपुर में जे.सी.टी.एस.एल. की संचालित बसें

52. **श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जयपुर में जे.सी.टी.एस.एल. द्वारा लो फ्लोर की कितनी बसें संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त लो फ्लोर बसों में से कितनी बसें चालू हालत में हैं व कितनी नाकारा हो चुकी हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विगत तीन वर्ष में उक्त बसों से कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री (श्री शान्ती कुमार धारीवाल): (1) जेसीटीएसएल द्वारा 508 वाहनों का क्रय किया गया। वर्तमान में जेसीटीएसएल द्वारा 250 लो-फ्लोर बसें, 13 मिनी बसें एवं 30 मिडी बसें संचालित हैं। जिसका विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) वर्तमान में जेसीटीएसएल की 293 बसें चालू हालत में हैं। कुल 508 वाहनों में से 103 लो-फ्लोर बसें नाकारा घोषित की जा चुकी हैं एवं 112 नाकारा किये जाने हेतु प्रक्रियाधीन हैं, ये बसें मार्ग पर संचालित नहीं हैं।

(3) विगत तीन वर्षों में उक्त बसों द्वारा हुई दुर्घटनाओं का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं	वर्ष	दुर्घटनाओं की संख्या	मृतकों की संख्या	घायलों की संख्या
1	2016	26	7	23
2	2017	40	9	35
3	2018	37	4	11

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहूंगा आपने स्वयं ने माना है कि 508 वाहन पहले चलते थे और उसमें से अब केवल 293 बसें ही चालू हालत में हैं। बाकी 103 लो-फ्लोर बसें पहले नाकारा हो चुकी हैं और 152 नाकारा किये जाने की प्रक्रिया में हैं। मुझे आपसे यह जानकारी लेनी है कि जयपुर शहर में लगभग तीन लाख लोग बसों में यात्रा करते हैं और लो-फ्लोर बसों की संख्या निरन्तर घटती जा रही है तो क्या सरकार नयी बसें खरीदने का विचार रखती है? रखती है तो कब तक और नहीं तो क्यों?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, ये लो-फ्लोर बसें सन् 2010-11 में शुरू की गयी थीं और उस वक्त सबसे पहला जो लाट खरीदा गया था, वह 280 बसों का था तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा। 2012 में फिर 20 नॉन-एसी मिनी बसें खरीदी गयीं। 2013 में 108 खरीदी गयीं। इन पांच सालों में जो कुछ खरीद हुई, वह सारी की सारी खरीद तत्कालीन सरकार द्वारा की गयी। आपने अभी बताया कि तीन लाख लोग सफर करते हैं तो ये तीन लाख लोग एक साल में तो बढ़े नहीं। आपकी सरकार ने तो सिर्फ सौ बसें खरीदीं।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): आप कितनी खरीद रहे हैं?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अब आपने कहा कि और क्या इरादा है। अभी 10 मई को बोर्ड की बैठक में 600 बसें और चलाने का निर्णय किया गया है। उसमें से 300 डीजल की बसें होंगी और 300 इलैक्ट्रिक बसें होंगी। इन बसों का संचालन ग्रास कास्ट पीपीपी हायरिंग मोड पर किया जाएगा। इनमें एसी भी हैं और नान-एसी भी हैं। आपको भी याद होगा कि इस वक्त करीब-करीब पचास करोड़ रुपये प्रतिवर्ष का खर्चा सरकार को वहन करना पड़ता है।

अब जो और बसें बढ़ेंगी, उन पर सौ करोड़ का खर्चा बर्दाश्त करना पड़ेगा। हमने हैवी इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट आफ इंडिया को लिखा है कि हमें इसकी इजाजत दे दी जाए, लेकिन एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा भी हमें आफर मिला है कि हम इलैक्ट्रिक बसें आपके लिये चलाने को तैयार हैं। उसका परीक्षण किया जा रहा है। अगर उसमें एनटीपीसी का प्रपोजल सही पाया गया तो निश्चित तौर पर ये 600 बसें यहां चलेंगी। 300 इलैक्ट्रिक और 300 डीजल की।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न यह है क्या यह सही है कि बस संचालक मातेश्वरी कम्पनी को जेसीटीएसएल प्रबन्धन हर माह एक करोड़ रुपये मेंटिनेंस के लिए दे रहा है? फिर भी बसों का रख-रखाव नहीं किया जा रहा जिसके कारण पिछले महीनों में सड़क पर चलते हुए बीच रास्ते में आग लगने की घटनाएं और सड़क के बीच में बसें बन्द होने की घटनाएं निरन्तर हो रही हैं। तो क्या सरकार ने इस मातेश्वरी कम्पनी के खिलाफ कोई कार्यवाही की है? यदि की है, तो क्या की है और नहीं की तो क्यों नहीं की?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): कम्पनी के खिलाफ जो कुछ शिकायत आई है, निश्चित तौर पर उसकी जांच चल रही है। दूसरी बात यह है कि 103 बसें जो नाकारा हो गईं उन नाकारा बसों के लिए तत्कालीन सरकार द्वारा कोई काम नहीं किया गया। आपने मरम्मत की बात की, नहीं की गई। दुर्घटना के लिए...

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): एक करोड़ रुपये प्रति महीने आप दे रहे हो तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की है, यह तो बताओ।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, सीनियर सदस्य हैं, प्लीज, पहले उत्तर सुनें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं कि आपके द्वारा जो सवाल दुर्घटना के बाबत पूछा गया तो दुर्घटना का मैंने आपको बता दिया कि एक व्यक्ति जिसका नाम विशाल बाबू जोस था उसको दो लाख रुपये दिये गये। जो घायल थी उसको दस हजार रुपया दिया गया। इसके अलावा कोई भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ। सिर्फ एक आवेदन प्राप्त हुआ है जिसमें दो लाख रुपये का कम्पनसेशन दिया गया और घायल को दस हजार रुपये का कम्पनसेशन दिया गया।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, कन्हैया लाल। माननीय सदस्य, बैठें। प्लीज। अंकित नहीं होगा। कन्हैया लाल जी।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): 000

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा, बैठें आप, प्लीज।

मालपुरा में कृषि महाविद्यालय की स्थापना

53. **श्री कन्हैया लाल** (मालपुरा): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में राजकीय कृषि अनुसंधान केन्द्र पूर्व से संचालित है?

(2) क्या सरकार मालपुरा में कृषि महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

कृषि मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया): (1) जी हां। वर्तमान में डिग्गी तहसील मालपुरा में श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के अधीन कृषि अनुसंधान उप केन्द्र संचालित है।

(कृषि मंत्री)

(2) जी नहीं। वर्तमान में टोंक जिले में एक राजकीय महाविद्यालय, उनियारा एवं दो निजी महाविद्यालय एम.बी. कृषि महाविद्यालय, टोंक तथा पंडित दीनदयाल उपाध्याय महाविद्यालय, देवली में संचालित है, जिनमें कृषि संकाय का अध्ययन कराया जा रहा है। अत: वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उपखण्ड मालपुरा में कृषि महाविद्यालय खोलना विचाराधीन नहीं है।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि पूर्व में डिग्गी में दलहन के उप केन्द्र की स्थापना की घोषणा की थी परन्तु अभी तक उसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न कृषि महाविद्यालय खोलने का है। अगला प्रश्न। माननीय सदस्य, आपका उत्तर आ गया कि नहीं खोलना है। जवाब दे दिया कि नहीं खोलना है। अब इसमें कोई अलग प्रश्न पूछना है?

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): मैं यही कहना चाह रहा हूं कि राजकीय कृषि महाविद्यालय खोलने के क्या मापदण्ड हैं?

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि 14वीं विधान सभा के दसवें सत्र में 26 फरवरी, 2018 को पूर्व मंत्री जी ने डिग्गी में शुष्क क्षेत्र दलहन अनुसंधान उप केन्द्र स्थापित करने की घोषणा की थी। गत सरकार में घोषणा तो कर दी गई परन्तु इसके लिए कोई बजट का प्रावधान नहीं किया गया। इन्होंने पूछा है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, प्रश्न यह नहीं है। अगला प्रश्न। श्री मदन प्रजापत।

बाड़मेर जिले में पाइपलाइन से घरेलू गैस की आपूर्ति

54. **श्री मदन प्रजापत** (पचपदरा): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पैट्रोलियम व प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (PNGRB) के द्वारा प्रदेश के कई शहरों में पाइप लाइन से नगरीय उपभोक्ताओं को घरेलू गैस मुहैया करवाई जा रही है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जिला बाड़मेर में नगर परिषद बालोतरा एवं बाड़मेर के उपभोक्ताओं को उक्त सुविधा उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

खान मंत्री (श्री प्रमोद भाया): (1) माननीय अध्यक्ष महोदय, पैट्रोलियम व प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) द्वारा विभिन्न कार्यकारी एजेन्सियों के माध्यम से राज्य के कई शहरों में पाइप लाइन से नगरीय उपभोक्ताओं को घरेलू गैस मुहैया कराये जाने हेतु अधिकृत किया गया है, विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है। अधिकृत एजेन्सियों में राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड द्वारा कोटा शहर में अब तक 8500 कनेक्शन जारी किये जा चुके हैं।

(2) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद, बालोतरा एवं बाड़मेर के उपभोक्ताओं को उक्त सुविधा उपलब्ध न करवाई जाकर पैट्रोलियम व प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) के द्वारा परिशिष्ट-1 के क्रम संख्या 1 में वर्णित मैसर्स ए.जी. एण्ड पी.एल.एन.जी. मार्केटिंग प्रा.लि. को अधिकृत किया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत मेरा मंत्री जी से छोटा-सा निवेदन है कि बाड़मेर और जैसलमेर में तेल और गैस के भण्डार हैं और बड़ी मात्रा में गैस निकल रही है तो उसका उपयोग कहां हो रहा है? तीन बड़े शहर बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा, इन तीनों शहरों में घरेलू पाइप लाइन से गैस देने की सरकार की मन्शा है तो यह कब तक शुरू होगी?

श्री प्रमोद भाया (खान मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बाड़मेर, जैसलमेर के बड़े गैस भण्डार के बारे में जानकारी चाही है। भारत सरकार के द्वारा जो पालिसी निर्धारित है उसके अनुसार कम्पनियों को आबंटन की जाती है। साथ ही माननीय सदस्य ने यह भी जानकारी चाही है कि पाइप लाइन के माध्यम से घरेलू कनेक्शन देने का कार्य चल रहा है, वह भी भारत सरकार के पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) के द्वारा किया जा रहा है। पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड द्वारा दिनांक 28.9.2018 से मैसर्स ए.जी. एण्ड पी.एल.एन.जी. मार्केटिंग प्रा.लि. और उसकी कम्पनी को बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर जिलों में पाइप लाइन द्वारा घरेलू गैस कनेक्शन वितरण हेतु अधिकृत किया है। उक्त कम्पनी के द्वारा जोधपुर में कार्यालय की स्थापना कर पाइप लाइन को बिछाने हेतु सर्वेक्षण एवं राज्य व केन्द्र सरकार की विभिन्न संस्थाओं/विभागों आदि से आवश्यक अनुमतियां प्राप्त करने का कार्य प्रारम्भ

(श्री प्रमोद भाया)

कर दिया है। साथ ही कम्पनी के द्वारा तैयार की गई कार्य सम्पादन योजना के अनुसार कम्पनी द्वारा कार्य योजना के तीसरे वर्ष अक्टूबर, 2020 से सितम्बर, 2021....

श्री अध्यक्ष: स्पेसिफिक, देना है या नहीं है, बाकी डिटेल नहीं।

श्री प्रमोद भाया (खान मंत्री): वह बता रहा हूं कि इनको कब उपलब्ध होगा। 2021 में बाड़मेर जिले में नियमानुसार घरेलू गैस कनेक्शन के लक्ष्य रखे गये हैं जिसमें निवाना सरचार्ज एरिया के सिवाना में 15 किलोमीटर पाइप लाइन बिछाकर 1248 घरेलू कनेक्शन दिये जाने का लक्ष्य है। पचपदरा एरिया से पचपदरा, बालोतरा को 37 किलोमीटर पाइप लाइन बिछाकर 3059 घरेलू कनेक्शन दिये जाने का लक्ष्य है और रामसर एरिया से रामसर और बाड़मेर को 44 किलोमीटर पाइप लाइन बिछाकर 3681 घरेलू कनेक्शन दिये जाने का लक्ष्य है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्रीमती किरण माहेश्वरी।

राजसमन्द में खाद्य सुरक्षा कार्ड के आवेदन

55. **श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

राजसमंद विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2019 में खाद्य सुरक्षा कार्ड के लिए कितने आवेदन लम्बित है? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री रमेश चन्द मीना): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजसमन्द विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2019 में खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत नाम जुड़वाने हेतु जिला रसद कार्यालय राजसमन्द में 55 उपखण्ड कार्यालय राजसमन्द में 674 एवं उपखण्ड कार्यालय रेलमगरा में शून्य कुल 729 आवेदन लम्बित हैं।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने जो यहां सदन में इन्फार्मेशन दी है उसमें इनका दोष तो नहीं मानूंगी क्योंकि इनके पास तो जो इन्फार्मेशन नीचे से आई होगी वही इन्होंने यहां सदन में रखी है। लेकिन सबसे पहले तो माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे यह चाहूंगी कि जो गलत सूचनाएं विधान सभा के प्रश्न पर मिलती हैं ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। सूचना यह है मैंने यह कहा था कि राजसमन्द विधान सभा क्षेत्र के अन्दर खाद्य सुरक्षा के फार्म कितने लम्बित हैं और आपने इन्फार्मेशन में पूरे विधान सभा क्षेत्र को कवर नहीं

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

किया है। माननीय अध्यक्ष जी, राजसमन्द पंचायत समिति में 676 फार्म्स पैण्डिंग चल रहे हैं। इसी प्रकार राजसमन्द शहर जो नगर परिषद क्षेत्र है उसमें 447 फार्म्स पैण्डिंग पड़े हैं। रेलमगरा पंचायत समिति, जिसमें मेरे विधान सभा क्षेत्र की 15 पंचायतें आती हैं उसमें 80 फार्म आफलाइन पैण्डिंग है, 30 फार्म आनलाइन पैण्डिंग हैं। यानी टोटल अगर हम लोग देखें तो 1233 फार्म राजसमन्द विधान सभा क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा के पैण्डिंग हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि ये जो फार्म्स पैण्डिंग हैं ये पिछले छह महीने से पैण्डिंग हैं। इन फार्म्स का वैरिफिकेशन कौन करता है कि जिसमें इतना समय लगता है....

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): मेरा प्रश्न यह है, टू द पाइंट ही पूछ रही हूं माननीय अध्यक्ष जी। मेरा प्रश्न यह है कि ये फार्म्स जो पिछले छह महीने से पैण्डिंग हैं उन फार्म्स का वैरिफिकेशन किसके द्वारा किया जाता है? पहला प्रश्न।

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): सबसे पहले जोड़ने की जो प्रक्रिया है। इसमें ऑफलाइन, आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पहला इसमें एसडीएम है, उपखण्ड अधिकारी है। उसके बाद आप डीएसओ के पास भी जा सकते हो। एक व्यवस्था हमने बाद में यह भी की है कि एसीएम है, एसीओ है। उनके यहां भी आप आवेदन कर सकते हैं, आफलाइन व आनलाइन ये व्यवस्था है। उसके बाद जो आप कह रहे हैं कि आपको विधान सभा क्षेत्र में सूचना गलत दी गई है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): मेरा प्रश्न जांच कौन करेगा?

श्री अध्यक्ष: एक मिनट, एक मिनट।

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): आपके द्वितीय विषय देखें कि खाद्य सुरक्षा योजना के राजसमंद कार्यालय में 676 ही आवेदन ईमित्र के माध्यम से आनलाइन 22 आवेदन कार्यालय में प्राप्त हुए, ईमित्र से आनलाइन के माध्यम से। इसी प्रकार 996 आवेदन कार्यालय से प्राप्त हुए हैं। कुल 996 की जांच करवाई गई, जिसमें कार्यालय में प्राप्त 320 आवेदन पात्र पाये जाने पर खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़वाने हेतु आदेश जारी कर दिये गये हैं। जिसमें 30 आवेदन पत्रों को आनलाइन किया जा चुका है, शेष 290 आवेदन पत्रों को शीघ्र आनलाइन किया जा रहा है। इस प्रकार आपके 676 आवेदन शीघ्र निस्तारण की सीमा में हैं। इसका परीक्षण करवाएंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, उनका प्रश्न है कि वैरिफिकेशन किससे किया जा रहा है।

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): वैरिफिकेशन इसमें एसडीएम के पास आता है। एडीएम के बाद में आपका ग्रामीण है तो पंचायती राज में जाएगा, बीडीओ के पास जाएगा। आपका शहरी अरबन क्षेत्र है, तो उसमें आपके अधिशासी अधिकारी है, ईओ है, आयुक्त है। उसके माध्यम से समावेशन की जो पात्रता है...

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): पता ही नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण चाहूंगी.....

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, एक मिनट।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण चाहूंगी इसमें क्योंकि ये जो बात माननीय मंत्री जी कह रहे हैं शायद मंत्री जी भी अभी क्लीयर नहीं हैं इस बात से, क्योंकि ये जो फार्म्स हैं, इन फार्म्स के वैरिफिकेशन का अधिकार एसडीओ को भी दिया है और डीएसओ को भी दिया है। एज ए रिजल्ट यह हो रहा है कि इन दोनों के बीच में फुटबाल बन गये हैं ये फार्म्स। ग्राम पंचायत का कोई भी व्यक्ति जो खाद्य सुरक्षा में अपने आपको पात्र समझता है, वो आनलाइन फार्म भरता है। फार्म भरने के बाद में ग्राम सचिव, वहां का पटवारी और वहां का बीडीओ उसको वैरिफाई करने के बाद में भेज देते हैं, कभी एसडीओ के पास, कभी डीएसओ के पास और डीएसओ कहता है मैं नहीं करूंगा, एसडीओ करेगा, एसडीओ कहता है यह अधिकार डीएसओ को है। एज ए रिजल्ट ये सारे फुटबाल बने हुए हैं। इस पर जब तक क्लीयर निर्देश नहीं होंगे कि ये फार्म्स को एक व्यक्ति ये करे।

श्री अध्यक्ष: ठीक प्रश्न माननीय।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न मेरा अब यह है क्योंकि वैरिफिकेशन के संबंध में माननीय मंत्री जी इसमें क्लीयर नहीं हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा कि इसको क्लीयर करिये, क्लीयर आदेश निकालें कि इनका वैरिफिकेशन ये करेंगे।

दूसरा, मेरा प्रश्न है क्या कोई टाइम बाउण्ड आपने ऐसा निर्देश दिया है कि कोई भी व्यक्ति जो पात्र है, जो अपने आपको समझता है कि मैं खाद्य सुरक्षा के अंदर पात्र हूं और मुझे खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ा जाए, उसको फार्म भरने से लेकर उसका स्वीकृत होना या अस्वीकृत होने का कोई टाइम बाउण्ड पीरियड आपने तय किया है? किया है, तो आप इस पर बताएं। दूसरा जो....

श्री अध्यक्ष: माननीय प्रश्न पूछें। दो प्रश्न हो गये, दो प्रश्न का जवाब आने दें। आप बैठें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष जी, ये क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है, खाद्य सुरक्षा में गरीब आदमी है।

श्री अध्यक्ष: माननीय, जवाब मंत्री जी को देना है। आप दो प्रश्न का जवाब लें, बैठें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): नहीं-नहीं, वे जवाब बराबर नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: जवाब इनको देना है या आपको देना है?

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): इसीलिए मैं पूछ रही हूं इनसे, माननीय अध्यक्ष जी।

श्री अध्यक्ष: जवाब सुनें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): कि ये जो बात है, वो उनको क्लीयर नहीं है। इसीलिए मैं उनसे पूछ रही हूं कि.....

श्री अध्यक्ष: क्लीयर भी नहीं है, पूछ भी रहे हैं। बैठें आप। उनका जवाब तो सुन लो पहले।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष जी, टाइम बाउण्ड होना, दूसरा...

श्री अध्यक्ष: हो गया, ठीक है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): दूसरा, ये नहीं है तो उसके ऊपर कार्यवाही करने का विचार रखती है क्या सरकार? कि ऐसे दोषी अधिकारी जो एक गरीब आदमी, जो पात्रता रखता है....

श्री अध्यक्ष: मैडम, प्रश्न हो गया न। प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? समझाएं मुझे।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): नहीं तो कार्यवाही करेंगे या नहीं, वो बताएं।

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछें प्लीज। प्रश्न पूछें, या एक्सप्लेन कर रहे हैं? प्रश्न टू दी पाइंट होना चाहिए। माननीय मंत्री जी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): मैं यही पूछ रही हूं कि क्या वह कार्यवाही करेंगे ऐसे दोषी अधिकारियों पर।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): पहला सवाल इन्होंने कहा कि स्पष्ट आदेश नहीं है तो आपके समय में 30.12.2017 समस्त जिला कलेक्टर को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के नाम जोड़े जाने हेतु जिले के विभिन्न अधिकारियों को अधिकृत किया जाता है। उल्लेखनीय है माननीय खाद्य मंत्री के जिले के भ्रमण के दौरान तथ्य सामने आया कि संभागीय मुख्यालय एवं बड़े जिलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़वाने वाले व्यक्ति आवेदन प्राप्त होने की संभावना में उप खण्ड अधिकारी के समकक्ष राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अन्य अधिकारी यथा सहायक कलेक्टर, कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट एवं सहायक मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भी नाम जोड़ने हेतु अधिकृत किया गया है। दूसरा, आपका निस्तारण समावेशन...

श्री अध्यक्ष: आप सुनें तो सही।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): मैं सुन रही हूं पर 2017 के आदेश के बाद 2018 में भी एक आदेश निकला है।

श्री अध्यक्ष: माननीय, मंत्री जी को जवाब नहीं देने दें तो मंत्री को बिठा दें?

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): उसके बाद आपने जो सवाल किया है। यदि समावेशन में आधारभूत दस्तावेज, जो खाद्य एक्ट, 2013 के अनुसार समावेशन सही हो जाता है, आपके कागज सही हैं तो तीस दिन की अवधि में उसका निस्तारण कर देते हैं।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): एक महीने से, माननीय अध्यक्ष महोदय, पैंडिंग पड़े हैं फार्म्स 6 महीने से।

श्री अध्यक्ष: अब बात हो गई, माननीय मंत्री जी इनके 6 महीने से पैंडिंग डिस्पोजल हो जाएगा। एक मिनट बैठें आप।

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): उनका परीक्षण करवाकर निस्तारण कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, हमीर सिंह भायल।

सिवाना (बाड़मेर) में पुराने बस स्टैण्ड से रोडवेज बसों का संचालन

56. **श्री हमीर सिंह भायल** (सिवाना): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री हमीर सिंह भायल)

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में पथ परिवहन निगम की बसें संचालित की जा रही हैं? क्या बाड़मेर-सिवाना-जयपुर वाया पाली से चलने वाली बस को बन्द कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों? उक्त बस को कब तक पुन: प्रारम्भ किये जाने का विचार है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार सिवाना में संचालित हो रही रोडवेज की बसों को पुन: पुराने बस स्टैण्ड में संचालित कराने का विचार रखती है। यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार सिवाना क्षेत्र के मुख्य मार्ग जोधपुर-समदड़ी-जालोर पर रोडवेज की बसें संचालित करने का विचार रखती है। यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

परिवहन मंत्री (श्री प्रताप सिंह खाचरियावास): (1) जी हां। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में भी बसों का संचालन किया जा रहा है। बाड़मेर-सिवाना-जयपुर मार्ग पर संचालित निगम बस सेवा को लागत से कम आय प्रति किलोमीटर प्राप्त होने के कारण दिनांक 16.12.2018 से संचालन बन्द किया गया है तथा मुख्य प्रबन्धक, बाड़मेर आगार के आदेश संख्या 191 दिनांक 26.6.2019 द्वारा इस बस को दिनांक 01.07.2019 से वापस प्रारम्भ करके मार्ग की आय बढ़ाने के प्रयास किये जाएंगे।

(2) वर्तमान में निगम की बसों का पुराने बस स्टैण्ड से संचालित करने का प्रस्ताव नहीं है। सिवाना के पुराने बस स्टैण्ड का मार्ग आने/जाने में अत्यधिक Congested होने से देरी होने के कारण निगम वाहन सीधे ही गांधी चौक मुख्य मार्ग से संचालित किये जा रहे हैं।

(3) जोधपुर-समदड़ी-जालोर मार्ग पर राजस्थान परिवहन निगम की बसें संचालित नहीं हैं। उक्त मार्ग पर तकनीकी एवं वित्तीय संसाधन होने पर निगम बस चला सकेगा।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि बाड़मेर से जयपुर वाली जो वाया सिवाना बस थी, उसको चालू कर दिया इसके लिए धन्यवाद। सैकिण्ड, जो जालोर से, फालना से आने वाली बसें हमेशा बस स्टैण्ड से जाती थीं, ये आपको स्टाफ द्वारा जो जानकारी दी गई है कि 100 मीटर की दूरी और आने-जाने का रोड नहीं,

(श्री हमीर सिंह भायल)

बिलकुल पर्याप्त रोड है और वहां बस स्टैण्ड 400 मीटर दूर है और सारी सवारियां जो घर से लगाकर मतलब सारे बाजार की सवारी को वहां गांधी चौक में आने में बहुत दिक्कत होती है। इसके लिए पहला प्रश्न मेरा यह कि वहां बिलकुल सुविधा है, बस स्टैण्ड पर बस जाने के लिए। क्या मंत्री जी, सुविधा प्रदान करेंगे?

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो मुझे बताया है। मेरे पास जानकारी है कि लगभग 100 मीटर की दूरी है और आपके पिछले शासनकाल में एक बच्ची की दुर्घटना में डैथ हो गई थी। वहां के लोगों की डिमाण्ड थी, बड़ा हंगामा हुआ। बच्ची की डैथ के बाद आपके समय, आपकी तत्कालीन सरकार ने इसकी दूरी बढ़ाकर आगे बसें खड़ी करना शुरू किया। मेरा यह मानना है कि एरिया कंजस्टेड है। पूरे देश में सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि वहां सड़क दुर्घटनाएं नहीं होंगी और वहां पब्लिक को इससे फायदा होगा तो आप मेरे साथ बैठ जाना, यहां कोई प्रेस्टीज इश्यू नहीं है, पब्लिक को फायदा होना चाहिए। लेकिन, आपके शासन में जब यह हुआ मैं अध्यक्ष जी के जरिये आपसे कहना चाहूंगा हम सब की जिम्मेदारी बनती है। इस रोडवेज की बारह बजाने में आपने कोई कसर नहीं रखी। पूरा सिस्टम आप बिगाड़ कर गये, सुधारने की जिम्मेदारी हमारी है और इसको सुधारेंगे, आप चिंता मत कीजिए।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): अध्यक्ष महोदय, आप जो फर्मा रहे हैं कि ये बस बस स्टैण्ड पर जानी बंद हुई, पहले आपकी सरकार थी, उस समय में हुई। उसमें मैं नहीं जाना चाहता। आज भी वहां तहसील हैडक्वार्टर है, पंचायत समिति है और बसों के आने-जाने में कोई दिक्कत नहीं है। एक तो मेरा प्रश्न यह था इसको आप जल्दी चालू करवाएं। ग्रामीण क्षेत्र में जैसे रोडवेज बसें हमारा जोधपुर से समदड़ी वाया जालोर से जो बसें जा रही हैं, एक भी बस जो पंचायत समिति और तहसील हैडक्वार्टर है, अगर बस जोधपुर से वाया समदड़ी सिवाना अगर चालू हो जाए।

दूसरा प्रश्न मेरा अध्यक्ष महोदय, यह था कि पुराने समय में ग्रामीण क्षेत्र में जो ग्रामीण सेवा संचालित हो रही थी, क्या उसको वापस चालू करने का विचार सरकार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): अध्यक्ष जी, मैं आपके जरिये सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि यह सरकार जब से आई है तब

(श्री प्रताप सिंह खाचरियावास)

से सरकार की जिम्मेदारी है कि जनकल्याण के काम करना, लोगों की सुनवाई करना और लोगों को मालिक मानकर काम करना। राजस्थान में रोडवेज के जो मार्ग बंद कर दिये गये हैं वो पिछली आपकी तत्कालीन सरकार के समय बंद हुए उन मार्गों को हम शुरू करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। परीक्षण किये जा रहे हैं। पूरे राजस्थान में रोडवेज डिपार्टमेंट के अधिकारी, परिवहन के अधिकारी ऐसे मार्गों को खोलने की तैयारी कर रहे हैं जो बेवजह बंद कर दिये गये। हमारा प्रयास यह है कि जिन मार्गों पर राजस्थान में बसें नहीं चल रही हैं ऐसे गांव जो राजस्थान में बसों से जुड़े हुए नहीं हैं उन सब गांवों का सर्वे हम करवा रहे हैं और हमारी कोशिश यह है कि उन सब जगहों पर हमारी वित्तीय स्थिति को देखते हुए हम अच्छे से अच्छा क्या कर सकते हैं रोडवेज को कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं। आपका यह जो मार्ग आपने बताया मुझे जोधपुर-समदड़ी-जालौर मार्ग यहां निगम की बसें संचालित नहीं हैं, लेकिन इसमें हमारी नीयत बिलकुल ठीक है। हम निगम की बसें संचालित करना चाहते हैं लेकिन निगम का घाटा इतना बड़ा है कि हालात बहुत खराब हैं लेकिन इन हालातों को ठीक करने के लिए इन पांच महीनों में कोई कसर नहीं रखी है। इतना बड़ा समय आचार संहिता में चला गया, आप भी लोकल एमएलए हैं। हमारी पार्टी अलग-अलग हो सकती है, लेकिन राजस्थान, संविधान और विधान सभा में हमारी सबकी जिम्मेदारी एक है। आप हमारे साथ बैठ जाना। जितनी बात मेरे टाइम पर बोली इतनी पुराने राज में बोल लेते तो तूफान आ जाता। आपका काम भी हो जाता। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न श्री बलजीत यादव।

संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण

57. **श्री बलजीत यादव** (बहरोड़): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

प्रदेश में कितने कर्मचारी संविदा पर कार्य कर रहे हैं व किन-किन विभागों में कितने संविदाकर्मी कार्यरत हैं व जन घोषणा पत्र के आधार पर क्या सरकार उक्त संविदाकर्मियों को नियमित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): संविदाकर्मियों की पहचान एवं उनकी समस्याओं के निस्तारण हेतु एक मंत्रीस्तरीय समति का गठन किया है।

समिति की अब तक दो बैठकें आयोजित हो चुकी हैं।

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

संविदाकर्मियों की पहचान एवं उनकी समस्याओं के निस्तारण हेतु प्रक्रिया जारी है।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मंत्रीस्तरीय समिति की दो बैठकें हो चुकी हैं उनमें क्या निर्णय हुए और यह जो पहचान की जा रही है संविदाकर्मियों की यह पहचान कब तक कर पाएंगे? क्या उसकी कोई समय-सीमा बता पाएंगे?

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने भी इसके लिए एक समिति बनाई थी। पांच साल पूरे हो गये कोई निर्णय नहीं हुआ। आप जानते हैं कि लगभग तीन महीने तक आचार संहिता लगी रही फिर भी दो मीटिंग्स इसकी हो चुकी हैं और उसमें क्या निर्णय लिये, नहीं लिये, मैं पद और गोपनीयता की शपथ से बंधा हुआ हूं यहां बता नहीं सकता। आगे जैसे ही मीटिंग्स होंगी फाइनल निर्णय होंगे सबके सामने आ जाएंगे।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या संविदाकर्मियों को नियमित करने की मंशा सरकार रखती है? अगर हां, तो यह कब तक होगा और नहीं तो क्यों?

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने मंत्रिमंडलीय समिति बनाई है। इस समस्या का पूरा अध्ययन हो रहा है, विचार हो रहा है तो कुछ न कुछ होगा, लेकिन जो होगा वो अभी बता नहीं सकते। उसमें सारे विभागों से सूचनाएं संकलित की जा रही हैं कौन व्यक्ति कितने समय से है, कबसे है, उसमें आरक्षण के नियमों का पालन किया गया है कि नहीं किया गया है, किस तरीके से उनका सलेक्शन हुआ है, उसका आधार क्या रहा है। इन सब चीजों को देखते हुए गुणावगुण के आधार पर विचार करके निर्णय किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न श्री चन्द्रभान सिंह।

नवीन विकास कार्यों हेतु स्वीकृत राशि

58. **श्री चन्द्रभान सिंह आक्या** (चित्तौड़गढ़): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में सरकार द्वारा विगत 6 माह में कुल कितनी राशि के नवीन विकास कार्य स्वीकृत किये गये हैं? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

(2) उक्त स्वीकृत कार्यों में से कितने कार्य अभी तक प्रारम्भ/अप्रारम्भ/कार्य पूर्ण होने की स्थिति में हैं? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार जिला चित्तौड़गढ़ में शेष रहे कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उप मुख्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (1) प्रदेश में सरकार द्वारा विगत 6 माह में कुल राशि रु. 3051.20 करोड़ के 92870 नवीन विकास कार्य स्वीकृत किये गये हैं। जिलेवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) उक्त स्वीकृत कार्यों में से अभी तक 37972 कार्य प्रगतिरत, 9448 कार्य अप्रारम्भ एवं 45601 पूर्ण कार्यों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-1 में अंकित है।

(3) जी हां। चित्तौड़गढ़ में शेष रहे कार्यों को माह अगस्त-सितम्बर, 2019 तक पूर्ण करा लिया जाएगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, चित्तौड़गढ़ जिला परिषद द्वारा डीएमटी फंड का पैसा भी जारी हुआ। प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति भी जारी हो गईं, पर उसका पैसा जारी नहीं हुआ आज दिन तक और बहुत से कामों का पैसा भी जारी हो गया उनकी यूसी, सीसी भी हो गयी, उनका पैसा आज दिन तक जारी नहीं हुआ।

अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय को यह कहना है कि जो वित्तीय स्वीकृतियां हमारी जारी हो गई डीएमटी फंड के द्वारा उनका पैसा आप कब तक जारी करवा देंगे और जो काम पूरे हो गये हैं जिनकी यूसी, सीसी जारी हो गई है उनका पैसा आप कब तक दिलवा देंगे? इतना मंत्री महोदय बताएं।

श्री सचिन पायलट (उप मुख्य मंत्री): अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है उसमें डीएमटी फंड का कोई जिक्र नहीं है और विभाग ने जानकारी दी है कि चित्तौड़ में भीलवाड़ा में काफी पैसा इकट्ठा होता है डीएमटी के माध्यम से लगभग दो-सवा दौ करोड़ का है, लेकिन चूंकि यह फंड मेरे मंत्रालय के कार्यक्षेत्र में आता नहीं है, फिर भी माननीय सदस्य को मैं

(श्री सचिन पायलट)

आश्वासित करना चाहता हूं कि जिला कलेक्टर और सीईओ से बात करके जो काम लम्बित होंगे जहां पर काम चालू हैं, उनको अतिशीघ्र हम पूरा करने का काम करेंगे।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका अध्यक्ष होता था जिला प्रमुख और जिला...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मंत्री जी ने बता दिया कि यह उनके डिपार्टमेंट का नहीं है तो क्यों पूछ रहे हैं?

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट मेरी बात सुन लें। जिला परिषद के द्वारा यह पैसा जारी हुआ पंचायतों में पैसा गया।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मुझे मालूम है। इनसे संबंधित नहीं है। प्लीज बैठें आप। इनसे संबंधित ही नहीं है। मंत्री जी ने कह दिया, उनसे संबंधित नहीं है।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): ...(व्यवधान) 6 महीनों के अंदर यह जारी हुआ है, वह पैसा कब तक जारी करेंगे? इसका पूरा आश्वासन दें मंत्री महोदय, क्योंकि काफी दिक्कतें आ रही हैं। वो काम बंद पड़े हैं और जिनकी यूसी, सीसी हो गई उनका पैसा नहीं आया। लोग परेशान हो रहे हैं। लोग रोड पर हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठें आप प्लीज।

श्री सचिन पायलट (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, बेहतर होता कि माननीय सदस्य स्पेसिफिक फंड के बारे में सवाल पूछते क्योंकि ग्रामीण विकास मंत्रालय का काम है उसमें नरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, पीएमजीएसवाई आदि का विवरण मेरे पास है। लेकिन चूंकि आपने यह सदन के पटल पर इस सवाल को उठाया है जैसा कि मैंने पिछले जवाब में कहा था कि इस फंड का बेहतर यूटिलाइजेशन हो और आपकी चिन्ता से मैं सहमत हूं क्योंकि जो अनाउंस हो चुका है, जो काम चालू है उसको शीघ्र किया जाना चाहिए। मैं पुन: अलग-अलग विभाग के लोगों से बात करके आपके जिले में, क्षेत्र में जो काम लम्बित हैं उनको करवाएंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं एक जानकारी सदन को देना चाहता हूं क्योंकि यह पिछले प्रश्न से संबंधित थी सड़कों के बारे में।

श्री अध्यक्ष: No. It'll be a wrong precedent.

श्री सचिन पायलट (उप मुख्य मंत्री): अनुमति दीजिये अध्यक्ष जी, एक सैकिंड के लिए।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी, It'll be a wrong precedent.

श्री सचिन पायलट (उप मुख्य मंत्री): मैं सिर्फ जानकारी दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: I'm sorry. Please excuse me. अंकित नहीं होगा।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): 000

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न श्री अमीन खान।

रामसर व गडरारोड में पेयजल की संचालित योजनाएं

59. **श्री अमीन खां** (शिव): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

जिला बाड़मेर के सब-डिवीजन रामसर व गडरारोड में पेयजल की कौन -कौनसी योजनाएं संचालित हैं तथा उनमें कितने श्रमिक कार्य कर रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (श्री बुलाकी दास कल्ला): जिला बाड़मेर में विभाग के उपखण्ड रामसर एवं गडरारोड में वर्ष 2011 की जनगणनानुसार क्रमशः 97 ग्राम एवं 172, इस प्रकार कुल 269 ग्राम सम्मिलित हैं।

उपखण्ड रामसर के 97 ग्रामों में से 85 ग्राम क्षेत्रीय जल योजनाओं से तथा 12 ग्राम पम्प एवं टैंक जल योजनाओं (3 ग्रामों की योजना का संचालन एवं संधारण जनता जल योजना पैटर्न पर संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा किया जा रहा है) से जुड़े हुए हैं। क्षेत्रीय जल योजनाओं से जुड़े 85 ग्रामों में से 21 ग्रामों में विभिन्न कारणों यथा जल योजनाओं अंतर्गत निर्मित भू-जल स्रोतों से जल उत्पादन में कमी, लम्बी योजनाएं एवं ग्रामों के योजनाओं के अंतिम छोर पर स्थित होने इत्यादि से इनमें पेयजल आपूर्ति वर्तमान में नहीं हो पा रही है।

उक्त के अतिरिक्त उपखण्ड रामसर की कुल 442 चिन्हित ढाणियों में से 366 ढाणियां पेयजल योजनाओं (308 ढाणियां क्षेत्रीय जल योजना एवं 58 ढाणियां पम्प एवं टैंक जल योजना से) से वर्तमान में जुड़ी हुई हैं तथा इनमें से 79 ढाणियों में उक्त वर्णित कारणों से पेयजल आपूर्ति वर्तमान में नहीं हो पा रही है। विभागीय योजनाओं से वंचित शेष 76 ढाणियों की पेयजल आपूर्ति निजी जल स्रोतों एवं टांकों पर आधारित हैं।

उपखण्ड रामसर के पेयजल की कमी वाले 36 ग्रामों तथा शून्य जल

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

सेवा स्तर की 79 ढाणियों में से 39 ढाणियों में सड़क परिवहन अंतर्गत टैंकरों से पेयजल वर्तमान में उपलब्ध कराया जा रहा है तथा शेष ढाणियों में स्थानीय निजी स्रोतों से पेयजल उपलब्ध हो रहा है।

उपखण्ड रामसर की जल योजनाओं के सुचारु संचालन एवं संधारण के लिए 91 विभागीय तकनीकी कर्मचारी (पम्प चालक-12, फीटर-24, विद्युतकार-2, हैल्पर-52 एवं बेलदार-01) तथा दिनांक 01.04.2019 से 31.08.2019 तक 20 संविदा श्रमिक लगाये गये हैं।

उपखण्ड गडरारोड के 172 ग्रामों में से 2 ग्राम पाइप्ड जल योजना, 134 ग्राम क्षेत्रीय जल योजनाओं से तथा 36 ग्राम पम्प एवं टैंक जल योजनाओं से जुड़े हुए हैं। क्षेत्रीय जल योजनाओं से जुड़े 134 ग्रामों में से 51 ग्रामों में विभिन्न कारणों यथा जल योजनाओं अंतर्गत निर्मित भू-जल स्रोतों से जल उत्पादन में कमी, लम्बी योजनाएं एवं ग्रामों के योजनाओं के अंतिम छोर पर स्थित होने इत्यादि से इनमें पेयजल आपूर्ति वर्तमान में नहीं हो पा रही है।

उक्त के अतिरिक्त उपखण्ड गडरारोड की कुल 274 चिन्हित ढाणियों में से 203 ढाणियां पेयजल योजनाओं (5 ढाणियां पाइप विस्तारित जल योजना, 189 ढाणियां क्षेत्रीय जल योजना एवं 9 ढाणियां पम्प एवं टैंक जल योजना से) से वर्तमान में जुड़ी हुई हैं तथा इनमें से 132 ढाणियों में जल योजनाओं अंतर्गत निर्मित भू-जल स्रोतों से जल उत्पादन में कमी, लम्बी योजनाएं एवं ढाणियों के योजनाओं के अंतिम छोर पर स्थित होने इत्यादि से पेयजल आपूर्ति वर्तमान में नहीं हो पा रही है। विभागीय योजनाओं से वंचित शेष 71 ढाणियों की पेयजल आपूर्ति निजी जल स्रोतों एवं टांकों पर आधारित है।

उपखण्ड गडरारोड के पेयजल की कमी वाले 67 ग्राम एवं 132 ढाणियों में सड़क परिवहन अंतर्गत टैंकरों से वर्तमान में पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

उपखण्ड गडरारोड की जल योजनाओं के सुचारु संचालन एवं संधारण के लिए 71 विभागीय तकनीकी कर्मचारी (पम्प चालक-13, फीटर-04, हैल्पर-52 एवं बेलदार-02) तथा दिनांक 01.04.2019 से 31.08.2019 तक 50 संविदा श्रमिक लगाये गये हैं।

उक्त के अतिरिक्त इस उपखण्ड की 3 क्षेत्रीय जल योजनाओं का संचालन एवं संधारण ठेके पर दिया जाकर कराया जा रहा है जिसके अंतर्गत संवेदक द्वारा 78 श्रमिक लगाये गये हैं।

श्री अमीन खां (शिव): अध्यक्ष महोदय, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के उपखण्ड रामसर और गडरारोड के गांव और ढाणियों के बारे में मंत्री जी ने जवाब दिया है कि तीन प्रकार से पानी पहुंचाया जा रहा है। सड़क रास्ते से, स्थानीय स्रोतों से और क्षेत्रीय जलप्रदाय योजनाओं के जरिये। मैं आपको सही कहता हूं कि इन स्थानों में 80 परसेंट स्थान आज भी ऐसे हैं जिनमें एक दिन भी पानी नहीं गया है और जिसको चार साल हो चुके हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछिए।

श्री अमीन खां (शिव): आपके विभाग ने सूचना दी है कि इन गांवों में पानी सुचारु रूप से जा रहा है, यह सच है या गलत है?

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने जानकारी दी है कि जहां पर निजी सोर्स हैं, वहां निजी सोर्स से, टांकों से, बेरियों से और जहां विभाग के पास सूचना है कि कोई सोर्स नहीं है, वहां हमने टैंकरों से पानी पहुंचाया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि रामसर में 15.4.19 से पेयजल परिवहन सैंक्शन चालू है। गड़रारोड में 15.4.19 से चालू है। गड़रारोड में 67 गांव, 2132 ढाणियों में, कुल 199 गांव और ढाणियों में पेयजल टैंकरों से पहुंचाया जा रहा है। रामसर में 36 गांव और 59 ढाणियों में, कुल 75 गांव और ढाणियों में पेयजल परिवहन हो रहा है।

श्री अमीन खां (शिव): मंत्री जी, मैं इतना ही जानना चाहता हूं कि 80 परसेंट हैबीटेशन में पानी नहीं जा रहा है, आपका विभाग गलत सूचना दे रहा है। इस इलाके में लगातार तीन सालों से अकाल है। बेरियों में पानी खतम हो गया है। रामसर के 118 गांवों में भू-जल स्रोत का एक भी गांव नहीं है, उसका आपने आज तक क्या इंतजाम किया और आगे क्या करने जा रहे हो?

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने बताया रामसर में 36 गांव और 29 ढाणियों में, कुल 75 स्थानों पर पेयजल परिवहन हो रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं कोई गांव वंचित रह गये हैं जहां बेरियों से और निजी स्रोतों से कहीं पानी उपलब्ध नहीं है तो उसकी सूची दें, मैं उसका प्रबंध कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री रामलाल शर्मा।

चौमूं नगरपालिका क्षेत्र में पेयजल योजनाएं

60. **श्री रामलाल शर्मा** (चौमूं): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री रामलाल शर्मा)

(1) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा चौमूं नगरपालिका क्षेत्र में पेयजल समस्या के समाधान हेतु कोई योजना बनाई गई है? योजना हेतु स्वीकृत राशि व निर्माण कार्य की प्रगति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना में स्वीकृत कार्य यथा बोरिंग, पाइप लाइन आदि का कितना-कितना व क्या-क्या कार्य शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त शेष रहे कार्य कब तक पूर्ण करा लिए जाएंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री (श्री शान्ती कुमार धारीवाल): (1) जी हां। यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा चौमूं नगरपालिका क्षेत्र में पेयजल समस्या के समाधान हेतु पुनर्गठित पेयजल योजना बनाई गई। इस योजना हेतु स्वीकृत राशि का विवरण व निर्माण की प्रगति का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) उक्त योजना के स्वीकृत कार्यों में से शेष रहे कार्यों का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जयपुर विकास प्राधिकरण में दिनांक 05.01.2018 को लिये गये निर्णयानुसार उक्त शेष कार्य जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा किये जाने हैं। पत्र की प्रति परिशिष्ट-3, 4 एवं 5 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जयपुर विकास प्राधिकरण को धन्यवाद दूंगा कि मेरे चौमूं नगरपालिका क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति के लिये योजना बनाई और उस योजना को क्रियान्वित करने का भी काम किया। मंत्री महोदय, इतना बता दो, आपने अपने जवाब में यह कहा है कि इस पेयजल योजना में 40 ट्यूबवैल स्वीकृत हुए थे। 26 ट्यूबवैल आपके विभाग ने कर दिये, 14 ट्यूबवैल बाकी हैं। 14 ट्यूबवैल यह कहकर इनकार किया कि वहां जन विरोध की वजह से हम नहीं कर पाये। वहां कोई जन विरोध नहीं है। मैं खुद वहां खड़ा रहूंगा, आप तो यह बता दें कि यह 14 ट्यूबवैल आप कब कर दोगे?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): 40 ट्यूबवैल खोदना तय था, उसमें से 26 लगा दिये गये, 6 ट्यूबवैल सिर्फ इस वजह से रोक दिये गये कि ग्रामीणों का वाकई विरोध था और आज भी है। बाकी जो 8 हैं, वह इसलिए रोक दिये गये क्योंकि वहां भू

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

जल समाप्त हो चुका था, वहां ट्यूबवैल में पानी नहीं आ सकता था। इसलिए यह काम रोक दिया गया, 40 में से 26 ही लग पाये।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, विभाग ने मेरे को यह जवाब दिया है कि हमने पीएचईडी डिपार्टमेंट को यह 14 ट्यूबवैल करने के लिये लिख दिया। उनके पत्र भी संलग्न किये हैं। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा इतना सा निवेदन है कि 2012 की उस व्यवस्था से आपका विधान सभा क्षेत्र, नगरपालिका नाथद्वारा पीड़ित है, उसी तरीके से मैं भी पीड़ित हूं। हमारे यहां 2012 में आपकी जब सरकार थी तब नगरपालिका को पेयजल आपूर्ति हैंडओवर करके चले गये। जेडीए ने पीएचईडी को लिख दिया कि पीएचईडी यह 14 ट्यूबवैल करे। पीएचईडी यह कहती है कि हमारे पास वाटर सप्लाई का काम ही नहीं है, नगरपालिका से कराओ। आप स्वायत्त शासन के भी मंत्री हैं, जेडीए भी आपके अधीन आता है, नगरपालिका भी आपके अधीन आता है, मुझे तो यह आश्वस्त कर दो कि मैं नगरपालिका से यह 14 ट्यूबवैल करा दूंगा। जहां तक जन विरोध की बात है, कोई जन विरोध नहीं है। आप तो एक बार स्वीकृति जारी करके काम शुरू कराएं, कोई जन विरोध नहीं है, ताकि चौमूं की जनता पानी पी सके। आप कब तक यह स्वीकृति जारी कर दोगे?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): यह 8 पैकेजेज थे जिन पर 36 करोड़ और कुछ लाख रुपया जेडीए के द्वारा खर्च किया जाना था। 7 पैकेजेज जेडीए के द्वारा पूरे कर दिये गये, सिर्फ 8वां पैकेज इसलिए रोक दिया गया क्योंकि वहां पर आरयूआईडीपी के द्वारा सीवरेज का काम होना बाकी था। यह तय किया गया कि सीवरेज के काम के साथ-साथ ही जो बाकी काम डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बिछाने का है, राइजिंग लेन बिछ गई, ट्यूबवैल खुद गये, सब कुछ काम हो गया, सारा जेडीए के द्वारा हो गया, सिर्फ एक काम बाकी रह गया कि डिस्ट्रीब्यूशन लाइन छोड़ दी जाए। वह इसलिए छोड़ दी गई कि आरयूआईडीपी की सीवरेज लाइन डलनी थी। अब वह सीवरेज की लाइन डल नहीं पाई, इस वजह से जेडीए ने पीएचईडी को यह लिखा कि बाकी काम आप कर दो। अब उनसे करवा लो।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): वह पीएचईडी के अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है। नगरपालिका के द्वारा पेयजल आपूर्ति होती है तो नगरपालिका करे, चाहे पीएचईडी करे, हमारे तो बाबा आना चाहिये, चाहे किधर से भी लाओ।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आपका जो एतराज था जो 2015 में आपने एतराज उठाया कि नगरपालिका को यह काम सौंप दिया गया और संसाधन नहीं दिये गये जिसकी वजह से नगरपालिका चला नहीं पाई। उस पर जेडीए ने अपने आप यह प्रोजेक्ट लिया। अब सवाल यह उठता है कि 8 में से 7 प्रोजेक्ट 2017 में कमप्लीट कर दिये लेकिन उनका संसाधन आज भी जेडीए कर रहा है। जो 8वां पैकेज रह गया वह जब तक सीवरेज का काम नहीं होगा तब तक कोई कर भी नहीं सकता है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल।

फसल बीमा योजना से किसानों को जोड़ने की योजना

61. **श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल** (शाहपुरा): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब लागू हुई तथा उक्त योजना से अब तक प्रदेश के कितने किसानों को जोड़ा गया? वर्ष 2017 से मार्च, 2019 तक जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

कृषि मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया): प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना राज्य में खरीफ 2016 से लागू है। इसमें प्रारम्भ से अब तक कुल 245.24 लाख कृषक फसल पालिसियां बनाई गई हैं। वर्ष 2017 से सृजित की गई कृषक फसल पालिसियों में खरीफ 2017, रबी 2017-18, खरीफ 2018 तथा रबी 2018-19 में कुल क्रमश: 55.04 लाख, 31.63 लाख, 37.71 लाख तथा 26.62 लाख कृषक फसल पालिसियां सृजित की गईं। जिलेवार सृजित की गई पालिसियों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(12.00 बजे)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री नरेन्द्र नागर, सदस्य की ओर से झालावाड़ नगर परिषद में विगत 06 माह पूर्व अधिकांश पार्षदों द्वारा त्याग पत्र दिये जाने के उपरान्त भी प्रशासक नियुक्त नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(2) श्रीमती किरण माहेश्वरी एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से प्रदेश में जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास (डी.एम.एफ.टी.) में स्वीकृत सभी कार्यों का भुगतान रोके जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(3) श्री संदीप शर्मा, सदस्य की ओर से प्रदेश में मौसमी बीमारियों से बचाव हेतु आवश्यक कदम न उठाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(4) श्री विट्ठल शंकर अवस्थी, सदस्य की ओर से प्रदेश में आदर्श क्रेडिट कोआपरेटिव सोसायटी द्वारा जनता के लगभग 10 हजार करोड़ रु. ठगने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(5) श्री बलवीर सिंह लूथरा एवं एक अन्य सदस्य की ओर से बीकानेर कैनाल से पानी की चोरी किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(6) श्री कालूराम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र डग में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रीमियम काटने के बावजूद भी किसानों को फसल बीमा का पैसा नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(7) श्री अर्जुन लाल जीनगर, सदस्य की ओर से चित्तौड़गढ़-प्रतापगढ़ डेयरी के प्रबन्ध संचालक श्री सोहन लाल बरडवा द्वारा दिनांक 25.06.2019 को 8700 लीटर दूध से भरे टैंकर की चोरी किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(8) श्री छगनसिंह एवं पांच अन्य सदस्यों की ओर से विधान सभा क्षेत्र आहोर में संचालित जनता जल योजना को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीन नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(9) श्री अशोक लाहोटी, सदस्य की ओर से मानसरोवर रीको फ्लाईओवर से डिग्गी रोड तक प्रस्तावित सेक्टर रोड के अधूरे पड़े कार्य से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(10) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी स्थित ताकली बांध का निर्माण कार्य अवरुद्ध होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(11) श्री कालीचरण सराफ, सदस्य की ओर से अनारक्षित वर्ग को आर्थिक आधार पर दिये गये 10 प्रतिशत आरक्षण में राज्य सरकार द्वारा लगाई गई अव्यावहारिक शर्तों के कारण उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(12) श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से आदर्श क्रेडिट कोआपरेटिव सोसायटी के प्रबन्धकों की गिरफ्तारी के बाद भी निवेशकों को उनकी राशि वापस नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(13) श्री बलवान पूनियां, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र भादरा के किसानों को नहर का पानी नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(14) श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में बारिश का पानी भरने के कारण आवागमन बन्द होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(15) श्री रामलाल शर्मा, सदस्य की ओर से वीर हनुमान मंदिर नांगल-भरडा, सामोद स्थित रोपवे पर जिला कलेक्टर, जयपुर द्वारा रोक लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(16) श्री राजकुमार रोत एवं श्री गुलाब चन्द कटारिया, सदस्य की ओर से बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ व बारां जिले के आदिवासी समुदाय के 8 से 16 वर्ष तक के बच्चों को गिरवी रखे जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(17) श्री ज्ञानचंद पारख, सदस्य की ओर से पाली तहसील के साकरडा, डटी, मणिहारी आदि गांवों में खनन कार्य में बारूद का इस्तेमाल करने के कारण बांकली बांध का पानी प्रदूषित होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(18) श्री गोपी चन्द मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर की पंचायत समिति कोटड़ी में बड़े पैमाने पर हो रही वित्तीय अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, श्री रामलाल शर्मा, श्री राजकुमार रोत, श्री गुलाब चन्द कटारिया, श्री ज्ञानचंद पारख एवं श्री गोपी चन्द मीणा को उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री नारायण सिंह देवल, सदस्य की ओर से जालौर जिले में खरीफ की फसल के लिए ऋण वितरण न किये जाने से किसानों को हो रही परेशानी के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(2) श्री अमृतलाल मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर स्थित हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा संचालित भूमिगत खानों में काम करने वाले श्रमिकों की समस्याओं का समाधान किये जाने के संबंध में।

(3) श्री छगनसिंह, सदस्य की ओर से विधान क्षेत्र आहोर के कतिपय बंद पड़े विद्यालयों को पुन: खोले जाने के संबंध में।

(4) श्री मुरारी लाल, सदस्य की ओर से राजकीय महाविद्यालय दौसा को पुनर्गठित कर दो भागों में विभक्त किये जाने से छात्रों को हो रही परेशानी के संबंध में।

(5) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से कोटा जिले के मुकुन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व (नेशनल पार्क) के मुख्य प्रवेश द्वार का निर्माण करवाये जाने के संबंध में।

(6) श्री बाबूलाल (कठूमर), सदस्य की ओर से मेवात विकास बोर्ड के माध्यम से मिलने वाली राशि की स्वीकृति के नियम जटिल होने के कारण क्षेत्र के विकास में हो रही देरी के संबंध में।

(7) श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य की ओर से जोधपुर शहर की बिगड़ती यातायात व्यवस्था के स्थाई समाधान हेतु समयबद्ध कार्य योजना बनाये जाने के संबंध में।

(8) श्री जब्बर सिंह सांखला, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आसीन्द में कार्यरत पंचायत सहायकों का कार्यकाल व मानदेय बढ़ाये जाने के संबंध में।

(9) श्री धर्मेन्द्र कुमार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा की बदहाल चिकित्सा व्यवस्था से आमजन को हो रही परेशानी के संबंध में।

(10) श्री कान्ति प्रसाद, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र थानागाजी से गुजरने वाले प्रस्तावित हाईवे के सरिस्का अभ्यारण्य क्षेत्र में पड़ने वाले 13 किलोमीटर हिस्से में एलिवेटेड रोड बनाये जाने के संबंध में।

(11) श्री बिहारीलाल, सदस्य की ओर से बीकानेर में नवनिर्मित सुपर स्पेशलिटी सेंटर का लोकार्पण नहीं किये जाने से आमजन को हो रही परेशानी के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(12) श्री प्रताप लाल भील (गमेती), सदस्य की ओर से राजकीय महाविद्यालय गोगुन्दा को स्नातकोत्तर महाविद्यालय में क्रमोन्नत करवाये जाने के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

पर्ची

आज दिनांक 09 जुलाई, 2019 को शून्यकाल में बोलने हेतु 35 पर्चियां प्राप्त हुईं, जिनमें शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गयीं, जो निम्नांकित हैं:

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या	जिला चित्तौड़गढ़ के शम्भुपुरा क्षेत्र में संचालित आदित्य बिरला सीमेंट फैक्ट्री के आस-पास के गांवों में फैल रहे प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।
श्री गिर्राज सिंह	धौलपुर जिले के थाना निहालगंज में दर्ज एफ.आई.आर. नं. 447/12 पर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही किये जाने के संबंध में।
श्री हमीर सिंह भायल	प्रदेश में किसानों को खरीफ ऋण नहीं दिये जाने एवं ऋण माफ किये जाने के संबंध में।
श्री अविनाश	जैतारण राजकीय अस्पताल में डाक्टरों की कमी से मरीजों को हो रही परेशानी के संबंध में।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

श्री पब्बाराम (फलौदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार को सूचना जाना अति आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, शून्यकाल में पाइंट आफ आर्डर नहीं होता है। श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

केशोरायपाटन में बारिश के पानी से बन्द आवागमन

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): माननीय अध्यक्ष जी, आपने बोलने का समय दिया, इसके लिये धन्यवाद। बहुत ही महत्वपूर्ण बिन्दु

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

है। लगातार बारिश होने की वजह से आम जन को इतनी परेशानी हो रही है, जिसकी वजह से पूरा आवागमन बाधित हो रहा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन की ओर आकर्षित करवाना चाहूंगी कि इतनी सड़कें जो कि वास्तव में विभाग के द्वारा बनायी गयीं और बनाने के बाद जिस तरह से आधी-अधूरी सड़कों का काम छोड़कर कम्पनी चली गयी। इसकी वजह से काशपुरिया गांव जो कि मेरे विधान सभा क्षेत्र का हिस्सा है, उसमें आठ दिन से मकानों में पानी भरा हुआ है। बच्चे घरों से बाहर कहीं नहीं जा सकते हैं। स्कूल नहीं जा पा रहे। मैंने खुद ने एसडीएम साहब को अवगत करवाया। हमने धरना प्रदर्शन भी किया। लेकिन उसके बावजूद भी ये हालात हैं कि एसडीएम का कहना मानने के लिये नीचे के कर्मचारी तैयार नहीं हैं, तहसीलदार तैयार नहीं है। मैंने खुद ने वहां जाकर एसडीएम साहब को निवेदन किया और उन्होंने तहसीलदार को तुरन्त प्रभाव से आदेश दिया कि आप अभी जेसीबी मशीन भेजिए और उस पानी का निकास करिये। लेकिन उसके बावजूद भी तहसीलदार के जूं तक नहीं रेंगी। परसों शाम तक ये हालात थे कि पूरे के पूरे मकानों में पानी भरा हुआ था। मैं आपके माध्यम से पीडब्ल्यूडी मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जिस कंपनी ने इस नैनवां वाली सड़क का निर्माण करवाया है। जो पुलियाओं को अधूरी छोड़कर चली गयी, क्या हम उसके खिलाफ कार्रवाई करने का विचार रखते हैं? अगर ऐसा करोगे तो निश्चित है कि पूरे गांव की समस्या है, जो कि बहुत बड़ी समस्या बनकर वर्तमान में खड़ी है, उसका समाधान हो सकता है। दूसरी ओर, पीडब्ल्यूडी ने नाहरगंज में सड़क का निर्माण किया।

इधर एक तरफ सड़क निर्माण कर दिया, दूसरी तरफ सीसी सड़क बना दी और गांवों के बीचों-बीच आधा-अधूरा छोड़ने की वजह से पूरे गांव के अंदर पानी भरा हुआ है। वहां पर चार दिन से यह स्थिति बनी हुई है। कल भी लोग धरने पर बैठने को तैयार थे। मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि गौरव पथ हमारे यहां बने, गौरव पथ का यह हाल है कि आप घाट का बराना जाकर देखेंगे तो जो तीन महीने पहले गौरव पथ का निर्माण हुआ है, वह वर्तमान में आपको किस हालात में मिलेगा, यह स्थिति वर्तमान में बनी हुई है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, समाप्त करें। पानी, बारिश आप कहां पहुंच रहे हैं। समस्या पर बोलिए।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): आप देखिए मैंने पूरा

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

लिखित में दिया है। जो गांव सड़कों से जुड़े हुए नहीं हैं। अधूरी सड़कें, गौरव पथ पूरा लिखकर दिया है। मैं एक मिनट में अपनी बात को समाप्त करूंगी। जो सड़कों के काम चल रहे थे चाहे ....

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य 50 नंबर में नहीं है यह सब।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): बारिश से क्या हालात हो रहे हैं, उस पर ही बोल रही हूं। रोटेदा सड़क जिस पर आप लोग गिट्टी डाल चुके हो, पूरा काम अधूरा छोड़कर 6 महीने से मैं देख रही हूं....

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, क्षमा करें। माननीय सदस्य, आपने क्या लिखा है, मैं पढ़ूं? आप सीनियर सदस्य हैं, 50 नंबर में जो लिखा है उसी पर बोलेंगे।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): उसी पर बोल रही हूं साहब मैं।

श्री अध्यक्ष: मैं पढ़ देता हूं आपने क्या लिखा है। गांव की सड़कों को जोड़ने एवं क्षेत्र में अधूरी सड़कों का गौरव पथ बनने से, गांव में बरसात का पानी भरने की वजह से गांव में रास्ते बंद हो गये हैं। जनता परेशान हो रही है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, आवागमन बाधित हो गया है। अत: उक्त समस्या के समाधान की आवश्यकता है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उस बात को ज्यादा स्ट्रैस करें। यह इश्यू है।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): ठीक है साहब। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि जितनी भी सड़कें, जो पीडब्ल्यूडी ने अधूरा काम छोड़ा हुआ है, क्या उन सड़कों का निर्माण पुन: चालू करवाने के लिए विचार रखते हैं? अगर नहीं करवाते हो तो कितने आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। क्या उन अधिकारी-कर्मचारी जिन्होंने घटिया निर्माण किया, चाहे आपका गौरव पथ हो या कुछ भी हो लेकिन बारिश की वजह से जो नाली निर्माण नहीं हुआ, पूरे गांव में पानी भरा हुआ है। मैं आपके माध्यम से पुन: मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करवाना चाहती हूं कि जो गौरव पथ है, उस पर आपने नाला नहीं बनाया। सड़कें जो बनायी, उनके किनारों पर नाला नहीं बनाया और बारिश की वजह से पूरा आवागमन बाधित हो रहा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मेरा निवेदन है आपके माध्यम से खटखड़ रोड जो खटखड़ से जैतपुर तक, आप देखिए इतने बुरे हालात कि डेली एक्सीडेंट हो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): मेरा निवेदन है कि पुन: इसको चालू करेंगे तो जनता को इसका लाभ मिलेगा।

श्री अध्यक्ष: रामलाल शर्मा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने विधान सभा के नियम और प्रक्रिया के...

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): माननीय अध्यक्ष जी, जवाब तो दिलवाएं।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए। सीनियर सदस्य हैं आप।

रामलाल जी शर्मा।

वीर हनुमान मंदिर, सामोद रोपवे पर रोक

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने नियम 50 में मुझे बोलने के लिए अनुमति दी, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। चौमूं विधान सभा क्षेत्र के अंदर पहले वीर हनुमान जी का मंदिर आता था। आजकल वह शाहपुरा विधान सभा क्षेत्र के अंदर है। अध्यक्ष महोदय, आज से ठीक चार साल पहले इस वीर हनुमान जी के मंदिर पर, जो हजारों नहीं, लाखों लोगों की आस्था का केन्द्र है, पूर्ववर्ती सरकार ने इसी सदन के अंदर घोषणा की थी कि उस मंदिर का विकास भी खोले के बालाजी की तर्ज पर करेंगे। मैं इस अवसर पर धन्यवाद दूंगा माननीया पूर्व मुख्य मंत्री वसुन्धरा जी का कि उन्होंने जयपुर विकास प्राधिकरण के जेडीसी को भेजकर उसके विकास का एक प्रारूप तैयार किया गया। उस वीर हनुमान जी के मंदिर के विकास में जयपुर विकास प्राधिकरण ने सड़कें बनाने का काम किया, रसोइयां बनाने का काम किया। वहां पर सुविधाएं बढ़ाने का काम किया। लेकिन मंदिर कमेटी और एक कन्वीनर रोपवे कंपनी के बीच में एक एमओयू हुआ। उस एमओयू के तहत यह होना था कि यहां पर एक रोपवे लगेगा। लाखों लोगों की आस्था के केन्द्र पर एक रोपवे, 30-40 साल तक कोई व्यक्ति इस इंतजार में बैठा था कि 800 सीढ़ियां चढ़कर मैं नहीं जा सकता। यदि रोपवे लगेगा, उस दिन मैं वीर हनुमान जी के दर्शन जरूर करूंगा। यह रोपवे नवम्बर, 2018 के अंदर बनकर तैयार हुआ। तत्कालीन जिला कलेक्टर को इस कंपनी ने आकर आवेदन किया

(श्री रामलाल शर्मा)

कि हमारा रोपवे तैयार है, आप इसका भौतिक सत्यापन कराएं। भौतिक सत्यापन करवाकर हमें इस रोपवे को चलाने की अनुमति प्रदान करें।

जिला कलेक्टर ने उसकी अनुमति के लिए पुलिस को लिखा, एसडीएम को लिखा, पर्यटन विभाग को लिखा और पीडब्ल्यूडी को भी लिखा। चारों की अनुमति आने के बाद में अभी 23 मई, 2019 को यह रोपवे शुरू हुआ। शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य उसके मुख्य अतिथि थे। पूर्व मंत्री बंशीधर जी खंडेला, वह भी उस कार्यक्रम में उपस्थित थे। कांग्रेस पार्टी के जिला प्रवक्ता सुरेश जी उस कार्यक्रम में उपस्थित थे, मैं भी था। पूर्व विधायक चौमूं भगवान सहाय जी सैनी भी उस कार्यक्रम में उपस्थित थे। यह रोपवे 23 नवम्बर को शुरू हुआ और अभी 10 दिन पहले इस रोपवे को जिला कलेक्टर ने यह कहते हुए रोक लगा दी कि मैकेनिकल विभाग से आपने इसकी अनुमति नहीं ली। जब आवेदन कंपनी ने जिला कलेक्टर को आवेदन किया तो यह जिम्मेदारी जिला कलेक्टर की बनती थी कि किससे अनुमति लेनी चाहिए और किससे नहीं लेनी चाहिए। जब पीडब्ल्यूडी ने अनुमति दे दी, पुलिस ने अनुमति दे दी, एसडीएम की रिपोर्ट आ गई, पर्यटन विभाग की रिपोर्ट आ गई और उसके बावजूद भी अब जिला कलेक्टर ने मैकेनिकल डिपार्टमेंट की एनओसी के आधार पर रोक लगाई है। मेरा आपसे निवेदन है कि यह लाखों लोगों की आस्था का केन्द्र है। 800 सीढ़ियां कोई चढ़ नहीं सकता। किसी का स्वास्थ्य खराब है, कोई उम्रदराज होने की वजह से नहीं चढ़ सकता। अध्यक्ष महोदय, आप भी जानते हैं और सदन के सदस्य भी जानते हैं कि हनुमान की ताकत क्या है? हनुमान की ताकत की वजह से तो लंका जल गई थी। मैं नहीं चाहता कि राजस्थान की सरकार के ऊपर भी कोई संकट आए। कल न कोई संकट आ गया तो आप कहेंगे कि भाजपा के सदस्यों ने यह कर दिया। मैं आज आपको आगाह करता हूं कि यह संकट आपको वीर हनुमान जी की वजह से आने वाला है। इसलिए तत्काल इस रोपवे को शुरू करें अन्यथा कर्नाटक में तो आ गया संकट, यहां भी आ जाएगा। इसलिए मैं सरकार से चाहूंगा कि तत्काल दो दिन के अंदर यह रोपवे चालू करें। इस वीर हनुमानजी के मंदिर के अंदर लाखों लोगों की आस्था है। जो वीर हनुमान जी के दर्शन करना चाहते हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, वह दर्शन कर पाएं।

श्री अध्यक्ष: राजकुमार रोत।

बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ व बारां जिलों के आदिवासी समुदाय के 8 से 16 वर्ष के बच्चों को गिरवी रखने वालों के विरुद्ध कार्यवाही

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कृपया मुझे रोकें नहीं, क्योंकि यह पूरे राजस्थान को शर्मसार करने वाली घटना है। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और बारां जिले में आदिवासी बच्चों को गिरवी रखने की जो घटना है, सामाजिक संगठनों द्वारा वहां सर्वे किया गया और भास्कर में यह खबर छपी कि बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और बारां जिले में आदिवासी बच्चों को गिरवी रखा जाता है। खबर में यह बताया गया कि दस रुपये के स्टांप पर बच्चों को एक साल के लिए गिरवी रखा जाता है। 60 से 65 ऐसे गांव हैं जहां 8 से 16 वर्ष तक का एक भी बच्चा नहीं मिलेगा। यह पूरे राजस्थान को शर्मसार करने वाली घटना है। सरकार की योजना कहां गयी। नि:शुल्क दवाई योजना, नि:शुल्क शिक्षा योजना, जो शिक्षा का अधिकार है, वह कहां गया? वहां ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं कि बच्चे का आंगनबाड़ी में नामांकन है, बच्चे का मां-बाड़ी में नामांकन है परन्तु वह बच्चा गड़रियों के पास गिरवी है। मैं सरकार को आपके माध्यम से यह बताना चाहूंगा कि जो यह घटनाएं हो रही हैं, उस संबंध में सरकार थोड़ा जल्दी एक्शन ले और कठोर एक्शन ले। जो वहां का प्रशासन है, वहां जो सरकार की योजनाएं हैं, वह सही तरीके से लागू नहीं हो रही हैं। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि यह घटनाएं होती क्यों है? मां-बाप को बच्चे गिरवी रखने का कोई शौक है या उनकी कोई मजबूरी है क्योंकि सरकार की जो योजना है, महानरेगा की, वह वहां तक नहीं पहुंच पाती है, शौचालय की योजना, इंदिरा आवास की योजना है, वह वहां तक नहीं पहुंच पा रही है इसलिए यह घटना हो रही है। हालांकि सरकारी आंकड़े में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ का आंकड़ा बहुत अच्छा जाता है कि सभी योजनाएं लागू हो गयीं। परन्तु धरातल पर वहां यह घटना नहीं होती है। हमारे मुख्य मंत्री महोदय तो नहीं हैं परन्तु हमारे उप मुख्य मंत्री महोदय हैं, उनसे यह जवाब चाहूंगा कि इस संबंध में सरकार क्या करेगी? जो यह घटना हो रही है, उसको रोकने का प्रयास करेगी और जो सरकारी योजनाएं वहां पर लागू नहीं हो रही हैं, जो कर्मचारी-अधिकारी योजनाएं लागू नहीं करवा रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही सरकार करेगी या नहीं करेगी, यह जानकारी लेना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद, माननीय सदस्य।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): अध्यक्ष महोदय, एक बात और बताना चाहता हूं कि पिछली सरकार में मां-बाड़ी के अंदर 700 रुपये की मिठाई दी जा

(श्री राजकुमार रोत)

रही है। बच्चों को 700 रुपये की एक किलो की मिठाई दी जा रही है लेकिन वहां धरातल पर कुछ नहीं है। इतना फर्जीवाड़ा हो रहा है। वहां कुछ नहीं मिलता है, लोगों को गिरवी रखने पड़ते हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: गुलाब चंद जी कटारिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, डूंगरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही, वही बात मैं आपको कह रहा हूं। यह किसी पार्टी और किसी सरकार की नहीं। यह राजस्थान के बारे में हिन्दुस्तान में जो मैसेज गया कि 70 साल के बाद भी हमारे यहां अभी भी छोटे बच्चों को, अपने परिवार को चलाने के लिए या और कोई मजबूरी है, उसके एवज में उन मासूम बच्चों को गिरवी रखा जाता है।

इस विषय की गंभीरता को हम सबको साथ बैठकर सोचना पड़ेगा कि इतने प्रयत्न करने के बाद भी हम इसको तोड़ने में सफल नहीं हो रहे। अगर नहीं हुए तो इसके बारे में बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। यह किसी एक व्यक्ति, किसी एक दल का नहीं है, यह सम्पूर्ण राजस्थान पर एक धब्बा है। सम्पूर्ण देश के लोगों ने जब इस न्यूज को पढ़ा होगा, अख़बार के द्वारा यह न्यूज गई होगी, इसकी लोक सभा में भी चर्चा हुई, मैं सोचता हूं कि इसको थोड़ा गंभीरता से लेने का प्रयत्न करें।

आपने देखा होगा बालक कल्पेश मात्र आठ साल का है। जिला बाल कल्याण समिति बांसवाड़ा रजिस्टर्ड 121 दर्ज किया। यह बालक मध्यप्रदेश के धार जिले में, बाल कल्याण समिति मध्यप्रदेश ने 05 जून, 2019 को बांसवाड़ा समिति को इसको सुपुर्द किया। इसको चालीस हजार रुपये में रखा था। 25 मई, 2019 को कल्पेश उड़ावत जिला धार में अंजता होटल पर अकेला रोते हुए पाया गया था। यह बालक उनसे छूटकर कहीं अनजान जगह पर आया, वहां रो रहा था तो ग्रामीणों ने सूचना दी और चाइल्ड लाइन धार की टीम ने इसे जिला बाल कल्याण समिति धार के समक्ष प्रस्तुत किया। बालक को समिति के आदेश प्रकरण क्रमांक 27/19 के माध्यम से अस्थाई देखरेख और संरक्षण के लिए बाल गृह सीतु किराडा आदिवासी बहुउद्देशीय सेवा संस्थान को भेजा गया। बालक कल्पेश थोरी को पुलिस सुरक्षा में धार चाइल्ड लाइन के माध्यम से दिनांक 05.06.2019 को 11.55 बजे बांसवाड़ा जिला की बाल कल्याण समिति के

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसे समिति ने जारी आदेश से बालक को अस्थाई रूप से देखरेख-संरक्षण में वहां गृह में भेजा। जब बालक से पिता के बारे में पूछा तो उसने पिता की मृत्यु होना बताया, जबकि वास्तव में उसका पिता मरा नहीं है लेकिन बालक को जानकारी नहीं थी। बांसवाड़ा का पुलिस थाना अबापुरा, में प्राप्त रिपोर्ट में विमल भी जिंदा है, इसकी पुष्टि भी हुई है। इस पर पुलिस थाने ने एक्शन किया। जो भी कानूनी कार्यवाही पुलिस कर सकती थी की, 141/31 मुकदमा दर्ज किया गया, मुकदमा दर्ज करने के बाद कल्पेश के पिता विमल थोरी को और उसका काका, जिन दोनों ने मिलकर इस बच्चे को गिरवी रखा था, काका हुरपाल निवासी बोरतालाब कुंडला को गिरफ्तार किया गया था। यह जेल कस्टडी में चला गया। जिस गड़रिया ने इसको गिरवी रखा वह अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। एक बार तो पुलिस को इसके खिलाफ तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए ताकि कानूनी प्रक्रिया है वह पूरी हो जाए।

इसी तरह से, एक दूसरा बालक है राजू चारेल, उम्र 12 साल। यह भी मध्यप्रदेश में 14.06.2019 को प्राप्त हुआ। यहां से यह बांसवाड़ा घाटोल तहसील के थाने को सुपुर्द हुआ। यह तुलसीराम और गणेशराम को दे दिया। जिला बाल कल्याण समिति उज्जैन के समक्ष प्रस्तुत होने के बाद बालक को उज्जैन न्यायपीठ ने बाल गृह के अस्थाई रूप से रखे जाने के आदेश के साथ ही उनकी जानकारी से बांसवाड़ा जिला बाल कल्याण समिति को अवगत कराया, जिस पर बांसवाड़ा समिति ने घाटोल पुलिस उप निरीक्षक के क्षेत्राधिकार में खमेरा थाना मामला होने पर वहां सुपुर्द किया। यहां पर भी, यद्यपि पुलिस ने कार्यवाही की, इसमें कोई दो राय नहीं है। पुलिस के पास वह सुपुर्द हुआ तो इसकी 14.6 के बाद कार्यवाही हुई, केस भी हुआ, केस होने के बाद इसमें दोनों ही, जिसने इसको गिरवी रखा उसको भी और जिसने गिरवी दिया उसके परिवार के दोनों लोगों को भी उन्होंने गिरफ्तार किया। कानूनी प्रक्रिया है वह तो पूरी हो गई। इसके बारे में बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि इतने सालों के बाद भी बच्चों को किस मजबूरी में गिरवी दिया जाता है। दूसरे वाला केस है उसमें तो यह बच्चा बयान देता है कि मेरा पिता बहुत शराब पीता है। घर में खाने की व्यवस्था नहीं है इस कारण से मजबूरी में मुझे इस काम के लिए दिया गया ताकि घर के बाकी लोग हैं उनका किसी तरीके से पेट भर सकें।

गम्भीर समस्या है, यह अपनी जगह है, लेकिन हम सब लोगों को बैठ कर सोचना पड़ेगा कि कहीं हमें कानून में और कोई तरमीम करने की आवश्यकता है क्या। जिस भय के कारण से, क्योंकि इन दोनों के बच्चों के

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

जब बयान लिए तो उन्होंने कहा कि हम अपने माता-पिता के पास जाना नहीं चाहते हैं। उनका कहना था कि माता-पिता के पास जाएंगे तो फिर हमें किसी गडरिये के पास गिरवी रख देंगे। दूसरा बालक है उसने तो अपने बयान में कहा कि मुझे पहले साल दो हजार रुपये में रखा, दूसरे साल ढाई हजार रुपये में रखा और तीसरे साल तीन हजार रुपये महीने के हिसाब से रखा। मेरा यह कहना है कि हम लोगों को इसे कानून के रूप में लाना चाहिए। जो भेजता है वह तो अपराधी है ही है, लेकिन उसके दण्ड को कठोर करें। दूसरा उसका पहलू है कि उसके परिवार में आमदनी नहीं है तो इसके लिए भी आखिर कोई न कोई हमारा सोर्स भी होगा। हमारे इतने काम चलते हैं, हमारे पास इतनी सारी योजनाएं हैं, नरेगा है, बच्चों को रखने के लिए होस्टल है, बच्चों के लिए चाइल्ड गृह, किशोर गृह बने हुए हैं उसके बाद भी अगर यह स्थिति है तो निश्चित रूप से वहां नीचे जो मशीनरी काम करती है उस मशीनरी को भी इसके लिए कुछ न कुछ आधार बनना पड़े। अगर यह केस मध्यप्रदेश में नहीं पकड़ा जाता तो सामने ही नहीं आता। इसका मतलब हमारा जो डिपार्टमेंट वहां काम कर रहा है उस डिपार्टमेंट को कभी यह भनक ही नहीं लगी कि आज भी हमारे यहां बच्चे गिरवी रखे जाते हैं। यह तो दो केस पकड़ में आए हैं। अगर ईमानदारी से ढूंढोगे आपको गुजरात में जितने भी भट्टे लगे हुए हैं उन भट्टों पर कई बच्चे मिल जाएंगे। सड़क पर चलने वाली होटल्स हैं उन होटल्स में आपको ऐसे छोटे-छोटे बच्चे बर्तन धोते मिलेगे। उनके मां-बाप इसलिए कि पैसा आता है। हमें इसे किसी न किसी कानून या ग्रिप में लेकर कम से कम जो 14 साल से नीचे हैं अगर अपन इससे ऊपर नहीं भी जाएं तो 14 साल से नीचे के बच्चे चाहे वह कहीं पर भी काम करता हुआ पाया जाए, उसको बहुत सख्ती से निपटने का प्रयास करें तब तो इस बुराई पर काबू पाया जा सकता है। हमने आपकी बुराई की, आपने हमारी की, इससे मानवीय समस्या का हल नहीं होगा। मानवीय समस्या का हल करने के लिए हमें दोनों पहलू सोचकर कानून को भी सख्त करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा जो इस प्रकार से बच्चों को गिरवी रखता है उसको ज्यादा दण्डनीय बनाना चाहिए। वह केवल उसके शोषण के लिए, गड़रिया जानवर चलाने का काम करता है कभी बच्चा स्कूल गया ही नहीं। जानता ही नहीं है कि पढ़ना क्या होता है। जब उसको कहा गया कि किसी हास्टल में भर्ती करा देते हैं तो उसने कहा कि हां मुझे वहां मत भेजो, जहां कहीं भी आप स्कूल में भेज दो ताकि मैं कम से कम पढ़ लिख जाऊं, यह दोनों बच्चों के वर्शन और बयान हैं। हम सबको इस बारे में बहुत संजीदगी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

से सोचना होगा। हम सरकार चलाते हैं, हम इतने कानून कायदे बनाते हैं, क्या इस समस्या के लिए भी कोई कानून की आवश्यकता है, तो हमें निश्चित रूप से कानून बनाना चाहिए। इस घटना से पूरे राजस्थान ने पूरे हिन्दुस्तान में जो बदनामी भुगती है, लोग जिस बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसा भी कभी होता है कि आठ और दस साल के बच्चों को गिरवी रखकर उसके एवज में पैसे लेने का काम होता है। केवल मां-बाप ही नहीं है इसमें बीच में एक दलाल है। जिस दलाल ने इन बच्चों को गिरवी रखवाने का काम किया है मैं सोचता हूं बहुत गंभीरता से विचार करके समस्या का स्थाई हल निकालने का प्रयत्न करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: श्री ज्ञानचंद पारख।

पाली तहसील के गांवों में खनन कार्य में बारूद के प्रयोग से जल-प्रदूषण

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रकृति हमें पानी देती है हमारे लिए यह उसका बहुत बड़ा उपहार है, वरदान है, जीवन है। हम भी समय-समय पर प्रयास करते हैं कि जो पानी हमको मिला है उसका बेहतरीन उपयोग कैसे कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा जीवन उपयोगी काम में लगा सकें, उसके लिए हमने नदियों पर करोड़ों रुपये खर्च करके बांध बनवाए। बांधों से वापस उस पानी से खेती हो जाए तो नहरों पर भी हमने करोड़ों रुपये खर्च किए। कुछ सालों तक तो यह सिलसिला बराबर चला।

ये बांध हमारे लिये उपयोगी भी साबित हुए और किसान के खेत में इससे फसल भी लहराई। लेकिन जैसे-जैसे यह औद्योगिक विकास बढ़ा, और उससे भी तेज गति से यह खनन कार्य बढ़ा तो उसकी वजह से एक गम्भीर संकट इन बांधों पर खड़ा हो गया है। अभी समय है हम चेत जाएं तो बहुत कम नुकसान में हम इसको ठीक कर देंगे।

मेरे क्षेत्र का एक बांकली बांध है। दो साल पहले तक उसका पानी अमृत था। पर दो साल में जो परिस्थिति पैदा हुई, वह पानी धीरे-धीरे जहर में तब्दील होता जा रहा है। कारण एक है, कि पाली पंचायत समिति के कुछ गांव साकदड़ा है, डरी है, मणियारी है, वहां माइन्स का काम चालू हुआ। माइन्स का काम करना कोई बुरी बात नहीं है। माइन्स करें, हमको कोई दिक्कत नहीं है। पर होता क्या है कि बहुत जल्दी ज्यादा से ज्यादा पत्थर निकाल दूं, कम खर्चे से ज्यादा से ज्यादा पत्थर निकाल दूं, और उसके चक्कर में हम बारूद

(श्री ज्ञानचंद पारख)

का उपयोग कर लेते हैं। जब बारूद का उपयोग होता है तो काम तो उसका जल्दी होता है। पर उस बारूद का पानी माइन्स के खड्डों में जमा हो जाता है। बाद में जब बारिश आती है तो इन खड्डों का पानी नदी में मिल जाता है। इस नदी के अच्छे पानी को भी यह बारूद का जहरीला पानी जहर में तब्दील कर देता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दो साल पहले यह समस्या नहीं थी। पर दो सालों में एकदम जिस तेजी से उस समस्या को उभरते हुए देखा है, वह भी आश्चर्य की बात है। नदी के पास के गांवों के जितने भी बेरे हैं, चाहे वह गांव कुलथाना हो, चाहे देवाण हो, चाहे उमकली हो, चाहे भिण्डर हो, चाहे राकाना हो, चाहे डिंगाना हो, यहां के किसान दो साल पहले तक इन बेरों से सिंचाई करते थे। यह पानी पीने के भी काम आता था। यह बारूद का पानी मिला ना तो उससे ये सारे के सारे बेरे खारे में तब्दील हो गये। अगर किसी ने भूल से सिंचाई कर दी तो वह सारे बेरे खराब हो गये।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

बाद में यही पानी बांध में पहुंचा, इस बांध से भी हजारों बीघा में सिंचाई होती है। करोड़ों रुपये खर्च करके यह बांध बना है। परिणाम क्या हुआ कि जो किसान इस पानी को लेने के लिये संघर्ष करता था कि ज्यादा से ज्यादा पानी हमको मिल जाए, आज इस पानी को लेने को तैयार नहीं है। वह पानी पड़ा है। मंत्री महोदय, मेरा आग्रह रहेगा, मैं खान बंद करने की बात बिलकुल नहीं करता, इससे हमारा रेवेन्यू प्राप्त होता है। पर एक पाबंदी आप लगा देंगे न, कि इसमें बारूद का उपयोग नहीं हो, मात्र यह पाबंदी। मशीन है, वायर सोर्स से भी पत्थर की कटिंग हो सकती है। सारे सिस्टम आजकल हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय, दो मिनट, बहुत गम्भीर मुद्दा है। इससे किसानों की बर्बादी हो रही है।

श्री अध्यक्ष: हो गया। स्थगन प्रस्ताव की एक लिमिट है। प्लीज, वाइण्ड-अप करें।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): मेहरबानी करके ये आदेश जारी करें।

माननीय पर्यावरण मंत्रीजी भी बैठे हैं। यह आपसे सम्बन्धित मुद्दा भी है। आपको भी इसमें थोड़ी पीड़ा लेनी पड़ेगी। क्योंकि बांकली बांध आपके जिले में है और वह बर्बादी की ओर जा रहा है।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय, लास्ट एक मिनट की बात है।

कल मैंने जिक्र किया था, माननीय पेयजल मंत्रीजी से, और आपने खुद ने पाली की समस्या को लेकर बहुत गम्भीरता से चिंतन भी किया है। आप खुद भी चाहते हैं कि पाली की प्रदूषण की समस्या निपटे। आपसे भी आग्रह है कि एक तकनीक, जो पाली में अभी नई आई है, हमारे उद्यमियों ने साहस करके, मैं उनको धन्यवाद दूंगा, हमारे उद्यमियों को कि जिन्होंने अपनी ओर से करोड़ों रुपये खर्च करके प्रदूषित पानी को बिलकुल वापस बरसात के पानी की तरह बनाने का जो काम किया है, धन्यवाद उनको, लेकिन सरकार से आग्रह है कि हम सब मिलकर उस प्रदूषण की समस्या के निदान के लिये सरकार से कोई न कोई सहयोग सब्सिडी के रूप में अगर उन उद्यमियों को करवा देंगे न तो चाहे यह बारूद का पानी है, चाहे यह पाली का नहर का प्रदूषित पानी है, चाहे आने वाले कल में और कहीं भी है तो उससे मुक्ति मिल जाएगी। यह मेरा आपसे भी आग्रह रहेगा। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। गोपीचन्द मीणा।

कोटड़ी पंचायत समिति (भीलवाड़ा) में निर्माण कार्यों में वित्तीय अनियमितता

श्री गोपीचंद मीणा (आसपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे को बोलने का अवसर प्रदान किया, मैं आपका आभारी हूं।

अध्यक्ष महोदय, कोटड़ी पंचायत समिति, जिला भीलवाड़ा में निर्माण कार्यों में वित्तीय अनियमितता की उच्च स्तरीय जांच कराने के सम्बन्ध में निवेदन है कि राजनीतिक द्वेषता से प्रधान मंत्री आवास योजना के आवेदन पत्र स्वीकृत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत रीठ, पारोली, बनकाखेड़ा, सवाईपुर, ककरोलियाघाटी में प्रधान मंत्री आवास योजना के आवेदन स्वीकृत नहीं किये गये। अत: गरीब परिवारों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

(12.35 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

योजना से सम्बन्धित जिम्मेदार कर्मचारियों के विरुद्ध जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करावें। लगभग 1800 पात्र अभ्यर्थी लाभ से वंचित हैं।

माननीय सभापति महोदय, कोटड़ी पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों

(श्री गोपीचंद मीणा)

में श्रमिकों को रोजगार नहीं देकर जे.सी.बी. द्वारा निर्माण कार्य करवाये जा रहे हैं। ग्राम पंचायत बिशनिया, रेड़वास, गंहूली, लसाड़िया, रासेड़ ग्राम पंचायतों में फर्जीवाड़ा करके, विकास अधिकारी व उपखण्ड अधिकारी, प्रधान, कर्मचारियों की मिलीभगत कर बिना साधारण सभा की बैठक आहूत कर पंचायत समिति कोटड़ी से अनुमोदित नहीं होने के बाद भी इन पंचायतों में 50-50 लाख रुपये की अग्रिम राशि सीधी ग्राम पंचायतों के खाते में डाल दी गई है, जो कि वित्तीय अनियमितता की गई है।

पंचायत समिति कोटड़ी में लेखाकार का पदस्थापन होने के बाद भी अन्य पंचायत समिति बिजोलिया से प्रतिनियुक्ति कर फर्जीवाड़ा करवाकर स्वीकृतियां जारी की गई हैं। विगत चार वर्षों में पंचायत समिति कोटड़ी में अनेक योजनाओं में भ्रष्टाचार किया गया है।

मैं, आपके माध्यम से माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि उच्च स्तरीय जांच करवाकर, जांच तक ग्राम पंचायतों के खातों में अग्रिम राशि डाले गये बैंक खातों को फ्रीज करवाने का श्रम करावें। धन्यवाद।

श्री सभापति: प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त सूचनाएं। श्री नारायण सिंह देवल।

श्री पब्बाराम (फलौदी): माननीय सभापतिजी, पाइंट आफ इंफार्मेशन है।

श्री सभापति: विराजिए, आप विराजिए।

श्री पब्बाराम (फलौदी): पाइंट आफ इंफोर्मेशन है। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए। श्री नारायण सिंह देवल का नाम पुकार लिया। मेहरबानी करके आप विराजिए।

श्री पब्बाराम (फलौदी): बड़ी समस्या है किसानों को लेकर ... (व्यवधान)

श्री सभापति: मुझे पता है। आप विराजिए। आप विराजिए।

श्री पब्बाराम (फलौदी): माननीय सभापति महोदय, पाइंट आफ इंफार्मेशन के माध्यम से सरकार को सूचित करना चाहता हूं। कृपया मुझे समय दीजिये, दो मिनट का समय दे दीजिये आप।

श्री सभापति: विराजिए आप। मैंने नाम पुकार लिया नारायण सिंह देवल का, आप विराजिए। (व्यवधान) थोड़ा सीखिये कुछ, परम्पराओं से सीखिये।

श्री पब्बाराम (फलौदी): बड़ी समस्या है, माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति: आप विराजिए, आप विराजिए। बार बार कहने के बावजूद, आप कोई आसन को गम्भीरता से नहीं लेते। जब मैंने नारायण सिंह देवल का नाम पुकार लिया तो फिर आप बार बार क्यों कर रहे हैं। इस तरह से मत करिये आप। कुछ तो अनुशासन हो।

श्री नारायण सिंह देवल।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): पूछ तो लें, क्या इंफोर्मेशन देना चाहते हैं।

श्री सभापति: माननीय उप नेता महोदय, मैंने नारायण सिंह देवल का नाम पुकार लिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): उसके बाद, उसके बाद।

श्री सभापति: आप विराजिए।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

जालौर जिले में किसानों को खरीफ फसल के लिये ऋण वितरण नहीं करने से परेशानी

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम, 295 के अंतर्गत निवेदन है कि प्रदेश का जालौर जिला जो कि पड़ोसी राज्य गुजरात का सीमावर्ती जिला भी है और कृषि प्रधान जिला है। जिले में खरीफ के साथ रबी की फसल भी ली जा रही है। किसानों को फसली ऋण समय-समय पर दिया जाता रहा है कि ताकि वह धन के अभाव में अच्छी पैदावार से वंचित न हों। प्रदेश में मानसून पूर्व की बारिश भी हो चुकी है। प्रदेश में खरीफ फसल की बुवाई हो रही है तथा किसान फसल बोने के लिये बीज, खाद आदि खरीद रहे हैं। किन्तु अभी तक खरीफ फसल के लिये ऋण वितरण चालू नहीं हुआ है जबकि पूर्व में 01 अप्रैल से खरीफ के लिये ऋण वितरण चालू हो जाता था। जबकि अबकी बार राज्य सरकार ने ऋण वितरण के लिये आनलाइन प्रक्रिया शुरू की है, जिसमें अभी तक किसानों का ई-मित्रों के माध्यम से पंजीयन किया जाएगा, उसके पश्चात् ही ऋण वितरण शुरू हो सकेगा। दूसरी तरफ सहकारी बैंकों के अधिकारी व कर्मचारी इस आनलाइन पंजीयन प्रक्रिया का

(श्री नारायण सिंह देवल)

विरोध कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में खरीफ के लिये ऋण वितरण किया जाना सम्भव होगा, ऐसा प्रतीत नहीं होता है।

अत: निवेदन है कि किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए जब तक आनलाइन पंजीयन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक पूर्व की भांति ही किसानों को खरीफ फसल के लिये ऋण वितरण करावें, ताकि किसानों को समय रहते आर्थिक सहायता मिल सके। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री पब्बारामजी, बताइए आप।

सूचना

फलौदी में टिड्डी दल का प्रकोप

श्री पब्बाराम (फलौदी): माननीय सभापति महोदय, मैं पाइंट आफ इन्फोर्मेशन के माध्यम से बताना चाहूंगा कि मेरे फलौदी क्षेत्र के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में टिड्डियों का बहुत बड़ा हमला हुआ है। रात्रि के समय में उनका पड़ाव छायन और बारू में था परन्तु वह धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है। बारू, धोलिया, टेकरा और टेपू यह क्षेत्र जो डबल क्राप्ड एरिया है अगर इसको नहीं रोका गया तो बहुत बड़ा नुकसान किसानों का हो जाएगा। यह पेड़ों की छाल और पेड़ों के पत्ते तक खा जाती है और अब बुवाई होकर फसलें पल्लवित हो रही हैं वह फसल नहीं छोड़ेगी। यह लोहावट और फलौदी क्षेत्र पूरा का पूरा डबल क्राप्ड है, अगर वहां पर आ गयी तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा।

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए।

श्री पब्बाराम (फलौदी): इसलिए सरकार को सूचित करना चाहता हूं कि इसकी रोकथाम के उपाय किये जाएं। धन्यवाद।

श्री सभापति: विराजिए। श्री अमृतलाल मीणा।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में श्रमिकों को हो रही परेशानियां

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के तहत निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर,

(श्री अमृतलाल मीणा)

जिला-उदयपुर में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की संचालित खानों, जैसे- जावरमाला खान, वरोई माइन्स, सेंटर वरोई, बलारिया माइन्स, पोर्ट 8 नम्बर माइन्स, मोचिया माइन्स में निम्न समस्याएं हैं:-

(1) -59 या उससे नीचे मकिंग व गाड़ियों के चलने से धुआं भर जाना।

(2) -5 में वेंटिलेशन खराब है, जिससे सिर दर्द, उलटी, जी घबराना आदि।

(3) कार्बन-डाई-आक्साइड गैस निकलती है, जिससे भारी अव्यवस्था व्याप्त है।

(4) बड़े अधिकारी जैसे- डायरेक्टर जनरल माइन्स सेफ्टी (D.G.M.S.) के आने पर उन स्थानों पर नहीं लाना या उनके आने की खबर से उन स्थानों को ब्लाक कर देना।

(5) टी.बी.टी. (कार्य से पहले सेफ्टी वार्तालाप) न होना या नियमित नहीं होना।

(6) अधिकारियों का माइन्स के अंदर (माइनिंग के अंदर) नहीं के बराबर आना।

(7) माइनिंग मेट पूर्ण रूप से लापरवाह (प्रोडक्शन के चक्कर में) S.O.P. (स्टेंडर्ड आपरेटिव प्रोसेस) का पालन नहीं करना।

(8) वेंटिलेशन फैन की क्षमता को बढ़ाना।

(9) अंदर का खराब वातावरण जो नियर मीस (बाल-बाल बच जाने) का कारण है।

(10) 1.8 मीटर से ऊपर की ऊंचाई पर कभी सेफ्टी बेल्ट व भाड़े का प्रयोग नहीं होता।

(11) शिकायत करने पर उस व्यक्ति पर प्रेसर डालना या उसे झूठा साबित कर देना।

(12) कामगारों को सुरक्षा अधिकार (A.E.C.T.) का ह्रास।

(13) सेफ्टी केवल दिखावा जैसे- हाथी के दांत खाने के अलग व दिखाने के अलग।

(14) वेंचूरी का गर्म हवा देना, मशीन का गर्म होना, पानी का कनेक्शन गर्म पानी का होना, डक्टिंग फेन का बंद होना, लास्ट फेज तक

(श्री अमृतलाल मीणा)

खराब हवा (कार्बन गैस) जो कि वहां के वातावरण को जल्दी हीट कर देता है। ऐसी परिस्थिति में प्रोग्रेस का दबाव व 1.8 मीटर से ऊपर की ऊंचाई पर बिना सेफ्टी बेल्ट, बिना भाड़े के काम करवाना, बिना रोड स्टेंड का काम करना (ड्रिलिंग), बिना वायर मेस के मशीन चलाना (418 में बिना वायर मेस के 01 माह तक मशीन चलाई), माइनिंग मेट द्वारा असभ्य भाषा का प्रयोग।

(15) माइनिंग के अंदर ठंडे पानी का नहीं होना (पीने का पानी) एवं कभी-कभी गंदा पानी आना।

(16) L.P.D., L.S.D. व सीजर लिफ्ट में मैनपावर का आना-जाना, आदि।

अत: मेरा आपसे आग्रह है कि उक्त प्रकरण की वास्तविक स्थिति यथा- खदान के अंतिम छोर तक निरीक्षण कर श्रमिकों को यथासंभव जीवन रक्षक साधन उपलब्ध कराएं व उनके स्वास्थ्य की जांच की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं जिससे उनके साथ होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके।

इसी आशा व विश्वास के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत है। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री छगन सिंह।

आहोर में बन्द पड़े विद्यालयों का पुन: संचालन

श्री छगनसिंह (आहोर): माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम-295 के तहत निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र आहोर के ब्लाक शिक्षा आहोर के अधीन आने वाले तीन गांवों में कुण्डली, आलाव-ए, देवानाड़ी सेदरिया बालोतान में एक भी प्राथमिक विद्यालय नहीं है। पूर्व में शिक्षा अधिकारियों को भी इसकी सूचना दी है पर इस पर कोई अमल नहीं किया है। इन गांवों में प्राइवेट विद्यालय भी नहीं है जिससे इन गांवों के बच्चों का भविष्य गर्त में है। जो हम सदन में बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि आज के बच्चे कल के देश का भविष्य है, क्या यही भविष्य है?

माननीय सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि कुण्डली, आलावा-ए, देवानाड़ी सेदरिया बालोतान गांवों में पुन: विद्यालय खोले जाएं जिससे नन्हे-मुन्ने बच्चे प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर सकें और वहां पर रहवासी परिवारों के बच्चों को भी शिक्षा का अवसर प्राप्त हो सके तथा अपना भविष्य निर्माण कर सके।

इसी आशा व विश्वास के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत है। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री मुरारी लाल मीणा।

दौसा राजकीय महाविद्यालय का विभाजन

श्री मुरारी लाल (दौसा): माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम-295 के तहत निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने राजकीय महाविद्यालय, दौसा में छात्र संख्या अधिक (करीब 10-12 हजार) होने के कारण वर्ष 2016 में महाविद्यालय का पुनर्गठन किया जिसमें मूल कला महाविद्यालय को अलग कर दिया गया, जिसकी छात्र संख्या करीब 7500 है। इसके लिए दौसा से करीब 7 किलोमीटर दूर एन.एच. 11 पर 6.2 बीघा जमीन आबंटित कर 6 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी की गई। जिसका भवन करीब-करीब बनकर तैयार हो गया है, जिसमें 9 कक्षा-कक्ष निर्माणाधीन हैं। इस भवन में 1500 छात्रों से अधिक अध्ययन नहीं कर सकते हैं।

मूल महाविद्यालय भवन जिसके तहत करीब 50 बीघा जमीन व 10-12 हजार छात्रों को बैठने हेतु पर्याप्त कक्षा-कक्षों सहित 150 कमरे सभी आधारभूत सुविधाओं से युक्त है।

निवेदन है कि या तो पुनर्गठित दोनों महाविद्यालयों का मूल भवन जहां पर सारी सुविधाएं हैं, रखा जाए। यदि अलग करने की आवश्यकता महसूस होती है तो पं. नवल किशोर शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दौसा (विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय) जिसमें छात्र संख्या 1500 के आस-पास है, को स्थानांतरित किया जाए।

यदि कला महाविद्यालय, दौसा जिसके पूर्व की भाजपा सरकार ने आदेश कर रखे हैं, को स्थानांतरित किया जाता है, जिसमें कि छात्र संख्या 7000-7500 है, को सारी सुविधाएं वास्ते जमीन, कक्षा-कक्ष व अन्य सुविधाएं देनी पड़ेगी जिससे भारी बजट की आवश्यकता पड़ेगी व मूल निर्मित कालेज भवन आधे से अधिक, जो सारी सुविधाओं से युक्त है, खाली पड़ा रहेगा।

अत: निवेदन है कि पूर्व की सरकार के गलत निर्णय को बदलते हुए कला महाविद्यालय को मूल भवन में व विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय को नए भवन में स्थानांतरित करने के आदेश प्रसारित किये जाएं।

यदि दोनों महाविद्यालयों को मूल भवन में ही रखा जाता है तो नए निर्मित भवन का किसी अन्य शिक्षण संस्था के लिए उपयोग लिया जा सकता है। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री मदन दिलावर।

मुकुन्दरा हिल्स टाइगर रिजर्व (नेशनल पार्क) दरा के नवीन मुख्य द्वार का निर्माण

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम-295 के तहत निवेदन करना चाहता हूं कि कोटा जिले में मुकुन्दरा हिल्स टाइगर रिजर्व (नेशनल पार्क) दरा के मुख्य प्रवेश द्वार का निर्माण होना प्रस्तावित है। मुख्य द्वार क्षेत्रीय जनता व पर्यटकों के लिए आकर्षण का केन्द्र हो, साथ ही आवागमन में किसी प्रकार की रुकावट न हो, ऐसा सीधा व सुगम द्वार का निर्माण होना आवश्यक है। निर्माण से पूर्व स्थान का चयन कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए किया जाए तो उत्तम होगा।

महोदय, मैं मुख्य द्वार के संबंध में दरा से दरा गांव के बीच, जहां पूर्व में वन विभाग का गेस्ट हाउस बना हुआ है, के स्थान को उचित एवं उपयुक्त समझता हूं, क्योंकि यह स्थान रेलवे स्टेशन से काफी नजदीक है। पुरातत्व संरक्षण की दृष्टि से अबली मीणी का महल भी पास ही स्थित है। एन.एच. 52 पर स्थित यह स्थान सड़क मार्ग की दृष्टि से भी उपयुक्त है। दिल्ली-मुंबई रेल मार्ग पर स्थित रामगंज मण्डी जंक्शन, जहां पर सभी ट्रेनों का ठहराव होता है, पर्यटकों को आने-जाने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं है, साथ ही यह स्थान मुख्य मार्ग पर भी स्थित है। सड़क और ट्रेन मार्ग के नजदीक होने से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

उक्त स्थान रावतभाटा से भी सीधा लिंक होता है। यह क्षेत्र कोटा स्टोन के लिये प्रसिद्ध है। खनन क्षेत्र होने से व्यापार जगत के लोग भी आसानी से यहां पहुंच सकते हैं। इस स्थान से रामगंज मण्डी, जहां स्पाइस मार्केट (मसाला बाजार) उपलब्ध है, वहां आने वाले व्यापारी वर्ग को भी मुकुन्दरा हिल्स टाइगर रिजर्व पार्क को देखने में सुगमता रहेगी। कोटा स्टोन पत्थर उद्योग की दृष्टि से रामगंज मण्डी शहर देश में अहम स्थान रखता है। यहां नजदीक मोड़क गांव में मंगलम् सीमेंट की फैक्ट्री भी स्थित है, जिसमें हजारों लोग काम कर रहे हैं। साथ ही सीमेंट व्यापार की दृष्टि से देश के विभिन्न भागों से आने वाले व्यापारी व उद्योग जगत के लोग भी इस स्थान पर सीधे पहुंच सकते हैं। आज भी पर्यटन की दृष्टि से यह स्थान महत्वपूर्ण है।

अत: मेरा आपसे आग्रह है कि यह बहुत ही लोक महत्व व जनहित का मामला है, इसलिये विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के माध्यम से जनहित के मुद्दे पर चर्चा प्रस्तुत है। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री हाकम अली खां।

सूचना

फतेहपुर में रेलवे पुलिया के नीचे डूबे व्यक्ति की मृत्यु

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): धन्यवाद, सभापति महोदय, बहुत ही ज्वलन्तशील एक मुद्दा है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में डेढ़ साल पहले बड़ी रेलवे लाइन डाली गयी थी, उस समय दो रेलवे पुल नीचे से एक एन.एच. 11 और एक फतेहपुर से नवलगढ़-मुकुंदगढ़ को जोड़ने वाली सड़कें जाती हैं। दोनों पुलियाओं के नीचे, उस पुलिया को इतना गहरा कर दिया कि वहां पर पांच से सात फीट पानी भर जाता है। आज रात को बारिश आयी थी, उसमें सुबह-सुबह एक आदमी घर-घर जाकर गायों का दूध निकालकर अपना जीवन-यापन करता था। उसका घर रेलवे लाइन के उस पार है, फतेहपुर शहर इस पार है तो वह अपने घर से निकला तो उसको यह पता नहीं था कि इस रेलवे पुलिया के नीचे इतना पानी है। वह ज्योंही रेलवे पुलिया के नीचे गया। वह साइकिल पर था, उसकी साइकिल फंस गयी तो वह उसके अंदर डूब गया और डूबने से उसकी मौत हो गयी। मैं सरकार से मांग करता हूं कि उसको मुआवजा दिया जाए। धन्यवाद।

श्री सभापति: जानकारी हो गयी, विराजिए आप। श्री बाबूलाल कठूमर। (अनुपस्थित) श्रीमती सूर्यकांता व्यास।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

जोधपुर शहर की बिगड़ती यातायात व्यवस्था के स्थायी समाधान हेतु समयबद्ध कार्ययोजना

श्रीमती सूर्यकांता व्यास (सूरसागर): सभापति महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये मैं राज्य सरकार का ध्यान जोधपुर शहर की लगातार बिगड़ती यातायात व्यवस्था में सुधार की ठोस कार्य योजना बनाकर समयबद्ध क्रियान्वयन की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं। जोधपुर शहर की लगातार बढ़ती जनसंख्या, उसके अनुरूप दुगनी गति से बढ़ रहे यातायात साधनों की संख्या के कारण जोधपुर में अनेक सड़कें लगातार ट्रैफिक जाम की समस्या झेल रही हैं। इस कारण जोधपुर में पर्यावरण प्रदूषण भी तेजी से बढ़ रहा है। सोजती गेट, जालोरी गेट, पावटा, बारहवीं रोड, पहला पुलिया, आखलिया आदि चौराहों पर प्रदूषण और ट्रैफिक जाम की समस्या

(श्रीमती सूर्यकांता व्यास)

निरन्तर बिगड़ती जा रही है। परन्तु इस समस्या के स्थायी समाधान के कोई प्रयास योजनाबद्ध रूप से नहीं किये जा रहे हैं। मेरी मांग है कि-

(1) आखलिया चौराहे से महामंदिर चौराहे तक वाया बोम्बे मोटर्स, पांचवीं रोड, शनिश्चरजी का थान, जालोरी गेट, सोजती गेट, पावटा, खेतसिंहजी का बँगला होते हुए एलीवेटेड रोड का निर्माण।

(2) जालोरी गेट, सोजती गेट-नई सड़क, पावटा चौराहे पर फ्लाई ओवर का निर्माण।

(3) मथुरादास माथुर सर्किल से डी.पी.एस. सर्किल तक की सड़क के दोनों और स्लिप लेन में हुए समस्त स्थायी एवं अस्थायी अतिक्रमणों को हटाकर सड़क का सम्पूर्ण चौड़ाई का उपयोग सुनिश्चित किया जावे।

(4) माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आखिलया चौराहे से ज्वाला विहार तक सड़क की चौड़ाई 160 फीट और ज्वाला विहार से तिलवासनी तक चौड़ाई 200 फीट निर्धारित की गयी है। उक्त चौड़ाई हुए समस्त स्थायी एवं अस्थायी अतिक्रमणों को नियमानुसार विधिपूर्वक हटाकर सड़क की सम्पूर्ण चौड़ाई का उपयोग सुनिश्चित किया जावे।

(5) खाण्डा फलसा से जोगियां का बास तक सड़क चौड़ाई 10 फीट बढ़ायी जावे।

(6) सूरसागर बाई पास से राज बाग़- राजाराम सर्किल-सूरसागर पुलिस थाना होते हुए घोड़ा घाटी तक की सड़क की निर्धारित अधिकतम चौड़ाई सुनिश्चित करने हेतु स्थायी-अस्थायी अतिक्रमण हटावे जावें।

(7) घोटा घाटी से मेहरानगढ़ दुर्ग रोड तक की सड़क निर्माण की बाधाओं को विधिपूर्वक दूर करते हुए सड़क निर्माण करना।

अत: उक्त समस्त बिन्दुओं का समावेश करते हुए कार्य योजना बनाकर इसके लिये समुचित बजट प्रावधान कर समयबद्ध रूप से क्रियान्वित करावें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री जब्बर सिंह सांखला।

आसीन्द में कार्यरत पंचायत सहायकों के कार्यकाल व मानदेय में बढ़ोतरी

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत

(श्री जब्बर सिंह सांखला)

मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र आसीन्द व हुरड़ा में कार्यरत पंचायत सहायकों ने उनके संघ के प्रतिनिधियों द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर एक मांग पत्र मुझे सौंपा, जिसमें विभिन्न मांगों को पूर्ण करवाने के संदर्भ में लिखा कि ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायकों के कार्यकाल की वृद्धि, नियमिति करण करने एवं सम्मानजनक मानदेय वृद्धि करने का निवेदन किया गया है।

अत: मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इन मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर न्यायोचित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों को निर्देश प्रदान कर अनुगृहित कराने का श्रम करावेंगे। अगर हां, तो कब तक? नहीं तो क्यों? इसी आशा एवं विश्वास के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत है। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री कांति प्रसाद, आप विराजिए। श्री धर्मेन्द्र कुमार।

पीलीबंगा की बदहाल चिकित्सा व्यवस्था

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि पीलीबंगा शहर की आबादी लगभग 40 से 50 हजार के करीब है। नगरपालिका क्षेत्र में कुल 25 वार्ड हैं। परन्तु दु:ख इस बात का है कि राजकीय चिकित्सालय में बैड की संख्या 30 है। पीलीबंगा शहर की आबादी को देखते हुए आस-पास के गांवों की संख्या भी काफी है और चिकित्सकों की संख्या नाममात्र है। वर्तमान में चिकित्सालय में पद के अनुसार पोस्टिंग नहीं है और ज्यादातर डाक्टर्स डेपुटेशन पर हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि वहां पर डाक्टरों की स्थायी पोस्टिंग करें। वहां गांव व शहर की आबादी को देखते हुए चिकित्सालय में 30 बैड की बजाय 60 बैड की व्यवस्था की जाए।

आमजन को लाभ मिले जिससे मरीजों को दूसरी जगह न जाना पड़े। इसके साथ ही, जो पीलीबंगा का राजकीय चिकित्सालय है, वह भामाशाह द्वारा काफी वर्ष पहले ही बिल्डिंग बनवा दी गयी थी, परन्तु आज अस्पताल की बिल्डिंग जर्जर हालत में है। महोदय, कभी कोई भी हादसा हो सकता है। आपसे मेरा निवेदन है कि पीलीबंगा शहर के आस-पास की आबादी को देखते हुए राजकीय चिकित्सालय में डाक्टरों की स्थायी नियुक्ति की जावे और अस्पताल को 30 बैड से 60 बैड किया जाए। साथ ही जर्जर हालात की बिल्डिंग का पुनर्निर्माण किया जाए। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है

(श्री धर्मेन्द्र कुमार)

कि सरकार मेरे विधान सभा क्षेत्र में राजकीय चिकित्सालय में जनहित को देखते हुए समस्या का समाधान करेगी। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री कान्ति प्रसाद।

थानागाजी से गुजरने वाले प्रस्तावित हाईवे के सरिस्का अभयारण्य के 13 किलोमीटर हिस्से में एलीवेटेड रोड का निर्माण

श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी): आदरणीय सभापतिजी, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी एवं वन मंत्रीजी से निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र थानागाजी के विस्तृत क्षेत्रफल में अरावली पर्वत श्रृंखला के साथ बहुत बड़ा मैदानी, पठारी एवं पहाड़ी भाग वन क्षेत्र में आता है।

(13.00 बजे)

विश्व प्रसिद्ध सरिस्का टाईगर प्रोजेक्ट, वन्य जीव अभयारण्य सैंक्चुअरी होने की वजह से क्षेत्र में जगह-जगह सड़कों के निर्माण कार्य अटके पड़े हैं। थानागाजी से सरिस्का होते हुए अलवर जाने वाला मार्ग वन क्षेत्र से होकर गुजरता है जहां डामर सड़क तो उपलब्ध है लेकिन जंगली जानवरों की रक्षार्थ कदम-कदम पर बड़े ब्रेकर लगाये गये हैं। ऐसे हालात में इस मार्ग से बड़ी संख्या में आने-जाने वाले वाहनों को रेंग-रेंग कर निकलना पड़ रहा है।

वन क्षेत्र से गुजरने वाले मार्गों पर सुगम यातायात एवं जंगली जानवरों की हिफाजत की मंशा से पिछले दिनों प्रदेश के घने वन क्षेत्र दर्रा अभयारण्य कोटा मुकुंदरा हिल्स में लगभग आठ किलोमीटर की लम्बाई का एलिवेटेड रोड बनाया जा रहा है। इसी संदर्भ में मेरा भी आप दोनों ही मंत्री गणों से निवेदन है कि वर्तमान में एन.एच.ए.आई. द्वारा दिल्ली से शाहपुरा वाया नूह, झिरका फिरोजपुर हरियाणा, जिला अलवर के रामगढ़ नटणी का बारा, कुशालगढ़, तालवृक्ष, थानागाजी, विराटनगर तक हाइवे का निर्माण प्रस्तावित है। उक्त एन.एच. हाइवे को सरिस्का में दर्रा अभयारण्य की भांति लगभग 13 किलोमीटर के एलिवेटेड रोड नटणी के बारह से थैंक्यूबोड वाया सरिस्का, थानागाजी तक जोड़ा जावे तो लोकहित में वन्य जीवों के हित में तथा पर्यटकों के हित में तथा थानागाजी के चहुंमुखी विकास के लिए उचित निर्णय होगा। अत: एन.एच.ए.आई. को सरकार की ओर से उक्त आशय का प्रस्ताव भिजवाकर अनुगृहित करावें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बिहारीलाल।

बीकानेर में नवनिर्मित सुपर स्पेशलिटी सेंटर का लोकार्पण

श्री बिहारीलाल (नोखा): धन्यवाद, माननीय सभापति जी। माननीय चिकित्सा मंत्री जी, थोड़ा गौर फर्माएं।

राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख की सूचना के तहत निवेदन है कि उक्त नियम के तहत बीकानेर में सुपर स्पेशलिटी सेंटर बनकर तैयार है किन्तु विभागीय उदासीनता के कारण इसे शुरू नहीं किया जा रहा है। पी.बी.एम. की उपचार क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि की संभावना को समेटे यह अस्पताल तमाम तैयारियों के बावजूद शुरू नहीं किया जा रहा है और इसके कारण गम्भीर रोगियों को उच्च संस्थानों में रैफर किया जा रहा है।

बीकानेर ही नहीं अपितु समूचे उत्तर भारत के लोगों को बेहतर इलाज प्रदान करता आ रहे पी.बी.एम. चिकित्सालय पर भी इस सेंटर के शुरू हो जाने से बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सरकार और विभागीय अधिकारियों की ढिलाई के कारण इसमें उपलब्ध कराये गये उपचार के बेशकीमती व आधुनिकतम उपकरण धूल चाट रहे हैं।

इस नव-निर्मित सेंटर की उपेक्षा से जहां जनता को भारी आर्थिक नुकसान तो हो ही रहा है वहीं दूसरी ओर विभिन्न बीमारियों के इलाज की नई-नई विधाओं की खोज और अनुसंधान की प्रबल संभावनाओं पर भी पर्दा पड़ा है। ऐसा भी नहीं है कि सरकार और विभाग सुपर स्पेशलिटी के शुरू नहीं हो पाने की बात से अनजान हो, सरकार की इस नाकामी पर स्थानीय मीडिया बार बार ध्यान दिलाता रहा है किन्तु ऐसा लगता है कि जैसे सरकार को जनहित से कोई सरोकार ही नहीं रह गया है।

हम सदन के माध्यम से चिकित्सा मंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि वे बताएं कि इस सेंटर को शुरू करने में आखिर दिक्कत क्या आ रही है? क्या इसलिए शुरू नहीं किया जा रहा है कि यह सेंटर अजमेर में नहीं है, बीकानेर में है? माननीय मंत्री जी बताएं कि वे इस सेंटर को कब तक शुरू करवाने जा रहे हैं? और यदि इसे यूं ही लटकाये रखना चाहते हैं तो उसकी वजह बतायी जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री प्रताप लाल भील।

श्री प्रताप लाल भील (गमेती) (गोगुन्दा): माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, सत्ता पक्ष कितना गम्भीर है। आफिसर गैलेरी की तरफ आप निगाह उठायें, आफिसर गैलेरी में शून्यकाल में एक छोटे से अधिकारी बैठे हैं। मंत्रीगणों का नजारा देख लें, किस अदा में बैठे हैं समाज कल्याण मंत्री जी, चिकित्सा मंत्री जी।

श्री सभापति: विराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मतलब सदन की गम्भीरता नहीं रहेगी। शून्यकाल में एक ही तो समय है, हम अपनी बात कह सकें। यह पहली बार है ...

श्री सभापति: सदन पूरी तरह से गम्भीर है। आप विराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): नहीं, सभापति महोदय, आप आफिसर गैलेरी की तरफ देखो।

श्री सभापति: विराजिए। आप विराजिए, विराजिए। (व्यवधान)

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): एक पूर्व मंत्री और एक वर्तमान मंत्री साथ बैठ जाएं, आपके पेट में दर्द होने लग गया। कमाल हो गया, माननीय।

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, विराजिए। (व्यवधान) विराजिए।

मैं आपको सूचना दे दूं। माननीय सदस्य, 80-82 लोगों को ऊर्जा पर बोलना है। आप लोग यदि इसी तरह समय खराब करेंगे तो मुझे बाध्य होकर, यह माननीय अध्यक्ष महोदय के भी निर्देश हैं, बाध्य होकर पांच बजे करना पड़ेगा, जितने लोग बोल पाएंगे उतने ही बोलेंगे। मेहरबानी करके आप समय बर्बाद नहीं करें। माननीय प्रताप लाल जी।

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सभापति: मैं माननीय प्रताप लाल जी को बुला चुका हूं। विराजिए, आप दोनों विराजिये। (व्यवधान) विराजिए आप लोग। माननीय प्रताप लाल जी। (व्यवधान)

गोगुन्दा राजकीय महाविद्यालय का स्नातकोत्तर में क्रमोन्नयन

श्री प्रताप लाल भील (गमेती) (गोगुन्दा): माननीय सभापति महोदय, आपने नियम 295 पर बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद।

राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिये राजकीय महाविद्यालय, गोगुन्दा में

(श्री प्रताप लाल भील)

स्नातकोत्तर कक्षाएं प्रारम्भ करने, स्नातक कक्षाओं में सीटें बढ़ाने तथा सुविधाएं विकसित करने के सम्बन्ध में निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के उपखण्ड गोगुन्दा स्थित राजकीय महाविद्यालय गोगुन्दा में वर्तमान में स्नातक स्तर तक कक्षाएं संचालित हैं। यह महाविद्यालय मई, 2016 में खोला गया था। हर साल इस महाविद्यालय में अधिक संख्या में विद्यार्थी प्रवेश हेतु आवेदन करते हैं किन्तु प्रवेश कम विद्यार्थियों को ही मिल पाता है। इस साल भी 400 आवेदन प्राप्त हुए तथा प्रवेश केवल 200 विद्यार्थियों को ही मिल पाया। क्या सरकार यहां स्नातक तक कक्षाओं में सीटें बढ़ाने का विचार रखती है? इस महाविद्यालय में हिन्दी, इतिहास, गृह विज्ञान के लेक्चरर के पद तथा कार्यालय में मंत्रालयिक कर्मचारियों के पद लम्बे समय से रिक्त हैं, क्या सरकार इन पदों को शीघ्र भरने का विचार रखती है? महाविद्यालय में फर्नीचर, प्रयोगशाला, कम्प्यूटर तथा खेल मैदान सुविधाओं का भी अभाव है, क्या सरकार इन सुविधाओं का विकास करने का विचार रखती है?

गोगुन्दा स्थित यह महाविद्यालय जिला मुख्यालय, उदयपुर से 30 किलोमीटर दूर पड़ता है। गोगुन्दा क्षेत्र टी.एस.पी. क्षेत्र में आता है, अधिकतर जनजाति वर्ग के विद्यार्थी अध्ययन करते हैं जिसमें छात्राओं की संख्या ज्यादा रहती है। क्षेत्र में गरीबी ज्यादा होने से ये विद्यार्थी आगे अध्ययन नहीं कर पाते हैं, क्या सरकार जनजाति विद्यार्थियों के हित में राजकीय महाविद्यालय, गोगुन्दा को स्नातक से स्नातकोत्तर तक क्रमोन्नत कर स्नातकोत्तर कक्षाएं प्रारम्भ करने का विचार रखती है?

अत: मेरा आपसे आग्रह है कि राजकीय महाविद्यालय, गोगुन्दा में स्नातक कक्षाओं में सीटें बढ़ाने, विकास सम्बन्धी कार्य कराने तथा महाविद्यालय को स्नातक से स्नातकोत्तर तक क्रमोन्नत करने की कृपा करावें। धन्यवाद।

श्री सभापति: आज दिनांक 9 जुलाई, 2019 को शून्यकाल में बोलने हेतु 35 पर्चियां प्राप्त हुई हैं जिनमें शलाका द्वारा चार पर्चियां निकाली गई हैं जो निम्नानुसार हैं -

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या, श्री गिर्राज सिंह, श्री हमीर सिंह भायल, श्री अविनाश। श्री चन्द्रभान सिंह आक्या।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

चित्तौड़गढ़ स्थित आदित्य बिरला सीमेंट फैक्ट्री से प्रदूषण

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति महोदय, मुझे आपने पर्ची के माध्यम से बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, चित्तौड़गढ़ में काफी इंडस्ट्रीज भी हैं, काफी फैक्ट्रियां भी हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि चित्तौड़गढ़ इंडस्ट्री की तरह से बहुत बड़ा सीमेंट का हब भी है, वहां हिन्दुस्तान जिंक है, बिरला है, आदित्य बिरला है, लाफार्ज फैक्ट्री है, जे.के. है, वण्डर है।

जब-जब भी फैक्ट्री लगी या फैक्ट्री में कोई नया प्लांट लगा, वहां जन सुनवाई होती है और जन सुनवाई के माध्यम से वहां के विकास के बारे में, डवलपमेंट के बारे में वहां के सभी जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी यह सब बैठते हैं और उसके बारे में चर्चा करते हैं। हमारे वहां आदित्य बिरला फैक्ट्री है, उसके बारे में जन सुनवाई हुई 2013 में और वहां सभी जनप्रतिनिधि थे, वहां सब प्रशासनिक अधिकारी भी थे, उन लोगों के सामने वहां दस साल की योजना बनी। दस साल की योजना के अन्दर वहां के विकास का, वहां डवलपमेंट का, वहां के बेरोजगार युवाओं के बारे में पूरी चर्चा हुई थी और उस दस साल की योजना में वहां प्रत्येक साल उस फैक्ट्री के माध्यम से जो प्रभावित पंचायतें हैं, जो प्रभावित गांव हैं उनके माध्यम से वहां कम से कम साढ़े सात-आठ करोड़ रुपये सालाना खर्च करने की बात हुई। वहां के बेरोजगारों को रोजगार देने की बात हुई और वहां एक आई.आई.टी. कालेज भी सावा गांव में खोलने की बात हुई। माननीय सभापति महोदय, उसकी आज दिन तक पालना नहीं हुई। जन प्रतिनिधियों ने काफी धरना भी दिया, ज्ञापन भी दिया पर उसकी पालना नहीं हो पा रही है। सभापति महोदय, आप उसकी पालना करवाएं क्योंकि वहां के लोग दु:खी हैं।

वहां की एक बहुत बड़ी परेशानी यह भी है कि वहां लीज एरिया में जो गांव आये थे और उनको दूसरी जगह बसाया गया था। दूसरी जगह बसाने के बेस पर, जो जमीन, जहां लोग बसे हुए हैं वो आज भी जमीन फैक्ट्री के नाम पर है, उन लोगों को पट्टा नहीं दिया और वो लोग वहां पैसे लगाकर बस गये। माननीय सभापति महोदय, मैं आप लोगों से मांग करता हूं कि उन लोगों के

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

कर्जा भी है, वे लोग कर्जे से दु:खी भी हैं, उन लोगों को आप पट्टे दिलाने की भी चर्चा करें, वो दिलवाएं।

इसके अलावा, सभापति महोदय, हमारे वहां तीसरे प्लांट के अन्दर जमीन अवाप्त कर रहे हैं। अभी माननीय कलेक्टर महोदय ने हमारे वहां काफी किसानों की जमीन अवाप्त कर ली, और भी पेशियां चल रही हैं, पांच-पांच, सात-सात दिन में पेशियां दे रहे हैं। अभी वहां धरना भी हुआ, ज्ञापन भी हुआ। माननीय सभापति महोदय, उन जमीनों को लीज करें पर जिन एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. के लोगों के पास एक-एक, दो-दो बीघा जमीन है, वो लोग काफी दु:खी हैं, काफी प्रभावित हैं।

अगर आपको जमीन की आवश्यकता है तो उस जमीन को लें। लेकिन वहां के 5-10 किलोमीटर के एरिये में जे.के. सीमेंट भी है, लाफार्ज भी है, दूसरे भी हैं, जो लोग मुआवजा दे रहे हैं, उसके अनुसार इन लोगों को आप मुआवजा दिलाने की कृपा करावें। वहां के लोग काफी दु:खी हैं। एस.सी., एस.टी. वर्ग के पास एक-एक, दो-दो बीघा जमीनें हैं। उनको अगर आप उचित पैसा दिलवाएंगे तो वहां बहुत अच्छा रहेगा। वहां काफी लोग परेशान भी हैं। अभी भी वहां लोग धरना दे रहे हैं।

सभापति महोदय, लीज एरिये के अंदर बड़ी मात्रा में एक्सप्लोसिव विस्फोट होता है। लीज के आसपास जो मंदिर 100 मीटर के एरिये में हैं, 200 मीटर के एरिये में हैं, ऐसे करीब 8-10 मंदिर हैं, उनको आप कृपा करके वहां से 300, 400 मीटर दूरी पर ही विस्फोट करने के लिए कहें। उनके पास में नहीं खोदें। मंदिरों को नुकसान हो रहा है।

श्री सभापति: विराजिए। विराजिए।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): सभापति महोदय, पर्ची पर बोल रहा हूं। पर्ची पर कम से कम 10 मिनट का मौका मिलता है।

श्री सभापति: विराजिए। मुझे पता है।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): मेरी बात तो मैं पूरी कहूं न।

श्री सभापति: विराजिए। श्री गिर्राज सिंह।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): यह क्या बात हुई? पर्ची पर है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): मेरी बात ही नहीं हुई।

श्री सभापति: ऐसे नहीं, विराजिए आप।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): मेरी बात तो सुनो।

श्री सभापति: विराजिए। सुन ली आपकी बात।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): सभापति महोदय, मेरी बात तो मैं पूरी कह दूं। मेरी बात ही नहीं हुई।

श्री सभापति: विराजिए।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): एक मिनट का टाइम और दें। एक मिनट का टाइम। सभापति महोदय, एक रिक्वेस्ट है। सभापति महोदय, आप बड़े आदमी हो। थोड़ी दया करो।

श्री सभापति: श्री गिर्राज सिंह। अंकित नहीं होगा।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): 000

श्री सभापति: विराजिए। विराजिए।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): 000

श्री सभापति: विराजिए। विराजिए। अंकित नहीं होगा। प्रतिपक्ष के नेता महोदय।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): 000

श्री सभापति: बिलकुल नहीं। बिलकुल नहीं। विराजिए। अंकित नहीं होगा।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): 000

श्री सभापति: अंकित नहीं हो रहा है। विराजिए।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): 000

श्री सभापति: कोई जवाब नहीं होगा। माननीय सदस्य, विराजिए। कोई जवाब नहीं होगा, बैठिए।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): 000

श्री सभापति: विराजिए। थोड़ा अनुशासन रखिए। आसन पैरों पर है।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): 000

श्री सभापति: कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। विराजिए आप। कोई जवाब नहीं होगा। श्री गिर्राज सिंह।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): 000

श्री सभापति: मैं फिर आपको कह रहा हूं, चन्द्रभान सिंह आक्या साहब, मुझे आपको नाम लेना पड़ेगा। अनुशासनहीनता बिलकुल बर्दाश्त नहीं। बैठिए आप ...(व्यवधान) गिर्राज सिंह जी।

निहालगंज थाने (धौलपुर) में दर्ज एफ.आई.आर. पर कार्यवाही

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धौलपुर जिले के थाना निहालगंज में एक मुकदमा संख्या 447/2012 अंतर्गत धारा 265, 342 के तहत परिवादी मानसिंह पुत्र गोपाल द्वारा दर्ज कराया था। जिसमें अनुसंधान में यह तथ्य सामने आए थे कि पूर्व विधायक +++ की दूसरी पत्नी +++ से परिवादी मानसिंह के भाई +++ ...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): यह जिस प्रकार से नाम लेकर कह रहे हैं, यह गलत बात है। यह क्या बात हुई?

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): जिसके चलते +++ एवं +++ के धौलपुर छोड़कर के भाग जाने से, पूर्व विधायक +++ ...(व्यवधान) पंजाब नेशनल बैंक, छाता बाजार, आगरा से अपहरण कर ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य। माननीय सदस्य श्री गिर्राज सिंह। जो सदन में नहीं हैं आप उनका नाम नहीं लें।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): सभापति महोदय, जो अनुसंधान अधिकारी ने जांच की है उसका ही कह रहा हूं।

श्री सभापति: मैं इसको बिलकुल अलाउ नहीं करुंगा।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): यह मेरे घर की जांच नहीं है। मैं कोई अधिकारी नहीं हूं। मैंने कोई जांच नहीं की है।

श्री सभापति: मैं बिलकुल अलाउ नहीं करूंगा। जो नहीं हैं आप उसका नाम नहीं लें।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): सभापति महोदय, यह वही जांच है। मैंने कोई जांच नहीं की है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बैठिए आप।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): जो जांच में सामने आया है, मैं वही कह रहा हूं। सभापति महोदय, जो जांच में सामने आया है, मैं वही कह रहा हूं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: सुनिए, आप सुनिए।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): नाम नहीं ले सकते। आप अपनी बात कहिए।

श्री सभापति: नाम लेना जरूरी नहीं है। माननीय सदस्य, किसने अलाउ किया आपको? आप क्यों बार-बार उठ रहे हो? इतने वरिष्ठ सदस्य हैं आप। जब मैं स्वयं बोल रहा हूं तो आप क्यों बोल रहे हैं बीच में? माननीय सदस्य, एक मिनट। नाम नहीं लें, ज्यादा अच्छा रहेगा। जो सदन में नहीं हैं। हमने एक परम्परा डाल रखी है कि जो सदस्य सदन में नहीं हैं। आप उनके परिवार के बारे में, उनके बारे में, नाम क्यों ले रहे हैं? आप नाम नहीं लीजिए। जो भी आपको बात कहनी है, अपनी बात कहिए। नाम नहीं लीजिए।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): सभापति महोदय, जो जांच में सामने आया है, मैं वही बोल रहा हूं। मैं अपने घर से नहीं बोल रहा हूं।

श्री सभापति: तो आप उनका नाम मत बोलिए। जरूरी नहीं है नाम लेना।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): मेरा दोष क्या है इसमें?

श्री सभापति: जरूरी नहीं है नाम लेना। बैठिए आप। ऐसे नहीं।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): जांच इनकी सरकार ने की है पहले वाली। जिन्होंने इनको बचाया है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आपने इस पर्ची में लिखकर दिया है, उसमें यदि आप नाम लिखकर के देते तो माननीय अध्यक्ष महोदय आपको अलाउ नहीं करते। नाम नहीं लें। जो भी आपका है, बिना नाम के ही बोल सकते हैं। उनकी पत्नी बोल सकते हैं। उनका नाम लिए बिना ही बोल सकते हैं। पूर्व विधायक बोल सकते हैं। जरूरी है कि आप नाम ही लें।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): आगरा से अपहरण करके और उनको धौलपुर लाकर के बंदी बनाया। अपने साथियों के साथ मिलकर, साफी से गला घोटकर, उस व्यक्ति की हत्या कर दी। इस प्रकरण में पहले अनुसंधान अधिकारी गुलाम नबी ने पूर्व विधायक को मुलजिम माना। अपहरण एवं हत्या का अपराधी माना। जुर्म प्रमाणित पाया गया। इस प्रकरण में पूर्व विधायक अपने राजनीतिक प्रभाव के चलते अपने चहेते अनुसंधान अधिकारी को जांच दिलवाकर, बदलवाकर और पत्रावली के पूरे सबूतों की सही जांच न करके मामले को रफा दफा कर दिया गया। भाजपा सरकार ने इसमें परिवादी के साथ अन्याय कराया है। इस मामले में सबूतों की जांच अधिकारी ने अनदेखी की है।

(श्री गिर्राज सिंह)

सभापति महोदय, मैं इस मामले में सदन के माध्यम से दुबारा से अनुसंधान कराए जाने की मांग करता हूं। मृतक के परिजनों को न्याय दिलाने एवं अपराधियों को सज़ा दिलाने की मांग करता हूं।

सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय यहां पर बैठे हैं। वह इस सदन में घोषणा करें और इस मामले की दुबारा जांच कराई जाए। पीड़ित पक्ष को, जिसकी हत्या हुई है, उसको न्याय मिले। जिससे हमारी सरकार की साख बने। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस सदन में घोषणा करें और इस प्रकरण का दुबारा से अनुसंधान कराया जाए।

श्री सभापति: श्री अविनाश।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): सभापति महोदय, जवाब दे रहे हैं मंत्री जी।

श्री सभापति: आप जवाब दे रहे हैं मंत्री महोदय?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय सदस्य ने गम्भीर मसला उठाया है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए। विराजिए आप। आप आसन को निर्देश दें। बैठिए आप।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): इसी में बोलना जरूरी है क्या?

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): हमारे में भी जवाब दिलवाएं ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्रसिंह गुढा (उदयपुरवाटी): सभापति महोदय, एक नौजवान की निर्मम हत्या कर दी जाती है और उसके अंदर भाजपा सरकार ने, पूर्व मुख्य मंत्री ने उस मुकदमे को ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य विराजें ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्रसिंह गुढा (उदयपुरवाटी): उस मुकदमे में एफआर लगा दी जाती है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें ...(व्यवधान)

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): उनका जवाब दिलवा रहे हो ...(व्यवधान) हमारा भी जवाब दिलवाओ ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें ...(व्यवधान)

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): मैं नहीं बैठूंगा ...(व्यवधान) उनका जवाब दिलवा रहे हो। मेरा भी जवाब दें ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्रसिंह गुढा (उदयपुरवाटी): भाजपा की पूर्व मुख्य मंत्री ...(व्यवधान) एक नौजवान की हत्या के हत्यारों को बचाने का काम किया ...(व्यवधान)

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): +++ ...(व्यवधान) एक पर्ची पर जवाब दिलवाओ और दूसरी पर्ची पर जवाब नहीं दिलवाओ ...(व्यवधान)

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्रसिंह गुढा (उदयपुरवाटी): 000

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): 000

श्री सभापति: विराजिए। मैं कह रहा हूं आप बैठिए ...(व्यवधान)

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): 000

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): 000

श्री सभापति: आप विराजिए। मैं बता रहा हूं न आप बैठिए ...(व्यवधान) मुझे बाध्य होकर के आगे की कार्यवाही लेनी पड़ेगी ...(व्यवधान) मैं अलाउ नहीं करूंगा ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्रसिंह गुढा (उदयपुरवाटी): 000

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): 000

श्री सभापति: माननीय नेता प्रतिपक्ष, इनको अनुशासन सिखाइए ...(व्यवधान)

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): 000

श्री राजेन्द्रसिंह गुढा (उदयपुरवाटी): 000

(आसन से अंकित नहीं करने के निर्देश)

श्री सभापति: आप इस तरह से हाउस को डिक्टेट नहीं कर सकते।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): 000

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): 000

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): 000

(13.21 बजे)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: बैठ जाएं प्लीज। (व्यवधान) लाहोटी साहब, प्लीज।

आप सभी जानते हैं कि आज चर्चा करनी है, कल हमने खुद फैसला किया था कि चर्चा करनी है- कल पानी की की, आज बिजली की करनी है।

(श्री अध्यक्ष)

हम इस चर्चा को सार्थक करना चाहते हैं तो फिर चीजों को हमें मानना पड़ेगा। यह हम खुद जानते हैं कि जवाब देना कोई जरूरी नहीं है। आपकी व्यवस्था करने के लिए कि सरकार के ध्यान में लाएं और यह कोशिश की कि सरकार के मंत्री यहां रहें। इसलिए यह बाध्य नहीं करें कि जवाब मिले। (व्यवधान) प्लीज। आई विल नोट अलाउ।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): 000

श्री अध्यक्ष: प्लीज बैठें। जरूरी नहीं है। आप बैठ जाएं प्लीज। कोई जरूरी नहीं है। किसी चीज को हमेशा अलाउ करें, यह जरूरी नहीं है। (व्यवधान) प्लीज। आप बोलेंगे?

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): 000

श्री अध्यक्ष: प्लीज आप बैठें। आई विल नोट अलाउ। (व्यवधान) आप बैठ जाएं। आपका जरूरी नहीं है, आप बैठिए प्लीज।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): 000

श्री अध्यक्ष: आप बैठ जाएं प्लीज। आपके समझ में नहीं आता है क्या? सदन ऐसे नहीं चलेगा। आप चाहेंगे वैसे चलेगा तो फिर सदन क्या है? सदन की गरिमा समझिए, आप दूसरी बार एमएलए हैं, पहली बार एमएलए हैं क्या? (व्यवधान) यह जरूरी नहीं है प्लीज।

फिर स्थगन प्रस्ताव बंद कर देंगे हम। (व्यवधान) प्लीज।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्ची के माध्यम से जो माननीय सदस्य ने प्रकरण ध्यान में लाया है, निश्चित तौर पर कुछ ऐसा लगता है कि मामला गम्भीर है और कुछ एडीशनल फैक्ट्स भी आज मुझे मिले हैं, कुछ दस्तावेज भी मिले हैं, मैं उनके आधार पर कह सकता हूं कि जब तक इसकी दुबारा से जांच न हो, तब तक इस मामले में न्याय नहीं हो पाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए यह ठीक है कि न्यायालय द्वारा एफआर स्वीकृत कर दी गई लेकिन एफआर भी वापस खुलवाने के लिए पुलिस को पूरा अधिकार होता है अगर एडीशनल फैक्ट्स आते हैं तो। एडीशनल फैक्ट्स को आप नकार नहीं सकते। जिस तरीके से आप इसको पोलिटिकल इश्यू बनाना चाहते हैं, तो यह पोलिटिकल इश्यू नहीं है, यह 302 का मुकदमा है, 302 का मुकदमा है, 302 का मुकदमा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्लीज।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय सदस्य से यही कहना है कि मैं उनका पूरा परीक्षण करवा दूंगा, ये जो एडीशनल फैक्ट्स मिले हैं, और परीक्षण करवाने के उपरांत अगर इस केस में पुन: जांच करने की आवश्यकता हुई तो निश्चित तौर पर जांच करवाई जाएगी।

श्री अध्यक्ष: श्री हमीर सिंह भायल।

प्रदेश में किसानों को खरीफ ऋण वितरण एवं ऋण माफी

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्ची के माध्यम से शून्यकाल में मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को हर वर्ष फसली लोन समय पर दिया जाता है। खरीफ ऋण 2019 को लेकर पूरे प्रदेश में किसानों के मन में संशय है। किसान वर्ग में आक्रोश पहले तो सरकार की घोषणा सम्पूर्ण कर्ज माफ करने की थी, फिर कहा कि 2 लाख का ऋण माफ करेंगे, प्रदेश में एक भी किसान को 2 लाख रुपये का कर्ज माफ नहीं हुआ है। प्रतिदिन अख़बार में समाचार छपते हैं कि किसानों के ऋण के कारण आत्महत्याएं हो रही हैं, सरकार का ध्यान किसानों को लेकर नगण्य है। ऋण वितरण को लेकर अभी तक पूरे प्रदेश में आनलाइन करवाने को लेकर किसान दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, ई-मित्र पर हर समय जाकर देखते हैं कि आज की तारीख में क्या हमारा आनलाइन हो गया है या नहीं हुआ। लेकिन आज दिन तक किसानों का आनलाइन नहीं किया गया जबकि पूरे प्रदेश में वर्षा का दौर चालू हो गया है। किसानों को जोतने के लिए बिल चाहिए। बीज के साथ में जुताई के लिए, ट्रैक्टर की खड़ाई के लिए, बीज के साथ में रुपयों की आवश्यकता होती है लेकिन राज्य सरकार केवल और केवल आनलाइन का बहाना बनाकर प्रतिवर्ष खरीफ ऋण आनलाइन किसानों को अप्रैल में शुरू किया जाता है। अभी जुलाई का महीना चल रहा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तक ऋण वितरण नहीं किया जा रहा है। ऋण माफी को लेकर सरकार की सभी घोषणाएं मात्र थोथी साबित हुई हैं। सीसीबी बैंकों को सरकार रुपये नहीं दे रही है, सीसीबी आनलाइन नहीं कर रही हैं, आधार को जोड़ने की बात तो कुल मिलाकर सरकार को लोन देना ही नहीं है। भूमि

(श्री हमीर सिंह भायल)

विकास बैंक से किसान को लोन नहीं मिल रहा है, उस आधार को सोसायटीज आनलाइन करने की बात कर रही है। इसी तरह से सरकार द्वारा किसानों का समय बर्बाद किया जा रहा है। आनलाइन नहीं किया जा रहा है। ऋण माफी में दो लाख की घोषणा थोथी साबित हुई, उसके बाद में किसानों कें लिए 50 हजार की पूर्व सरकार ने जो ऋण माफी की थी उसके बाद में 2 लाख की जगह मेरे क्षेत्र में मैं आपको ईमानदारीपूर्वक कह सकता हूं कि कई जीएसएस के अंदर 300 से लगाकर 700 तक का ऋण माफ हुआ और उसके बाद में भी किसान आज दिन तक चक्कर काट रहे हैं। यदि सीजन में किसानों को खाद, बीज लाने के लिए लोन वितरण नहीं होगा तो माननीय अध्यक्ष महोदय, सिवाय यह थोथी घोषणा के अलावा कुछ नहीं है, इससे किसानों की हालत खराब हो रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आप भी किसान परिवार से हैं, आपने 28 तारीख को फर्माया था कि जल्दी ही आनलाइन करके किसानों के खातों में रुपये जमा करवा दिए जाएंगे। आज ई-मित्र पर किसान नजर टिकाए बैठा है, आज दिन तक न तो आनलाइन हो रहा है न किसानों को कर्ज दिया जा रहा है, मेहरबानी करके मंत्रीजी से जवाब दिलवाएं, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह किसानों का मसला है, यह पूरे राजस्थान का मसला है, मैं आपसे चाहूंगा कि जवाब दें।

श्री अध्यक्ष: श्री अविनाश।

जैतारण राजकीय अस्पताल में डाक्टरों की कमी से मरीजों को परेशानी

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्ची के माध्यम से आपने मुझे इस सदन में बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। यहां माननीय चिकित्सा मंत्रीजी विराजमान हैं, मैं आपके माध्यम से उनका ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट करना चाहूंगा। मेरे जैतारण कस्बे का सीएचसी जो वर्तमान में 50 बैड का है, पूर्व के बजट की घोषणा 75 बैड के करने की हो रखी है लेकिन अभी तक हुआ नहीं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसको जल्द से जल्द 75 बैड की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करें। वर्तमान में सीएचसी की जो स्थिति है उसके बारे में मैं आपको अवगत करवाना चाहूंगा। वहां जैतारण में जितने भी एमओ हैं, कनिष्ठ विशेषज्ञ हैं, उनके कई पद रिक्त पड़े हैं और जो अनुभवी डाक्टर लगे हुए थे उनका भी पूर्व में राजनीतिक

(श्री अविनाश)
दुर्भावनावश ट्रांसफर कर दिया गया। मैं विशेष रूप से निवेदन करना चाहूंगा कि जैतारण में जो डाक्टर देवेन्द्र सोलंकी लगे हुए थे, हार्ट स्पेशलिस्ट थे उनका राजनीतिक दुर्भावनावश ट्रांसफर कर दिया गया, 7.3.2019 को। मैं इसलिए उनका नाम ले रहा हूं कि उनके रहते हुए जैतारण सीएचसी को कायाकल्प और रखरखाव में पूरे पाली जिले में प्रथम स्थान मिला और 26 जनवरी, 2019 को माननीय जिला कलेक्टर महोदय, पाली के द्वारा उनको विशेष पुरस्कार भी मिला। मेरे जैतारण क्षेत्र में सीसीयू का जो वार्ड चल रहा है वह 2009 से चल रहा है और पूरे राजस्थान में सीएचसी के लेवल पर प्रथम सीसीयू वार्ड चल रहा है और वह भी दानदाता के सहयोग से चल रहा है तो इसमें भी पूर्ण रूप से योगदान देवेन्द्र सोलंकी का है। मैं यह इसलिए कहना चाह रहा हूं। मैं इस पत्र की ओर, अख़बार की कटिंग की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा जो 29 जून, 2019 का है। आपकी पार्टी के राजनेताओं द्वारा डाक्टर्स पर इतना दबाव लगाया जाता है कि उन्होंने नींद की गोलियां खाकर सुसाइड करने का प्रयास किया, यह 29 जून का लैटर आपको दिखाना चाह रहा हूं।

इसमें लिखा है 'राजनीतिक दखल के दबाव में आकर खायी चिकित्सक ने नींद की गोलिया'।

मैं एक पत्र का भी जिक्र करना चाहूंगा, माननीय मंत्री महोदय, कृपया ध्यान दें। जो मैडिकल रिलीफ सोसाइटी में सदस्यों का मनोनयन होता है, उसमें आप सभी को पता है कि विधायक के कोटे से एक सदस्य का मनोनयन होता है। 07.06.2019 को उसी हास्पिटल सीएचसी से, जो मैडिकल इंचार्ज हैं, उन्होंने एक पत्र लिखा। मैंने मेरे लैटर पैड पर अनुशंसा की कि इन सदस्यों का मनोनयन करें। उसके बाद में आपकी पार्टी के जो मेरे प्रतिद्वंद्वी हैं, जो डाक्टर साहब ने लिखा, "निवेदन है कि श्रीमान् विधायक महोदय ने जैतारण पत्र दिनांक इतने को पत्र लिखकर मैडिकल रिलीफ सोसाइटी में नये सदस्य को मनोनीत करने की अनुशंसा की है, जबकि श्रीमान् +++ पूर्व विधायक ने निम्न हस्ताक्षरकर्ता को...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, जो सदस्य सदन में नहीं हैं, उनके बारे में नहीं बोला जाएगा।

श्री अविनाश (जैतारण): एक मिनट अध्यक्ष जी, निम्न हस्ताक्षरकर्ता को घर बुलाकर कहा कि राजस्थान राज्य में सरकार उनकी है, अत: मैडिकल

(श्री अविनाश)

रिलीफ सोसाइटी की पुरानी कमेटी को भंग कर उनके अनुसार नये सदस्य मनोनीत करने को कहा गया है। अत: उन्होंने सीएमएचओ, पाली को एक पत्र लिखा मार्गदर्शन के लिये। जबकि श्रीमान् ऐसा है कि स्थानीय स्तर पर मैडिकल इंचार्ज और अस्पताल यह तय करते हैं कि विधायक की अनुशंसा के आधार पर मैडिकल रिलीफ सोसाइटी का गठन किया जाता है। यह राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर की 29 जून की रिपोर्ट है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप कनक्लूड करें।

श्री अविनाश (जैतारण): मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस जैतारण सीएचसी को जिस डाक्टर की वजह से यह प्रथम पुरस्कार मिला है और जिस अस्पताल की ओपीडी पूरे राजस्थान में चौथे नंबर पर रहती है, जोधपुर डिवीजन में प्रथम नंबर पर है, उसका ट्रांसफर राजनीतिक दुर्भावना से किया गया, इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जैतारण सीएचसी में जो पूर्व डाक्टर का ट्रांसफर आपने किया था, उसको जैतारण की जनता के हित के लिये पुन: लगाया जाए। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह की राजनीतिक दुर्भावना जो चिकित्सा में भी है, कम से कम आपसे निवेदन है कि उसे रोकने की कृपा कराएं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य केन्द्र, जैतारण में विशेषज्ञ चिकित्सकों और चिकित्सा अधिकारियों के कुल 11 पद हैं और स्वीकृत पदों के विरुद्ध सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जैतारण में 9 चिकित्सक लगाये हुए हैं, जिनमें से 7 कार्यरत हैं, 2 जिनका मैंने ट्रांसफर कर जैतारण लगाया है, उन्होंने अभी ज्वाइन नहीं किया है, वे भी ज्वाइन करेंगे।

माननीय सदस्य ने कहा कि चिकित्सकों की कमी है, मैं समझता हूं कि 11 में से जब 9 चिकित्सक लगे हुए हैं तो चिकित्सकों की कोई कमी नहीं है। इन्होंने जो मुद्दा अख़बार के माध्यम से उठाया है, उन बातों में कोई दम नहीं है और अख़बार कोई माध्यम नहीं हो सकता जिसके द्वारा आप सदन में इस तरह की बातें करें कि राजनीतिक दुर्भावना से कोई काम किया जा रहा है। अगर राजनीतिक दुर्भावना होती तो 11 में से 2 ही चिकित्सक होते आपके यहां, 4 चिकित्सक मैंने लगाये हैं मेरे मंत्री बनने के बाद।

ये ऐसा आरोप इस सदन में लगा नहीं सकते कि राजनीतिक

(श्री रघु शर्मा)

दुर्भावनावश हम काम कर रहे हैं। चिकित्सा महकमा हमारी जिम्मेदारी है, चाहे पक्ष के सदस्य हों या विपक्ष के सदस्य हों, आप सबके यहां चिकित्सा सुविधा सुचारु रूप से चले, यह मेरी और मेरे विभाग की जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को हम पूरी कर रहे हैं। कोई राजनीतिक भेदभाव हम नहीं कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। अधिसूचनाएं। श्री शांती कुमार धारीवाल।

श्री अविनाश (जैतारण): 000

श्री अध्यक्ष: प्लीज, माननीय सदस्य। गलत परम्परा नहीं डालें। कुछ रिकार्ड नहीं होगा। अधिसूचनाएं।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

वित्त विभाग

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार वित्त विभाग की 37 और आबकारी विभाग की 13 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं।

1. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-III-161 दिनांक 12.2.2019 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-II 154 दिनांक 29.1.2019 के संबंध में एक शुद्धि पत्र जारी किया गया है;
2. अधिसूचना संख्या: एफ.2(6)वित्त/कर/2014-पार्ट-162 दिनांक 14.2.2019 जिसके द्वारा स्टाम्प ड्यूटी पर देय ब्याज एवं शास्ति में छूट के संबंध में राहत योजना लागू की गई है;
3. अधिसूचना संख्या: एफ.4(15)वित्त/कर/2014-163 दिनांक 1.3.2019 जिसके द्वारा पत्नी के पक्ष में दिनांक 31.3.2022 तक की अवधि में निष्पादित दान पत्र पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है;
4. अधिसूचना संख्या: एफ.2(38)वित्त/कर/2009-164 दिनांक 1.3.2019 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.4(4)वित्त/कर/2015-231 दिनांक 9.3.2015 (समय-समय पर यथा संशोधित) का अधिक्रमण किया गया है;

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

5. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017पार्ट-III-165 दिनांक 7.3.2019 जिसके द्वारा सेवाप्रदाता जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में संकलित आवर्त रुपये 50 लाख से अधिक न हो, के लिये प्रशमन योजना लागू की गई है;

6. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017पार्ट-III-166 दिनांक 7.3.2019 जिसके द्वारा माल की अनन्य आपूर्ति करने वाला व्यक्ति जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में संकलित आवर्त रुपये 40 लाख से अधिक न हो, को पंजीकरण में छूट प्रदान की गई है;

7. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017पार्ट-II-167 दिनांक 07.3.2019 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-58 दिनांक 30.6.2017 का अधिक्रमण किया गया है;

8. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017पार्ट-III-168 दिनांक 8.3.2019 जिसके द्वारा राजस्थान माल एवं सेवा कर (तृतीय कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 2019 जारी किया गया है;

9. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017पार्ट-IV-169 दिनांक 29.3.2019 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017पार्ट-I-49 दिनांक 29.6.2017 में संशोधन किया गया है;

10. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017पार्ट-IV-170 दिनांक 29.3.2019 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017पार्ट-I-50 दिनांक 29.6.2017 में संशोधन किया गया है;

11. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017पार्ट-IV-171 दिनांक 29.3.2019 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017पार्ट-I-51 दिनांक 29.6.2017 में संशोधन किया गया है;

12. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017पार्ट-IV-172 दिनांक 29.3.2019 जिसके द्वारा परिषद की सिफारिशों पर पंजीकृत व्यक्ति की श्रेणियों को अधिसूचित किया गया है;

13. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017पार्ट-IV-173 दिनांक 29.3.2019 जिसके द्वारा प्रतिलोम प्रभार प्रक्रिया को अधिसूचित किया गया है;

14. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017पार्ट-IV-174 दिनांक 29.3.2019 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017पार्ट-I-40 दिनांक 29.6.2017 में संशोधन किया गया है;

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

15. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017पार्ट-IV-175 दिनांक 29.3.2019 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017पार्ट-III-165 दिनांक 7.3.2019 में संशोधन किया गया है;

16. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017पार्ट-IV-176 दिनांक 29.3.2019 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर नियम, 2017 में संशोधन किया गया है;

17. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017पार्ट-IV-177 दिनांक 29.3.2019 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर (चतुर्थ कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 2019 विरचित किये गये हैं;

18. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-IV-178 दिनांक 01.4.2019 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-IV-169 दिनांक 29.3.2019 के संबंध में एक शुद्धि पत्र जारी किया गया है;

19. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-IV-179 दिनांक 01.4.2019 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-IV-172 दिनांक 29.3.2019 के संबंध में एक शुद्धि पत्र जारी किया गया है;

20. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-IV-180 दिनांक 01.4.2019 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-IV-173 दिनांक 29.3.2019 के संबंध में एक शुद्धि पत्र जारी किया गया है;

21. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-IV-181 दिनांक 01.4.2019 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-IV-174 दिनांक 29.3.2019 के संबंध में एक शुद्धि पत्र जारी किया गया है;

22. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-IV-182 दिनांक 01.4.2019 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-IV-177 दिनांक 29.3.2019 के संबंध में एक शुद्धि पत्र जारी किया गया है;

23. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-I-01 दिनांक 08.4.2019 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

कर/2017-पार्ट-III-166 दिनांक 7.3.2019 के संबंध में एक शुद्धि पत्र जारी किया गया है;

24. अधिसूचना संख्या: एफ.12(72)वित्त/कर/2017-02 दिनांक 9.4.2019 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(72)वित्त/कर/2017-82 दिनांक 6.9.2017 में संशोधन किया गया है;

25. अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017पार्ट-III-03 दिनांक 23.4.2019 जिसके द्वारा विनिर्दिष्ट करदाता को निरस्त किये गये पंजीयन के प्रतिसंहरण के आवेदन पत्र की समय सीमा बढ़ाये जाने के संबंध में आदेश जारी किये गये हैं;

26. अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017पार्ट-III-04 दिनांक 23.4.2019 जिसके द्वारा राजस्थान माल एवं सेवा कर नियम, 2017 में संशोधन किया गया है;

27. अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017पार्ट-III-05 दिनांक 23.4.2019 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/ कर/2017पार्ट-III-165 दिनांक 7.3.2019 के अन्तर्गत लाभ लेने वाले करदाताओं हेतु त्रैमासिक कर भुगतान तथा वार्षिक विवरणी की प्रक्रिया को अधिसूचित किया गया है;

28. अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017पार्ट-III-06 दिनांक 23.4.2019 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/ 2017पार्ट-IV-145 दिनांक 31.12.2018 के लागू होने की तारीख 21 जून, 2019 निश्चित की गई है;

29. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-I-07 दिनांक 26.4.2019 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/ कर/2017-पार्ट-IV-169 दिनांक 29.3.2019 के संबंध में एक शुद्धि पत्र जारी किया गया है;

30. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017पार्ट-I-08 दिनांक 10.5.2019 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ. 12(56)वित्त/ कर/2017पार्ट-I-49 दिनांक 29.6.2017 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

31. अधिसूचना संख्या: एफ.2(24)वित्त/कर/2017-09 दिनांक 27.5.2019 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.4(4)वित्त/कर/2015-226

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

दिनांक 9.3.2015 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

32. अधिसूचना संख्या: एफ.2(32)वित्त/कर/2013-10 दिनांक 27.5.2019 जिसके द्वारा एचपीसीएल के पक्ष में ग्राम सांभरा, पचपदरा, बाड़मेर के खसरा नं. 338/30 की 250 एकड़ भूमि के संबंध में निष्पादित लीज डीड पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है;

33. अधिसूचना संख्या: एफ.2(41)वित्त/कर/2015-11 दिनांक 27.5.2019 जिसके द्वारा गेल गैस लिमिटेड द्वारा राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड के पक्ष में निष्पादित बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है;

34. अधिसूचना संख्या:एफ.2(47)वित्त/कर/09-12 दिनांक 27.5.2019 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.2(47)वित्त/कर/2009-04 दिनांक 9.4.2010 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

35. अधिसूचना संख्या: एफ.2(60)वित्त/कर/2012पार्ट-13 दिनांक 31.5.2019 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.2(60)वित्त/कर/2012पार्ट-06 दिनांक 19.4.2018 (समय-समय पर यथा संशोधित) का अधिक्रमण किया गया है;

36. अधिसूचना संख्या: एफ.2(60)वित्त/कर/2012पार्ट-14 दिनांक 31.5.2019 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.2(60)वित्त/कर/2012पार्ट-07 दिनांक 19.4.2018 (समय-समय पर यथा संशोधित) का अधिक्रमण किया गया है; एवं

37. अधिसूचना संख्या: एफ.12(25)वित्त/कर/2019-23 दिनांक 5.7.2019 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-VI में संशोधन किया गया है।

आबकारी विभाग

1. अधिसूचना संख्या: एफ.6(4)वित्त/आब/2016 दिनांक 26.2.2019 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.4(62)वित्त/आब/96 दिनांक 31.3.97 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

2. अधिसूचना संख्या: एफ.4(1)वित्त/आब/2018 दिनांक 3.4.2019 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या:एफ.1(7)वित्त/आब/82-एस.ओ.167

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

दिनांक 22.1.1986 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

3. अधिसूचना संख्या: एफ.4(1)वित्त/आब/2019पार्ट-1 दिनांक 9.4.2019 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.4(62)वित्त/आब/96 दिनांक 31.3.97 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

4. अधिसूचना संख्या: एफ.4(1)वित्त/आब/2019पार्ट-1 दिनांक 9.4.2019 जिसके द्वारा वर्ष 2019-20 हेतु मासिक पूर्ति से अधिक उठाव पर दिये जाने वाले आबकारी शुल्क में छूट प्रदान की गई है;

5. अधिसूचना संख्या: एफ.4(1)वित्त/आब/2019पार्ट-1 दिनांक 9.4.2019 जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी नियम, 1956 में संशोधन किया गया है;

6. अधिसूचना संख्या: एफ.4(1)वित्त/आब/2019/पार्ट-1 दिनांक 9.4.2019 जिसके द्वारा राजस्थान एक्साइज (ग्रांट आफ रेस्टोरेंट बार लाइसेन्सेज) रूल्स, 2004 में संशोधन किया गया है;

7. अधिसूचना संख्या: एफ.4(1)वित्त/आब/2019/पार्ट-1 दिनांक 9.4.2019 जिसके द्वारा राजस्थान एक्साइज (ग्रांट आफ होटल बार/क्लब बार लाइसेंसेज) रूल्स, 1973 में संशोधन किया गया है;

8. अधिसूचना संख्या: एफ.4(1)वित्त/आब/2019पार्ट-।। दिनांक 26.4.2019 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.4(44)वित्त/आब/2005पार्ट-III दिनांक 12.5.2006 में संशोधन किया गया है;

9. अधिसूचना संख्या: एफ.4(1)वित्त/आब/2019पार्ट-1 दिनांक 26.4.2019 जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी नियम, 1956 में संशोधन किया गया है;

10. अधिसूचना संख्या: एफ.4(1)वित्त/आब/2019पार्ट-1 दिनांक 26.4.2019 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.4(62)वित्त/आब/96 दिनांक 31.3.97 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

11. अधिसूचना संख्या: एफ.4(1)वित्त/आब/2017पार्ट-1 दिनांक 20.5.2019 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.4(1)वित्त/आब/2011 दिनांक 20.5.2011 को विखण्डित किया गया है;

12. अधिसूचना संख्या: एफ.4(1)वित्त/आब/2017पार्ट-1 दिनांक 1.7.2019 जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी नियम, 1956 में संशोधन किया गया है; एवं

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

13. अधिसूचना संख्या: एफ.4(1)वित्त/आब/2017पार्ट-1 दिनांक 1.7.2019 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.4(62)वित्त/आब/96 दिनांक 31.3.97 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है।

श्री अध्यक्ष: श्री बुलाकी दास जी कल्ला।

ऊर्जा विभाग

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से ऊर्जा विभाग की अधिसूचना संख्या रा.वि.वि. आयोग/सचिव/ विनियम 132 दिनांक 10 मई, 2019 जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ विनिर्धारण हेतु निबन्धन व शर्तें) विनियम, 2019 विरचित किये गये हैं, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे। श्री बुलाकी दास कल्ला।

प्रतिवेदन एवं लेखे

लोकायुक्त राजस्थान का 32वां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2017-18)

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा-12(5) के अन्तर्गत लोकायुक्त राजस्थान का 32वां वार्षिक प्रतिवेदन (प्रथम एवं द्वितीय खण्ड मय स्पष्टीकरण ज्ञापन) (दिनांक 1.4.2017 से 28.2.2018 तक) सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री सुखराम विश्नोई।

राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड का प्रतिवेदन (वर्ष 2018-19)

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, वन): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान राज्य जैव विविधता अधिनियम, 2010 की धारा-21(3) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: विधायी कार्य। श्री परसादी लाल मीणा

विधायी कार्य: विधेयक पर विचार

राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रवर्तन का सुकरीकरण) विधेयक, 2019

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी

(श्री परसादी लाल)

अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रवर्तन का सुकरीकरण) विधेयक, 2019 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): अध्यक्ष महोदय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग को आर्थिक दृष्टि से सक्षम करने के लिये ग्रामीण क्षेत्र में लघु उद्योग की बातें तो बहुत की जाती हैं, परन्तु ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग के जो नियम बनाये जाते हैं, इनमें शब्दों के जाल इस तरह गूंथ दिये जाते हैं कि मेरे जैसे सीधे-सादे व्यक्ति को उसकी व्याख्या का ही पता नहीं लग सकता। इसे मैंने जनमत जानने को इसलिए प्रसारित करने के लिये कहा है, क्योंकि इसके अंदर बहुत-सी कमी है।

सरकार को इसमें ग्रामीण क्षेत्र के उद्यमी को पूरी बिजली, पानी एवं भूमि की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए और उद्योगों का प्रचार-प्रसार करने की जो कमी है, उसे भी सरकार के माध्यम से होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में लघु इकाइयों से लोगों का पलायन रुक सकता है अगर सरकार ध्यान दे और समय-सीमा में उद्यमी को एक खिड़की पर एक स्थान पर, सारी बातें, सारा काम एक ही खिड़की पर होना चाहिए और विशेषकर के अभियान के तौर पर ग्रामीण क्षेत्र को राहत देने के लिए सरकार इस तरह की व्यवस्था इसमें करे, इसलिए मेरा यह मानना है कि अध्यक्ष महोदय इसमें और भी ज्यादा सुझाव लोगों के आएंगे। मेरी यह मांग है सरकार से कि इसको जनमत जानने हेतु प्रचारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, हर चुनी हुई सरकार देश के औद्योगिक जगत में उत्साह पैदा करने के लिए अपनी ओर से नई-नई पहल लेकर के आती है। यह अलग बात है कि उनके लिए हुए निर्णयों का प्रभाव औद्योगिक जगत पर किस रूप में पड़ता है और उसके नतीजे देश को किस रूप में प्राप्त होते हैं। वर्तमान सरकार भी देश में भारत सरकार, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैण्ड-अप इंडिया, डिजीटल इंडिया, मेक इन इंडिया इस तरह के कई नये इनिशिएटिव लेकर के आयी, लेकिन आज हम पाते हैं कि देश के औद्योगिक जगत के अंदर इन सारे कदमों को उठाने के बाद भी उत्साह भरने में कामयाब नहीं रहे।

(श्री संयम लोढ़ा)

खुद मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविन्द सुब्रमण्यम ने कहा कि नोटबंदी के निर्णय से देश के बाजार से नकदी गायब हो गई, 20 फीसदी तक बाजार से नकदी की उपलब्धता में कमी आयी और सबसे ज्यादा दुष्परिणाम असंगठित क्षेत्र को नोटबंदी और जीएसटी का भुगतान पड़ा। आज भी जो उसमें एनरोल्ड नहीं उससे न तो ये माल खरीदते हैं, न उनको माल देते हैं तो उससे देश का, क्योंकि हमारा देश ऐसी भौगोलिक परिस्थितियां लिये हुए है, असंगठित क्षेत्र को सर्वाधिक नुकसान उठाना पड़ा माननीय अध्यक्ष महोदय। बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ रही है। 2017 में जो बेरोजगारी की दर 3.4 फीसदी थी, 2008 में वह बढ़कर 6.2 फीसदी हो गई। देश के कुल औद्योगिक उत्पादन में छोटे उद्योगों का हिस्सा लगातार घट रहा है। राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री अशोक गहलोत ने जब-जब भी राजस्थान में सत्ता सम्भाली, हर क्षेत्र के अन्दर नये प्रयोग करके, सकारात्मक प्रयोग करके पूरे देश की नीतियों, देश की सरकारों की नीतियों को प्रभावित किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा, चिकित्सा के क्षेत्र में जब वो नये प्रयोग लेकर आये थे तो हमारे माननीय प्रधान मंत्री जिस प्रदेश से आते हैं उस प्रदेश की सरकार ने भी हमारे यहां के अधिकारियों को बुलाकर उन सारी योजनाओं के बारे में जानकारी ली और यह प्रयास किया कि हम अपने स्टेट को कैसे लाभान्वित करें।

कभी हम एकल खिड़की योजना लेकर आते हैं। क्यों लेकर आते हैं, क्या कारण है इसका? इसका सबसे बड़ा कारण है कि सरकारी अधिकारी अपनी नियंत्रणकारी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं, अपनी हैसियत का दुरुपयोग करते हैं। वे इस मानसिकता से ग्रस्त हैं कि इस उद्यमी के पास बहुत पैसे हैं, यह उद्यमी चोर है, यह उद्यमी गलत तरीकों से पैसे कमाता है और उसी मानसिकता के कारण उस उद्यमी को परेशान करते हैं जिससे वो कुछ दे जाए। इसलिए वे हर जगह कहीं न कहीं रोड़ा अटकाने का काम करते हैं। अब जो सरकार यह बिल लेकर आई है, बहुत डिटेल तो जब इसके रूल्स सामने आएंगे तब मालूम पड़ेगा, लेकिन मैं यह मानता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी, हमारे माननीय उद्योग मंत्री जी ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है, बहुत सकारात्मक कदम उठाया है। आप जब से यह आर्डिनेंस लाये हैं, मुझे जगह-जगह के उद्यमी मिले और उन्होंने मुझे कहा कि इस आर्डिनेंस के आने के बाद कई महीनों से जो हमारी अनुमति रूकी हुई थी, हमारी परमिशन रूकी हुई थी, हम अपना उद्योग चालू नहीं कर पा रहे थे उससे हमें मुक्ति मिली। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं

(श्री संयम लोढ़ा)

निवेदन करना चाहता हूं कि ज्यादा नहीं तो कम से कम 200 औद्योगिक इकाइयों के राजस्थान में आगे काम शुरू करने का पथ प्रशस्त हुआ है। इस निर्णय से, इस कदम से पूरे राजस्थान के अन्दर जो हमारा लघु उद्यमी है, मध्यम उद्यमी है, सूक्ष्म उद्यमी है उसकी हौसला अफजाई हुई है, उसका पथ प्रशस्त हुआ है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो ये बिल लाये हैं, आने वाले वक्त में भारत सरकार को भी इस दिशा में सोचना चाहिए कि पूरे देश के उद्यमियों को इस प्रशासनिक दखलंदाजी से मुक्ति कैसे मिले और देश का औद्योगिक विकास कैसे आगे बढ़े। उसका लाभ भारत सरकार को भी उठाना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह विनती जरूर करूंगा कि अभी आपने निर्णय किया तो ये शुरू तो होंगे, हालांकि सैण्ट्रल एक्ट से आपने एग्जम्प्ट नहीं किया है, वो अपनी जगह कायम है लेकिन हम लोग जानते हैं कि उन कानूनों की भी कितनी पालना होती है। खाली मैं आपके ध्यान में लाने के लिए उदाहरण देना चाहता हूं कि आप शराब की दुकानों को लीजिये। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उसकी अवहेलना, मास्टर प्लान की अवहेलना, पंचायती राज एक्ट की अवहेलना....

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): नगरपालिका एक्ट की अवहेलना और वह धड़ल्ले से सारे कानूनों का उल्लंघन करते हुए वो दुकानें चल रही हैं, जन-जीवन को प्रभावित कर रही हैं, नुकसान पहुंचा रही है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): इसलिए आपके माध्यम से मैं यह जरूर निवेदन करूंगा कि पर्यावरण का, इन सारी चीजों का आप जरूर ध्यान रखें। क्योंकि वैसे भी हम तो पूरी दुनिया के 180 देशों में पर्यावरण में 177वें नम्बर पर हैं। हम और पिछड़ते हुए नहीं चले जाएं, हमारा जीवन और नारकीय नहीं हो जाए, इन बातों का आप अवश्य ध्यान रखें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री छगनसिंह।

श्री छगनसिंह (आहोर): माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रवर्तन का सुकरीकरण) विधेयक, 2019 लाया गया है उसमें मैं सोचता हूं कि इसमें पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए किसी भी क्षेत्र में उद्योग खोल रहे हैं उनको वृक्षारोपण के लिए बॉण्ड भराना चाहिए कि आप कितने वृक्ष लगाएंगे। यह

(श्री छगनसिंह)

अनुबन्ध जरूर बनाना चाहिए कि आप 500 वृक्ष लगाएं। इसका एक अनुबन्ध बनना चाहिए जिससे पर्यावरण की सुरक्षा बनी रहे। इसके अलावा आप जो इकाई खोल रहे हैं उसमें पानी का ट्रीटमेंट भी होना चाहिए, यह भी बॉण्ड पर लिखकर दे जिससे इसमें सुधार हो और लघु तथा सूक्ष्म उद्योग पूरी तरह से पर्यावरण से युक्त हो, यही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री जोगेश्वर गर्ग।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। राजस्थान के मूल निवासी दुनिया भर में व्यापार भी कर रहे हैं, उद्योग भी चला रहे हैं, भारत भर में भी हैं। उन लोगों को राजस्थान की धरती पर आकर उद्योग स्थापित करने चाहिए इस दृष्टि से हर सरकार ने अपने-अपने समय में प्रयास किये हैं। मुख्य मंत्रियों के नेतृत्व में, उप मुख्य मंत्रियों के नेतृत्व में, उद्योग मंत्रियों के नेतृत्व में बड़े-बड़े डेलीगेशंस हमारे यहां से जाते हैं और वहां चेन्नई, बैंगलोर, मुम्बई में समिट्स करते हैं और उनको आमंत्रित करते हैं। अध्यक्ष महोदय, ऐसे कुछ कार्यक्रमों का मैं भी साक्षी रहा हूं, आप भी रहे होंगे। वहां जो बात होती है उसके बाद वहां से उत्साहित होकर जब उद्यमी यहां जयपुर आता है और काम शुरू करने की सोचता है तो वो एकदम से हक्का-बक्का रह जाता है कि जब हम मुम्बई में उस होटल में मिले थे तब तो मंत्री जी और मंत्री जी के अलावा अफसर लोग इस ढंग से बात कर रहे थे कि जैसे रेड-कारपेट हमारे लिए बिछा हुआ ही है और यहां आये हैं तो इतनी सारी बाधाएं और उपेक्षा उनको मिलती है कि वो हतप्रभ रह जाता है और अक्सर वे हतोत्साहित होकर वापस लौट जाते हैं। इसलिए सबसे पहली आवश्यकता तो यह है कि हम उनको यह माहौल दें कि वे यहां आकर उत्साहपूर्वक अपना काम शुरू करने के बारे में सोचें। उस दृष्टि से मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि यह बिल एक अच्छा माहौल देने में सक्षम होगा, इस बिल का स्वागत करता हूं। लेकिन आपने उनको जो छूट दी है वह तीन वर्ष के लिए दी है और तीन वर्ष के बाद तो उसको सारी फार्मेलिटी पूरी करनी है। तीन वर्ष में उसने अपना उद्योग जमा लिया, अच्छा जमा लिया, ठीक-ठाक व्यवस्थित हो गया, इन्वेस्ट कर लिया, स्टाफ रख लिया, मशीनरी खरीद ली, बिल्डिंग बना ली और उस सबके बाद आपके अधिकारियों ने कोई ऐसी शर्त रख दी जिसको वो पूरा नहीं कर पाया तो क्या होगा, वह उसको वापस समेट कर नहीं जा सकता। इसलिए उसकी क्या गारंटी है कि उसको जो अड़चन शुरू में आने वाली है वह अड़चन तीन साल बाद नहीं आयेगी, उसकी गारंटी लेने की सरकार

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

व्यवस्था करे। उसके साथ में उनको यह बताये कि तीन साल बाद आपको यह-यह एन.ओ.सी. चाहिए। पहले से उसके पास चैक-लिस्ट रहे कि यह-यह एन.ओ.सी. आपको तीन साल बाद लेनी ही लेनी है ताकि वह ले पायेगा या नहीं यह वह पहले ही सोच ले और ले पाने की स्थिति में होगा तो आयेगा नहीं तो नहीं आयेगा। एक तो यह व्यवस्था होनी चाहिए।

दूसरी बात यह है कि हम यह सब करने से पहले कम से कम उन उद्यमियों से भी सलाह लें कि आप करना चाहते हो भी या नहीं, कर पाओगे या नहीं, तुम्हारे क्या सुझाव हैं, आप हमारे से क्या सुविधा चाहते हो। इसलिए मैंने यह प्रस्ताव किया है कि इसको जनमत जानने के लिए परिचालित करना चाहिए और उद्यमियों के साथ हमको बैठकें करनी चाहिए तथा उनकी रिक्वायरमेंट भी हमको सुननी और समझनी चाहिए। इसलिए मैं फिर प्रस्तावित करता हूं कि इसको कम से कम तीन महीने के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए और उसके बाद इस पर कुछ निर्णय किया जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, मूल रूप से हम विधान बनाने की सभा के सदस्य हैं, कानून यहां बनते हैं। अध्यक्ष महोदय, यह जो बिल आज विचारार्थ लिया गया है यह बिल 4 मार्च के अध्यादेश का रिप्लेसिंग बिल है। मंत्री महोदय, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस बिल का जब ड्राफ्ट हुआ तो इस बिल को न तो आपने पढ़ा होगा, न मुख्य मंत्री जी ने पढ़ा होगा क्योंकि इस बिल के अन्दर जिस प्रकार की हिन्दी भाषा का प्रयोग किया गया है, सुबह से शाम तक हम सब घूमते रहे और सुकरीकरण क्या है, आज तक यह मालूम नहीं पड़ सका। अध्यक्ष महोदय, इतनी क्लिष्ट भाषा है, आप खुद मुलाहिजा फर्माएं। मंत्री महोदय, अंग्रेजी भाषा में अपना हाथ हमेशा तंग रहा है, अंग्रेजी का वर्जन आप पढ़ नहीं पाये इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके मार्फत एक प्रार्थना है कि जो भी कानून बने, हम एक सामान्य हिन्दी जो आम व्यक्ति समझ ले, उसका अगर प्रयोग करें तो ज्यादा ठीक है।

अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों के कथन में आपने यह कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के सामने जो चुनौतियां हैं, जो बाधाएं हैं उनको इस विधेयक के माध्यम से समाप्त करना चाहते हैं।

आप एसएमई उद्योगों के सामने, जो उद्योग प्रारम्भ करने से पहले जिस प्रकार की स्वीकृतियों की आवश्यकता है। उन सारी स्वीकृतियों के

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

निरीक्षण के लिए आपने तीन साल तक के लिए छूट दी है। मैं उसके लिए तो धन्यवाद देता हूं। पर आपने साथ में इसमें बाध्यकारी कर दिया। अध्यक्ष महोदय, अगर आप मुलाहिजा फर्माएंगे कि तीन साल व्यतीत होने के पश्चात 6 महीने के अंदर-अंदर वे सारी स्वीकृतियां जो सैक्शन 7 में इसी विधेयक में आपने छूट दी है। वे सारी स्वीकृतियां उसको प्राप्त करनी पड़ेंगी। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह एक तरह से एक मकड़जाल बुनने का काम तो हम नहीं कर रहे हैं।

मंत्री महोदय, आप यह बिल लेकर आए। मुझे मालूम है बिल लेकर आए, इस मंशा के साथ कि आपने अपने नीति पत्र में कुछ घोषणाएं की थीं। वे घोषणाएं ये थीं आपने पैरा 20 में जन घोषणा पत्र में लिखा सूक्ष्म, लघु और मध्यम श्रेणी के एमएसएमई माइक्रो, स्माल एण्ड मीडियम एंटरप्राइजेज के उद्योगों के लिए संरक्षण, संवर्द्धन के लिए पर्याप्त तकनीकी, वित्तीय और विपणन सहायता उपलब्ध कराएंगे। मैंने सारे विधेयक को बड़ी अच्छी तरह पढ़ा है। मुझे इसके अंदर एक सैक्शन ऐसा नहीं मिला जिसके माध्यम से आप इन एमएसएमई उद्योगों में किसी प्रकार की विपणन सुविधा उपलब्ध करा रहे हो या उनके बढ़ोतरी के लिए किसी प्रकार की ऋण सुविधा या उनको वित्तीय सुविधा दे रहे हों। ये सही है कि आपने इसमें एक बात और लिखी है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों का समावेशी आर्थिक वृद्धि और नियोजन सृजन में बड़ा योगदान है, निश्चित तौर पर है।

अध्यक्ष महोदय, अभी एक भारतीय उद्योग परिसंघ ने सर्वे किया था और उस सर्वे में उन्होंने यह कहा कि पूरे देश के अंदर एसएमई के जो रोजगार सृजन होते हैं हमारे उद्योगों में, जो कुल रोजगार इस देश में होते हैं, उसमें 14 परसेंट हिस्सा एमएसएमई का है, 450 मिलियन रोजगार पैदा होते हैं। यह बात भी सही है कि राजस्थान का देश के अंदर एमएसएमई है, उसके अंदर 10वां स्थान है, बहुत अच्छा स्थान है।

राजस्थान में आज 26 लाख से ज्यादा लघु, माइक्रो और स्माल इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं। आपने इसी जुलाई के अंदर मंत्री महोदय मैं यह निवेदन करना चाहूंगा राजस्थान रहेगा, राजस्थान के उद्योग रहेंगे, सरकार आएंगी, सरकारें जाएंगी पर केन्द्र सरकार जिसका जिक्र मेरे काबिल दोस्त ने अभी नोटबंदी से लेकर कई बातों से किया। मैं इसी बजट के अंदर जो इसी पांच जुलाई को उन्होंने रखा। उन्होंने अपने 10 वर्ष के विजन डाक्यूमेंट के अंदर 10 प्राथमिकताएं शामिल की हैं।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

उसमें उन्होंने इस लघु, मध्यम और एमएसएमई उद्योगों को भी एक तरह से अपनी प्रायोरिटी का सैक्टर रखा है और आपने पढ़ा होगा। हमें उस चीज का फायदा लेना चाहिए। आपको उस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए केन्द्र सरकार ने अपने इस बजट के अंदर यह कहा कि उन्होंने एमएसएमई का क्रेडिट शुल्क के लिए आनलाइन पोर्टल तैयार किया है, 59 मिनट में एक करोड़ रुपये के वो ऋण देंगे। आपने यह भी पढ़ा होगा कि जितने भी जीएसटी में पजीकृत एमएसएमई हैं उनको 2 परसेंट ब्याज में और सुविधा देने के लिए ब्याज के अंदर छूट देने का प्रावधान भी किया और यही नहीं साढ़े तीन सौ करोड़ का उसमें उन्होंने एक फण्ड भी रखा है। आप इसमें उस तरह की व्यवस्था लेकर आएं। राजस्थान के अंदर केन्द्र सरकार की योजनाओं के अनुसार हम इन उद्योगों को स्थापित कर सकें।

मैं निवेदन करना चाहूंगा आपने इस विधेयक के सैक्शन 2(डी) के अंदर जिला सशक्त समितियों की बात की है। आप थोड़ा बहुत तो देखो मंत्री महोदय आप अपने अधिकारियों को भी, अधिकारी तो आजकल आपके हैं नहीं यहां कोई। मैं समझता हूं कि पकड़ आपकी मुझे दिखाई दे रही है। पर कम से कम यह तो देखते कि आपने इसके अंदर जिस डीईसी की स्थापना की बात की है Rajasthan Enterprises Single Window Enabling and Clearance Act, 2011 से उठा लिया। यूं का यूं उठाकर रख दिया आपने, आप नया क्या लेकर आए।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसी विधेयक के 2(सी) के अंदर जो आपने कहा कि हम इसके अन्दर एप्रोप्रिएट आथोरिटी बनाएंगे और वो एप्रोप्रिएट आथोरिटी, ये स्वीकृतियों की अभिस्वीकृति प्रमाण पत्र देगी। ये सिंगल विंडो, आपको अगर उद्योग को आगे बढ़ाना है तो सिंगल टेबल की बात करो, मंत्री महोदय, सिंगल विंडो 2011 से चली आ रही है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपने इसके अंदर सैक्शन 5 के अन्दर एक सैल्फ डिक्लरेशन करने के लिए आपने एक प्रावधान कर रखा और 5(2) के अन्दर अभिस्वीकृति सैल्फ डिक्लरेशन के आधार प्रमाण पत्र जारी करेगी। आप तीन वर्ष की उसको छूट भी दे रहे हैं। पर आप इसके सैक्शन 10 को पढ़ो, मंत्री महोदय मैं निवेदन करूंगा कि आप उत्तर देंगे। मुझे अध्यक्ष महोदय टोके इससे पहले मैं बैठ भी जाऊंगा। पर कम से कम विरोधाभासी आप इसी एक एक्ट के अंदर जिसकी 11 धाराएं हैं, उसके अंदर विरोधाभासी धाराएं इंद्राज कर दोगे। इसका इम्पैक्ट क्या जाएगा। अब सैक्शन 10 में पढ़कर सुना

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

रहा हूं- "Subject to the provisions of section 7, nothing in this Act, shall be construed as exempting any enterprises from the application of the provisions of any law for the time being in force, or any regulatory measures and standards prescribed thereunder, except to the extent expressly provided in this Act." मतलब आज भी जो प्रचलित कानून है। ये जो आपका मैं पढ़ पाया हूं सैक्शन 7 में जो आप छूट दे रहे हो। उसमें सैक्शन 10 के अंदर आप लिख रहे हो, आप सैक्शन 7 की छूट पर ओवरराइट इनको अधिकार नहीं है। यानी, आज मैं एक उदाहरण दे रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, एन्वायर्नमेंट की बात बहुत हो रही है। Environment Protection Act, 1986 का है। आप मुलाहिजा फर्माएं इसमें सैक्शन 7 और 9 के अंदर यह साफ लिखा है कोई भी उद्योग स्थापित होगा देश में कहीं भी तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एन्वायर्नमेंट क्लियरेंस लेनी पड़ेगी। अब आप मेरे को बताओ आपने छूट दे दी। मैंने डिक्लेरेशन कर दिया, सैक्शन 7 में मैं छूट ले आया और उसके बाद आपका जो एक्ट है, मुझे नोटिस मिलता है, पोल्यूशन बोर्ड का आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं सैन्ट्रल एक्ट है ये, सैन्ट्रल एक्ट के अंदर आप किसी प्रकार का कोई भी अमैंडमेंट करने का अधिकार आपको है नहीं, मतलब आप करना क्या चाहते हैं। मैं समझता हूं अगर आप मुलाहिजा फर्माएं, आपने जिस छूट की बात कही, मैं उद्योग लगाना चाहता हूं। मैं कृषि भूमि में उद्योग लगाना चाहता हूं। मुझे आप बताएं Land Revenue Act, 1956 का बना हुआ है- Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976 का बना है। Rajasthan Land Revenue (Conversion of agricultural land for non-agricultural purposes in rural areas) 2007 के नियम बने हुए हैं। अब इन नियमों में जो प्रावधान कर रखा है, सैक्शन 10 में, आप ले आए ओवरराइट अधिकार है नहीं, जो आज प्रचलित कानून हैं अगर गणना करना प्रारम्भ कर दोगे, मुझे मालूम है आगे सैक्शन 9 के (बी) में आपने 7-8 कानून लिखकर दिये हैं।

इसके अलावा मंत्री महोदय और भी बहुत से कानून हैं। मैं लम्बी बात नहीं करता हुआ Land Revenue Act, 1956 की धारा 90(ए) की तरफ बता कर रहा हूं। 90(ए) के अंदर प्रावधान है कि कृषि भूमि को अगर मैं अकृषि भूमि के रूप में उद्योग लगाता हूं तो मुझे अनुमति लेनी पड़ेगी, आपने सैक्शन

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

7 में छूट दे दी। मैंने कृषि भूमि में उद्योग लगा लिया। मुझे नोटिस मिलेगा या नहीं मिलेगा, Land Revenue Act के अनुसार, अभी मेरे से पहले बोलते हुए सिरोही से आने वाने माननीय सदस्य ने बात की मास्टर प्लान की बात की, हालांकि मास्टर प्लान का आपने कहा कि मास्टर प्लान में हम यह छूट नहीं देंगे। पर, कई प्रकार के निर्णय हैं गुलाब कोठारी जी, राजस्थान पत्रिका के सम्पादक हैं। उनका मास्टर प्लान के बारे में आया उच्च न्यायालय का निर्णय, जो अब होल्ड हो गया सुप्रीम कोर्ट तक उसको मानोगे या नहीं मानोगे आप, उसको मानना पड़ेगा आपको।

मैं निवेदन करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, अब इनके सैक्शन 11 में, सैक्शन 11 में ये कहते हैं कि कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति और सैक्शन 11 के परन्तुक में आपने क्या लिख डाला। आपने लिख डाला की परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की कालावधि की समाप्ति के पश्चात नहीं किया जाएगा। आपका अधिनियम आ गया मुझे तीन साल की छूट है। मेरी कोई समस्या है मैं उसका निराकरण करना चाहता हूं । दो साल निकल गये, तीन साल मैं छूट में रहा और आपने इसमें परन्तुक में यह डाल ही दिया। अगर आप ये करते तो जो सैक्शन 7 में आप छूट दे रहे हो, उसको अगर आप दो साल तक सीमित कर देते तो कोई बड़ी बात नहीं होती, कोई वाहवाही लेने की बात नहीं थी।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जिस सैक्शन 5 में नोडल एजेंसियों के सम्मुख जो उद्घोषण की बात कही और उसके बाद जो ये कठिनाई आई। उसकी मैंने बात की अब आपका सैक्शन 9 की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। जिसमें आपने लिखा है कि अधिनियम का अन्य विधियों पर अधोरोही, ओवरराइट होना मतलब, इसमें आपने स्पेसिफाइड किया है कि ये आपका कानून हालांकि मंत्री महोदय उसमें भी आपको अमैंडमेंट लाने के लिए इस विधान सभा में आना पड़ेगा। ये काकाजी का राज नहीं है, ये नियमों का राज है। ये आपके और मेरे बस की बात भी नहीं है।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो आप लेकर आए हैं। आपने इसमें सैक्शन 9 के अन्दर 9 (2) के अन्दर आपने 'क' से लेकर 'झ' तक आपने Rajasthan Tenancy Act से लेकर और अजमेर विकास प्राधिकरण एक्ट तक का उल्लेख किया। Rajasthan Tenancy Act, मैं उसके लिए निवेदन करूं उसकी धारा 42 आपने पढ़ी होगी। आपने कहीं इसमें

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

(14.00 बजे)

उल्लेख नहीं किया धारा-42 के अन्दर मैं आज उद्योग लगाना चाहता हूं, मैंने अनुसूचित जाति/जनजाति के किसी किसान की जमीन पर उद्योग लगा लिया और उसके बाद आपने मुझे प्रमाण पत्र पकड़ा दिया, क्योंकि आपने लिख दिया कि ओवरराइड इफेक्ट है सैक्शन 9(2) में तो अगर मैं आपके प्रमाण पत्र के आधार पर इस टीनेन्सी एक्ट की जो धारा है 42, उसके अन्दर जब मुझे सीधा पाबंद किया गया है कि मैं किसी अनुसूचित जाति/जन जाति की जमीन को न तो अपने अधिकार में ले सकता, न उसको खरीद सकता, न उद्योग लगा सकता। आप इसमें अमैंडमेंट करोगे। आपको मालूम है कई प्रकरण हैं दर्जनों नजीरें हैं जो हाई कोर्ट में गये मामले, सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड कर दिया इसको। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप जो राजस्थान टीनेन्सी एक्ट, 1955 की धारा-42 है उसकी पालना में किसी अनुसूचित जाति/ जन जाति के किसी व्यक्ति की जमीन को अपने नाम हस्तांतरण नहीं करा सकते तो अब इसमें लोग उलझ जाएंगे। लोग क्या करेंगे?

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अब आपको करना क्या चाहिए। अब आपको मालूम है एमएसएमई एक्ट, 2006 केन्द्र सरकार लेकर आई। उसी एक्ट में आपको धारा-30 में रूल्स बनाने का अधिकार दिया है। आपने सैक्शन-20 में फैसिलिटेशन काउन्सिल भी बना रखी है। हमने उसको अंगीकार कर रखा है। आपको क्या वाहवाही लेनी थी, कौनसा इस एक्ट के आने से राजस्थान में औद्योगिक वातावरण बना दिया आपने? आपके पास जब अधिकार था कि जो 2006 के अन्दर जिस एक्ट को राजस्थान ने अंगीकार कर लिया रूल्स बनाने की शक्ति सरकार को मिल गई। आप रूल्स बनाते। रूल्स बना कर उन सारी बातों को शामिल करते परन्तु आपने कुछ नहीं किया। आवश्यकता किस बात की है कि आप लैण्ड बैंक बनाओ। आप एमएसएमई उद्योगों को जमीन कहां देना चाहते हो? जिले में लैण्ड बैंक बनाओ आप। आप एमएसएमई उद्योगों को ऋण किस प्रकार देना चाहते हैं, आप इस एक्ट में लेकर आते। जिस तरह हिन्दुस्तान की सरकार ने 320 करोड़ की घोषणा की है, आप कहते कि हम इतने करोड़ का रिजर्व फंड इन्हीं उद्योगों के संवर्द्धन के लिए ब्याज सस्ती दरों पर देंगे तो मैं समझता। आपका बयान मैंने पढ़ा। नयी औद्योगिक नीति लाओगे आप। बड़ा मीर मारोगे आप।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

नयी ऋण नीति की बात भी करो। नयी औद्योगिक नीति आएगी तो हम इन छोटे उद्योगों, मझले उद्योगों के लिए एक ऋण नीति भी लेकर आयें। इसका समावेश इसमें करते तो हम सब लोग आपका स्वागत करते। अब आप और कुछ नहीं कर सकते। अब एसजीएसटी तो आपकी है। उस पर तो आपका अधिकार है। आप इसमें लेकर आते कि हम इन सारे उद्योगों को एसजीएसटी की छूट दे रहे हैं तब मेरे बात समझ में आती।

इसके साथ मैं अंत में यह कहूंगा मंत्री महोदय, सैक्शन-20 में आपने एमएसएमई फैसिलिटेशन कौन्सिल बना रखी है अब इस कौन्सिल का काम क्या है कि कोई भी एमएसएमई उद्योग है उसका अगर पैंतालीस दिन से ज्यादा पेमेंट रुके किसी बड़े उद्योग में या सरकार में तो वह निर्देश देती है कि इसका पेमेन्ट करो। आज की तारीख में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं। आज सरकार आपकी है। आप उसके रिनुअल की बात करते तो बात समझ में आती। मतलब सिर्फ इस बात को इस प्रकार करें। आज हो क्या रहा है। आपकी बिजली की दरों को देख लें। छोटे उद्योगों के लिए अगर आप कहते हैं कि जो बिजली की दरें 7.58 रुपये से लेकर 8.50 रुपये हैं उसको कम करके हम 4 रुपये या 5 रुपये कर रहे हैं तो मैं आपकी बात मानता। कुल मिलाकर मैं यह कह सकता हूं कि हर एक चीज में सिर्फ हमारा एक ही नजरिया रहे और मैं समझता हूं यह उस वक्त बात आई थी यह ओर्डिनेंस मार्च में आया था। यह उस वक्त चर्चा चली थी जिस वक्त लोक सभा के चुनाव से पहले आप अपने उस दस्तावेज को जिसने आपने नीति पत्र माना उसके लिए अलग-अलग बात कर रहे थे। आपकी इन थोथी बातों में राजस्थान का उद्योगपति आएगा नहीं। औद्योगिक वातावरण बनाना है निश्चित तौर पर यह कोई पक्ष और प्रतिपक्ष की बात नहीं। हम व्यावहारिक तौर पर ऐसा कानून लेकर आयें कि राजस्थान का उद्योगपति आज हिन्दुस्तान के हर कोने में बैठा है वह राजस्थान का उद्योगपति हमारी इस मरुधरा की ओर आकर्षित हो तब तो मैं आपकी बात को मानता। इसलिए मेरा प्रस्ताव है माननीय अध्यक्ष महोदय, कि जनमत जानने के लिए इसको तीन महीने के लिए परिचालित करो। राजस्थान की अवाम के इसके बारे में सारे कमेंट्स आ जायें और उसके बारे में इस पर निर्णय हो और मुझे यह कहने में हिचक नहीं है मंत्री महोदय, आप अच्छे आदमी हो पर आपके अधिकारी बहुत चतुर हैं। चतुर अधिकारियों ने जान-बूझ

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कर इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल इसमें किया, ताकिआप समझ नहीं पाओ और यह तो कुछ भी नहीं है, आप नयी बोतल में पुरानी शराब की बात को मत करो। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री अभिनेश महर्षि।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम (स्थापना और प्रवर्तन का सुकरीकरण) विधेयक, 2019 पर मुझे बोलने का मौका दिया। राजस्थान वह प्रदेश है जहां के उद्योगपति, जहां के व्यापारी न केवल इस देश में बल्कि पूरे विश्व के अन्दर अपनी अलग छाप और पहचान रखते हैं, लेकिन क्या कारण है कि राजस्थान के उद्योगपति बाहर तो बहुत-बड़ा नाम करते हैं पर राजस्थान में आकर वे निराशा महसूस करते हैं। समय-समय पर अलग-अलग सरकारों में यहां पर उद्योग-धन्धे लगाने के लिए कई बार प्रयास किये। चाहे वो कोई सम्मेलनों के माध्यम से किये हों या अन्य प्रकार से, चाहे एकल खिड़की की बात की हो और चाहे उद्योगपतियों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने लोक लुभावनी बातें की हो, लेकिन अंत-पर्यंत वो सब लोग निराश होकर के अपने यहां वापस लौट जाते हैं। मुझे याद आता है आसाम में जब इनसर्जेंसी और आतंकवाद की घटनाएं बहुत हो रही थीं उस वक्त हमारे यहां के बहुत सारे उद्योगपति यहां पर मन बना करके आये थे कि हम लोग यहां पर उद्योग-धन्धे स्थापित करेंगे, लेकिन यहां पर आने के बाद में वो पुन: वापस अपने प्रदेश में जहां वो काम करते थे वहां पर लौटना शुरू हो गये और उसके पीछे यदि कोई कारण था तो वह कारण था कि यहां की जो हमारी उद्योग नीति है यहां पर हम लोग बाहर जाकर बात दूसरी करते हैं और यहां आने के बाद में प्रैक्टिकल में वो दूसरा ही रूप हमें यहां मिलता है और व्यापारी, उद्योगपति हमारे यहां का निराश हो जाता है। अब ये जो एक एक्ट आया है इस एक्ट में अभी-अभी माननीय उप नेता प्रतिपक्ष ने बहुत सारी बातें, बहुत सारे एक्ट के माध्यम से, बहुत सारी धाराएं और बहुत सारी नजीरों के माध्यम से पूरी बात को आप लोगों के बीच में समझाया, लेकिन मुझे मालूम है कि अभी थोड़ी देर बाद में यह एक्ट पास हो जाएगा तो ऐसे एक्ट को ऐसे अध्यादेश को पास करने से फायदा क्या होगा। मैं मेरे रतनगढ़ की बात करता हूं। औद्योगिक क्षेत्र में वहां पर रीको इंडस्ट्रियल एरिया है। सब तरह की सुविधाएं देने के बावजूद भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेन्टर नहीं बन पा रहा है। वहां पर मेगा हाईवे

(श्री अभिनेश महर्षि)

और नेशनल हाईवे का जंक्शन पाइंट है। वहां पर रेलवे से जुड़ा हुआ है। रतनगढ़ सब तरफ से रेलवे से जुड़ा हुआ है उसके बावजूद भी वहां पर औद्योगिक क्षेत्र में जो छोटे और लघु उद्योगों की बात आज हम यहां पर कहने जा रहे हैं वहां पर हालात ये हैं कि जो उद्योग-धन्धे खुले थे वो उद्योग-धन्धे धीरे-धीरे बंद करके लोग-बाग़ अपनी-अपनी जगह वापस लौटना शुरू हो गये हैं। क्या उन उद्योग-धन्धों को बंद होने से हम लोग बचाने की तरफ भी इन अध्यादेशों के अन्दर किसी तरह का कोई प्रावधान कर रहे हैं? बिजली में 120, 200, 400 केवी हम लोग रतनगढ़ से बिजली की सप्लाई दूसरी जगह करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसी तरह का कोई मामला नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उद्योग मंत्री जी को यह कहना चाहता हूं कि ये अधिकारी लोग अपने तरीके से जो पेश करते हैं उसके अन्दर आप एक पर्सनल एक्सपर्टीज की टीम को बैठा दीजिये और उनको कहिये कि इसकी जांच करिये। सिर्फ इन अधिकारियों के ऊपर आप भरोसा मत करो। राजस्थान का उद्योग और राजस्थान के उद्योगपति इतने सक्षम हैं कि वो पूरे देश को नहीं दुनिया को चला रहे हैं। आप बड़े-बड़े लोगों का मामला देख लीजिए। राजस्थान समृद्धशाली बने इस तरह की कोई नीति बननी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): एक मिनट में मैं मेरी बात समाप्त कर दूंगा। मैं जब राजनीति में आया था तो मेरे पिताजी ने कहा कि अच्छे घर के लोगों के लिए राजनीति उचित नहीं है। मैंने कहा पिताजी उस सदन में राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में बैठकर कानून बनाने वाले लोग कौन हैं। यह जनता के द्वारा चुने हुए वो ट्रस्टी हैं जो कानून बनाते हैं इसलिए मुझे इजाजत दी कि तू राजनीति कर सकता है और सौभाग्य है कि राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में पंचायती करने का मौका मिला है तो माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि नीति वह बने जो आम आदमी के लिए बने। उद्योग-धन्धे वह लगें जो लगने के बाद में बंद नहीं हो जाएं ऐसी नीति बननी चाहिए। मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और इस अध्यादेश को जनमत जानने के लिए तीन महीने के लिए भेज दिया जाना उचित होगा। धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री अध्यक्ष: श्री अशोक लाहोटी।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं एमएसएमई के इस एक्ट पर, वैसे तो हमारे प्रतिपक्ष के उप नेता जी के बोलने के बाद, हम नये लोगों को पहले बोलने दो जब तो काफी बातें आ जाएं, वर्ना सारे सब्जैक्ट उन्होंने ले ही लिये। मैं इतना जरूर कहूंगा मंत्री महोदय, यह जो बिल लाये हैं, सरकार किसी की भी हो, प्रिंसिपली यह बिल उद्योग और व्यापार के लिये बहुत ही अच्छा बिल आप लेकर आये हैं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इस बिल में आपकी नीयत बिलकुल साफ है कि आप उद्योगों को बढ़ावा देना चाहते हैं। उद्योगों को अननेसेसरी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और आफिसर्स के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जो भ्रष्टाचार के केन्द्र बन गये हैं, उनसे आप उद्योगों को बचाना चाहते हैं, यह बिलकुल सही है, इस बिल में आपने लिखा भी है।

मंत्री महोदय, मैं अध्यक्ष महोदय के मार्फत केवल दो-तीन सब्मिशन आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपने इसमें सब बातें अच्छी की हैं लेकिन हम जिनके लिये यह बिल लेकर आ रहे हैं, यह बिल अधिकारियों, कर्मचारियों के लिये तो आ नहीं रहा, जिन उद्योगों के लिये यह बिल ला रहे हैं, उन उद्योगों के सबके अपने-अपने एसोसिएशन बने हुए हैं। यहां के कई माननीय सदस्य उसके सदस्य भी हैं, चाहे फोर्टी हो, चाहे इंडस्ट्रियल एसोसिएशन हो, अलग-अलग जिलों में अलग बने हुए हैं। उनके साथ एक बार बैठक करने में कोई हर्ज नहीं है। आपकी सरकार है, हाथ ऊपर करके हां करवाकर आपको बिल पास करना है, कभी भी कर दोगे और यदि उनसे सलाह मशविरा कर लोगे तो हम भी हां ही करेंगे, हम न नहीं करने वाले इसमें। जैसे कई माननीय सदस्यों ने बताया कि कोई उद्योग लगने के तीन साल बाद वह सिर पर उठाकर थोड़े ही ले जा सकता है। यदि उस समय आपने कोई नोटिस दे दिया तो उन उद्योगों का क्या होगा।

अध्यक्ष महोदय, इसमें जो सबसे बड़ी कमी मुझे जो नजर आती है कि हमने इसमें पोल्यूशन को टच भी नहीं किया है जो आपके, हमारे राजस्थान के परव्यू में नहीं है जो माननीय उप नेता जी ने बताया। कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो बैंचमार्क हैं, रेड केटेगिरी में डली हुई इंडस्ट्रीज हैं। जैसे मैं दो-तीन इंडस्ट्रीज का अगर उदाहरण दूं तो आपके टायर की इंडस्ट्रीज हैं, टायर से तेल निकालने की इंडस्ट्री है। लेड की इंडस्ट्री है। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज जो 100 परसेंट पोल्यूशन फैलाती हैं और अभी चिकित्सा मंत्री जी यहां हैं नहीं, शायद भोजन करने गये होंगे, यदि वह होते तो निश्चित रूप से खड़े होकर आब्जेक्शन करते। जिस प्रकार का WHO का ग्राफ है वह 2015 तक तो हार्ट डिजीज के लिये मैक्सिमम ग्राफ था लेकिन अब 2022 का

(श्री अशोक लाहोटी)

2025 का जो एक्सप्लोजर है वह कैंसर डिजीज के लिये सबसे ज्यादा मेडिकल ग्राफ है। उस मेडिकल ग्राफ को देखते हुए यदि हमने पोल्यूशन का कोई नोर्म्स नहीं रखा, पर्टीकुलर इंडस्ट्रीज में भी नहीं रखा तो हम शायद इस देश और दुनिया में पोल्यूशन के नाम पर अपने आपको कलंकित करने का काम भी कर देंगे, ऐसा मेरा मानना है। अध्यक्ष महोदय, इसमें कम से कम इतना जनमत के लिये जरूर भेजें कि पोल्यूशन के लिये ले लें।

तीसरा, मेरा एक और आखिरी सुझाव है कि यह बिल हम जिन राजस्थान के लोगों के लिये ला रहे हैं, केन्द्र सरकार ने बहुत घोषणा की है, केन्द्र सरकार भी इसी तरह के बिल पर चल रही है। आप कहोगे कि उनके पास फंड ज्यादा है, बजट ज्यादा है, हमारा आर्थिक संकट है, फंड नहीं है, मैं आपकी इन सब बातों को स्वीकार करता हूं क्योंकि मंत्री महोदय के जवाब में भी यही था कि वित्तीय स्थिति देखकर करेंगे। हम आपसे यह नहीं कह रहे हैं कि आप बड़ा फंड रेज करें लेकिन राजस्थान की कुछ मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे मैं अध्यक्ष जी के विधान सभा क्षेत्र से ही शुरू करूं, इन्हीं के विधान सभा क्षेत्र में एक गांव आता है मोलेला जो मिट्टी के काम के लिये विश्व प्रसिद्ध है। जयपुर में ब्लू पॉटरी जो पूरी दुनिया में फेमस है उसका एक गांव है जेवर। ब्लू पॉटरी है, हमारी मीनाकारी है, हमारी नक्काशी है, जोधपुर के हैंडीक्राफ्ट्स हैं, जालौर की मोजडी है, उदयुपर के लकड़ी के खिलौने हैं, टोंक का ऊन का काम है। इन सबके लिये आप छोटा-छोटा कोई प्रावधान इस एक्ट के माध्यम से ही करते तो निश्चित रूप से राजस्थान के यह जो उद्योग धंधे हैं, यह बसते।

अध्यक्ष जी, मैं आपको लास्ट में एक उदाहरण दूंगा कि ब्लू पॉटरी के राजस्थान में केवल एक दो गांव बचे हैं जहां पर ब्लू पॉटरी का काम होता है और पूरी दुनिया में हमारा नाम है। जेवर गांव के कुछ कारीगर मुझे मिले, उन्होंने कहा कि केवल भट्टी लगाने का प्रावधान सरकार की तरफ से हमको मिल जाये ता हम ब्लू पॉटरी बचाने के लिये तैयार हैं। केवल भट्टी लगाने के पैसे उन कारीगरों के पास नहीं हैं। यह इस बिल में आप प्रावधान करें। हमारा जनमत का आग्रह केवल इतना सा ही है कि आप भले ही राजस्थान की आम जनता में जनमत नहीं करें, 7 करोड़ लोगों में नहीं करें, जनमत उस इंडस्ट्रीज में करे जिनको आप यह दे रहे हो। जनमत उन लोगों में करें जिनको एमएसएमई का फायदा होना हो। यह बहुत बड़ा सैक्टर है। राजस्थान का अगर कम्पेरिजन करें तो गुड़गांव और हरियाणा के इंडस्ट्रियल एरिया को भी हम

(श्री अशोक लाहोटी)

कम्पेयर करवा लें तो हमको यह समझ आ जायेगा। अध्यक्ष महोदय, आपने मौका दिया, मैं आपका आभारी हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री रोहित बौहरा।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिये मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूं। आज मैं सबसे पहले तो हमारे मुख्य मंत्री जी और हमारे उद्योग मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं कि उन्होंने राजस्थान स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के ऊपर जो यह बिल लेकर आये हैं, यह छोटे उद्योग, मध्यम उद्योगों के लिये बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। चूरू से जो हमारे विधायक आये हैं उन्होंने इस सदन में जो इतनी बड़ी-बड़ी व्याख्या की वह उनकी सोच बताता है कि कितनी नेगेटिव सोच इन पांच सालों में बीजेपी सरकार की रही है। उनके यहां इंडस्ट्रियल डवलपमेंट पांच साल में नहीं हुआ इसीलिए सैंट्रल गवर्नमेंट ने ग्रोथ तो दिखाई, but growth without employment. यह पहली बार संसार में ऐसा उदाहरण आया है कि, growth without employment. मैं चूरू से आने वाले माननीय विधायक से आग्रह करूंगा कि जो पहल राजस्थान गवर्नमेंट ने की है ......

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज बिल पर बोलें।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): जो पहल राजस्थान गवर्नमेंट ने की है वह बहुत ही अच्छी पहल की है। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: ...(व्यवधान) माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा। आप वरिष्ठ सदस्य हैं।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): यह एक नई शुरूआत है। नई शुरूआत में काफी दिक्कतें आएंगी और इस सरकार को इन दिक्कतों का सामना करने का धैर्य भी रखना पड़ेगा। क्योंकि पहली बार कोई सरकार आई है जिसने एक एंटरप्रिन्योर को चोर नहीं माना है, नहीं तो आज तक जितनी सरकारें थीं उन्होंने सब एंटरप्रिन्योर को चोर माना है इसीलिए यहां इंडस्ट्रियल डवलपमेंट होता नहीं था। इस इंडस्ट्रियल डवलपमेंट में सबसे बडी़ बात यह है कि आज हम एक सर्टिफिकेट निकालते हैं, सर्टिफिकेट के तुरन्त बाद हम अपना उद्योग शुरू कर सकते हैं। पर इसमें एक खामी भी है, इसमें खामी यह रहेगी कि हमको रूल्स ऐसे बनाने पड़ेंगे क्योंकि सैंट्रल गवर्नमेंट की जितनी स्कीम हैं, जो

(श्री रोहित बौहरा)

सैंट्रल गवर्नमेंट के लॉ हैं, जैसे कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, उसका तो हम इनमें उल्लंघन कर ही नहीं सकते। मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि एक लॉ आफ रिवोकेशन भी इस सरकार को बनाना चाहिये। कोई एंटरप्रिन्योर ऐसे उद्योग लगा दे जो पर्यावरण के खिलाफ हैं या नीतिगत जो उद्योग नहीं लग सकते हैं उसमें एक लॉ आफ रिवोकेशन जरूर होना चाहिये। जो आदमी तीन साल तक नहीं कर सके उसका सर्टिफिकेट इमिजिएटली रिवोक कर दिया जाये और उससे पूरा इंडस्ट्रियल डवलपमेंट वह बिलकुल तरीके से हो सकेगा।

एक चीज मैं कहना चाहूंगा, अभी एक माननीय सदस्य ने बात की कि इसको मुद्रा लोन से जोड़ दिया जाये जिससे कि लोगों को 59 सैकिण्ड में एक करोड़ का लोन मिल जायेगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा उसमें कहना यह है कि किसी भी पोर्टल पर चले जाओ 59 सैकिण्ड में तो कोई भी लोन नहीं दे रहा है। आपको मैं यह बताना चाहूंगा It has to be backed by collateral security. यदि इतना ही पैसा किसी एंटरप्रिन्योर के पास होगा, that it is backed by collateral security. He will not be asking for a loan. सबसे बड़ी बात है हमने मुद्रा लोन में देख लिया है, जो सैंट्रल की मुद्रा लोन स्कीम थी वह सिर्फ 50 हजार रुपये तक देती थी ....

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): यह बहुत जरूरी है सर, सिर्फ 50 हजार रुपये तक के लोन मिलते थे सैंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम में।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मेरी बात सुनें, बिल कैसे इंट्रोड्यूज होता है, यह डिमांड नहीं है, please be specific about the Bill.

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): मेरा सिर्फ इतना-सा कहना है 'Consent to Operate' जो कि इसमें होना चाहिये कि 6 महीने का टाइम दे दें। एक 'Consent to Operate' जो pollution control department से आती है, वह 'Consent to Operate' कर दें। इस अमैंडमेंट में मैंने जो नोटिस दिया था उसको मैं वापस लेता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री जी।

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, हम यह कानून प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये, उद्योगपतियों को अधिकारियों से

(श्री परसादी लाल)

परमिशन लेने में जो कठिनाइयां आती हैं, उसमें छूट देने के लिये प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा एमएसएमई के उद्योग लगें, इस उद्देश्य से लेकर आये हैं। सरलीकरण करने के लिये, सुकरीकरण करने के लिये कि हम किस तरह उद्योगों को ज्यादा से ज्यादा यहां बढ़ावा दे सकते हैं।

चूरू से आने वाले माननीय सदस्य बहुत विद्वान हैं। उन्होंने आशंकाएं व्यक्त की हैं। आपको आशंकाएं नहीं व्यक्त करनी चाहिए। उद्योगों के बारे में नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। पोजिटिव रूख रखना चाहिए। हम सब राजस्थान की बहबूदी के लिये आए हैं। रतनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी सही कहा है कि राजस्थान में उद्योग लगाने का वातावरण नहीं है। आपकी सरकार ने भी खूब कोशिश की थी, रिसर्जेंट राजस्थान लाकर। खूब अच्छा उत्सव मनाया। खूब खर्चा किया था। सारे उद्योगपतियों से एमओयू हुए थे। रिजल्ट क्या निकला? आपको पता है, सारे राजस्थान को पता है। हमें उद्योगपतियों के उद्योग लगाने के प्रति नेगेटिव सोच रखनी ही नहीं चाहिए। हम सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए कि राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगे, ज्यादा से ज्यादा निवेश हो। ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले।

अभी 21 या 12 जून को ही माननीय मुख्य मंत्री जी ने हमारे पोर्टल की शुरूआत की है। आपको बताऊं, हमारे पास पूरी सूचना है। हमारे पास पोर्टल पर 6 तारीख तक विभिन्न जिलों से 708 एप्लीकेशन आयी हैं। चूरू से आने वाले माननीय सदस्य को आश्चर्य होगा कि 200 एप्लीकेशन तो ऐसी आयी हैं, जो दो साल से परमिशन के लिए घूम रहे हैं। उनका आधा काम भी हो गया है और उनको परमिशन नहीं मिली। हमारा जो फोरमेट था, उसमें उन्होंने ज्यों ही अपलोड किया। अध्यक्ष महोदय, दो सौ लोगों को तो उसी दिन परमिशन मिल गयी। सरलीकरण करने के लिये हम यह कानून लाये हैं। उद्योगपतियों को परेशानियां नहीं हों। हम बाहर जाकर कितनी ही बातें करें। अगर हमारा घर ठीक नहीं होगा तो कोई भी उद्योग लगाने के लिये यहां नहीं आएगा। जो आशंकाएं व्यक्त की हैं, दो साल की छूट की, तीन साल की छूट की। तीन साल तक हम उनको फ्री रखना चाहते हैं। मेरे पास इसमें पूरी सूचना है। उद्योगपतियों की 700 एप्लीकेशन आयी हैं। जयपुर में सबसे ज्यादा 156 है, 43 परसेंट तो वे लोग हैं जिनका 2 साल पहले से ही प्लान चल रहा है। नये लोगों ने भी एप्लाई किया है। यह कितनी अच्छी बात है। आपको तो सरकार का स्वागत करना चाहिए कि सेम डे, यदि फोरमेट में सही है। सारी

(श्री परसादी लाल)

चीजें फोरमेट में मांगी गयी हैं। खसरा नंबर भी है, जगह भी है, गांव भी है, तहसील भी है, जिला भी है, मोबाइल नंबर भी है। उसका सब कुछ है। अगर फोरमेट में सही एप्लीकेशन पायी गयी तो पोर्टल आपको सेम डे ही परमिशन जारी कर देगा। कहीं घूमने की जरूरत नहीं है। हम इतना सरलीकरण करके लाये हैं। सुकरीकरण नहीं इसको सरलीकरण समझो। हम इतना अच्छा लेकर आये हैं तो आपको इस सब के लिए सरकार का स्वागत करना चाहते हैं। राजस्थान की बहबूदी हम चाहते हैं। हमको पता है। हम भी एमएलए रहे हैं। हम उद्योग भवन में बहुत बार गये थे। दौसा जिले में भी गये थे। हमको पता था कि उद्योगपतियों का काम सिफारिश से भी नहीं होता है। अब इसमें किसी की सिफारिश की जरूरत ही नहीं है। आप सब की सिफारिश एक साथ ही आज होगी। कितना अच्छा कानून लेकर आये हैं।

अभी आपने कहा कि उसमें पर्यावरण के लिये, यह सही बात है। सैंट्रल एक्ट में हम नहीं कर सकते हैं। पर्यावरण की स्वीकृति लेनी ही पड़ेगी। जो स्टेट के कानून हैं, उसमें हम पूरी छूट दे रहे हैं, चाहे वह रेवेन्यू एक्ट हो। सैंट्रल एक्ट में हम कोई छूट दे नहीं पाएंगे। क्या हम सैंट्रल एक्ट में छूट दे सकते हैं? फिर आप ऐसे सवाल ही क्यों उठाते हो? आप नेगेटिव सोच रखते हो? सैंट्रल एक्ट में बात करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब आपको जानकर खुशी होगी कि अभी छह राज्यों ने हमारे आर्डिनेंस की कॉफी मंगवाई है। सैंट्रल गर्वनमेंट के सैक्रेटरी जो एमएसवी के हैं, उन्होंने हमारी कापी मंगवाई है। बहुत जल्द खुशी होगी। सैंट्रल गवर्नमेंट भी इस एक्ट को लेकर आ रही है। केन्द्र हो, चाहे राज्य हो, सबके सामने बेरोजगारी की समस्या है। सबके सामने नये उद्योगों को लगाने की समस्या है। यह सही बात है कि कई कठिनाइयां हैं जिसके कारण हमारे यहां उद्योग नहीं आते, उसका हल आप भी नहीं कर सके। अभी उद्योगपतियों की एक मीटिंग हुई थी, सी एम साहब की चैयरमैनशिप में उसमें मैंने मुख्य मंत्री जी को कहा था कि जब तक हम बिजली की रेट दूसरे राज्यों के मुकाबले नहीं करेंगे, तब तक हमारे उद्योगपति यहां पर नहीं आएंगे। यह सत्य है। इसमें कुछ छिपाने की बात नहीं है। हमने निवेदन किया है। हम सब लोग चाहते हैं। आप उद्योगपतियों के लिये बिजली इतनी महंगी कर गये। अब कौन लगाएगा। हमारी मंशा है, हमारे घोषणा-पत्र में है। राजस्थान में उद्योग लगें। मुझे बहुत सारी तकलीफ है। मैंने इस विभाग को देखा है। हम उद्योगपतियों के साथ भी जस्टिस नहीं कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमें उद्योग का वातावरण बनाना होगा। हमें दूसरे राज्यों के

(श्री परसादी लाल)

समक्ष बिजली और अन्य मामलों में खड़ा होना पड़ेगा। यही सही बात है। पंजाब हो, चाहे गुजरात हो, सब जगह है। कल्ला जी बैठे हैं, बिजली मंत्री जी बैठे हैं। अगर कल्ला जी और माननीय मुख्य मंत्री जी की कृपा हो जाए तो राजस्थान में बहुत उद्योग लग जाएंगे। हमारे यहां पर सबसे बड़ी कठिनाई बिजली है। इसलिए हम सबको विचार करना चाहिए।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): यह कल्ला साहब के हाथ हैं। रैगुलेटर के हिसाब से बिजली देते हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): आप खुद भी बिजली मंत्री रहे हैं। आप भी कुछ नहीं कर सके। हमारी मंशा है उद्योग लगे, हमारी बेरोजगारी दूर हो। उद्योगपतियों की कठिनाइयां दूर हों। 708 को सेम डे परमिशन मिल गयी। एमएलए को उद्योगपति लेकर जाते हैं कि मंत्री जी से हमारी सिफारिश करो, अब कोई जरूरत ही नहीं है, आपकी और हमारी। इसलिए आपने जो आशंकाएं व्यक्त कीं। माननीय लाहोटी जी, आपने बहुत अच्छे सुझाव दिए, आप बहुत पोजिटिव हैं। ऐसे ही सबको पोजिटिव रहना चाहिए। उद्योगों के प्रति हम सबको पोजिटिव रहना चाहिए। माननीय नेता महोदय ने आशंकाएं व्यक्त कीं। नया एक्ट है, अगर कोई कठिनाई आएगी तो सरकार आपसे दूर नहीं है। हम उद्योगपतियों के लिए इसे और सरलीकरण की बात करेंगे। हमारा उद्देश्य है कि छोटे उद्योगों के लिये भी लोगों को चक्कर नहीं काटने पड़ें। इसलिए हम सब मिलकर राजस्थान में औद्योगिक वातावरण बनाएं, इसी उद्देश्य से लाये हैं। सैंट्रल एक्ट आएगा, आप देखना, इसी सत्र में, नहीं तो अगल सत्र में। छह राज्यों ने हमारे आर्डिनेंस की कापी मंगवाई है। छह राज्यों ने लागू कर दिया, हिमाचल, यूपी, वगरैह। सब चाहते हैं कि उद्योग लगें और बेरोजगारों को रोजगार मिले, इसी उद्देश्य से हम लेकर आये हैं। इसमें और कोई राजनीति नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री जी की मंशा है। हमारे घोषणा-पत्र में भी है कि उद्योगों को बढ़ावा देंगे। बजट आएगा, उसमें क्या आएगा, वह देखना। बहुत जल्द ही हम नयी उद्योग नीति लेकर आएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसी सत्र में हम नयी उद्योग नीति लेकर आएं। आप सबके जो सुझाव होंगे। अध्यक्ष महोदय, आपको आश्चर्य होगा कि दस साल पहले एक औद्योगिक काउंसिल बनी थी। 2010 के बाद उसकी एक भी मीटिंग नहीं हुई। मेरे आने के बाद उसकी पहली मीटिंग अभी बुलायी है। उनकी औद्योगिक

(श्री परसादी लाल)

नीति में जो भी सुझाव थे, हमने उन सबका समावेश किया है। हम फिर एक बार उनसे बात करेंगे, सत्र के बाद। सत्र में भी बुला सकते हैं। जब तक हम उद्योगपतियों से बराबर संवाद नहीं रखेंगे, जब तक उनका मान-सम्मान या उनकी पूरी सहायता नहीं करेंगे, तब तक यहां पर औद्योगिक वातावरण नहीं बन पाएगा। इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है कि आपकी जो भी आशंकाएं हैं, उनको सरकार दूर करेगी।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रवर्तन का सुकरीकरण) विधेयक, 2019 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मत विभाजन। मत विभाजन।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): we want division.

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मत विभाजन, मत विभाजन। एक बार ट्राई तो हो जाए।

श्री अध्यक्ष: मैं एक बार फिर पूछ लेता हूं। प्रश्न यह है कि राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रवर्तन का सुकरीकरण) विधेयक, 2019 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन अस्वीकार किया गया।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रवर्तन का सुकरीकरण) विधेयक, 2019 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, We want division.

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मत विभाजन हमारा राइट है। ये जीत जाएं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जनता को भी यह पता लगना चाहिए कि ये कितने सीरियस हैं। इनके लोग कितने

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

सीरियस हैं, इसका पता लगे। राजस्थान में जो सरकार चल रही है, उसकी यहां पर क्या उपस्थिति है? कम से कम जनता को यह तो पता लगे कि हमने यह रखा है। एक बार कम से कम यह मैसेज जाने दो।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): वसुन्धरा जी से कहें कि हाउस में आएं ...(व्यवधान) आपकी पूर्व मुख्य मंत्री कहां हैं?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मत विभाजन मांगना हमारा अधिकार है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, बाद की बात है। मत विभाजन मांगना हमारा अधिकार है। उसके तहत आसन से मेरी प्रार्थना है कि इस विषय पर मत विभाजन जरूर किया जाए। मत विभाजन इस विषय पर जरूर किया जाए कि हमने जो विषय उठाया है और जिसके लिए हमने कहा कि जनता में प्रसारित करके इस कानून को ठीक तरह से बनाया जाए, उस पर हम आपका मत विभाजन चाहते हैं। आसन का सहयोग हमें मिले।

श्री अध्यक्ष: माननीय विपक्ष के नेता आप जानते हैं, आपका अधिकार है मांगना और मेरा निर्णय करने का अधिकार है। आपने मांगा उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। राजस्थान की जनता को यह मैसेज जाना चाहिए कि पूरा सदन इस राजस्थान में बेरोजगारी की समस्या का निदान करने के लिए प्रयत्नशील है। यह मैसेज जाएगा, उससे राजस्थान के नौजवान पीढ़ी के लोगों को यह बात लगेगी कि राजस्थान के सदन के सदस्य, पक्ष और विपक्ष के, चाहे वह केन्द्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, दोनों ही मिलकर के यह कोशिश कर रहे हैं कि एमएसएमई की जो इंडस्ट्री है, उनके माध्यम से रोजगार मिले। इसलिए मैं आपसे विनती करूंगा कि आपका जो उद्देश्य है, यहां पर लाइव जा रहा है। जो भी आप डिस्कस कर रहे हैं, जो भी स्थिति है, वह यू-ट्यूब पर लाइव जा रहा है। कौन कितना सीरियस है। मेरी बात सुनिए, आप खाली यह बताना चाहते हैं, राजस्थान की जनता को मैसेज देना चाहते हैं। हम सब मिलकर राजस्थान की बहबूदी के लिए काम करें। यह मैसेज देना ज्यादा जरूरी है। इसलिए मेरी आपसे ....

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): जो विषय आपने रखा है, उससे हमारा कोई मतभेद नहीं है। हम स्वयं भी चाहते हैं कि राजस्थान में उद्योग का वातावरण बने, लोगों को रोजगार मिले, काम हो। इसमें किसी का भी कोई दो मत हो ही नहीं सकता। हम स्वयं भी इसी पक्ष में हैं और हमने स्वयं ने भी निरन्तर जो-जो प्रयास करने चाहिए थे, वह किए। लेकिन यह

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

जरूर है कि कोई कानून बनाए तो कानून बनाने के पहले उसको ठीक तरह से आप देखिए, हर तीसरे दिन अमैंडमेंट लाना पड़ता है। अगर इसी विषय पर जितने भी उद्योग के लोग हैं, उनसे भी अलग-अलग स्टेज पर चर्चा कर ली जाती, कारण क्या है कि इसमें कई प्रकार की अड़चनें जो आगे आएंगी। तीन साल तो आप चला लेंगे। लेकिन उसमें कई प्रकार की अड़चनें हैं और लगी हुई इंडस्ट्री को समेटकर ले जाना, मैं तो चाहता था कि कानून कोई भी बने, अच्छा बने, सब मिलजुल कर के बनाएं। कानून की जितनी भी धाराएं हैं, उनका विस्तृत अध्ययन करें कि उसका इफेक्ट क्या होगा? उसके कारण से इंडस्ट्री को आगे चलकर कोई तकलीफ तो नहीं होगी। मंशा में कोई फर्क नहीं है। हम आपके पक्ष में सौ परसेंट हैं कि राजस्थान में इंडस्ट्री आनी चाहिए और इंडस्ट्री लगाने वालों को तकलीफ नहीं के बराबर होनी चाहिए। इस वातावरण को बनाने के लिए हम आपके साथ हैं। लेकिन किसी विषय को बनाने के पहले इतनी जल्दी नहीं करें कि आगे चलकर आदमी उलझ जाए और उलझने के बाद जो वातावरण हम बनाना चाह रहे हैं, उस वातावरण में विघ्न न आ जाए। उसके बारे में सोचना कोई पाप नहीं है। किसी विषय पर विचार करना कोई अपराध नहीं होगा। केवल यह रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए कानून बनाते समय कि हम लेकर आए हैं, इसलिए लेकर आए हैं। किसी के साथ बैठकर इसको ठीक चर्चा करके, इसमें कहीं कमी-खामी लगती है, किसी सैक्शन के बारे में तो उसमें चर्चा करने में क्या हर्ज है? क्या नुकसान हो रहा है? हम इसके विरोध में नहीं हैं कि राजस्थान में यह कानून आकर के उद्योग लगाने का वातावरण न बने, जरूर बने। हम उसके पक्ष में हैं। सौ प्रतिशत पक्ष में है। लेकिन इसमें जो लेकुना है, उसके बारे में अगर हम बैठकर, चाहे इसको प्रिविलेज कमेटी को सौंप दें। आप पांच दिन, सात दिन बैठकर के चाहे इसी सत्र में लाकर के फिर से इसको रखकर के ओके कर लो, हमें कोई तकलीफ नहीं। उसमें हम आपका सहयोग ही करेंगे। लेकिन इस प्रकार आंख बंद करके इसके बारे में करना भविष्य के लिए ठीक नहीं होगा, इसका ध्यान रखना।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं प्रतिपक्ष के नेता से यह निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया यह बताने का कष्ट करें कि जब आप सरकार में थे तो कितनी बार आपने किसी विधेयक को जनमत जानने के लिए एग्री किया। किया आपने?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): हम सरकार में थे जब सोते नहीं थे आपकी तरह। नहीं, यह आरोप नहीं लगाएं आप। सरकार जिन्दा थी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आप जब हमारे सामने थे, तब 21 ही रह गए थे, इस कारण से आपकी वाइस ही नहीं बन पायी।

श्री अध्यक्ष: कटारिया साहब।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं तो आपसे सिर्फ यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब आपका मन साफ है। आप कहते हैं कि सामूहिक तौर पर हम एग्री करते हैं इससे, सब कुछ करते हैं तो फिर यह उपस्थिति आपके दिमाग में से क्यों नहीं निकलती? पहले जब आप जन-प्रतिनिधि नहीं थे, तब भी +++ ....

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आप तर्क करना चाहते हो या तमाशा करना चाहते हो? क्या करना चाहते हो?

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारिया साहब।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष जी, आप खड़े हैं परन्तु यह क्या बात है? किस तरह की बात करते हैं। हमें गर्व है कि हमारा नेता टीचर था।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): यह कोई दुकानदारी है, बाजार है क्या? यह क्या तमाशा कर रहे हैं? क्या बोल रहे हैं, किस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है आपको। हाउस को हाउस रहने दें, इसको बाजार मत बनाओ।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): बार-बार खड़े होने से क्या होगा? आदत पड़ गई है। बार-बार चिल्ला कर, बाहर कुछ होता नहीं है। आंदोलन करें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): ज्यादा अभिमान न करो। काम करो। यह बाजारू दुकान नहीं है। यह विधान सभा है। घर का राज नहीं है।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): हम काम ही कर रहे हैं। आपने तो कभी जनता की आवाज ही नहीं सुनी।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, अंकित नहीं होगा। प्लीज आप बैठिए। सब बैठिए। राठौड़ साहब।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): 000

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): 000

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैं सबसे विनम्र निवेदन करूंगा जो विषय है, उसकी गम्भीरता को समझें। मैं राठौड़ साहब को भी धन्यवाद दूंगा। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं आपका प्रशंसक हूं परन्तु आपने आज जिस ढंग से इश्यू को उठाया, वह इश्यू हम सबके लिए चिंता का है क्योंकि सैंट्रल लॉज है, सैंट्रल लाज में अमैडमैंट किया हुआ है, जो हम करना चाहते हैं, वह नहीं कर पाएंगे। इसलिए कुल मिलाकर सबको चाहे पक्ष में हो, चाहे विपक्ष में हो, सब मिलकर हम एमएसएमई को कैसे ठीक करें, इसके लिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप भी इसको जनमत के लिए इंसिस्ट नहीं करें। सरकार से भी मैं अपेक्षा करूंगा कि जब भारत सरकार एमएसएमई में अमैंडमेंट ला रही है, उसको देखें, समझें और उसके बाद यदि आवश्यकता हो तो, अभी तीन साल का टाइम है। दो साल में तो आपको वैसे भी समय है। अभी कोई इमिजिएट आवश्यकता नहीं है। जो भी बिल आया है, उसको पास किया जाए और हम सब मिलकर राजस्थान में किस तरह से एमएसएमई के माध्यम से रोजगार दे सकें, इसके लिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि पक्ष विपक्ष की बात को भूलें। हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में सरकार केन्द्र के जो नियम है, उनके जो अमैंडमेंट हैं, उनको भी ध्यान में रखें। यदि अमैंडमेंट की आवश्यकता होगी तो नया बिल लाएगी। लेकिन इस बिल को मैं समझता हूं कि पारित करने के लिए आगे बढ़ें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): टिप्पणी जो इस हाउस के अंदर रिकार्ड हुई है।

श्री अध्यक्ष: कटारिया साहब, जो भी टिप्पणी है, उसे देखकर मैं एक्सपंज करूंगा। आप बैठिए। मैं अब दोबारा स्टार्ट कर रहा हूं। प्रश्न यह है कि राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (स्थापना और प्रवर्तन का सुकरीकरण) विधेयक, 2019 को विचारार्थ लिया जाए।

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

खण्ड 2 से 5 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 5 स्वीकार किए जाएं?

(स्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

खण्ड 2 से 5 स्वीकार किए गए।

खण्ड 6, रामप्रताप कासनियां संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): अध्यक्ष महोदय, खण्ड 6, इसके अंदर मेरा यह संशोधन है कि इसमें समयावधि बढ़ाई जाए। कम से कम पांच वर्ष हो ताकि जो उद्‌यमी है, वह अपना लोन समय पर पांच साल में चुका सके। सारी बात का उसे ज्ञान है कि उद्‌योग चलाने में सक्षम है या नहीं। इसलिए इसमें पांच वर्ष की समयावधि की जाए। खण्ड 7 उद्‌यमी अपने उद्‌योग को ....

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अभी खण्ड 6 पर है, खण्ड 7 पर आगे आएंगे। माननीय मंत्री जी।

श्री परसादी लाल (उद्‌योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कासनियां जी ने जो संशोधन रखा है, उसको निरस्त किया जाए। तीन साल की जो अवधि रखी है, वह सोच-समझ कर रखी है। पांच साल तक रहेंगे, कोई घटना आएगी तो आप और हम दूर नहीं हैं। इसमें अमैंडमेंट ले आएंगे।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड 6 में जो संशोधन श्री रामप्रताप कासनियां, सदस्य विधान सभा ने प्रस्तुत किया, उसे स्वीकार किया जाए।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड 6 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 6 स्वीकार किया गया।

खण्ड-7, रामप्रताप कासनियां संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): अध्यक्ष महोदय, खण्ड-7 में उद्‌यमी को अपने उद्‌योग अनुमोदन निरीक्षण से पांच वर्ष की छूट देनी चाहिए। क्योंकि उद्‌यमी उद्‌योग स्थापित करने के लिए जो कर्ज लेगा वह कर्ज चुकाने के लिए, कम से कम पांच वर्ष की समयावधि में उसको उद्‌योग के बारे में ज्ञान होगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि तीन साल में तो घर भी नहीं बस सकता, सारे सामान तीन साल में नहीं आते। घर बसाने के लिए भी तीन वर्ष की समय सीमा है, गांव का कानून है यह अलग से। इसमें पांच वर्ष की समय अवधि होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। मंत्री जी।

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, निरीक्षण और तीन साल की छूट दी है, एक्ट में हमने सोच-समझकर किया है। कोई कठिनाई नहीं आए, तीन साल कोई निरीक्षण नहीं होगा, कोई अधिकारी नहीं जाएगा, किसी तरह का नोटिस नहीं होगा, यह तीन साल की अवधि है, अब इसमें आवश्यकता पड़ेगी तो आप और हम यहीं रहेंगे, आगे विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड-7 में जो संशोधन श्री रामप्रताप कासनियां, सदस्य विधान सभा ने प्रस्तुत किया उसे स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड-7 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-7 स्वीकार किया गया।

खण्ड- 8 से 10 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-8 से 10 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 8 से 10 स्वीकार किये गये।

खण्ड-11, रामप्रताप कासनियां संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): अध्यक्ष महोदय, खण्ड- 11 में उद्यमी को अपने उद्योग में आ रही कठिनाई के निराकरण के लिए कम से कम तीन वर्ष का समय देना चाहिए ताकि उद्यमी यह सुनिश्चित कर सके कि अब आगे मुझे उद्योग को सुचारु रूप से चलाने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी।

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): किसी तरह की कठिनाई नहीं आए इसीलिए तो यह लेकर आए हैं। कोई कठिनाई दो साल में नहीं आएगी तो आगे भी नहीं आएगी। इसलिए इस एक्ट को उद्यमियों की कठिनाइयों के निराकरण के लिए, ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगे, ज्यादा से ज्यादा निवेश हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले। अभी सात सौ-आठ सौ एप्लीकेशंस आई हैं, एक हजार लोगों को रोजगार देने की, उसमें एक हजार करोड़ का निवेश करने की एप्लीकेशंस हैं। अगर हम उद्यमियों को इस तरह प्रोत्साहित करेंगे तो, यह तो मैं 12 जून से अब तक 06 तारीख तक की बता रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: संशोधन पर बोलें बस।

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): संशोधन को रद्द करें।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड-11 में जो संशोधन श्री रामप्रताप कासनियां, सदस्य विधान सभा ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड-11 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-11 स्वीकार किया गया।

खण्ड-12 व 13 में कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-12 व 13 स्वीकार किए जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड-12 व 13 स्वीकार किए गए।

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

विधेयक का पारण

श्री परसादी लाल प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे विधेयक को पारित किया जाए।

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रवर्तन का सुकरीकरण) विधेयक, 2019 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: किरण माहेश्वरी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): धन्यवाद। माननीय मंत्री जी के द्वारा ईज आफ डूइंग बिजनस के अंदर जिस तरीके से तीन साल की छूट देने का बिल यहां आया और हम सब लोग चाहते थे कि जनमत जाना जाए लेकिन फिर भी यह पारित हो रहा है, उससे पूर्व मैं कुछ चीजों के ऊपर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं।

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

एमएसएमई की हमारी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उन इंडस्ट्रीज को हम लोग ईज आफ डूइंग बिजनस के अदंर चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अच्छे से वह फले फूले, उन्हें अच्छा बिजनस मिले, अच्छा बिजनस कर सकें और कई लोगों को इसके अंदर रोजगार मिल सके।

एक ऐसी ही एमएसएमई इंण्डस्ट्री हमारे राजसमंद में है, फैल्सपार का हमारे यहां माइनिंग होता है, उस फैल्सपार का, उसका पाउडर बनाने का काम, इस प्रकार की इण्डस्ट्रीज वहां पर लगी हुई है। अच्छी तादाद में लगभग 150 से भी ज्यादा यूनिट्स वहां पर लगे हुए हैं। हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा एक आदेश निकला था जिसमें फैल्सपार के लम्स, ग्रेन्स, सारे प्रोडक्ट जो उसमें से बनते हैं वह सारे प्रोडक्ट, जो बाहर जाते हैं टाइल्स बनने के लिए, गुजरात में मोरबी जाते हैं। सेरेमिक टाइल्स बनती हैं उसके लिए यह पाउडर काम आता है जो फैल्सपार का पाउडर होता है। राज्य सरकार के द्वारा एक रोक लगाई गई कि फैल्सपार ग्रेन्स के फार्म में या लम्प्स के फार्म में नहीं जाएंगे यह केवल पाउडर के फार्म में जाएंगे, just to save these industries. राजस्थान के राजसमंद ज़िले में लगी हुई है, इण्डस्ट्रीज जो एमएसएमईज हैं इनको सेव करने के लिए इनको प्रोटेक्ट करने के लिए इस प्रकार का आदेश सरकार ने निकाला, मैं सरकार को धन्यवाद देती हूं और माननीय अध्यक्ष जी के प्रयासों से यह निकला है इसलिए उन्हें भी धन्यवाद देती हूं।

विषय यहां पर आता है कि इस प्रकार आदेश निकलने के बाद भी उनकी पालना नहीं होती। जो पाउडर फार्म में जाना चाहिए वह पाउडर फार्म में आज भी नहीं जा रहा है, लम्प्स के फार्म में ही जा रहा है, ग्रेन्स के फार्म में ही जा रहा है। माननीय मंत्री जी, उसे किस प्रकार से रोका जाए, क्योंकि आप ईज आफ बिजनस करना चाहते हैं आप एमएसएमईज को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। मैंने यह विषय यहां पर इसलिए रखा कि एमएसएमईज को प्रोटेक्ट करने का अगर आपने कोई आदेश निकाला है तो उस आदेश की पालना होनी चाहिए। एक माफिया डवलप हो रहा है। पाउडर फार्म में नहीं जाए, लम्प्स फार्म में ही जाए, ग्रेन्स फार्म में जाए, गिट्टी के फार्म में जाए, इस प्रकार की सारी चीजें हो रही हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से यही ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि इस प्रकार का भी कोई हो जहां बिल को आप लागू करते हैं तो कोई आदेश निकले, आदेश लागू हो, यही मेरा आपसे निवेदन है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी बोलना है ?

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): माननीय सहाड़ा से आने वाले सदस्य ने पहले जानकारी दी थी सरकार को, आपने भी बताया था। राजसमंद की, भीलवाड़ा सब जगह की समस्या थी। हमारा पाउडर बाहर जा रहा था, यहां बहुत सारी यूनिट्स बंद हो गई थीं, हमने उसका आर्डर निकाला है, उसकी पूरी पालना कराएंगे। पूरी ताकत से उसकी पालना कराएंगे, कहीं आदेश की अवहेलना नहीं हो, पूरी कोशिश करेंगे।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रवर्तन का सुकरीकरण) विधेयक, 2019 को पारित किया जाए।

(स्वीकृत)

राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रवर्तन का सुकरीकरण) विधेयक, 2019 को पारित किया गया।

राज्य में बिजली की स्थिति पर चर्चा। बुलाकीदास जी कल्ला, ऊर्जा मंत्री प्रस्ताव करेंगे।

विभिन्न विषयों पर विचार

राज्य में बिजली की स्थिति पर विचार

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राज्य में बिजली की स्थिति पर विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष: श्री पुष्पेन्द्र सिंह।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि 15वीं विधान सभा में यह पहला अवसर है कि हम आज बिजली पर चर्चा कर रहे हैं। मैं भी पूरे राजस्थान में घूम रहा हूं, आमजन की यह भावना है, यह कहने लगे हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी गई है, गांवों और शहरों में बिजली की अघोषित कटौती स्टार्ट हो गई है। जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, हमने कोशिश की शहर में ही नहीं गांवों में भी 24 घंटे बिजली दें। हालात अभी इतने बुरे हैं कि एक दिन में 40-40 बार गाँवों में ट्रिपिंग हो रही है। इस भीषण गर्मी में, जो टैम्प्रेचर रहा, जितनी ट्रिपिंग पूरे प्रदेश में हुई है, जिस तरीके से बिजली की कटौती हुई है, मैं समझता हूं कि आम व्यक्ति इससे परेशान है। मेरा आपसे अनुरोध है कि पूववर्ती सरकार,

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

अभी जैसे उद्योग मंत्री जी ने बात कही कि बिजली ऐसा महकमा है अगर इसकी दरें वास्तव में कम हो जाएं तो इससे किसान भी सुखी रहेगा और उद्योग भी लगेंगे, लोगों को रोजगार भी मिलेगा और आने वाले टाइम में राजस्थान को और विकासशील प्रदेश के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, आज पूरे भारत में राजस्थान वह प्रदेश है, जहां इण्डस्ट्रियल कनेक्शंस की बात करें, एन.डी.एस. कनेक्शंस की बात करें, या डोमेस्टिक कनेक्शंस की हम बात करें तो राजस्थान इन चारों-पांचों कैटेगिरीज में पूरे भारत में चौथे-पांचवें स्थान पर आ रहा है। यह बात मैं भी मानता हूं कि हमने भी हमारे कार्यकाल में बिजली की बढ़ोतरी की है। आपके पूर्ववर्ती कार्यकाल में भी आपने भी तीन बार बढ़ोतरी की है। इसका एकमात्र कारण था कि 2008 में हम 15 हजार करोड़ का डेफिसिट छोड़कर गये थे डिस्काम्स पर, 2013 में हमको 77500 करोड़ आपने तीनों डिस्काम के डेट हमको छोड़कर गये।

हालत यह हो गई, 2011 में आपने कैबिनेट की बैठक बुलाई। आपको लोन लेना था। 33 हजार करोड़ का लोन आपको 2011 में मिला। आपने यह तक एम.ओ.यू. में साइन किया कि हम छीजत को 15 प्रतिशत लेकर आ जाएंगे। हम राजस्थान में बिजली सबको देंगे। 40 हजार से ज्यादा हम कृषि कनेक्शंस प्रत्येक वर्ष नहीं देंगे। आपने बहुत लम्बे-चौड़े एम.ओ.यू. में साइन किये। जब 2013 में हमारा राज आया, 2014 में जब मुख्य मंत्री ने सम्भाला तो बैंक ने हमको पैसा देना बंद कर दिया।

मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, केन्द्र में जो हमारे पूर्व बिजली मंत्री हैं, उन्होंने पूरे भारत में उदय योजना लागू की। उस उदय योजना के तहत राजस्थान का 82 हजार करोड़ तीनों डिस्काम्स का लोन था, उसका 75 प्रतिशत स्टेट गवर्नमेंट ने अपने ऊपर लिया। वह भी मैं कहना चाहता हूं कि एकदम नहीं लिया। पहले हमने 5000 करोड़ लिये। ऐसे करते-करते हमने हमारे कार्यकाल में लगभग 40-42 हजार करोड़ रुपये हमने गवर्नमेंट के खाते में डाले, जिससे डिस्काम का जो इंटरेस्ट और रीपेमेण्ट था, वह इंटरेस्ट और रीपेमेण्ट डिस्काम में कम हुआ और छीजत को, जो उदय योजना के तहत हमने एम.ओ.यू. साइन किया, उस छीजत को 15 प्रतिशत तक लाने की जो हमने घोषणा की, दिसम्बर, 2013 तक 18.9 AT&C Losses हम लेकर आये। अध्यक्ष महोदय, दिसम्बर चला गया, जून है। मैं आपको यह कहना

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

चाहता हूं कि मंत्रीजी इस टेबल पर करें, आज आपके तीनों डिस्काम्स के AT&C Losses, जयपुर डिस्काम के अन्दर 30 प्रतिशत से ऊपर AT&C Losses, आपके अजमेर डिस्काम के AT&C Losses 27 प्रतिशत तक आ गये और जोधपुर डिस्काम के भी 30 प्रतिशत के आसपास AT&C Losses बढ़ गये। हालात इतने गम्भीर हैं कि जो भी आपके विद्युत उत्पादन कर रहा है, राजस्थान स्टेट विद्युत उत्पादन निगम या आपके जो विंड पावर है, या जो आपका सोलर पावर है या एन.टी.पी.सी. से पावर आ रहा है, या अडानी, राजवेस्ट से प्राइवेट यंत्रों से बिजली आ रही है।

(14.50 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

मैं आपको कहना चाहता हूं कि डिस्काम्स के ऊपर 22 हजार करोड़ की देनदारियां हैं। यह 22 हजार करोड़ की देनदारियां, और जो आपके ये काम चल रहे हैं, जो विकास का काम चल रहा है, जो नये जी.एस.एस. बन रहे हैं, नई लाइनें खड़ी हो रही हैं, यह मिलाकर राजस्थान के ऊपर 30 हजार करोड़ की इनके ऊपर लायबिलिटी है, जो पिछले 8-9 महीने से ये पैसे दे नहीं पा रहे हैं।

सबसे बड़ा कारण यह है सरकार, मैं इसका कारण कहता हूं। सरकार ने इसकी 50 प्रतिशत क्राप सब्सिडी कर दी। किसानों को जो आप सस्ती बिजली देते हो, 90 पैसे में आप बिजली दे रहे हो, उसके 3 रुपये 60 पैसे सरकार देती है। 85 रुपये में अगर पर-हार्स पावर कोई किसान फ्लेट-रेट पर देता है तो 515 रुपये सरकार आपको देती है। तो राजस्थान में क्राप सब्सिडी के तहत 14 हजार करोड़ रुपये स्टेट गवर्नमेंट से बिजली विभाग को आता था। आज आपने इसमें कटौती कर दी। कटौती करने से यह हो गया कि इनके एक्सपेंसेज चलाने मुश्किल हो गये। ये आगे उसको पैसे नहीं दे सकते हैं।

सभापति महोदय, सबसे बड़ी बात है कि आपके ऊपर 18 प्रतिशत इंटरेस्ट लग रहा है। हमारे कार्यकाल में, मुझे आज भी मालूम है, हमने इंसेंटिव्ज प्राप्त किये हैं। यह वही जयपुर डिस्काम है, जहां हमारे लास्ट दो साल के कार्यकाल में लगभग 300 करोड़ के इंसेंटिव्ज दिये हैं, बिफोर टाइम पेमेंट किये हैं और इसके इंसेंटिव्ज लिये हैं। तो 6 महीने में ही आपकी माली हालत इतनी खराब हो गई!

मेरा आपसे अनुरोध है, 2018-19 में हमारी सरकार ने हमारी मुख्य

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

मंत्रीजी ने दो लाख किसानों को कनेक्शन की घोषणा की। हमारा कार्यकाल छोटा था। दिसम्बर तक हमारी सरकार बदल गई। हमने लगभग सवा लाख कृषि कनेक्शंस दिये। फरवरी, 2010 से लेकर फरवरी, 2012 के दो साल के हमने कनेक्शन निकाले। सवा लाख कनेक्शंस हमने दिसम्बर तक कर दिये। आपको 75 हजार कनेक्शंस करने थे। आपने कहा 30 जून तक एग्रीकल्चर कनेक्शंस कर दूंगा। आज 30 जून हो गई। आज भी आपके पास 30 हजार जनरल कैटेगिरी के कनेक्शंस देने हैं, 14-15 महीने हो गये, जिन किसानों ने डिमाण्ड भरी है, आज तक आप उनको कनेक्शन दे नहीं पाये। क्योंकि आपके पास सामान ही नहीं है। आपके पास पोल नहीं है, आपके पास ट्रांसफार्मर्स नहीं हैं, आपके पास डिस्क नहीं है, आपके पास लाइन नहीं है। सभापति महोदय, यह हालत है कि अगर आज किसान का कोई ट्रांसफार्मर जल जाए या गांव में कोई ट्रांसफार्मर जल जाए, जहां 72 घण्टे की हम बात करते हैं, आज दो-दो महीने, एक-एक महीने तक वापस उसके ट्रांसफार्मर लगता नहीं है, और अभी तो एग्रीकल्चर सीजन आ रहा है।

मैं मंत्रीजी से यह कहना चाहूंगा कि हमारे कार्यकाल में, मेरे आफिस में मैंने एक काल-सेन्टर डवलप किया और मैं प्रत्येक एम.एल.ए. से बात करता था। मैं प्रधान से भी बात करता था, मैं सरपंच से भी बात करता था कि बिजली की हालत क्या है। उसके अनुसार हमारे अधिकारी उसको मानिटर करते थे।

जयपुर डिस्काम ने एक ऊर्जा एप निकाला है। जिससे हमारे यहां जितने माननीय सदस्य हैं वे हर फीडर लेवल पर देख सकते हैं कि इसमें ट्रिपिंग कितनी आई है और कितने घण्टे इसको सिंगल फेस लाइट मिली है, कितने घण्टे इसको थ्री-फेस लाइट मिली है। मैं चाहता हूं कि जयपुर के साथ-साथ यह अजमेर और जोधपुर में भी लागू हो जाए। ताकि कम से कम हम माननीय सदस्य यहां बैठे हैं, हम हमारे क्षेत्र में देख सकते हैं कि अधिकारी क्या बात कर रहे हैं और हकीकत की क्या बात है। उस एप में आपको एक-एक चीज मालूम पड़ जाएगी कि आपके कितनी बार तो ट्रिपिंग हुई है, कितनी बार आपकी छह घण्टे लाइट आपको थ्री-फेस मिली कि नहीं मिली। सिंगल फेस लाइट आपको मिली कि नहीं मिली है। आपको उस एप के द्वारा लास्ट-डे का पूरा फीगर आपको पता लग जाएगा। उससे आपको पता लग जायेगा कि हकीकत में आपके अधिकारी जो आपको बात कहते हैं वह कितना सही और असत्य है।

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

सभापति महोदय, दूसरा मेरा आपसे निवेदन है कि कुछ दिन पहले मुख्य मंत्रीजी ने मीटिंग ली। इन सब अधिकारियों ने कहा कि बिजली की हालत तो बहुत अच्छी है। जब इन्होंने इनके माननीय सदस्यों से फीडबैक लिया तो इन्होंने खुद ने कबूल किया कि बिजली की हालत बहुत खराब है। तब 6 महीने बाद में फील्ड में कोई अधिकारी गया है। नहीं, आज से पहले कोई आदमी फील्ड में नहीं गया। आज AT&C Losses इतने बढ़ना, यह एक अलार्मिंग सिचुएशन है। अभी भी, ऐसे भी आप फाइनेंशियल क्रंच में चल रहे हो और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो दूसरे ये सब महकमे बंद हो जाएंगे। यह बिजली महकमा अकेला आपका सब पैसा खा जाएगा।

मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हम भी कंज़्यूमर फ्रेंडली रहे हैं। हमने छीजत कम की है। अगर हमारी सरकार आती तो वास्तव में मार्च तक हम आपको 15 प्रतिशत लाकर देते। मुख्य मंत्री फीडर सुधार कार्यक्रम स्टार्ट किये थे। जो लाइन खराब थी, हमने उस लाइन को चेंज किया। जो ट्रांसफार्मर्स खराब थे, उनको हमने ठीक किया, चेंज किये। मीटर्स नहीं थे, वहां मीटर्स लगाये और कोशिश की कि गांवों को भी सुचारु रूप से मिले। हमने फीडर मैनेजर्स को लगाया। उनको यह ड्यूटी दी कि उनका कलेक्शन, बिलिंग और रीडिंग का काम वे करें, ताकि उसमें जो डिफरेंसेज हैं, वे कम हों।

मेरा आपसे अनुरोध है कि दीनदयाल उपाध्याय, सौभाग्य योजना और उसके साथ-साथ मुख्य मंत्री सबके लिये विद्युत योजना, यह तीन योजना हमारे कार्यकाल में चली थी। मुझे आज भी याद है, उस समय मैं मंत्री नहीं था। पहले बजट में हमारे मुख्य मंत्रीजी ने यह घोषणा की कि आने वाले पांच साल में हम 30 लाख घरेलू कनेक्शंस देंगे। मुझे गर्व है कि इन तीन योजनाओं के तहत, जहां 65 लाख डोमेस्टिक कनेक्शंस थे, हम राजस्थान में छोड़कर गये, 95 लाख डोमेस्टिक कनेक्शंस राजस्थान में हम देकर गये। हमने कोशिश की। केन्द्र सरकार की सौभाग्य योजना के तहत यह था कि हर व्यक्ति को घर पर बिजली, खेत पर बैठा है तो उसको बिजली मिले। हमने तो यहां तक कह दिया कि गोचर में किसी का मकान है तो उसको बिजली का कनेक्शन मिले और आफ-ग्रिड कनेक्शन, हमने उस टाइम लागू किया कि जो आदमी वन में बैठा है, मकान लेकर जंगल में बैठा है, सोलर लाइट के तहत उसको बिजली उपलब्ध कराई जाए। उसके तहत हम काम कर रहे हैं।

मेरा आपसे अनुरोध है, आपके पास अभी कोई योजना ही नहीं है। आज जो व्यक्ति वंचित है, 31 मार्च के बाद में कोई एप्लीकेशन ही नहीं ले

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

पाये सौभाग्य में। आपके पास आज की तारीख में कोई योजना ही नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बिजली के कनेक्शन से वंचित रह गया है तो आप ऐसी कोई योजना तो बनाओ। जिसके तहत उस गरीब आदमी को सस्ती बिजली मिल सके। सौभाग्य योजना में आदमी को मात्र 500 रुपये भरने पड़ते थे। दीनदयाल योजना और मुख्य मंत्री सबके लिये विद्युत योजना को हमने सौभाग्य में तब्दील कर दिया। राजस्थान को इसका फायदा मिला। राजस्थान को बजट मिला, जिससे यह पूरा काम कर पाये।

(15.00 बजे)

मेरा आपसे यह अनुरोध है कि आज कुसुम योजना, सौर ऊर्जा में केन्द्र सरकार ने अभी इलेक्शन से पहले कुसुम योजना सौर ऊर्जा के तहत घोषणा की। इस कुसुम योजना में सरकार का यह इंटेंशन था कि आज का सब किसान चाहता है दिन में बिजली मिले। अभी आपके रबी की यह जो फसल आएगी जब आपको पता पड़ेगा कि आपके इतने सारे जो कनेक्शन हो रहे हैं इस पर लोड फैक्टर कितना पड़ेगा। फिर आप चलेंगे पावर परचेजिंग में और उस टाइम पावर आपको महंगा मिलेगा, देना तो आपको सस्ता है तो उस योजना के तहत, कुसुम योजना यह है कि दो मेगावाट तक कोई भी किसान अपनी बंजर जमीन पर अपना सोलर प्लांट लगा सकता है या कोई वेंडर लगाए तो उस किसान को 40 पैसे पर यूनिट देना पड़ेगा और वह 33 के.वी.ए. ग्रिड में आपका कनेक्शन उससे जुड़ जाएगा जो भी दो-तीन किलोमीटर में 33 के.वी.ए. ग्रिड है, उसमें जुड़ जाएगा। जिससे उस एरिया के किसान को कम से कम एक अल्टरनेटिव मिलेगा खेती के अलावा कि वह अपनी खेती के अलावा सोलर उत्पादन भी करे, दिन में किसान को बिजली भी मिले और उसकी रायल्टी के तहत उसको 40 पैसे मिले ताकि उसकी एडिशनल इनकम स्टार्ट हो, इस ओर आपका ध्यान ही नहीं है। न मीटिंग ले रहे हो आप, न तो आप रैगुलेटरी में गये उसकी दर तय करने के लिए, न तो आपने उसकी अभी तक कोई गाइड-लाइन्स बनाई है। तो मेरा आपसे यह निवेदन है कि यह केन्द्र सरकार की जो योजना है, क्योंकि मैंने भी विरोध किया था कि आप भड़ला सोलर पार्क लगा रहे हो, आप सोलर पार्क डवलप कर रहे हो तो क्यों नहीं हर विधान सभा क्षेत्रवाइज, तहसीलवाइज, ब्लाकवाइज मतलब यह छोटे-छोटे सोलर पार्क, छोटे-छोटे दो मेगावाट, एक मेगावाट के चालू हो जाएं। इससे आपको कम से कम इतनी बड़ी ट्रांसमिशन लाइन तो खड़ी नहीं करनी पड़ेगी। 765 के आपके पी.जी.सी.आई.एल. बना रहे हो, 765 के ही राजस्थान विद्युत वितरण

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

निगम बना रहा है, बात तो यह है इसको इवेक्यूएट करना है। बिजली को आपको दूर-दराज तक पहुंचाना है। एक 765 को बनाने में, उसकी लाइन पूरी खड़ी करने में मुझे लगता है 200-300 करोड़ से नीचे खर्चा नहीं आता है। अगर आप यह छोटे ब्लाक पर दे दो, जहां 33 के.वी.ए. में अगर जुड़ जाए तो आपको इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। किसानों को दिन में बिजली मिल जाए। आज रात को कोई बिजली नहीं लेना चाहता है।

माननीय सभापति महोदय, क्योंकि रात में इतनी ठंड पड़ती है और आजकल वह किसान रहा नहीं जो रात को फावड़े से खेत के अंदर अपना पानी डाले। अब तो दिन में किसान को बिजली चाहिए और आपके ऊपर प्रेशर आएगा कि आप हमें दिन में बिजली दो। अभी तो आपके रबी सीजन जब आएगा तो आपको पता लगेगा कि आपके ब्लाक्स पर सब बोलेंगे कि मुझे दिन में बिजली चाहिए और दिन में एक साथ आप इतनी बिजली नहीं दे पाओगे। आप खरीदना चाहेंगे तो भी आप खरीद नहीं पाएंगे इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसके ऊपर आप थोड़ा ध्यान दें।

दूसरा, मेरा आपसे एक निवेदन है फ्यूल चार्ज पर। फ्यूल चार्ज कोई भी थर्मल है या आपका पावर प्लांट है, अगर उस पर कोल का पैसा बढ़ जाए या इसका ट्रेवलिंग एक्स्पेंसेज, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बढ़ जाए तो आप फ्यूल चार्ज मतलब, नियामक आयोग ने आपको जो 3 रुपये 66 पैसे आपकी रेट है, जो रैगुलेटर ने तय कर रखी है, उसका 10 परसेंट था, मतलब 37 पैसे एक डिस्काम, उससे ज्यादा आप फ्यूल चार्ज नहीं ले सकते। जयपुर डिस्काम ने तो 55 पैसे लेना स्टार्ट कर दिया।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): 15 परसेंट है।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): 15 परसेंट तो रैगुलेटर ने अभी किया है और वह किया था अप्रैल से और आपने जनवरी, फरवरी और मार्च में गरीब उपभोक्ता से वसूल कर लिये, जयपुर डिस्काम ने 55 पैसे और 52 पैसे जोधपुर डिस्काम ने ...(व्यवधान) यह मेरा निवेदन है, आप मुझे बोलने दीजिए, आप जवाब देना। आप जवाब देना।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): यह नियामक आयोग की रिकमंडेशन से हुआ है और वह मैन्डेटरी है।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): मेरा आपसे अनुरोध है कि आप पहले मेरी बात को समझें। नियामक आयोग ने यह फैसला दिया कि 15 परसेंट तक

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

आप कर सकते हो तो वह 55 पैसे होते हैं तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि अजमेर डिस्काम तो आज भी 35 पैसे ले रहा है। बिजली तो वह भी छबड़ा से खरीद रहा है, बिजली तो वह भी आपके कालीसिंध से खरीद रहा है। सूरतगढ़ से वह भी खरीद रहा है। आपका जयपुर डिस्काम 55 पैसे क्यों ले रहा है? आपका जोधपुर डिस्काम 52 पैसे क्यों ले रहा है? मंत्री महोदय, इसमें मुझे जो लगता है, आपका जो लोसेज बढ़ रहा है वह फ्यूल चार्ज में आप डालकर जनता से वसूल करना चाहते हो। बिजली तो वही है। आज अजमेर डिस्काम 35 पैसे ले रहा है तो इसके ऊपर स्पष्टीकरण मैं आपसे पूछूंगा कि अजमेर डिस्काम क्यों 35 पैसे ले रहा है। फ्यूल चार्ज बढ़े हैं तो क्या अजमेर डिस्काम के पास में बिजली पैदा हो रही है, जिससे उसके फ्यूल चार्ज कम हो रहा है और आपका जयपुर डिस्काम 55 पैसे और जोधपुर डिस्काम 52 पैसे कैसे ले रहा है?

इससे यह साफ जाहिर होता है कि आपके जो लोसेज हैं उसको कवर करने के लिए आप इस पैसे को जनता से वसूल कर रहे हो। बिजली तो वही है न? केन्द्र सरकार से, एन.टी.पी.सी. से खरीदो या आपके जो प्राइवेट हैं, किसी से खरीदो, अगर आपके ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज बढ़ गये, कोल के भाव बढ़ गये तो उसी पर तो आप फ्यूल चार्ज ले सकते हैं तो फिर यह वेरिएशन तीनों डिस्काम में क्यों है? इसका मुझे जवाब चाहिए। मैं यह समझता हूं कि आपके अधिकारी आपको गुमराह कर रहे हैं।

दूसरी बात, यह 15 परसेंट लागू होना था आपके 01 अप्रैल से और आपने जनवरी, फरवरी और मार्च से लागू कर दिया। आपने 250 करोड़ रुपये वसूल कर लिये जनता से मैं आप पर आरोप लगाता हूं, मैं चाहता हूं कि आप इसको वापस दें। जनवरी, फरवरी और मार्च में आपने इसको वसूल कर लिया। किस आधार पर किया है? आप नियामक आयोग को मानते हो। आपने अभी कहा नियामक आयोग तो राजस्थान विद्युत नियामक आयोग की यह गाइड लाइन्स है, यह मेरे पास उसका लैटर है, यह रहा।

दूसरा, मेरा आपसे यह अनुरोध है कि हमारे कार्यकाल में लास्ट ईयर हमने किसानों के वी.सी.आर. बंद कर दिये और हमने सर्टेन कुछ महीने रखे, तीन महीने, जो अप्रैल से लेकर जून तक किसान मतलब अपने बिलकुल खाली हाथ बैठा है, उसके पास कोई काम नहीं है तो उस पर हमने यह कहा कि कोई भी अपना लोड बढ़ाना चाहे तो वह अपना लोड बढ़ा सकता है और हमने यह

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

कहा कि लोड बढ़ाकर मतलब उसके ऐसे नहीं हो कि लोड कम है उसके कारण उसकी वी.सी.आर. कटे। अभी तो आपने मनमानी स्टार्ट कर दी। आपसे छीजत तो कम हो नहीं रही है और आपने वी.सी.आर. भरना स्टार्ट कर दिया। हमारे एफिशिएंसी जो कलेक्शन का था वह 101 परसेंट था और आपका आज कलेक्शन हो रहा है 95 परसेंट तो यह लोसेज तो आपके बढ़ रहे हैं A.T.&C. Losses और फिर आप वी.सी.आर. काट रहे हो। हम तो वन टाइम सैटलमेंट लेकर आए थे, कोई पुराने बिल बाकी हैं किसी के तो उसके पैनल्टी और इंटरेस्ट माफ करके किसान मूल रकम भरकर उससे बाहर निकले। वन टाइम सैटलमेंट लेकर आए थे तो आप ऐसी योजना लाओ जिससे कंजूमर फ्रैंडली बने, किसान फ्रैंडली बने ताकि लोग आपको एप्रीशिएट करें। आप सख्त होना चाहो तो वह कारण पर किसान के ऊपर आप जाकर सोचो कि पैनल्टी करके इतना नुकसान आपका पूरा हो जाए, इससे मैं समझता हूं कि गांवों में आपकी पैठ उठ जाएगी।

हमने लास्ट में बंद किया। शुरूआत में हमने भी स्ट्राइक किया था शुरु शुरू में उसका कोई फायदा नहीं मिला। जब हमने कंजूमर के साथ बैठना स्टार्ट किया, जे.ईएन. के आफिस पर, जी.एस.एस. पर बैठकर किसानों को बुलाकर वहां उनके काम हमने सलटाये तब जाकर लोग हमारे पास आना स्टार्ट हुए और लोगों ने खुद सब्मिट किया कि हमको यह काम करना है।

दूसरा, मेरा आपसे यह निवेदन है कि आज हमने हमारे कार्यकाल में 2400 पे ग्रेड, टैक्नीकल हैल्पर के हमने आदेश दे दिये थे। 2400 पे ग्रेड के। यह आई.टी.आई. है, क्वालीफाइड आदमी है और आपको पता है कि पूर्ववर्ती सरकार के टाइम में बहुत बड़े आंदोलन हुए। एक बार यह हालत भी हो गयी कि पूरे राजस्थान में अगर यह टैक्नीकल हैल्पर जो कि 35 हजार हैं, ये सब रोड पर आ गये तो यह हालत हो गयी थी हमारी कि पूरे राजस्थान में बिजली बंद होने की नौबत आ गयी और राजस्थान में अगर बिजली बंद हो जाए, यह आपके रीढ़ की हड्डी है जो कि रात-दिन काम करते हैं 24 घंटे, इनकी आठ घंटे की ड्यूटी नहीं है। आपके एम.डी. साहब, आपके डाइरेक्टर टैक्नीकल तो आठ घंटे की ड्यूटी करते हैं और वह करते हैं 24 घंटे ड्यूटी। रात में जब लाइट जाती है तो वह फील्ड में जाकर उसको चालू करने का काम करता है। हमने यह कहा कि पहले तीन साल तो उनको रखेंगे 2000 हजार पर और तीन साल पूरे होते ही उनको 2400 पे ग्रेड देंगे और 9, 18, 27 से लास्ट उसकी रिटायरमेंट एज पर उसकी 4600 पे ग्रेड होगी। उस पर आपका भार

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

कितना था? कोई पांच-सात करोड़ रुपये का भार था, तीनों डिस्काम का तो उसमें 35 हजार है, 35 हजार में से आपके पास मात्र 10 हजार बाकी है और एक चीज और कहना चाहता हूं कि हमारे कार्यकाल में हमने 3300 टैक्नीकल हैल्पर की परीक्षा करवा दी। आज आठ महीने हो गये, आपने रिजल्ट ही आउट नहीं किया। टैक्नीकल हैल्पर की कमी है, फील्ड में आपके पास काम करने के आदमी नहीं हैं। आज दिन तक उसकी भर्ती भी अभी तक आपने नहीं निकाली।

मेरा आपसे यह अनुरोध है कि इन 3300 टैक्नीकल हैल्पर की भर्ती हो। आपके इतने नए सब स्टेशंस बन रहे हैं। आपके इतने सारे कनेक्शंस हो रहे हैं। गांवों में आपके कंजूमर्स बढ़ गये। दिनों-दिन एग्रीकल्चर कनेक्शंस बढ़ रहे हैं तो इस पर कोई आपका ध्यान ही नहीं है, वह 3300 अगर हो जाए और मैं चाहता हूं कि इसके अनुरूप आप और नई भर्ती निकालें ताकि और भी लोग इस विभाग में काम करें ताकि लोगों को, आम जनता को राहत पहुंचाएं। नहीं तो आज क्या हो रहा है? कमी के कारण हमको मैन्टिनेंस में देना पड़ रहा है, आपरेशन मैन्टिनेंस में देना पड़ रहा है। प्राइवेट ठेकेदार को देते हैं और प्राइवेट ठेकेदार को देते हैं तो वह काम किस तरह से चलाते हैं वह हम खुद जानते हैं।

24 घंटे में तीन आदमी होने चाहिए, वहां एक आदमी होता है। एक आदमी के भरोसे पूरा जी.एस.एस. चलता है। अगर उस गांव में कोई फाल्ट हो जाए और वह आदमी अगर उपस्थित नहीं हो तो वह भले लाइट चलती रहे।

दूसरा मेरा आपसे अनुरोध है, मैं पूर्व सरकार के मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करूंगा, जिन्होंने वास्तव में किसानों के प्रति ध्यान दिया। उन्होंने एक अनुदान में रूप में 10 हजार रुपये माफ किये और मैं समझता हूं कि जो पांच हार्स पावर की मोटर चलाता है, साढ़े सात हार्स पावर की मोटर चलाता है या दस हार्स पावर की मोटर चलाता है, उसको तो 12 महीने बिल भरने की आवश्यकता भी नहीं है। 1666 रुपये दो महीने के माफ होते हैं। हमने कहा कि 1666 रुपये उसके बिल में माफ कर दें और जो शेष बिल है, उसको भरो आप। आपने बीच में एक आदेश निकाल दिया कि एक अकाउंट खोलो। आज जमीन का कनेक्शन तो दादा के नाम से बोल रहा है और पोते आज जीवित हैं और उनके नाम से जमीन बंटी हुई है, अब उसको कैसे पैसे बांटे। मैं यह कह रहा हूं कि अगर आप हकीकत में देना चाहते हो या पेचीदा करके इस चीज को खतम करना चाहते हो, तो वह बात भी बता दो आप।

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

दूसरा, आप कह रहे हो कि हमारी सरकार ने शुरू किया। आपने इसको सितम्बर तक प्रूव किया। आपने इसको सितम्बर तक ही किया है। पहले जून तक किया, फिर सितम्बर तक इसको बढ़ाया। या तो आपकी मंशा सितम्बर के बाद चलाने की नहीं है, 10 हजार रुपये वापस आप किसानों से लेना चाहते हो, इसका भी आप स्पष्टीकरण दें। मुझे जो लग रहा है और जिस तरह से आपके बिजली के जो लोसेज बढ़ रहे हैं, आपको आने वाले टाइम में बैंक भी कोई लोन नहीं देगी। आपको क्रोप सब्सिडी दे नहीं रहे हैं। आज मैं आपको कह रहा हूं मंत्रीजी, आपके नहीं चाहते हुए भी आपको मजबूर होकर टैरिफ बढ़ाना पड़ेगा और मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि अगर आपने यह छीजत नहीं रोकी और इस पर आपने ध्यान नहीं दिया तो 2013 में जो लोसेज साढ़े 15 करोड़ का था, जो हमने 2018 में इसको चार हजार करोड़ तक लाकर दिया, अगर यह लोसेज बढ़ते गये तो मजबूरन आपको बिजली की दरें बढ़ानी पड़ेगी और उद्योग मंत्रीजी आपके पड़ोस में बैठे हैं, आप इनकी इंडस्ट्री नहीं चला सकते। मेरे कार्यकाल में मेरे पास भी कई ऐसे उद्यमी आये, कि बिजली की दरें कम करो आप। राजस्थान से स्टील इंडस्ट्री तो चला गया। वह तो महाराष्ट्र चला गया, मध्य प्रदेश चला गया, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट ने उनको बिजली में तीन रुपये की रिबेट दी। रिबेट दी मतलब डिस्काम को। अभी आपने कहा कि मंत्रीजी कर देंगे। आप गवर्नमेंट से कराओ कि इंडस्ट्रीज पर तीन रुपये की डिबेट हो, तब जाकर यहां पर इंडस्ट्रीज लगेगी। राजस्थान वह प्रदेश है, जहां आज की तारीख में सबसे हाई रेट इंडस्ट्रीज में कहीं है तो राजस्थान पहले तीन-चार नंबर पर आता है यह मेरा आपसे अनुरोध है। आपसे मेरा एक अनुरोध और है कि जो भी हम सामग्री खरीदते हैं...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): मैं वाइंड-अप कर रहा हूं। जो भी हम सामग्री खरीदते हैं, इसकी आपके सैंट्रल टैस्ट लैब है। अभी कुछ दिन पहले अख़बार में आया कि कोटा, झालावाड़, धौलपुर, बारां, वहां का हमारा जो इंजीनियर है, जहां भी आपकी फैक्ट्रीज हो, उसके टेण्डर है, उसकी फैक्टरी पर जाकर उस मशीन को खरीदता है, सील करता है। वहां से सील करके जो उसके सर्किलवाइज काम करते हैं। चाहे ट्रांसफार्मर हो, केबल हो और उसका सैम्पल फिर आता है सेंट्रल टैस्ट लैब पर। आपने एक बार तो उसको पास कर दिया। फिर उसको लगा कि मैं फंस जाऊंगा। उसने फट से कहा कि यह गलत है, यह

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

गलत खोल दिया। जब सील्ड है और जिस व्यक्ति ने जाकर उसको सील किया, उसकी सील तो आपने खोली ही नहीं और उसके खिलाफ आज दिन तक कोई कार्यवाही भी नहीं की। यह केबल है, मतलब आपके 500 ड्रम, और एक ड्रम आपका 25 किलोमीटर का है, जो पूरा फैल्योर है। इसी तरह से आपकी सेंट्रल लैब चलेगी? मैं यह इसलिये कहना चाहता हूं मंत्री महोदय, कि यह जो सेंट्रल लैब में बैठते हैं, इनको एक साल से ज्यादा रहने मत दिया करो। अगर आप इनको एक साल से ज्यादा रहने दोगे तो यह सब लोग मिल जाएंगे और आपकी क्वालिटी खराब हो जाएगी और आपका सही काम नहीं होगा। एक साल तो उसको किसी से सांठ-गांठ करने में लग जाएगा। आप एक साल की पालिसी रखो, तब जाकर अच्छी क्वालिटी का सामान आपको उपलब्ध होगा, अन्यथा आपके सामान की क्वालिटी दिनों-दिन गिर जाएगी।

अभी चित्तौड़ के माननीय सदस्य कह रहे थे कि डिश फूट रही है, मतलब सब कुछ लाइन बर्स्ट हो रही है। आप इसको देख लें कि सामान की क्वालिटी में फर्क आया है, इसलिये आप इस पर ध्यान दें। दूसरा, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सीमाओं का ध्यान रखें।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): माननीय मंत्रीजी का बहुत बड़ा प्रश्न था। माननीय मंत्रीजी कल्ला साहब, जब इलेक्शन लड़े कि सी.एस.सी. को कलकत्ता भेज देंगे। शांती धारीवाल साहब ने भी कहा था, इसको भी कलकत्ता भेजेंगे। आन्दोलन किया था, अब भेज दो कलकत्ता। (व्यवधान) नहीं-नहीं, अब इसको वाइंड-अप कर दो न।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): आप बीस वर्ष तक दे गये कोटा, भरतपुर, बीकानेर।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): नहीं-नहीं, मैं आपको आज भी कह रहा हूं कि आपका एम.डी., जिसके ऊपर इसकी पूरी गवर्नेंस है। आपका पूरा गवर्नेंस है, अभी भी अगर उसका काम सही नहीं है तो आपको वापस भेज सकते हो। आप उसकी शर्तों को पढ़िये। उसको पैसा भी खर्च करना पड़ेगा, उसको आगे सिस्टम डवलप करना पड़ेगा, कनेक्शन देने पड़ेंगे, पूरा मैनेजमेंट उसको करना पड़ेगा तो मैं चाहता हूं कि उनको कब भेज रहे हो आप। मैं तो यह सुन रहा हूं कि आप और नई फ्रेंचाइजी दे रहे हो। जिस चीज का आप विरोध कर रहे थे, उसको आप और गांव और शहर दे रहे हो। हमने तो शहर ही दिये, अभी हमारे

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

सुनने में आ रहा है कि फ्रेंचाइजी में आप गांव दे रहे हो। इस पर भी आप थोड़ा बताएं कि आप और कितने सर्किल देने वाले हो, कितने और नये शहर देने वाले हो, जिससे हमें पता लगे, क्योंकि आप भी हमारा विरोध कर रहे थे।

श्री सभापति: समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): दूसरा मेरा आपसे निवेदन है, उत्पादन पर मैं बोला नहीं।

श्री सभापति: आप समाप्त करें, आपको 25 मिनट हो गये बोलते हुए।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): बहुत ही गम्भीर है उत्पादन। सभापति महोदय, 2014 में हम आये, आपने स्टेट उत्पादन में हमको घाटा दिया 2600 करोड़ रुपये का। हमने बड़ी मेहनत की।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें आप।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): दो मिनट में कर रहा हूं। हमने बहुत मेहनत की और मेहनत करते हुए लास्ट जो आडिट हुई उसमें 965 करोड़ के प्रोफिट पर ले आये। इसमें हमने कोल शापिंग की, कोल हैण्डलिंग किया, हमने इसकी हीट रेट जो थी, जो पी.पी. होता है, जब हीट रेट है, वह 2900 पर चल रही थी, उसको 2500 पर लाये ताकि 100 ग्राम कोयला जले, उससे दो यूनिट पैदा हो। अभी 200 ग्राम कोयला जल रहा है। कोयले की खपत ज्यादा हो रही है। मेन कोस्ट कोयले का है और ट्रांसपोर्टेशन का है। हीट रेट हमने कम की। आज वह हीट रेट आपकी वापस बढ़ रही है, क्योंकि अच्छा कोयला ही नहीं है। आप अच्छे कोयले पर ध्यान नहीं दे रहे हो। वापस आपका वही पुराना जो काम है, वह स्टार्ट हो गया है। इस साल के एण्ड तक आपकी नैक्स्ट आडिट आएगी, आप मुझसे लिखवा लेना, एक हजार करोड़ के लोस में नहीं आ जाओ तो मुझे कहना। आज चार महीने के अंदर कम से कम 400 करोड़ नीचे चल रहे हो। दूसरा, हमारा डिस्काम पैसा नहीं दे पा रहा है। इसके लिये भी आप थोड़ा ध्यान दें। दूसरा, मेरा आपसे एक अनुरोध और है सोलर में।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): लास्ट पाइंट कह रहा हूं। सोलर में, आपके कार्यकाल में ट्रांसमिशन सैक्रेटरी थे, उस समय उन्होंने एक पी.एफ. का फण्ड था कर्मचारियों का, उन्होंने एक ऐसी कम्पनी को दे दिया, जो आज दिन तक वह 100 करोड़ रुपये वापस आ ही नहीं पाये। लोगों ने जो पी.एफ. के पैसे जमा किये थे, वह चले गये। गवर्नमेंट आफ राजस्थान और जो प्राइवेट है

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

ज्वाइंट वेंचर आई.एल.एफ.एस. अडाणी, उसके साथ सोलर पार्क हमने बनाया और वह प्रोफिट मिलता है। आई.एल.एफ.एस. ने डेढ़ सौ करोड़ रुपये, जो ज्वाइंट वेंचर के थे, वह उन्होंने अपनी दूसरी कंपनी में शिफ्ट कर दिये और वह कंपनी बैंकरप्ट हो गयी। अब आप मुझे फर्माइये, वह पैसा कैसे आएगा, इसके लिये जिम्मेदार कौन है? जब आपको खुद को मालूम है, जब 1600 जुड़े हुए लोगों को मालूम है कि आई.एल.एफ.एस. किसी भी पाइंट पर बैंकरप्ट हो सकता है तो उस पैसे को उस टाइम देने की क्या जरूरत थी? इसमें आपके स्टेट का भी पैसा है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें। डा. जितेन्द्र सिंह।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): वह पैसा कैसे आएगा तो इस ओर भी थोड़ा गौर फर्माएं। धन्यवाद।

श्री जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी): आनरेबल सभापति महोदय, पानी के बाद अगर सबसे महत्वपूर्ण विभाग है किसी भी देश या स्टेट के लिये तो वह इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली है, जिस पर आज बड़ी गम्भीर चर्चा हो रही है। माननीय सभापति महोदय, आजाद भारत में इंडिपेंडेंस के बाद 2008 तक total generation of electricity, सभापति महोदय, almost 6000 MW (megawatt) थी और जब माननीय अशोक गहलोत साहब दिसम्बर, 2008 में मुख्य मंत्री बने तो जो विजन था सरकार का, बिजली के प्रति, वह बदला। नई-नई योजनाएं बनीं।

माननीय सभापति महोदय, विश्व में इलैक्ट्रिसिटी का सबसे पहले जनरेशन चाइना में है, नैक्स्ट यू.एस.ए. में है, थर्ड भारत में और बिजली का कितना महत्व है, सभापति महोदय, मैं शोर्ट में आपको बताना चाहूंगा। 1960 में अमेरीका जो विश्व का सबसे डवलप्ड कंट्री है, उनका अपना जो बिजली का सिस्टम था, जो कनाडा से आ रहा था वो टोरनेडो के अन्दर तबाह हो गया और न्यूयार्क में 24 घंटे तक बिजली नहीं आई। आज तक भी वहां के लोग भूले नहीं हैं। हजारों लिफ्टें जहां की तहां रुक गयीं, ट्यूब ट्रेन बेसमेंट में रुक गयी, एयर कंडीशनर फेल हो गये, आज तक भी वो क्षण उनको याद है।

तो किसी भी कंट्री के डवपलमेंट के लिए, स्टेट के डवलपमेंट के लिए इलैक्ट्रिसिटी नैसेसरी है। माननीय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत साहब ने यह विजन रखा। माननीय सभापति महोदय, जैसा कि मैंने आपसे कहा है, आजाद भारत में 1947 के बाद दिसम्बर, 2008 तक total generation of the

(श्री जितेन्द्र सिंह)

electricity was 6000 MW (megawatt) and from year 2008 to 2013 December, total generation, माननीय अशोक गहलोत साहब के वक्त में जो हुआ पूरी टीम का वो 7500 मेगावाट का नया जनरेशन, माननीय सभापति महोदय, हुआ, जो 60 साल में नहीं हुआ वो पांच साल के अन्दर हुआ।

सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा बिजली के तीन पार्ट हैं। first is generation (उत्पादन), जैसा कि माननीय मंत्री महोदय बता रहे थे। उत्पादन में तीन तरह का उत्पादन है, थर्मल कोयले से, दैन सोलर सूर्य की किरणों से, then wind and biomass. माननीय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत ने उस वक्त थर्मल में पूरे भारत में जो सुपर क्रिटिकल लेटेस्ट टैक्नोलोजी थी, जिसका हाल ही में छबड़ा में 660 मेगावाट्स के दो यूनिट का शुभारंभ हुआ, सूरतगढ़ में हुआ और इस तरह से जो नये-नये प्रोजेक्ट्स आये, उसकी शुरूआत हुई। सभापति महोदय, थर्मल के बाद the next important thing is solar. सोलर में अकेले जैसलमेर में नवादा जो हमारे कैलीफोर्निया के बाद सबसे ज्यादा, concentration of the sunrays and radiations, वो 5.72 है जो विश्व में दूसरे नम्बर पर है।

सभापति महोदय, एक वक्त आएगा जब दुनिया में पैट्रोल खतम हो जाएगा, कोल खतम हो जाएगा, गैस खतम हो जाएगी लेकिन यह सन रेज कभी खतम नहीं होंगी। अकेला जैसलमेर जिला पूरे भारत को बिजली देने में सक्षम है, यह मैं आपको बताना चाहूंगा। केरल के बाद, आलमोस्ट केरल के बाद, उनके पास अपनी भूमि है और concentration of sunrays and radiations is the highest in Jaisalmer.

सभापति महोदय, थर्ड जनरेशन है विंड। विंड में और सोलर में राजस्थान पूरे कंट्री में तीसरे नम्बर पर है। जो हमारा मदुरै से लेकर केरला के लास्ट तक जाता है, उसमें आज हमारा विंड का जनरेशन, सभापति महोदय, विंड और सोलर का टोटल जनरेशन मिलाकर आज 6500 मेगावाट है। इस समय आवश्यकता इस बात की है कि किस तरह से इस तंत्र को मजबूत किया जाए।

जनरेशन के बाद जो महत्वपूर्ण इश्यू है that is transmission. बिजली को लेकर कैसे जाएं। सभापति महोदय, बिजली को ले जाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है हमारे बड़े जी.एस.एस. की। माननीय, गत सरकार में 756 किलोवाट के दो हमारे सब स्टेशंस बने जो उस वक्त भारत में कहीं नहीं

(श्री जितेन्द्र सिंह)

थे, एक अंता में और एक फागी। 400 मेगावाट के, किलोवाट के स्टेशंस बने, 132 के बने, 220 के बने और 33 केवी, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है सभापति महोदय,, जो लास्ट टेल एण्ड है, मैं समझता हूं जो आज तकरीबन 6000 हैं उनमें आधे 33 केवी जी.एस.एस. सब स्टेशंस उस वक्त बने। सौभाग्य से मुझे मौका मिला था ऊर्जा मंत्री बनने का, उस वक्त मैं समझता हूं कि हमारे बहुत सारे साथी बैठे हैं उनके विधायक, ईक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए थे। क्योंकि transmission is not a local thing, पूरे भारत का सिस्टम एक, इस तरह की शुरूआत हुई।

सभापति महोदय, जहां तक भर्ती की बात आ रही है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 25 हजार भर्तियां उस समय हमारे समय में हुईं। इसमें 20 हजार तो सिर्फ टैक्नीकल हैल्पर थे, इंजीनियर्स थे, जे.ईएन. थे मोर दैन टू थाउजेंड। 25 हजार भर्तियां, माननीय मंत्री महोदय अभी बता रहे थे कि 2000 भर्तियां, 1500 टैक्नीकल हैल्पर्स की हुई थीं, आपके समय 25 हजार भर्तियां होनी थीं और हुई वहीं भर्तियां, माननीय सभापति महोदय। मुझे इस बात का दु:ख है कि जो 33 केवी के जी.एस.एस. 6500 बनाये गये गत सरकार उन्हें उसको उठाकर ठेके पर दे दिया। दुर्घटनाएं हो रही हैं और टैक्नीकल हैल्पर बैठे-बैठे किताबें भर रहे हैं, सिस्टम सारा कोलैप्स।

बिजली की दरें 90 पैसे, सभापति महोदय, 90 पैसे में बिजली नहीं आती। बिजली 3 rupees and 10 np. में एक यूनिट बनता है थर्मल एण्ड सबका ओवरआल मिलाकर। उस समय शुरूआत हुई, 90 पैसे किसानों की रेट रखी। आज टोटल कन्ज़्यूमर 1 करोड़ 45 लाख है पूरे राजस्थान में जिसमें 13 लाख हमारे एग्रीकल्चर के कनेक्शंस हैं। 90 पैसे रेट रखी, किसान से 90 पैसे लिये और जो उसका डिफरेंस था, 5000 crore in an year. जो अब बढ़कर साढ़े बारह हजार करोड़ हो गया है, वह मुख्य मंत्री जी अपने कोष से इन कम्पनियों को देंगे किसान के हित के लिए, यह किसानों के हित की सरकार है।

एग्रीकल्चर कनेक्शन, सभापति महोदय, तीन लाख एग्रीकल्चर कनेक्शन उस वक्त दिये गये, 25 लाख डोमेस्टिक कनेक्शन दिये गये, 8 लाख बी.पी.एल. को कनेक्शन दिये गये।

यह इश्यू आता है, सभापति महोदय, टी एण्ड डी लोस का, छीजत का, 42 परसेंट छीजत थी 2008 में। जब सारा सिस्टम बना तब वह छीजत 42 से हटकर 25 पर आ गई।

(श्री जितेन्द्र सिंह)

सभापति महोदय, व्यवस्थाओं में समय लगता है लेकिन जो इतिहास ऊर्जा के क्षेत्र में माननीय मुख्य मंत्री जी के वक्त में रखा गया, मैं समझता हूं भारत में अपने आपमें एक अद्भुत चीज थी जिसकी आवश्यकता है हमारे डोमेस्टिक के अन्दर।

इंडस्ट्री में जैसा कि माननीय उद्योग मंत्री जी कह रहे थे, राजस्थान में टैरिफ तीसरे नम्बर पर है। आवश्यकता है कि बिजली सस्ती हो और जो बात चलती है बिजली की कम्पनियों के भार की, माननीय सभापति महोदय, electricity is the lifeline of the modern country, modern world. मैं तो मेरी तरफ से यह कहना चाहूंगा सोच अपना अलग-अलग हो कि जो महत्व आर्मी का हो, जो एयर फोर्स का है, सरकार देश की सुरक्षा के लिए सब कुछ करती है। उसी तरह बिजली को भी भारत सरकार को एक अहम मुद्दे में लेना चाहिए और जो आज करोड़ों के बिजली कम्पनियों पर, सभापति महोदय, ऋण चढ़ रहे हैं यह इन सब सिस्टम से नहीं होंगें। भारत सरकार को सोचना पड़ेगा कि अति महत्व कंट्री के डवलपमेंट के लिए, electricity is a very important thing. भारत सरकार को सोचना पड़ेगा कि बिजली को भी, जैसे डिफेन्स है, उस तरह से कंट्री के डवलपमेंट की सोच करते हुए, यह जो भार चढ़ रहे हैं बिजली कंपनियों पर, उनको रिलेक्स करना पड़ेगा। यह किसानों की जेब से 1 लाख करोड़ नहीं निकलेंगे। इसके लिए भारत सरकार को सोचना पड़ेगा कि जो उन्होंने एक नजरिया रखा है, वह इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी रखें।

सभापति महोदय, बहुत लंबी बात नहीं कहनी। मैं तो एक ही बात बताना चाहूंगा कि बीच-बीच में बातें आती रहती हैं, कि यह कोटा थर्मल बिक रहा है, सुपर क्रिटिकल बिक रहे हैं। यह हमारी धरोहर हैं। अगर इन धरोहरों की खरीद-फरोख्त होती रही तो स्टेट और देश का क्या होगा, यह मैं नहीं कह सकता। यह निधि हैं। यह खजाना है। जो सुपर क्रिटिकल बन रहे हैं, 9 हजार करोड़ के 2 सुपर क्रिटिकल छबड़ा के बने हैं। अगर आप इनको बेचने की बात करेंगे या प्राइवेट सैक्टर में जीएसएस को देने की बात करेंगे तो अन्याय होगा। हमारे बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा।

सभापति महोदय, मुझे खुशी है कि आपने मुझे वक्त दिया। मैं शोर्ट में जो भी बता सका, मैंने बताने की कोशिश की। मैं समझता हूं कि दुबारा से वज़ारत आई, सरकार आई और जो इंफ्रास्ट्रक्चर आफ दी इलेक्ट्रिसिटी था, वह मुख्य मंत्री जी का स्वयं का बनाया हुआ है।

(श्री जितेन्द्र सिंह)

सभापति महोदय, मैंने मैट्रिक की परीक्षा लालटेन की रोशनी में खेतड़ी में दी थी। मैं मेडिकल कालेज में था फाइनल ईयर में, बिजली चली गई मेडिकल कालेज की, मारे-मारे फिर रहे थे। हमारे विधायक महोदय नीमकाथाना के थे, उनके जाकर के रात को पढ़े, सुबह परीक्षा दी, यह सिस्टम था।

आज इलेक्ट्रिसिटी गांवों में 18 से 20 घंटे मिल रही है। एग्रीकल्चर के लिए किसानों को भी सोचना पड़ेगा कि हम डिमांड तो कर रहे हैं ज्यादा, बिजली दो, 6, 8 घंटे दे दो, जमीन में पानी बहुत नीचे चला गया है। इस सिस्टम को दुबारा से करना पड़ेगा। हमारी जो डिस्टेंस ढाणियां हैं, जैसे जैसलमेर और बाड़मेर में दूर-दूर तक, उनको किस तरह से सोलर से जोड़ा जाए, यह सारी व्यवस्था करनी है।

सभापति महोदय, बिजली और पानी को बचाना अब एक राष्ट्रीय मुद्दा है। इसको जितना बचाएंगे, पानी के बारे में कल बहुत अच्छी चर्चा, जिस तरह से पानी की एक-एक बूंद जरूरी है, माडर्न टैक्नोलाजी के लिए इलेक्ट्रिसिटी बहुत जरूरी है। आज सब कुछ, आपरेशंस, लैप्रोस्कोपी, सी.टी. स्कैन, एम.आर.आई., सब कुछ, एवरी थिंग इज डिपेंड, हमारे कम्प्यूटर, एवरी थिंग, एवरी सिस्टम इज अटैच्ड विद इलेक्ट्रिसिटी।

सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से हाउस को यही निवेदन है कि इलेक्ट्रिसिटी को बचाएं। आगे आने वाले जनरेशंस के लिए हम बचाकर रखें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सभापति महोदय, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बिजली की चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। मुझसे पहले राजस्थान के 2 पूर्ववर्ती ऊर्जा मंत्रियों ने अपने सुझावों से इस सदन को प्रकाशमान किया है। मैं आपके माध्यम से राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी और उनकी कैबिनेट को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने यह निर्णय किया कि वे थर्मल प्लांट को बेचने का काम नहीं करेंगे, या पीपीपी मोड पर देने का काम नहीं करेंगे। इस तरीके से पूरे राजस्थान की जनता के मन में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा बनाए गए वातावरण की पृष्ठभूमि में यह आशंका बनी थी कि ये प्लांट पीपीपी मोड पर दिए जाएंगे। लेकिन इस सरकार ने अपने निर्वाचन के साथ ही यह जो निर्णय किया है, उसके लिए मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूं।

(श्री संयम लोढ़ा)

सभापति महोदय, आरईआरसी का जिक्र हुआ। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वह कौनसे कारण थे कि ठीक चुनाव से पहले आरईआरसी में एक सदस्य का इस्तीफा हुआ? वह कौनसे कारण थे कि उस सदस्य का इस्तीफा होने के बाद उसे सूचना आयोग में नियुक्ति प्रदान की गई? क्या पूर्ववर्ती सरकार को और आपकी सरकार को आरईआरसी एक्ट के प्रोविजन पता नहीं हैं कि जिसने इस संस्था में अपनी सेवाएं दे दीं, 2 साल तक किसी भी दूसरी संस्थान में उसका मनोनयन नहीं किया जा सकता?

सभापति महोदय, बहुत दिलचस्प है, बहुत सालों तक हम मानते रहे कि हां, फलां अधिकारी तो हमारा है। फिर यह सरकार में आ गए तो पूरे राजस्थान में कांग्रेस के लोग चकित हो गए कि यह अधिकारी तो हमारा था। यह उनका कब से हो गया? अब पता चला है राजस्थान को कि यह न तो आपके हैं और न इनके हैं, यह तो अडाणी जी के हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि आपका अडाणी के साथ भुगतान को लेकर डिसप्यूट था। आप बहुत बड़े वकील को लेकर के आए। आपने राजस्थान हाई कोर्ट में मुकदमा जीता। माननीय मंत्री जी, राजस्थान की जनता को बताइए कि वह कौनसे कारण हैं कि अपील के अंदर आपकी पैरवी के लिए वह वकील आपके लिए मौजूद नहीं था? वह कौनसे कारण हैं कि बोर्ड आफ डायरेक्टर्स को बताया नहीं गया और एक दिन पहले ही यह सूचना दी गई कि अगले दिन इस मामले की सुनवाई है? वह कौनसे कारण हैं कि आपने एक ऐसे वकील का चयन किया जिसने सीधे-सीधे आपके प्रतिपक्षी की मदद की। आप वह मुकदमा हार गए और राजस्थान की जनता को करोड़ों रुपयों का चूना लगा।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि 2007 में छत्तीसगढ़ की जो कोल माइंस आबंटित हुई थी, उसमें टेंडर में अड़ाणी साहब आ गए थे। तब से वह काम कर रहे थे। लेकिन जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2014 में निर्णय दे दिया, 218 में से 214 कोल ब्लाक्स रद्द कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप व्यावसायिक उपयोग के लिए उत्खनन नहीं कर सकते। आप जोइंट वेंचर में नहीं जा सकते। फिर वह कौनसे कारण थे कि अलाटमेंट की शर्त की संख्या 5 का उल्लंघन करते हुए आप अड़ाणी के साथ जोइंट वेंचर में गए? यह आपका निर्णय नहीं है।

अभी जो माननीय मंत्री जी पूरे राजस्थान पर रोशनी दे रहे थे, उनकी

(श्री संयम लोढ़ा)

सरकार का निर्णय है यह 2015 का। 45 करोड़ टन कोयला उन कोल ब्लाक्स में है। जोइंट वेंचर में गए तो गए, इन्होंने अपना 74 परसेंट हिस्सा अडाणी को दे दिया। राजस्थान की सरकार की जो सहायक कंपनी है, उसका हिस्सा मात्र 26 परसेंट है। एम.डी. भी उनका, कोल ब्लाक्स आबंटित आपको, जोइंट वेंचर में वह कंपनी आ गई। सारे निर्णय उनका एम.डी. कर रहा है। जो कोल वाशरीज हैं, जिस पर राजस्थान की जनता का हक है, उसका भी वह उपयोग कर रहा है। आप ही की कोल वाशरीज के जरिए वह राजस्थान में ही 1 हजार मेगावाट का नया संयंत्र लाने की प्लानिंग कर रहा है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि यह कोई साधारण बात नहीं है। आपको इस ओर ध्यान देना पड़ेगा। आप ही की पार्टी के माननीय मंत्री जी, प्रवक्ता हैं श्री सुरजेवाला, उन्होंने एक प्रेस कांफ्रेंस की थी दिल्ली में। क्या आरोप लगाए थे? कांग्रेस सरकार ने 5 साल में 6526 करोड़ रुपये की बिजली खरीदी। भारतीय जनता पार्टी ने 41966 करोड़ की बिजली खरीदी। करोड़ों रुपयों के भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने लगाए।

सभापति महोदय, सज्जन जिंदल की राज वेस्ट से 11 हजार करोड़ रुपये की बिजली खरीदी गई। अड़ाणी पावर से 11934 करोड़ रुपये की बिजली खरीदी गई। जो दर है, उससे 100 परसेंट अधिक पर बिजली खरीदी गई। राज वेस्ट से 2 रुपये 8 पैसे यूनिट के भाव का 25 साल का कांट्रेक्ट है।

इन्होंने बिजली क्या भाव खरीदी? 4 रुपये 6 पैसे की दर से। अडाणी के साथ 3 रुपये 24 पैसे प्रति यूनिट पर बिजली खरीदने का करार है, इन्होंने बिजली क्या भाव से खरीदी? 3 रुपये 66 पैसे के भाव से। दोनों कम्पनियों से अनुबंध राशि और भुगतान की हुई राशि का फर्क 6743 करोड़ रुपये। यह आरोप माननीय सभापति महोदय, मैं नहीं लगा रहा हूं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, राहुल गांधीजी के द्वारा नियुक्त और आपकी सहमति से प्रेस कांफ्रेंस करने वाले श्री रणदीप सिंहजी सुरजेवाला ने लगाए। क्या हुआ? आप भूल गए सब? 6 महीने में आपको याद ही नहीं आया कि चुनाव से पहले आप ही की पार्टी के मुख्य प्रवक्ता ने क्या आरोप लगाए, राजस्थान की जनता के गाढ़े पसीने की कमाई को इन पूंजीपतियों पर किस तरीके से लुटाया था, आपको इस बात का भी इल्म नहीं हुआ और इस बात की जिम्मेदारी आपने नहीं समझी कि जिस घोटाले को हमने पूरे राष्ट्र के सामने रखा है उस घोटाले में राज में आने के बाद हम क्या कार्यवाही करें?

(श्री संयम लोढ़ा)

माननीय सभापति महोदय, मुझे बड़ा अफसोस है, सत्ता में आने के बाद हमारे तरीके अलग होते हैं, सत्ता से पहले हमारे तरीके होते हैं। कल इन्होंने बिजली के अंदर पैसों के अंदर गड़बड़ झाला किया, आज आप उसको क्यों ढंकना चाहते हैं? मैं चाहूंगा जब आप इस सदन में जवाब दें तो राजस्थान की जनता को बताएं कि कांग्रेस पार्टी ने 2018 के अंदर बिजली खरीद में जिस घोटाले का आरोप लगाया था, आपकी सरकार उस पर क्या कार्यवाही करने जा रही है? आप इस बात का भी राजस्थान की जनता को जवाब दें कि करोड़ों रुपये का नुकसान अपील में आए नतीजे से अडाणी के माध्यम से हुआ है, उसके जिम्मेदार कौन हैं, कौन अधिकारी है जिसने मिलीभगत करके राजस्थान की जनता को करोड़ों रुपयों का नुकसान पहुंचाया है।

माननीय सभापति महोदय, एक इशारा अभी पूर्व ऊर्जा मंत्रीजी ने किया था, कर्मचारियों के भविष्य निधि के 93 करोड़ रुपये जिस चिट फण्ड कम्पनी में जमा करवाए थे, आपकी बिजली कम्पनी उसमें जमा करवाने के लिए एन्टाइटल नहीं है। आप बैंक में जमा करवा सकते हैं, किसी और कम्पनी में करवा सकते हैं लेकिन इस तरीके की कम्पनी में जमा करवाने का कोई अधिकार नहीं था। क्या हुआ उसका? क्या कार्यवाही करेंगे? उन लोगों का पैसा वापस कैसे लाया जाएगा, मैं चाहूंगा कि मंत्रीजी, जब आप इसका अपना उत्तर दें तो इसमें जवाब दें।

माननीय सभापति महोदय, आपकी सरकार ने निर्णय किया कि पिछले 6 महीने के अंदर जो भी निर्णय किए गए हम उनकी समीक्षा करेंगे। बीजेपी की सरकार ने आखिरी 6 महीने के अंदर जो स्मार्ट मीटर खरीदे थे, वह आपकी समीक्षा में दायरे में है? अलग-अलग बाहर से खरीदे, एक ही तरह के मीटर अलग-अलग रेट से खरीदे और करोड़ों रुपये का करार स्मार्ट मीटर की खरीद के लिए किया गया।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों की सब्सिडी के नाम पर जो घोटाला हो रहा है, राजस्थान की सरकार, बिजली कम्पनियां उसका थर्ड पार्टी इंस्पैक्शन करवाए। आप अपने अधिकारियों के भरोसे मत रहिए, आप एक स्वतंत्र संस्था के माध्यम से उनका इंस्पैक्शन करवाएं जिससे लोसेज के नाम पर किसानों की आड़ में अपने वसूली के धंधे को डिपार्टमेंट के अधिकारी जो चलाते हैं उस पर रोक लगाई जा सके।

माननीय सभापति महोदय, अभी माननीय मंत्रीजी ने जिक्र किया उदय योजना का। उदय योजना पूर्व मंत्रीजी ने, वह कर्जे से आप मुक्त हो गए,

(श्री संयम लोढ़ा)

एक लिमिटेड सीमा तक आप मुक्त हो गए पर उसके बाद भी क्या है? आज भी आपको फिर ब्याज के भुगतान के लिए, किश्त के भुगतान के लिए फिर कर्जे का सहारा आपको लेना पड़ता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि आपने चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया था कि आप किसानों को दिन में बिजली देंगे, आपकी सरकार को आए हुए 6 महीने हो गए, क्या तैयारी है? किसानों को दिन में बिजली देने की, रबी की फसल के अंदर आप जब जवाब दें तो बताएं कि आप राजस्थान के किसानों को दिन में बिजली देंगे? अगर नहीं देंगे तब भी रबी की फसल में राजस्थान के किसानों को बिजली उपलब्ध करवाने के लिए आपकी क्या तैयारी है, इसकी जानकारी देने की आप कृपा करें।

माननीय सभापति महोदय, किसानों को बिजली कनेक्शन देने के बारे में मैं पूछ सकता हूं कि खाली जोधपुर डिस्काम में आपके 21532 कनेक्शन देने बाकी हैं, सिर्फ जोधपुर बिजली कम्पनी में। हर जिले के अंदर अलग-अलग फर्क क्यों है? फार्च्यूनेटली जोधपुर डिस्काम में हमारा सिरोही जिला नम्बर वन है। यहां लगभग 400 कनेक्शन ही बाकी हैं लेकिन आपके बाड़मेर जैसा जिला भी है, जहां आपके हजारों की संख्या में कनेक्शन बाकी पड़े हुए हैं तो इस फर्क का कारण क्या मानिटरिंग का अभाव है? क्या अधिकारियों की उपेक्षा है? क्या अधिकारियों की लापरवाही है? मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा कि 30 जून तक का आपका लक्ष्य निर्धारित किया हुआ था कि इन सारे कनेक्शनों को आप किसानों को दे देंगे। किसानों को लाभान्वित करेंगे, उनको जोड़ेंगे लेकिन ऐसा नहीं हो पाया।

माननीय सभापति महोदय, अभी पूर्व ऊर्जा मंत्रीजी जिक्र कर रहे थे कि दिन में 30-30, 40-40 बार ट्रिपिंग होती है, क्या उनके वक्त में नहीं होती थी? आज उसका कोई ऐसा वीडियो तो है नहीं कि आपको 24 घंटे का डाटा लाकर उपलब्ध करवाएं। क्या आपने सोचा कि आपके वक्त में वह ट्रिपिंग क्यों हो रही थी? उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि वैक्यूम सर्किट ब्रेकर नहीं है। अगर आप उसकी व्यवस्था करते हैं, तो जो ट्रिपिंग की प्रोब्लम आती है वह ट्रिपिंग नहीं होगी।

अब आपने सिर्फ जिला मुख्यालय पर फाल्ट रेक्टिफिकेशन टीम लगाई

(श्री संयम लोढा)

है। क्या आप उससे आगे बढ़कर हर नगरपालिका क्षेत्र में, हर तहसील मुख्यालय पर फाल्ट रेक्टिफिकेशन टीम का अरेंजमेंट नहीं कर सकते?

माननीय सभापति महोदय, अभी पूर्व ऊर्जा मंत्रीजी जानकारी दे रहे थे कि राजस्थान को उन्होंने कैसे निहाल किया। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा और उनका विधान सभा क्षेत्र बिलकुल बगल में है, उनके विधान सभा क्षेत्र की सीमा से एक पैर सीमा से आगे रखें तो मेरे ही विधान सभा क्षेत्र में आता है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, बोकी बादली जो इनके विधान सभा क्षेत्र से मात्र 10 किलोमीटर पर है, 28 फाइलें जमा करवाई थीं बिजली के कनेक्शन की आदिवासियों ने और उसी ग्राम का आदिवासियों का एक लड़का लालटेन पढ़कर, मुम्बई आईआईटी में पढ़ रहा है, पांच साल इनके निकल गए, ज्ञापन पर ज्ञापन इनको दिए गए, आज भी बिजली से वंचित है। वह कहते हैं कि अगर हम आन ग्रिड बिजली नहीं पहुंचा सके तो हमने सौर ऊर्जा के माध्यम से पहुंचा दी। न तो वह ऑन ग्रिड जुड़ा और न वह आज तक आफ ग्रिड जुड़ा है। जितनी घोषणाएं करके गए, ऊड में घोषणा करके गए थे कि यहां 33 केवी जीएसएस बनाएंगे, अरठवाड़ा में घोषणा करके गए थे कि 33 केवी जीएसएस बनाएंगे, आज तक जीएसएस बनना तो दूर रहा माननीय सभापति महोदय, उनका उस जगह पर भूमि का अलोटमेंट भी नहीं हुआ।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि थोड़ी तो कृपा करते, चलो हम तो निर्वाचित नहीं थे, आप ही के इलाके के आदमी निर्वाचित थे, मेरे विधान सभा क्षेत्र में आज 112 हैल्पर की पोस्ट खाली हैं, 112, कोई काम करने वाला नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं मानता हूं कि आपकी पार्टी की सरकार ने इसी मानसिकता से काम किया होगा कि जितने पद खाली रहे होंगे, उतना ठीक रहेगा और इसलिए आज हम यह भुगत रहे हैं और यह जो 40-40 बार ट्रिपिंग का मंत्रीजी स्टेटमेंट दे रहे हैं, उसका भी कारण यही है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): भरेंगे, भरेंगे। यह तो काम करने वाली सरकार है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया शांत रहें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): घर भरने का इतिहास तो मैंने आपका अभी बता दिया कि आपने अडाणी के साथ मिलकर किस प्रकार का खेल किया है, राजस्थान का पूरा ऊर्जा विभाग उस अडाणी के इशारे पर चल रहा है। आप तो छोड़िए, आपकी सरकार 100 करोड़ रुपया फर्जी कम्पनी में जमा करके गई, आपके अधिकारी उसके पैसे से गोवा तक घूम आए। अजमेर में आप ही की सरकार के समय आपकी एक लेखाधिकारी ने सवा दो करोड़ रुपये अपने रिश्तेदारों के खातों में जमा कर दिये, लेकिन आप पर कोई असर नहीं हुआ। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए। (व्यवधान) जो बिना इजाजत बोल रहे हैं, किसी का अंकित नहीं होगा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, पूर्व ऊर्जा मंत्री जी अभी बड़े-बड़े दावे कर रहे थे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, चार एक्सईएन की पोस्ट हैं, कितने लगाये थे आपने? एक। आप बात करते हैं दीनदयाल योजना की, आप बात करते हैं सौभाग्य योजना की। जब अपने पड़ौस के जिले में आप ध्यान नहीं रख पाए तो बाकी राजस्थान का तो आपने क्या ध्यान रखा होगा। (व्यवधान)

श्री सभापति: समाप्त करें माननीय सदस्य। (व्यवधान) विराजिए, विराजिए। यह कोई डिबेट है क्या, वे अपनी बात कर रहे हैं, आप अपनी बात करिएगा जब आपको बोलने का मौका मिलेगा। विराजिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले समय में राजस्थान में आपके उपभोक्ता को कठिनाई नहीं हो, लोगों को पूरी बिजली मिले, बिना बाधा के मिले, इसके लिये आपको काफी प्रयास करने होंगे। एक-एक जिले में जाकर मानिटरिंग करनी होगी, अधिकारियों की बैठकें लेनी होंगी, लोगों को सुनना होगा और उनकी कठिनाइयों का निस्तारण करना होगा, वर्ना जिस तरीके से पूरे राजस्थान की बर्बाद ऊर्जा व्यवस्था आपको सौंपी है, वह हमें फिर झेलनी पड़ेगी। इसके लिये मैं विनती करना चाहता हूं। राजस्थान की जनता पर पूर्ववर्ती सरकार जो कर्जा छोड़कर गयी है, उसके तो आंकड़े गवाह हैं। राजस्थान की जनता को भारी कर्जे के नीचे आपने लाद दिया है।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): बीस मिनट हो गये हैं इन्हें।

श्री सभापति: मुझे पता है कितना समय हो गया। समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मेरी माननीय

(श्री संयम लोढ़ा)

मंत्री जी से यह विनती है कि ये बिजली व्यवस्था में सुधार करें। जहां-जहां भी खाली पद हैं, उन्हें भरें। जो आपने ठेका पद्धति चलायी है, जो जीएसएस ठेके पर दी है, वह बंद करिए आप। माननीय सभापति महोदय, तीन-तीन, चार-चार हजार रुपये में आदमी रखे हुए हैं, बिना पैसा लिये कोई खंभे पर चढ़ता नहीं है और सभी का कोपभाजन हमें होना पड़ता है।

कोई सुनने वाला नहीं है और मैं आप सब अधिकारियों से भी कहना चाहता हूं, आप राजनीतिक कार्यकर्ताओं की मत सुनिये। आप पालिसी लेकर आइये अपनी कंपनी में ट्रांसफर की। एक जिले में जो अधिकारी पांच साल रह गया, उसे आप जिले से बाहर करिए। आपकी संस्था का भ्रष्टाचार है। जेईएन, एईएन, उन्हें मालूम है कहां से पैसा वसूल करना है। मेरा आपसे यही निवेदन है, अच्छा शासन दीजिए, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती किरण माहेश्वरी।

एक माननीय सदस्य: बीस मिनट दीजिएगा, साहब।

श्री सभापति: मुझे पता है क्या करना है मुझे। आपके नेतृत्व की आवश्यकता नहीं है मुझे।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): न्याय करिए, सभापति महोदय, न्याय करिए।

श्री सभापति: प्लीज, प्लीज, शांत रहें। श्रीमती किरण माहेश्वरी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सभापति जी, आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, दस मिनट का समय है आपके बोलने के लिये, उसमें आप समाप्त करिए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): आप कहें कि नहीं बोलना है तो अभी बैठ जाएंगे।

श्री सभापति: समय की सीमा है। मेहरबानी करके आप दस मिनट में समाप्त करें। दस मिनट दूंगा मैं, उसके बाद मुझे दूसरे को बुलाना पड़ेगा।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सभापति महोदय, मैं अपनी बात शुरू करूं...

श्री सभापति: आपको पता है, इतने लोगों को बोलना है। आपके पूर्व ऊर्जा मंत्री जी ने काफी कुछ अपनी बात कह दी, बात को सीमा में तो बांधना पड़ेगा न। माननीय किरण माहेश्वरी, आप दस मिनट बोलेंगी।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): यह क्या बात हुई कि एक सदस्य बीस मिनट बोले और एक दस मिनट बोले, हम नये लोग हैं, थोड़ी व्यवस्था तो बता दें सभापति महोदय। केवल व्यवस्था की जानकारी चाह रहे हैं। हम नये लोग हैं, हमें समझ में तो आये कि कोई बीस मिनट भी बोल रहा है और आपने कुछ नहीं कहा और एक को आप कह रहे हैं दस मिनट में बैठ जाएं। केवल जानकारी दे दें सभापति महोदय।

श्री सभापति: अपने सचेतक महोदय से आप कहिएगा कि वे आपका नंबर पहला लगाएं। कल पहले आप ही बोलिएगा, मैं आपको बीस मिनट ही दूंगा। समझ गये आप, बैठिए। माननीय किरण माहेश्वरी जी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): सभापति जी, बिजली पर आज जो चर्चा रखी है और कल ही पानी पर चर्चा थी। अच्छी बात यह है कि पानी और बिजली दोनों के मंत्री एक ही हैं। सबसे पहले तो मैं सदन के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूंगी माननीय प्रधान मंत्री जी को। उन्होंने जो योजना शुरू की बिजली के लिये, गांव का गरीब कभी नहीं सोच सकता था कि उसके घर में भी कभी उजाला होगा।

देश के प्रधान मंत्री जी ने पंडित दीनदयाल विद्युतीकरण योजना, सौभाग्य योजना और अब कुसुम योजना, ऐसी योजनाएं जिनके माध्यम से घर-घर में बिजली पहुंची है, फ्री आफ कोस्ट पहुंची है, जहां एक पैसा गरीब का नहीं लगा और पंडित दीनदयाल विद्युतीकरण योजना के माध्यम से चाहे कितने भी पोल लगाने हों, कितना भी लंबा तार खींचना हो, लेकिन उसके घर तक बिजली पहुंचाने का अगर काम किसी ने किया तो हमारे देश के माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया और इसीलिए मैं उन्हें बहुत धन्यवाद दूंगी कि इतनी सुंदर योजना उन्होंने शुरू की। (व्यवधान) माननीय सभापति जी, इन लोगों को किसी को भी परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश के प्रधान मंत्री का नाम लिया है। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं, माननीय सदस्या इतना अच्छा बोल रही हैं, मेहरबानी करके शांत रहें, थोड़ा संयम रखें अपने आप पर। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपकी ओपन डिबेट करा दूं तो आप अपने आप ही बोल लें सारे।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): सभापति जी, आप तो हम बोल रहे हैं, वह सुनिए।

श्री सभापति: आप अच्छा बोल रही हैं, वे आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): वे डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं।

श्री सभापति: आप इन्हें बाहर समझाकर लाया करें कि आपको ये डिस्टर्ब न करें। यह राठौड़ साहब की चाल है आपको डिस्टर्ब करने की, मैं सही कह रहा हूं। आप उन्हें चुप रखें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): वह किसी की भी चाल हो सकती है, लेकिन सभापति आप हैं न, इसलिए आपसे मैंने संरक्षण मांगा है।

श्री सभापति: मैं पूरा समय आपको देना चाहता हूं, यह राठौड़ साहब की चाल है आपको डिस्टर्ब करने की।

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय सभापति महोदय, आसन पर बैठकर इस तरह से चार्ज नहीं लगाएं।

श्री सभापति: राठौड़ साहब, माननीय सदस्या अच्छा बोल रही हैं। आप यह चूरू का षड्यंत्र यहां क्यों फैला रहे हैं।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): आपके संरक्षण में ही तो बोल रहे हैं।

श्री सभापति: नहीं, मैं आपको सहयोग दूंगा। पूरी सुरक्षा आपको है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): हम फिर से एक बार यह कहना चाहेंगे कि सौभाग्य योजना, जिस योजना के माध्यम से मात्र 500 रुपये में कनेक्शन गरीब को मिल रहा है। हमारी पंडित दीनदयाल विद्युतीकरण योजना, जिससे लाइनें खिंच रही हैं, इन योजनाओं को जब केन्द्र सरकार लेकर आती है तो राज्य सरकार को जिस प्रकार उसमें को-आपरेट करना चाहिए, उस को-आपरेशन का बहुत बड़ा अभाव है। इसी का नतीजा है कि जहां पर जयपुर डिस्काम में आवेदन आते हैं 6 लाख 21 हजार 209, जोधपुर में आते हैं 7 लाख 16 हजार 654, अजमेर में आते हैं 3 लाख 51 हजार 548, ये आवेदन आने के बाद ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर जब पूछा जाता है कि कितने कनेक्शंस हो गये तो जवाब आता है कि हमारे मात्र 8460 ही कनेक्शन रह गये हैं, बाकी सबके कनेक्शन हो गये हैं। लेकिन जब केन्द्र से यहां टीम आती है और वह टीम इसका पूरा सर्वेक्षण करती है तो पता चलता है कि साढ़े तीन लाख कनेक्शंस ऐसे हैं, जो नहीं हुए हैं, पर गलत रिपोर्टिंग करके मात्र 8460 कनेक्शंस ही बाकी हैं बताया, यह कितनी बड़ी विडंबना है कि गलत रिपोर्टिंग यानी खुद भी गुमराह हो रहे हैं और ऊपर से केन्द्र को भी गुमराह कर रहे हैं।

इस प्रकार से गलत रिपोर्ट करना, जब तक को-आपरेशन नहीं होगा

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)
आप लोगों का, केन्द्र अच्छी योजना चला रही है, आयुष्मान भारत योजना सबके स्वास्थ्य के लिये चलायी गयी, लेकिन उसमें भी जो रजिस्टर हो रहे हैं, लोग आ रहे हैं, लेकिन उनके जो फार्म्स हैं, रजिस्ट्रेशंस हैं, उन्हें केन्द्र में कम से कम भेजा जा रहा है। इस प्रकार से जो केन्द्र की योजना है, उनका लाभ जनता को ज्यादा से ज्यादा मिले, राजस्थान में अभी सरकार आपकी है तो आप इसका पूरी तरीके से ध्यान रखें कि योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचे

(16.00 बजे)

न कि योजना का लाभ पहुंचेगा तो कौनसी सरकार ने दिया है, केन्द्र में बीजेपी की सरकार है इसलिए उन्हें फायदा मिलेगा, ऐसी सोच न रखें। इस राजनीति से ऊपर उठकर पानी और बिजली के लिए अच्छी तरीके से इन योजनाओं का लाभ पहुंचायें क्योंकि केन्द्र के अन्दर माननीय प्रधान मंत्री जी ने यह घोषणा की कि 2024 तक हर घर में वो पानी पहुंचाये। वह पानी पहुंचाने की योजना तब इम्प्लीमेंट होगी जब राजस्थान सरकार उसकी डी.पी.आर. बनाये, उन योजना में ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे हम लोग जोड़ सकें, उन सारी चीजों का जो प्राइमरी वर्क है, वह प्राइमरी वर्क यहां से होकर जब ऊपर जाएगा तभी होगा। विद्युत के ऊपर ही बोल रहे हैं, वे पानी और बिजली दोनों के मंत्री हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, चुप रहिये, शांत रहें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): आज उन्हें मैं एक सजेशन देना चाहती हूं कि आपकी जो बिजली की दर है वह बिजली की दर राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग तय करता है उसमें या तो कामर्शियल, इण्डस्ट्रीज की रेट्स होती हैं या घरेलू बिजली की होती हैं। उसके अलावा एक दर और हो जो पानी के लिए हो क्योंकि पीने के पानी की जो जनता जल योजना है वह जनता जल योजना पब्लिक से कंट्रीब्यूट हो रही है, जनता ही उस योजना को संचालित करती है और उस योजना में वो बिजली का बिल भी उन्हें ही गांव से इकट्ठा करके देना पड़ता है उसमें बिजली का जो बिल आता है वह इतना ज्यादा आता है, वह कामर्शियल रेट पर आता है। वह इतना हाई होता है, इतना ज्यादा बिजली का बिल होता है कि वो चुका नहीं पाते। एज ए रिजल्ट, कल जब यह चर्चा चल रही थी उसमें इतनी सारी बातें आई थीं उनमें 30 प्रतिशत हमारी जनता जल योजना आज बन्द पड़ी हैं और वो सिर्फ इसलिए बन्द पड़ी हैं कि वह बिजली का बिल नहीं चुका पा रहे हैं। इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी को आपके माध्यम से एक सजेशन है कि जो हमारे

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

सार्वजनिक यूज के लिए पानी का कंजम्प्शन हो रहा है, जो जनता जल योजना और ऐसी योजनाएं हैं जो पीने के पानी के लिए हैं उन योजनाओं में जो बिजली विनियामक आयोग है उसे यह सजेशन दिया जाए और यह तय किया जाए कि उसकी एक अलग से रेट बने और उस रेट से उनका बिजली का भुगतान हो ताकि वो जनता जल योजना कालैप्स न हो, वह चल सके और उनके बिजली के बिल का चुकारा हो सके।

मैं आज आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को यह निवेदन करना चाहूंगी कि जो कुसुम योजना केन्द्र सरकार की है वह बड़ी अच्छी योजना है। कृषि के कनेक्शन में साढ़े सात एचपी की मोटर हैं उनको कुसुम योजना में फ्री करेंगे। कुसुम योजना केन्द्र की योजना है जिसमें 30 प्रतिशत पैसा केन्द्र दे रहे हैं, 30 प्रतिशत राजस्थान सरकार देगी, 30 प्रतिशत नाबार्ड देगा और 10 प्रतिशत पैसा ही कन्जूमर को देना है। जब कन्जूमर इसमें एप्लाई करता है तो ज्यादा से ज्यादा कन्जूमर्स को इसमें फायदा मिले इसके लिए राजस्थान सरकार ने आज तक कभी कोई पहल शुरू नहीं की। कन्जूमर से आवेदन लेना है, अभी तक उसका प्रचार-प्रसार नहीं किया कि ज्यादा से ज्यादा आएं क्योंकि कृषि के कनेक्शन हैं और कृषि कनेक्शन साढ़े सात एचपी तक के फ्री होने हैं उसके लिए इस योजना को केन्द्र सरकार ने बनाया है और वह यहां पर लागू हो ताकि 24 घंटे बिजली उन किसानों को इस योजना के माध्यम से मिल सके इसलिए इसमें काम होना बहुत जरूरी है।

मैं आपके माध्यम से एक और सजेशन माननीय मंत्री जी को देना चाहूंगी कि कई जगह हम लोग बिजली की छीजत के बारे में बात करते हैं। अभी मेरे से पूर्व भी जो वक्ता थे उन लोगों ने कहा कि बिजली की छीजत बहुत बढ़ रही है, 40 प्रतिशत, 42 प्रतिशत जा रही थी उसको हम रिड्यूस कर रहे हैं। इसमें जो मैंने सर्वे निकाला इसमें जोधपुर डिस्काम की 28.56 परसेंट छीजत है, जयपुर डिस्काम में 26.71 परसेंट है, लास्ट मंथ की बता रही हूं। अजमेर डिस्काम की 24.12 परसेंट है लेकिन माननीय सभापति जी, मैं जिस जिले राजसमन्द से आती हूं उसकी छीजत मात्र 9.7 परसेंट है। यह पूरा ईयरली बता रही हूं। 9.7 यानी 10 परसेंट से जहां कम छीजत है उन डिस्ट्रिक्ट के अन्दर राजसमन्द डिस्ट्रिक्ट आता है और शायद राजस्थान में सबसे कम छीजत का राजसमन्द जिला है। अब उस जिले को, हम लोगों को क्या फायदा मिल रहा है? एक तरफ 40 परसेंट, 50 परसेंट है उनको भी आप 7 घण्टे बिजली देंगे और एक तरफ हमारे मात्र 9.7 परसेंट आ रहा है वहां पर

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

भी आप 6 घण्टे, 5 घण्टे ही बिजली दे रहे हैं तो क्यों न जो कम छीजत जिले हैं उनको 24 घण्टे बिजली दें ताकि हमारे यहां पर जो किसान हैं उन किसान को कुछ तो फायदा होना चाहिए जब वहां इतनी कम छीजत है। वहां इस प्रकार से कहीं बिजली की चोरी नहीं हो रही तो उन्हें कुछ न कुछ तो देकर मोटिवेट करना चाहिए, उन्हें शाबाशी देनी चाहिए कि आपके यहां पर कम छीजत है तो आपको बिजली ज्यादा घण्टे मिलेगी ताकि उससे इन्सपायर होकर और सारे डिस्ट्रिक्ट्स में भी एक मैसेज जाए कि जहां कम छीजत है वहां पर उन्हें ज्यादा घण्टे बिजली मिलेगी।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): क्या हुआ?

श्री सभापतिः समाप्त करें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): बोल रहे हैं, सर, हम अच्छे सजेशंस दे रहे हैं, आउट आफ लाइन तो जा नहीं रहे हैं।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, 80 माननीय सदस्यों को बोलना है। समय सीमा का ध्यान रखना पड़ेगा, समय की अपनी मर्यादा है। इन्होंने भी लिस्ट दी है, इन्होंने भी लिस्ट दी है। आप ज्यादा न कहकर समाप्त करें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सभापति जी, मैं बिल्कुल टू द पाइंट ही बात कर रही हूं, मैं कहीं इधर-उधर बात नहीं कर रही हूं।

श्री सभापतिः हां, वो सब टू द पाइंट ही करेंगे बात।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): इसलिए हमारा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को यह सजेशन है कि जो बिजली छीजत है.....

श्री सभापतिः आप दो मिनट में समाप्त करें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): वह बिजली छीजत जहां कम है उन्हें ज्यादा बिजली दी जाए क्योंकि घोषणा जो इन्होंने चुनाव में की थी उसमें यह कहा था कि हम 12 घण्टे बिजली देंगे लेकिन 12 घण्टे के बजाय 5 घण्टे भी आज क्षेत्र के अन्दर बिजली कंटीन्युअस नहीं आ रही है। उस पांच घण्टे में भी इतना ट्रिपिंग होता है कि वह किसान अपने खेत में पानी पिलाने के चालू करता है और जब तक वह पहुंचता है तब तक वापस से ट्रिप हो जाता है। इसलिए ट्रिपिंग सिस्टम कम हो, ट्रिपिंग का काम कम हो, अच्छी व्यवस्था हो कि ज्यादा से ज्यादा विदाउट ट्रिपिंग बिजली आये और साथ-साथ ये जो लोसेस कम देने वाले लोग हैं उनको कुछ न कुछ फायदा आपकी तरफ से हो।

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

एक सोलर एनर्जी के लिए, जिस तरीके से हमारी सरकार में सोलर में एक सिस्टम बनाया था कि अगर हम लोग सोलर सिस्टम से बिजली को पैदा करते हैं तो वो जो इण्डस्ट्रियलिस्ट हैं, वो जो कामर्शियल हाउसेज हैं उनकी 3.93 में बिजली खरीदी जाएगी। माननीय मंत्री जी, आप ही का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि पूरे साल भर के बाद उसका हिसाब होता था तो कभी बारिश के सीजन में अगर सोलर से बिजली का उत्पादन कम होता था या सर्दियों में सोलर बिजली का उत्पादन कम होता था तो एंड आफ द ईयर जो चीज आती थी कि इतनी बिजली हमने सोलर से पैदा की और इतनी हमारी खपत हुई तो उसका लास्ट में हिसाब होता था।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें। कृपया सहयोग करें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): लेकिन आपके मंत्री बनने के बाद पता नहीं कैसे आपको क्या गुमराह किया गया कि आपने इसको हर महीने का हिसाब कर दिया। उससे इतना बड़ा इण्डस्ट्रियलिस्ट को होता है....

श्री सभापति: आप इधर बात करें, समय समाप्त हो रहा है। समाप्त करें अब आप।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): हां, मैं इधर बात कर लेती हूं। माननीय सभापति जी, यह इतना बड़ा लोस हो रहा है, आप तो स्वयं बिजनेसमैन हैं, आप इस चीज को देखिये कि अगर किसी ने सोलर के पैनल्स लगाये हैं, खर्चा किया है, इन्वेस्टमेंट किया है.....

श्री सभापति: समाप्त करें, समाप्त करें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): इसलिए किया कि जितनी खपत मेरे बिजली की होगी उससे धीरे-धीरे इसका रिएम्बर्स हो जाएगा। लेकिन आज इन्होंने जिस प्रकार से आदेश निकाले कि एवरी-मंथ आपकी बिजली जितनी खपत हुई है, वह बिजली जो खपत हो गई है और जो एक्स्ट्रा बिजली होगी उसको आपको डिस्काम को देना पड़ेगा। जब हम देंगे तो आप हमें 3.93 के हिसाब से दोगे और जब सर्दियों में बिजली पैदा नहीं होगी तो मुझे वो बिजली खरीदनी पड़ेगी और जब खरीदूंगी तो वो ही बिजली 6 रुपये में खरीदनी पड़ेगी क्योंकि कामर्शियल हाउस में बिजली काम आ रही है।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री भरत सिंह कुन्दनपुर।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): इसलिए आपने यह जो किया है वह गलत है, उसे ठीक करिये। ईयर एंड के अन्दर, क्योंकि पूरे साल भर का सर्किल रखिये न कि एक महीने का सर्किल। इसको आप लोगों को देखने की आवश्यकता है।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री भरत सिंह कुन्दनपुर। माननीय सदस्य, विराजिए। प्लीज, सहयोग करें। सहयोग करें प्लीज।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): नहीं, मैं पूरा सहयोग करना चाहती हूं आपको। लेकिन आपकी योजना....

श्री सभापति: प्लीज सहयोग करें। ऐसे नहीं, समय की सीमा है। कन्क्लूड कहां कर रहे हैं, मैं कितनी देर से कह रहा हूं कन्क्लूड करने के लिए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): कन्क्लूड तो कर लेने दीजिए।

श्री सभापति: कब से बार-बार कह रहा हूं आपको।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): जो बिजली की व्यवस्था है वह बिजली की व्यवस्था तो इन्हें सुधारनी पड़ेगी। हमारी डीपी जल जाती हैं, किसान इधर से उधर घूमता रहता है। 72 आवर्स में डीपी चेंज होनी चाहिए, यह नियम है, यह रूल्स में लिखा है, आदेश निकले हैं लेकिन उस सबके बाद में 2-2 महीने 3-3 महीने डीपी चेंज नहीं होती।

श्री सभापति: कन्क्लूड करें अब।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): किसानों को कहा जाता है कि आप हमारे यहां आफिस में आइए और डीपी लेकर जाइये। खुद किसान गाड़ी लेकर एक्स.ईएन. आफिस, एस.ई. आफिस आता है और वहां से वह डीपी उठाकर लेकर जाता है। यह कितना बड़ा दुर्भाग्य है....

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य। कनक्लूड करें आप।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): आज इस प्रकार की बिजली की व्यवस्था पूरे राजस्थान की हो गई है कि जहां बिजली की व्यवस्था इतनी लाइन पर आई थी वो आज सारी की सारी धीरे-धीरे कालैप्स हो रही है। इसको ठीक करिये, यही मेरा आपसे निवेदन है। धन्यवाद, जय भारत।

श्री सभापति: श्री भरत सिंह कुन्दनपुर। कृपया शांत रहें।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): माननीय सभापति जी, आज महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है और आपने मुझे समय दिया उसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। मेरे से पहले हमारे प्रदेश के पूर्व ऊर्जा मंत्री पुष्पेन्द्र जी और डाक्टर जितेन्द्र सिंह जी ने भी विचार रखे हैं और वर्तमान ऊर्जा मंत्री यहां विराजमान हैं। मैं उन विषय पर चर्चा नहीं करूंगा, जिन पर जनरली सारे सदस्य बात करेंगे। मैं लीक से हटकर कुछ बात इस सदन के सामने रखना चाहता हूं। जब हम बिजली पर चर्चा करते हैं, जब हम पानी पर चर्चा करते हैं। हम उस आइसोलेशन में चर्चा नहीं कर सकते कि हम बिजली पर चर्चा कर रहे हैं तो बिजली मंत्री उसका जवाब दे देंगे। पानी पर चर्चा कर रहे हैं तो पानी के

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

मंत्री दे देंगे। बिजली की जो खपत है, बिजली की जो आवश्यकता है। आज बिजली जीवन है और खेती के लिए सबसे ज्यादा आवश्यकता है क्योंकि कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की प्रदेश की बैकबोन है। उसके लिए बिजली बहुत आवश्यक है और एक बड़ी घोषणा माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी 30 जून को की जब वे छबड़ा पधारे थे और हमारे ऊर्जा मंत्री भी साथ थे।

उन्होंने घोषणा की कि प्रदेश बिजली में सरप्लस हो गया है। यह बहुत बड़ी बात है कि आजादी के बाद प्रदेश में यह घोषणा हुई कि हम बिजली में सरप्लस हैं और उसके लिए मैं प्रदेश के उन सभी ऊर्जा मंत्रियों को जिन्होंने इस दिशा में काम किया है, मुख्य मंत्री हैं, उन सभी को बधाई देना चाहूंगा कि हम आज ऊर्जा क्षेत्र के अंदर सरप्लस हैं। मगर जब आप सरप्लस की बात करते हैं तो केवल समाचार पत्र में यह खबर छपे कि हम सरप्लस है, वह पर्याप्त नहीं है। उपभोक्ता को दिखना चाहिए, जब सरप्लस हैं तो फिर 6 घंटा बिजली क्यों। हमारे पास सरप्लस बिजली है तो फिर बिजली पर्याप्त मात्रा में मिलनी चाहिए।

मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि अभी किसानों को अगर हम सरपल्स हैं तो आप बिजली जितनी दे सकते हैं, जितनी आवश्यकता है उस मात्रा में दीजिए, क्योंकि 'action speaks louder than words' मैं इस मौके पर जब पानी पर चर्चा हो रही है। पानी, बिजली और कृषि तीनों विषय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। राजस्थान में पानी की कमी है और जब हम खेती की बात करते हैं, जब पानी की कमी है और हमारे पास बिजली भी सीमित देने को है। बिजली हम किसान को सस्ती देते हैं, मंहगी खरीदते हैं तो हमारा चिंतन और सोच प्रदेश का एक मंत्री का नहीं पूरी कैबिनेट का इस दिशा में होना चाहिए कि बिजली की अगर हम खपत बचाते हैं, 'Power Saved is Power Produced' मैं यह बात इसलिए उल्लेख कर रहा हूं कि पालिसी सही नहीं होने की वजह से हमारे प्रदेश को इसका कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है। पालिसीज की जब मैं बात करता हूं तो सिर्फ राजस्थान की ही नहीं, नेशनल लेवल के ऊपर पालिसीज जो बन रही है। उसमें हम हमारी बात को, हमारे प्रजंटेशन को, उस बात को वहां दिल्ली में नहीं रख पाते हैं। उसका भुगतान राजस्थान को, उसकी बहुत बड़ी पैनल्टी देनी पड़ती है।

मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूं कि हमारे राजस्थान में पानी की कमी है, ग्राउण्ड वाटर की कमी है और सारी बिजली ग्राउण्ड वाटर से पानी निकालने के लिए उपयोग में आती है। उसके बाद हो क्या रहा है इस प्रदेश में

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

हो यह रहा है कि जो फसल हमें सबसे अधिक करनी चाहिए इस राजस्थान में, जिसमें हम नम्बर वन है मस्टर्ड, जो सबसे कम पानी लेती है। उस फसल को त्याग कर किसान उन फसलों को पैदा कर रहा है जिसमें पानी की खपत ज्यादा है।

माननीय सभापति जी, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं, इस सदन की जानकारी में लाना चाहता हूं कि मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से आता हूं वहां हाड़ौती में सबसे ज्यादा विद्युत कनेक्शन उस क्षेत्र में हैं और वहां हम फसल क्या कर रहे हैं, आपको मालूम है? वहां 15 हजार बीघा में हम धान की फसल कर रहे हैं और धान का मतलब इस बरसात के मौसम में जब बारिश हो रही है। हम बिजली का उपयोग कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए था। हम जमीन में से पानी निकाल रहे हैं। क्योंकि, हमारे पास हमने नदियों में पानी रोका तो पानी है मगर वह देश का तो अहित है। क्यों कर रहे हैं हम धान, क्यों किसान धान कर रहा। उसको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, दिन-रात खेत में खड़ा रहना पड़ता है क्योंकि अगर वह सरसों कर ले, जो इस प्रदेश में करनी चाहिए तो बर्बाद हो जाए। साढ़े तीन हजार रुपये क्विंटल में उसकी फसल बिकती है। घोषणा होती है समर्थन मूल्य की दस-बीस प्रतिशत से ज्यादा हम खरीद नहीं करते, क्यों नहीं करते। इसलिए नहीं करते अगर समर्थन मूल्य पर ही खरीद हो, और किसान को उसका उचित भाव मिल जाए तो फिर एक चीज है जिसको आम आदमी न समझता प्राइस इंडेक्स बढ़ जाएगा। क्या होता है यह प्राइस इंडेक्स, क्या है ये प्राइस इंडेक्स? किसान की खेती के दाम अगर किसान को मिल जाए तो प्राइस इंडेक्स बढ़ जाएगा। पैट्रोल और डीजल की भाव बढ़ जाए, उससे प्राइस इंडेक्स का फर्क नहीं। ये क्यों कह रहा हूं मैं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस देश में 75-80 हजार करोड़ का खाने का तेल हम आयात करते हैं। उसके ऊपर ड्यूटी बढ़े तो हमारे समर्थन में यह जो सरसों की कीमत है वह साढ़े छह हजार रुपये क्विंटल बिके।

ये बात बिजली की डिबेट में, मैं इसलिए कह रहा क्योंकि यह नहीं हो रहा है। इसकी वजह से किसान धान पैदा कर रहा है, किसान लहसुन पैदा कर रहा है, किसान जमीन में से पानी निकाल रहा है, किसान बिजली की खपत कर रहा है। अगर हम आइसोलेशन में डिबेट करेंगे तो करते रहे हम डिबेट, हमारी छाया उसको नहीं पकड़ पाएंगी। जिसके पीछे हम भागने की कोशिश करते हैं। हमारी पालिसीज के ऊपर क्यों नहीं हमारा प्रदेश, क्यों नहीं हमारे जो हैं। हमारा दिल्ली में तो आज की तारीख में कोई भी नहीं है, जो दिल्ली में

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

हमारे सांसद बैठे हैं, इस मुद्दे का टेक-अप करिए आपकी वो फसलें जो राजस्थान के हित में हैं, क्यों किसान उन फसलों को नहीं कर पा रहा। क्यों हम जबर्दस्ती उन फसलों की तरफ जा रहे हैं, जिसमें बिजली और पानी की खपत ज्यादा हो रही है। इसको हम टेक-अप करेंगे तो स्थिति सुधरेगी।

मैं दो-तीन कुछ बातों की ओर आपके जो ट्रांसफार्मर हैं, माननीय ऊर्जा मंत्री जी उन्हें एक नियमित समय में पलटना है। हम नहीं पलट पा रहे हैं, हर ब्लाक के अंदर बड़ी संख्या में आपका बैकलाग चल रहा है। आपकी विद्युत लाइंस जो गर्मियों में आफ सीजन में मेंटेन होनी चाहिए, ढीली पड़ी हुई हैं। बहुत बड़ी संख्या में एक्सीडेंट होते हैं लोग-बाग़ मरते हैं बिजली से चिपक कर। आपकी जो व्यवस्था है लाइनमैनों की जिस तरह से उनको भी ठेके पर लगा रखा है। मुख्य कर्मचारी जाता ही नहीं है बहुत जगह। पांच-छह हजार रुपये के अंदर किसी को रख लेते हैं, बहुत जगह एक्सीडेंट इस कारण हो रहे हैं। जो भी एक्सीडेंट हुए आपको एक निर्धारित समय के अंदर उनको मुआवजा दिया जाए, तत्काल भुगतान किया जाए और आपकी जो लाइंस हैं, उनको मेंटेन किया जाए।

दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं माननीय मंत्री जी, आपने एक बड़ी घोषणा की कि ये जो हमारे पावर प्लांट्स हैं। जिनको बीच में खबर आई थी कि इनको जो है निजी क्षेत्र में दिया जाएगा, मुख्य मंत्री जी ने कहा ऐसा वो नहीं होने देंगे। मगर यह कब तक, मैं आपको बात इसलिए बता रहा हूं कि ग्राउण्ड प्लानिंग की बात मैंने कही। मैं सदन में इस बात का जिक्र करना चाहूंगा कि झालावाड़ में भंवरासा बांध बना और भंवरासा बांध किसने, वर्षों से सिंचाई की मांग थी कि कालीसिंध नदी का व्यर्थ पानी जो जा रहा है, उस पानी को रोका जाए। अभी माननीय पूर्व ऊर्जा मंत्री जी थे, इन्होंने जिक्र किया विभिन्न प्रकार की पावर जनरेशन के बारे में, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, थर्मल। ये जिक्र करना भूल गये हाइड्रो का। जब हमारे गांधी सागर और चंबल वैली प्रोजेक्ट बने थे 1960 में, उस समय गांधी सागर पर पानी रोका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, राणा प्रताप पर पानी रोका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जवाहर सागर पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, यहां बांसवाड़ा में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी माही पर, भंवरासा में बांध बना। क्यों भूल गये हम, इस 21वीं सदी वाले भंवरासा में बांध बनाकर वहां से भी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो सकती थी। क्योंकि हमने वहां पर थर्मल लगा दिया। जिसने भी लगाया बहुत बड़ी भूल, बहुत बड़ा अपराध, क्राइम किया है हमारे साथ। झालावाड़ में थर्मल लगना नहीं चाहिए था। थर्मल लगता तो

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

डाउन स्ट्रीम लगता कालीसिंध के, जब नहरें चलती हैं, व्यर्थ पानी पलायता के नीचे अंता से नीचे रेलवे लाइन वहां थी, पूरा पानी बहकर चम्बल में बहकर व्यर्थ जाता है। हमने झालावाड़ में इर्रीगेशन का जो बांध था, वहां थर्मल बना लिया। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनती थी, उससे वंचित किया और उस थर्मल को एक हाथी खड़ा कर दिया और पैसा किसने दिया? सिंचाई का बांध बना। पैसा नहीं था। थर्मल से पैसा दिलाया। आठ सौ करोड़ उस सिंचाई के बांध का पैसा थर्मल ने दिया और किसी दिन वह भैंस बिकेगी तो उसके साथ यह थर्मल जो है वह भौंरासर बांध की सांकल भी चली जाएगी।

यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि चित्तौड़ में हिन्दुस्तान जिंक का जब प्रोजेक्ट आया तो घोसून्दा बांध बना। उस समय हिन्दुस्तान जिंक नहीं था राजस्थान जिंक था। वह स्टेट प्रोजेक्ट था। मगर जब उसको बेच दिया तो वह घोसून्दा बांध उससे चित्तौड़ के लोग-बाग़ पानी नहीं पी सकते। वह उनका बांध चला गया। इसी प्रकार से झालावाड़ का जो बांध है मैं ऊर्जा मंत्री जी, आपसे निवेदन करता हूं, सिंचाई मंत्री जी हैं नहीं, सिंचाई मंत्री मुख्य मंत्री जी हैं कि एक दिन बिकेगा यह। सोच निजी क्षेत्र की है थर्मल जाएगा। सिंचाई का यह बांध जो है सिंचाई विभाग उससे पैसा जमा करे या हमारा राजस्थान का जो विद्युत विभाग है वह पैसा जमा करे इसका मालिक वह बने, ताकि आगे आने वाले समय में इस पानी का उपयोग हमारे पास रहे। वह चले नहीं जाये और यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सीएडी के भी मंत्री हैं। बरसात में पानी आप नहीं देंगे तो लोग-बाग़ जमीन से निकाल रहे हैं। बारिश होती है कोटा में। पूरा पानी आता है जवाहर सागर का और कोटा के डाइवर्जन चैनल से। कहां आता है वह पानी? सीधा बैराज में आता है और हम क्या कर रहे हैं, यह सरकार और इसके पहले वाली सरकार और उसके पहले हमारी सरकार बेशर्मी से बैराज के गेट ऊंचे कर देते हैं। पूरा पानी निकालकर चम्बल में बहा देते हैं। वह पानी बायीं मुख्य नहर बूंदी में दिया जा सकता है, ताकि वहां जो धान कर रहे हैं वो कम से कम बिजली तो उपयोग नहीं करे। आप पानी नहीं दोगे तो वह बिजली से करेगा। वह का वह पानी राइट मैन कैनाल में दिया जा सकता है। मगर कैसे देंगे आप क्योंकि सीएडी वाले चाहेंगे कि इसको अगर पानी देंगे तो उस नहर की अवेयर करनी पड़ेगी। कोई धणी-धोरी तो हो इस मुल्क का। कोई धणी-धोरी तो हो इस प्रदेश का। एक विभाग की चर्चा कर ली दूसरे विभाग को पता ही नहीं है क्या हो रहा है। तो इस प्रकार से हमको सोचना पड़ेगा कि हमारे वहां थर्मल आपने जो बनाया उसका पैसा जो थर्मल ने दिया है उस पैसे

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

का मालिक राजस्थान सरकार का सिंचाई विभाग बने क्योंकि आने वाले समय में आप उस जगह नहीं रहेंगे, ये नहीं रहेंगे, मैं नहीं रहूंगा मगर ये घोसून्दा बांध की जैसे वह बांध नहीं चला जाए और यह खतरा है हमारे पास। अंग्रेज आते हुए तो दिख रहे थे मगर ये दूसरे लोग-बाग़ आ रहे हैं जिस तरह से पूरे पानी पर कब्जा कर लिया हमको पानी से वंचित कर दिया प्लानिंग के अभाव में और भविष्य में, मैं अपनी बात इसलिए कह रहा हूं कि 33 हजार करोड़ का आप ईस्टर्न कैनाल बना रहे हैं, कालीसिंध में बांध बना रहे हैं उसमें भी विचार करिये ऊर्जा मंत्री जी, कि वहां भी जो पानी निकालेंगे वहां थर्मल बना सकते हैं या नहीं बना सकते। मुझे मालूम है इस दिशा में कोई चिन्तन किया नहीं है सीधा पानी निकालने की योजना बनाई है। पानी निकालिये मगर इसको देखिये कि क्या हम वहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं और अगर कर सकते हैं तो करना चाहिए। सीधा पानी नहीं निकालें। पानी से बिजली निकालें फिर पानी को दें। आपने समय दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री सुभाष पूनिया।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): धन्यवाद सभापति जी, मेरा नंबर तब आया है जब दो-दो पूर्व ऊर्जा मंत्री बोल चुके हैं। अब मैं थोड़ा-बहुत बोलने की कोशिश करूंगा। वर्षों से एक ही बात सुन रहे हैं कि हम आकाश से बिजली बनाएंगे, पाताल से बिजली बनाएंगे, हवा से बिजली बनाएंगे और हम आने वाले दिनों में इतनी बिजली बनाएंगे कि दूसरे प्रदेशों को बिजली देने में सक्षम होंगे, लेकिन आज भी बिजली की स्थिति कैसी है वह किसी से छिपी हुई नहीं है। सभापति जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि प्रदेश में डिमाण्ड नोटिस जारी होने के बाद भी जो कृषि कनेक्शन के लिए पैसा जमा भी हो चुका डिमाण्ड नोटिस का उनको आज तक भी यह सरकार कनेक्शन नहीं दे पायी है। कब तक यह सरकार कनेक्शन देगी? और जब भी इंजीनियर्स के पास उपभोक्ता जाता है तो किसान को यह कहा जाता है कि आज तो केबल नहीं है, कभी मीटर नहीं है और ठेकेदार अपनी मनमर्जी चला रहे हैं इसलिए विभाग की कोई भी इनके ऊपर हुकूमत नहीं है।

सभापति जी, दूसरा मेरा निवेदन है कि राज्य में सौभाग्य योजना के तहत बिजली कनेक्शन विहीन घरों को कनेक्शन करने थे उनके आवेदकों को अभी तक बिजली कनेक्शन नहीं दिये गये। कब तक ये कनेक्शन दिये जाएंगे? क्योंकि पहले कह रहे थे कि हम 31 मार्च तक ये कनेक्शन सभी आवेदकों को

(श्री सुभाष पूनिया)

दे देंगे। इसमें भी मैं आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा।

सभापति जी, तीसरा निवेदन है दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत जो डिस्काम में अलग से एक्सईएन लगाया गया है, सभी डिवीजनों की फाइल लेकर ठेकेदार फर्मों से काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक उन उपभोक्ताओं के कनेक्शन नहीं हुए हैं। यह भी मैं आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा और किसानों के एरिया लोड के नाम पर बिना किसानों की स्वीकृति के जो लोड बढ़ाये जा रहे हैं। घर बैठे ही इंजीनियर यह कह देते हैं कि कई जगह पानी इतना गहरा चला गया है कि पन्द्रह की जो मोटर है उसको साढ़े सत्रह कर देते हैं बिना चैक किये ही और साढ़े सत्रह की है उसको बीस का कर देते हैं तो मेरा आग्रह है कि कोई भी किसान का जब लोड बढ़ाये तो उसकी कम से कम मोटर चैक करे यह भी मेरा ऊर्जा मंत्री जी से आग्रह है।

सभापति जी, चौथा निवेदन है कि किसान का जब ट्रांसफार्मर जलता है तो हमारे यहां से घोषणा की जाती है बिजली विभाग से कि हम 72 घंटे में ट्रांसफार्मर बदलने का काम करेंगे, लेकिन 72 घंटे तो क्या दस-दस दिन तक फसल के समय भी ट्रांसफार्मर नहीं बदलते हैं और तो और किसान को खुद को ट्रांसफार्मर उतारकर लाना होता है। खुद परिवहन करता है और ट्रांसफार्मर रखने के बाद 3-3, 4-4 बार गाड़ियां किराया करके लेकर आता है और उसके बाद कह देते हैं कि स्टोर में ट्रांसफार्मर उपलब्ध नहीं है तो मेरा सभापति जी, आपके माध्यम से यह ऊर्जा मंत्री जी से आग्रह है कि किसान का ट्रांसफार्मर जल जाए तो परिवहन का खर्चा निगम दे। बिजली कटौती के बारे में बताना चाहूंगा कि जब-जब भी कांग्रेस आती है तो पता नहीं बिजली कहां चली जाती है। कांग्रेस आते ही बिजली चली जाती है। यह कांग्रेस की देन है कम से कम इसके ऊपर सुधार किया जाए और दूसरा एक मेरा ज्वलंत मुद्दा यह है कि लाइन लोसेज के नाम पर छीजत के नाम पर हमारे क्षेत्र में वीसीआर भरी जा रही है। मैं यह नहीं कहता कि कोई चोरी करे तो वीसीआर मत भरो, लेकिन वीसीआर भरने के नाम पर पचास-पचास फोटो इंजीनियर ले आता है और उसके बाद वहां का टैक्निकल हैल्पर बिचौलिया बनकर चालीस किसानों की तो वह वहीं कह देता है कि फोटो डिलीट कर दी और दस किसान को चिह्नित करके उनकी वीसीआर भरते हैं। इसमें भी बहुत-बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है।

(श्री सुभाष पूनिया)

इसलिए आपके माध्यम से मैं ऊर्जा मंत्री जी का यह भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और ग्राम पंचायतों में राज्य सरकार ने जो सोलर सिस्टम से लाइटें लगाई थीं उन लाइटों का भी आज न तो ग्राम पंचायत धणी-धोरी है और न ही बिजली विभाग इसलिए वह सोलर लाइटें भी आज बिल्कुल नाकारा पड़ी हैं। इसलिए मैं सभापति जी, आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि वह लाइटें भी शीघ्र ठीक करवाकर ग्रामीण अंचल में रोशनी की व्यवस्था की जाए। दूसरा, घरेलू बिजली व कृषि कनेक्शनों की लाइन्स अलग-अलग की जाएं, ताकि उपभोक्ता को अलग से 22 से 24 घंटे की जो आप घोषणा कर रहे हैं गुणवत्तापूर्वक बिजली मिले और बिजली विभाग में सबसे बड़ी घालमेल तो यह है कि बिजली विभाग में स्थानान्तरण का काम ठेकेदारों के जिम्मे है। ठेकेदार बिजली विभाग में आकर जिसकी सिफारिश करता है, वह इंजीनियर लग रहे हैं। सभापति महोदय, इसलिए आपसे आग्रह है कि इन चीजों पर भी लगाम लगाई जाए। सभापति महोदय, आखिरी बात यह है कि हमारे यहां 132 केवी जीएसएस गाड़ाखेड़ा में मेरे विधान सभा क्षेत्र में प्रस्तावित है, उसको अतिशीघ्र बनाया जाए ताकि क्षेत्र की वोल्टेज की समस्या का समाधान हो सके। मेरे को आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती शकुन्तला रावत। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आपस में वार्ता न करें, बोलने दें।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सम्माननीय सभापति महोदय, आज का जो बिजली का विषय है, वह बहुत ही अति महत्वपूर्ण विषय है। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप आसन की तरफ देखें और अपनी बात कहें। आप समय खराब कर रही हैं।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): माननीय सभापति महोदय, जो हमारे विपक्ष का भाषण होता है वह ऐसा होता है कि बिना पानी के नाव चला देते हैं। यह इनकी रीति नीति रही है।

धरती रो भगवान मिले म्हाने धोरां में खुद लिप जाये धान किसान खेतां मा,
बिजली चाल्या पाणी आवे खेतां मा, बिजली जाये धान सूखे खेतां मा,
गांव रो किसान रोवे आंख्या मा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): यह कवयित्री कौन है जिसने ऐसी सुंदर रचना रची।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): आपके सामने पांच फीट की खड़ी हुई नहीं दिख रही तो फिर आप अपनी नजर का चश्मा चैक करा लें। सभापति महोदय, अभी बड़े-बड़े बखान सुन रहे थे दीनदयाल उपाध्याय योजना, सौभाग्य योजना, कुसुम योजना, अब पता नहीं ऊपर से कौनसी सरस्वती योजना आ जाए। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, गम्भीरता रखें, आपस में वार्ता नहीं करें। सबको अपनी-अपनी बात कहनी है, कहें। माननीय सदस्य, आप आसन की तरफ देखें। आप उनको इन्वाइट मत कीजिए।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): आप यह नाम ले रहे हैं नरेन्द्र मोदी जी हमारे देश के प्रधान मंत्री हैं। सभापति महोदय, नाम लेना कोई कलंक की बात नहीं है। कुछ माननीय सदस्य जो नाम ले रहे हैं वह कोई कलंक की बात नहीं है, हमारे लिये भी सौभाग्य की बात है वह देश के प्रधान मंत्री हैं। लेकिन जो यह योजनाएं चलाते हैं सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों में और कागजों में चलाई। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि जो पिछली सरकार की अव्यवस्थाएं थीं, गांव-गांव पंचायत में कैम्प लगा दिये, कस्बों में कैम्प लगा दिये, अखबारों में दे दिया देखिए, दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत इतने डिमांड नोटिस जमा हो गये। लेकिन हुआ क्या, सभापति महोदय, सिर्फ और सिर्फ डिमांड नोटिस जमा हुए। 2016 और 2017 के कनेक्शन आज भी नहीं दिये गये हैं, बड़ी शर्म की बात है। किसान मारा-मारा फिर रहा है। (व्यवधान) यह कह दिया गया कि कम्पनी का तो इतने ही दिन कांट्रेक्ट था। सिर्फ और सिर्फ अख़बार में नाम आने के लिये, कागजों में, आंकड़ों में दिखाने के लिये पूरे पांच साल में....

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपके क्षेत्र के लोग आपसे यह उम्मीद करते हैं कि आप गम्भीरता से अपनी बात रखें। आज आप जो कुछ भी बोल रहे हैं यह अंकित हो रहा है और सदियों तक यह अंकित रहेगा। थोड़ी गंभीरता रखें, इतने गम्भीर विषय पर चर्चा हो रही है, अब कोई नहीं बोलेगा।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): यह वह कांटे हैं, जब गुलाब का फूल खिलता है तो कांटे नीचे से निकलते हैं, यह कांटे का काम करते हैं। सम्माननीय सभापति महोदय, हर महीने बिल देने की जो व्यवस्था कर दी गई थी, गांव में किसान बिल जमा कराकर आता है और वापस से दूसरा बिल आ जाता है, वह माथा पकड़कर बैठ जाता है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगी कि इस व्यवस्था को सुधारा जाए और वापस फिर से दो

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

महीने में बिल आये जिससे किसान को तसल्ली मिल सके, किसान को राहत मिल सके, यह राहत प्रदान करने का आप काम करेंगे। कहा गया कि सब्सिडी देंगे, खाते में डालेंगे, बड़ी-बड़ी हैडलाइन दे दी। कनेक्शन है दादा के नाम, बिल आ रहा है उनके नाम, अब वह सब्सिडी कौनसे खाते में डालने जाएंगे। यह सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा था। सभापति महोदय, मेरा अनुरोध है कि इस व्यवस्था को सुधार कर बिल में से ही जो हमारी गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट का खर्चा देती थी, वह उसी तरीके से वापस दिया जाए, यह मेरा अनुरोध भी है। सारी अव्यवस्थाओं को सुधारा जाए।

ट्रांसफार्मर में थोड़ी सी कमी होती है, एक तार भी हट जाये तो उसे आफिस ले जाना पड़ता है। इसके लिये नियम बनायें, विभाग को निर्देशित करें कि लाइनमैन वहीं पर जाकर उसे ठीक करे जिससे कि किसान को परेशानी नहीं हो। पूर्व सरकार ने एक प्लान बनाया था कि झूलते हुए तारों को हम हटाएंगे, सुदृढ़ीकरण करेंगे। लेकिन मुझे तो कहीं दिखा नहीं, आज भी वह तार झूल रहे हैं। सभापति महोदय, जमीन पर, गांवों में, खेत में, कस्बे में कोई काम नहीं हुआ। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपको कोई परेशानी है। बैठे-बैठे मत बोलिए। ...(व्यवधान) आप विराजिए, विराजिए।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): प्रस्ताव तो मंगा लिये, मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि आये दिन जो इनसे दुर्घटनाएं होती रहती हैं, इन कस्बों की लाइनों को अंडरग्राउंड के लिये प्रपोजल बनाया जाना चाहिये। अगर उसमें विधायक कोष की भी जरूरत हो तो हम उसमें देने के लिये तैयार हैं जिससे आये दिन होने वाली दुर्घटनाओं से हमें राहत मिल सके।

सभापति महोदय, मीटर खराब होने पर जो एप्लीकेशन लगाते हैं, यह जो सारी अव्यवस्थाएं हुई थीं, उनके लिये मंत्री महोदय अधिकारियों को निर्देशित करें कि वह अपना ढीलापन सुधारें, राज बदल गया है यह उनको एहसास करायें कि काम करें। काश्तकार मीटर खराब होने पर फीस जमा करा देता है और जब वह लगता नहीं है तो उसकी वीसीआर भर दी जाती थी। इस चीज को सुधारने के लिये तुरन्त निर्देशित किया जाए। सभापति महोदय, बिजली विभाग का एक उदाहरण दे देती हूं। अभी 2017 में कहा कि हमने इतनी बिजली चोरी पकड़ाई, कैसे पकड़ाई। एक गांव में अधिकारी महोदय पुलिस लेकर पहुंच गये और सीधे ट्रांसफार्मर को उतारना शुरू कर दिया। मैंने

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

पूछा किस लिये हाबड़-तोबड़ मचा रखी है, गांव में पुलिस आई है हुड़दंग मचा हुआ है। कहने लगे यहां पर चोरी के ट्रांसफार्मर हैं। सभापति महोदय, मैंने पूछा कि जीएसएस से ट्रांसफार्मर उड़ के इधर आ गया क्या? खेतों तक आया कैसे? कहां से गया, किसान के खेत में जाकर कैसे लगा, चोरी का कैसे हुआ? चोर कौन हुआ? असली चोर को पकड़ना चाहिये। यह पिछली सरकार का कारनामा था। जो किसान बिल दे रहा है, कागज दे रहा है उसका ट्रांसफार्मर मैंने साल भर बाद दिलवाया। सभापति महोदय, जब आपके कर्मचारी, अधिकारी जाएं तो इन्हें यह पूछा जाये कि कौनसा ट्रांसफार्मर कहां से गया, जीएसएस से कैसे गया, कितने नंबर का ट्रांसफार्मर, चोर कौन हुआ? किसान पर वज़न नहीं आना चाहिये। पिछली सरकार की तरह ऐसा नहीं हो। सुधार के लिये मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद दूंगी कि जो समय पर ट्रांसफार्मर भिजवाये गये .....

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सभापति महोदय, एक मिनट। जो ट्रांसफार्मर पैंडिंग हैं, चाहे वह थ्री फेस के हो, चाहे सिंगल फेस के हो, जिस विधान सभा क्षेत्र या गांव की जितनी भी मांग हो, उन्हें भिजवाएं। पिछली सरकार में तीन-चार जीएसएस का प्रस्ताव भिजवाया था, मंजूर भी हो गये थे। फिर पता नहीं किस कारण से.. क्योंकि मैं विपक्ष में थी। पिछली सरकार की इस तरह की भेदभावपूर्ण नीति रही है। ये जो गांव ग्वाड़ा, माजरा, ढाकोड़ा है। यह जो जीएसएस और जयसिंहपुरा के अधूरे हैं, उनको पूरा करवाएं। वहां पर तुरन्त स्वीकृत किया जाए। जिससे किसान को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े और उसको राहत मिल सके। घरेलू कनेक्शनों पर जो अधिक बिल आ जाता है, उसे सुधारने के लिये जब किसान आफिस जाता था तो उसे महीनों तक चक्कर लगाने पड़ते थे। मंत्री महोदय, जैसा आपने अभी पिछली 8 तारीख को कहा, उसी तरीके से आप सभी अधिकारियों को निर्देशित करें कि कोई कर्मचारी इस तरह से गांव वालों को चक्कर नहीं कटवाएं। जैसे कि पहले कटवाते थे।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): जो भी कृषि कनेक्शन के लिए फाइल लगाए, उसे तुरन्त कनेक्शन दिया जाना चाहिए। जितने डिमांड नोटिस पैंडिंग हैं, जो बीजेपी सरकार के 2016-17 के पैंडिंग हैं, ये कौन-कौनसी योजनाओं के हैं। सिर्फ जो कागजों की योजना थी, उस योजना को जमीन पर

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

लाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी, हमारे मंत्री महोदय करेंगे। जिसको आप उलझाकर गये थे, उसे सुलझाने का काम हमारी सरकार करेगी। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री शंकर सिंह रावत।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): सभापति महोदय, विद्युत के ऊपर आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। सभापति महोदय, आज बिजली के ऊपर बोलने के लिए मेरे से पूर्व हमारे ऊर्जा मंत्री महोदय ने और सब ने अपनी-अपनी बात कही है। क्योंकि समय का अभाव है इसलिए मैं कम और मुख्य बात ही कहूंगा। जो बात सदन में आ गयी है, उसको दुबारा नहीं कहूंगा। आज जिस प्रकार से काश्तकारों को बिजली के सिंगल फेस कनेक्शन मिलते हैं। अभी पूर्व में जो सदस्य बोल रहे थे, आरोप-प्रत्यारोप लगाने का काम करते हैं। जिस प्रकार से सिंगल फेस का कनेक्शन मिलता है, उसी प्रकार काश्तकार को थ्री-फेस कनेक्शन मिलना चाहिए। ताकि काश्तकार को दो-दो, तीन-तीन साल तक लाइन में नहीं खड़ा नहीं रहना पड़े। आप ऐसी कोई हिम्मत करिये। खाली आरोप-प्रत्यारोप लगाने से काम नहीं चलता है। मुख्य रूप से मैं हमारे प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं। जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार में, यदि किसी को टेलीफोन लेना होता था तो सरकार से रिकमण्ड कराना पड़ता था और गैस कनेक्शन के लिये भी उसके कोटे की पर्ची से गैस कनेक्शन मिलता था। धन्यवाद, प्रधान मंत्री जी को कि सारी लाइनें खतम कर दीं। टेलीफोन भी गांवों में फ्री में देने लग गये हैं।

उस गरीब को गैस कनेक्शन गांव में जा-जाकर बांटने का काम किया है। यह योजना प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी की है। इसलिए आप अंतर समझिए। कांग्रेस और भाजपा का अंतर समझिए कि हमारी और आपकी सरकार ने क्या किया? आरोप-प्रत्यारोप लगाने के लिये आप खड़े हो जाते हैं। आप दिल पर हाथ रखकर कहिए, हमारी बात झूठ है तो आप बोलिये। ऊपर लिखा हुआ है 'इस सदन में कभी भी आएं तो सच बोलना चाहिए, सच के अलावा नहीं बोलना चाहिए, पाप के भागीदार बनते हैं' आप बोलो न, आपके गांव में भी किसी न किसी गरीब को मिला है। काश्तकारों को जिस प्रकार से सिंगल फेस में मिला है, उसी प्रकार से थ्री फेस में भी मिलना चाहिए।

श्री सभापति: इधर देखकर बात कीजिए।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): माननीय सभापति महोदय, मैं तो आपकी तरफ ही देख रहा हूं, इधर नहीं देख रहा हूं।

श्री सभापति: आप समाप्त कीजिए।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): बिजली विभाग में अगर सुधार करना है। माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय विराजमान हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि बिजली विभाग को बिजली विभाग के अधिकारी और मंत्री नहीं चला रहे हैं, बल्कि वे ठेकेदार चला रहे हैं। अधिकारी भी नहीं चला रहे हैं। उनके लिए मुख्य रूप से मैं आपको उनकी चोरी बताना चाहता हूं। जिस प्रकार से कोई भी रोड, चाहे तीन मीटर चौड़ी रोड बनी हुई है। उसके बिलकुल पास में बिजली के पोल खड़े कर दिये जाते हैं। उसे वापस हटाने के लिये, क्योंकि आबादी के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से जब भी आप उस सड़क को चौड़ा करेंगे तो उस बिजली के पोल को हटाने का खर्चा भी, रोड के स्वीकृत पैसों में से काटकर, उस पोल को हटाना होगा। यह और किसी मद से उसको हटाना पड़ेगा, लेकिन बिजली के ठेकेदार रोड के पास ही बिजली का खंभा लगा देते हैं। आज ब्यावर के अंदर जो गौरव पथ बनवाया है और जो 6 लेन गौरव पथ, बस स्टैण्ड से अजमेर रोड मुख्य सड़क तक बना है, उसके ऊपर साढ़े आठ करोड़ रुपये खर्च हुए। उस साढ़े आठ करोड़ में से एक करोड़ रुपये बिजली विभाग को देना पड़ा, सिर्फ इन ठेकेदारों की गलती की वजह से। मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि आप ऐसा आदेश जारी करें कि जहां पर भी सड़क बनी हुई है, उसके तीन मीटर से आगे जाकर बिजली का खंभा रोपना चाहिए। बिजली का खंभा रोड के पास बनने की वजह से, चाहे रोड गांव में हो, चाहे शहर के अंदर है, अतिक्रमण बढ़ाने का काम बिजली का खंभा करता है।

रोड पर जो दुर्घटनाएं होती हैं, वे बिजली के पोल की वजह से होती हैं। इसलिए माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया है। जब भी आप रिप्लाई दें, इस चीज के ऊपर ध्यान दें। मैं कह रहा हूं कि पूरे राजस्थान में आपका नाम हो जाएगा कि उस ठेकेदार की बदमाशी को रोकने के लिये किसी ने काम किया है। आप ए.ई.एन. की बदली कर दोगे, जे.ई.एन. की बदली कर दोगे, एक्स.ई.एन. की बदली कर दोगे, लेकिन आप ठेकेदार नहीं कर सकते हो। माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय, मेरा आप सबसे निवेदन है कि जो भी अधिकारी आएगा, उस ठेकेदार की चंगुल के आकर जैसा ठेकेदार कहेगा, उसी प्रकार का आदेश उसको जारी करना पड़ेगा। यह मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं। इसलिए अगर सुधार करना है तो आप

(श्री शंकरसिंह रावत)

इसमें सुधार करिए। निश्चित तौर पर सब का भला होगा। हर गांव के अंदर, हर डिपार्टमेंट में, हर गली-मौहल्ले में सब जगह आपको रोड बनानी है। रोड से पोल हटाने के लिये आपको अलग से चार्ज देना पड़ेगा। उससे हम वंचित हो जाएंगे। रोड की जितनी सीमा है, उसके वे बिलकुल पास लगा देते हैं। उससे दुर्घटनाएं बढ़ती हैं और अपना नुकसान होता है। हमारे ब्यावर में भी जिस-जिस जगह पर रोड बने हुए हैं। जहां भी रोड चौड़ी की है, उन सब जगह के लिए हमने लाखों रुपये बिजली डिपार्टमेंट को भरे हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है कि इस प्रकार की छोटी-छोटी जगहों को ध्यान में रखते हुए इसके ऊपर सुधार करना चाहिए। मेरा दूसरा निवेदन है कि जिस प्रकार आप भी काश्तकारों के लिये कह रहे हैं कि हम बहुत दयालु हैं, काश्तकार अन्न पैदा करता है।

हमारी पिछली माननीय वसुन्धरा जी की सरकार के समय में काश्तकारों के ऊपर नियामक आयोग के द्वारा जो भार बढ़ाया गया था। दोनों बार का भार लगभग 2400 करोड़ रुपये काश्तकारों के ऊपर आया था। लेकिन मैं राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री महोदया को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने काश्तकारों की आवाज सुनते ही एक मिनट में काश्तकारों का कर्जा माफ कर दिया और 2400 करोड़ रुपये सरकार ने वहन किया। सारे पेपरों में आपने भी पढ़ा होगा। उसमें आपका भी होगा, यह नहीं कि भाजपा वालों का ही कर दिया है। पूरे राजस्थान में हुआ था। आप भी कोई ऐसा चमत्कार करके दीजिए। अच्छा काम करना चाहिए। जिस प्रकार गांवों के अंदर ट्रिपिंग हो रही है, उसमें भी सुधार होना चाहिए।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): सभापति महोदय, अभी तो दो मिनट ही हुए हैं।

श्री सभापति: जल्द समाप्त करें। एक मिनट में समाप्त करें।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): इस प्रकार थ्री-फेस कनेक्शन काश्तकारों को दिया जाए। काश्तकार अन्न पैदा करता है। आप रात में उनको बिजली दे रहे हैं। ऐसा कोई नियम बनाएं कि हर जगह काश्तकार को बिजली दिन में दी जाए। यह एक नियम बना दिया है, दूसरा एक निवेदन है। मैं आशा रखता हूं कि आप जब भी रिप्लाई करेंगे, आप इन पर ध्यान देंगे। सभापति महोदय, आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने बोलने का मौका दिया। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रोहित बौहरा।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): सभापति महोदय, आपने मुझे पावर पर बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। बीजेपी की सबसे बड़ी स्कीम थी, उदय योजना। उदय योजना में इन्होंने अपने पूर्व एनर्जी मिनिस्टर को ऐसे दिखाया जैसे कि उन्होंने पूरे देश का बिजली तंत्र बदलकर रख दिया। वह एक झूठ और फरेब से परिपूर्ण था। इन्होंने क्या किया कि जो हमारी लायबिलिटी थी, शोर्टटर्म लायबिलिटी को उठाकर लोंगटर्म लायबिलिटी में कन्वर्ट कर दिया। आज जो हमारे विद्युत विभाग की स्थिति है, वह उदय योजना की वजह से ही है। आज शार्टटर्म लायबिलिटी को आपने लोंगटर्म लायबिलिटी कर दिया। 2018 में हमारे प्रदेश को 8 हजार करोड़ और उससे अगले महीने 4 हजार करोड़ का हमको सिर्फ ब्याज देना पड़ा, जो पूर्व मंत्री जी ने बोला कि 20 हजार करोड़ का लोस हुआ। उदय योजना में एक और चीज थी। आपकी जब पूर्ववर्ती सरकार थी तब इनको बोला गया था कि उदय योजना आप लांच करेंगे तो एक कमिटमेंट देंगे कि आप कोई भी लोसेस नहीं करेंगे। 2018-19 में अन-आडिटेडेट फाइनेंशियल रिपोर्टस के अकोर्डिंग इन्होंने करीब-करीब साढ़े सात हजार करोड़ का लोस किया है। उदय योजना से फायदा किसको हुआ? सिर्फ यह एक पब्लिसिटी स्टंट था। मैं पूछना चाहूंगा मंत्री महोदय से इस पब्लिसिटी स्टंट का हम क्या करेंगे, जो इतना नुकसान सिर्फ शार्टटर्म लायबिलिटी से लोंगटर्म लायबिलिटी हुआ। उसमें धरातल पर कोई भी विकास हमको नहीं मिला।

दूसरी चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि विद्युत विनियामक बोर्ड, जो पिछली सरकार ने नवगठित किया उसमें आज तक एक भी टैक्निकल मैम्बर है ही नहीं। जबकि विद्युत विनियामक बोर्ड का काम सिर्फ प्राइस बढ़ाना नहीं है। उनका काम छीजत देखना भी है कि कितनी छीजत हो रही है, कितनी थैफ्ट हो रही है, कितनी लाइन लोसेस है। उस पर कुछ हो ही नहीं रहा है। आपने उठाकर एक टैक्निकल मैम्बर को ही निकाल दिया। क्या इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट था? एक टैक्निकल मैम्बर को क्यों निकाला गया? वह क्यों नहीं है विद्युत विनियामक बोर्ड में? मैं मंत्री महोदय से विनती करता हूं इस पर तुरन्त एक्शन लें। टैक्निकल मैम्बर को डालें जिससे तुरन्त मालूम हो कि ये थैफ्ट क्यों हो रही है? लाइन लोसेस क्यों हो रही है?

एक चीज मैं और कहना चाहूंगा जो पूर्ववर्ती सरकार ने किया था। हर तहसील मुख्यालय पर 1 लाख 80 हजार रुपये में एक गाड़ी की गई थी, जिनका सिर्फ यह काम था कि जहां भी ट्रांसफार्मर जलेगा, वह ट्रांसफार्मर लेकर आएंगे। यह कहीं पर भी नहीं हुआ। मुश्किल से गाड़ी दिन में एक ट्रांसफार्मर

(श्री रोहित बौहरा)

लेकर आती थी। इसमें इतना बड़ा घपला पूर्ववर्ती सरकार ने, बीजेपी सरकार ने किया। एक ट्रांसफार्मर यानी 30 ट्रांसफार्मर उठाने के लिए हम 1 लाख 80 हजार रुपये देते थे। क्या हमें इस पर इंक्वायरी नहीं करानी चाहिए? क्या ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए? मैं विद्युत मंत्री जी से विनती करता हूं कि जिन्होंने भी यह किया है, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। बीजेपी वाले मैम्बर जो ब्यावर से आए हैं, उनका भी कहना है कि ठेकेदार ये कर रहे हैं, उसकी वजह से इनकी पोस्टिंग हो रही है। इनसे पूछिये ठेकेदारी प्रथा कौन लेकर आया है, पांच साल में। आप ही लेकर आए हैं, पांच साल में और अब आपके लिए ही वे नासूर बन गए हैं। ऐसा काम आपने किया है। यदि कांटे बोएंगे तो कांटे ही मिलेंगे, फूल तो नहीं मिलेंगे।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): पांच साल से नहीं है, ठेकेदार तो बरसों से चले आ रहे हैं।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): 2012 में आपकी सरकार उदय योजना में एमओयू करके गई थी।

श्री सभापति: चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): सभापति महोदय, धौलपुर जिले में पहली बार एक नया सिस्टम आया, दीनदयाल योजना। बहुत बड़ी योजना बीजेपी सरकार की। जिस साल दीनदयाल योजना बंद होनी थी, धौलपुर जिले में उसी साल ठेकेदार आया, वह भी सिर्फ 6 महीने पहले। ठेकेदार को सिर्फ काम दिया गया धौलपुर तहसील का। बाड़ी तहसील थी ही नहीं शायद धौलपुर जिले में, राजाखेड़ा तहसील थी ही नहीं क्योंकि इन दोनों में कांग्रेस विधायक थे। यहां पर दीनदयाल योजना में काम ही नहीं हुआ। एक पैसे का काम नहीं हुआ। जो काम हुआ वह या तो धौलपुर तहसील में हुआ या बसेड़ी तहसील में हुआ। राजाखेड़ा और बाड़ी में एक पैसे का काम नहीं किया गया। यह भी हमारी ही गलती है। यह इनको बताना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ऐसा काम नहीं किया जाए। ऐसा करेंगे तो आपको ऐसा ही फल मिलेगा।

पिछले पांच साल में आपने फ्लैट रेट के बिल देकर, आप इंक्वायरी करवा लें कि कितने आपने फ्लैट बिल के रेट दिए हैं। आदमी जाता था मीटर खराब हो गया, पांच सौ रुपये उसने जमा कराए कि साहब मेरा मीटर बदल दिया जाए। मीटर बदलते नहीं थे। पूरा खरीफ और रबी का सीजन निकल जाता था। फ्लैट रेट पर बिल आता था और वह बेचारा किसान मरता रहता था। हम कहकर थक गए। इसके खिलाफ हमने धरने दिए लेकिन इस पूर्ववर्ती

(श्री रोहित बौहरा)

सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। इन्होंने कुछ नहीं किया। फ्लैट रेट पर हमारे बिल आते रहे।

तीसरी चीज मैं कहना चाहूंगा मंत्री जी हमारी सरकार आई है। आप माइक्रो और मिनी इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं। आप सिर्फ 6 से 7 घंटे की बिजली दे रहे हैं, थ्री फेस की। वह माइक्रो और मिनी इंडस्ट्रीज गांव में नहीं चल सकती है। उनके लिए आपको डैडिकेटेड लाइन देनी पड़ेगी। एक माइक्रो और स्माल इंडस्ट्रीज है, यदि उसमें दस लाख रुपये का आपका एस्टीमेट आएगा तो पता पड़ा, जिस दिन इंडस्ट्री उगी है, उसी दिन दफन हो जाएगी। मेरा सिर्फ इतना सा निवेदन है कि सबसे बड़ी कोस्ट वीसीबी की है क्योंकि आप एक डैडिकेटेड लाइन देते हैं। सभापति महोदय, करीब-करीब तीन लाख रुपये वीसीबी की कोस्ट आती है। वह प्रोपर्टी जेवीवीएनएल की है। वह जेवीवीएनएल की ही प्रोपर्टी रहेगी। हम चाहते हैं कि इसमें आपको जो भी आर्डिनेंस लाना है या आपको रूल्स में चेंज करना है, वह किए जाएं जिससे कि माइक्रो और स्माल इंडस्ट्रीज गांव में चल सके, डैडिकेटेड लाइन के थ्रू।

मेरा यह भी कहना है कि हमारी सरकार ने कहा है कि हम एक लाख बिजली कनेक्शन देंगे। आज हम बात एक लाख बिजली कनेक्शन की कर रहे हैं, मैं चाहता हूं मेरी सरकार से कि ये हमारे सोलर के बिजली कनेक्शन में कन्वर्ट कर दिए जाएं। उससे एक तो चौबीस घंटे बिजली मिलेगी। 10 परसेंट किसान पैसा दे, 30 परसेंट सैन्ट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, वह पैसा देगी, 30 परसेंट हमारी सरकार पैसा देगी और 30 परसेंट पैसा सॉफ्ट लोन के थ्रू किसी भी कामर्शियल बैंक से जैसे पीएनबी है। आज पीएनबी सोलर पैनल्स के लिए करीब 7 परसेंट पर सॉफ्ट लोन पर पैसा दे रही है। यदि 7 परसेंट पर पैसा देती है और सोलर कनेक्शन से ही हमारे एक लाख कनेक्शन होते हैं तो जिस समय किसान ये यूज नहीं कर रहा है, जब आप पंप यूज नहीं कर रहे हैं तो वह बिजली डायरेक्टली आपके ग्रिड में जा सकती है और जितनी उसकी इंस्टालमेंट आएगी, जो उसने पैसा लिया है सॉफ्ट लोन की तरह, वह हो जाएगा।

मैं आपसे एक विनती और करता हूं कि जितने सोलर पीवी कनेक्शन हैं, वह अंधड़ आने से उड़ जाते हैं। आप इनश्योर करिए कि उनका इंश्योरेंस का पैसा सरकार वहन करे या फार्मर वहन करे। उसको सॉफ्ट लोन मिला है, उसमें से वह किश्त चली जाए और जब वह आपको ग्रिड पर बिजली देगा, यह उसमें से आप काट लें। मेरी यह विनती है।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): सर, पहली बार इलेक्ट होकर आया हूं। आपसे विनती करता हूं मुझे दो मिनट दीजिए।

श्री सभापति: दो मिनट में बोलिए। एक मिनट, रोहित जी।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घंटे बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: सदन का समय दो घंटे बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय दो घंटे बढ़ाया गया।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): सर, मेरे यहां तीन सब-स्टेशन का...

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

विभिन्न विषयों पर विचार

राज्य में बिजली की स्थिति पर विचार

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): बिलकुल साहब। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि मेरे यहां तीन सब-स्टेशन अप्रूव हुए थे, पूर्ववर्ती सरकार में जिनकी जमीन का अधिग्रहण हो गया लेकिन उन पर कंस्ट्रक्शन आज तक स्टार्ट नहीं हुआ है। इन तीन पंचायतों में वोल्टेज की समस्या इतनी गम्भीर है कि वहां पर मोटर चल ही नहीं पाती है। मेरी मंत्री महोदय से विनती है कि मछरिया, जलालपुर और धीगी, ये तीन पंचायतें हैं, इनमें 33 केवीए के नए सब-स्टेशन बना दिए जाएं जिससे हमको दिक्कत नहीं आए।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरह से हमारे इंडस्ट्रीयल एरियाज में हार्मोनिक्स पैदा होते हैं। हार्मोनिक्स क्यों पैदा होते हैं? क्योंकि जहां पर भी सरिया बनाते हैं, वह हार्मोनिक्स पैदा करते हैं क्योंकि उनकी इलेक्ट्रिसिटी लीनियर-वे में पास-आन नहीं होती है। वह एक बार झटके से पैदा होती है। इससे हार्मोनिक्स पैदा होते हैं। एक इण्डस्ट्री के हारमोनिक्स पैदा होने

(17.00 बजे)

से हमारे ट्रांसफार्मर में प्रोब्लम आती है। साहब, बगरू इंडस्ट्रियल एरिया की बात कर रहा हूं। करीब-करीब जितने सब स्टेशर्न्स हैं सब जगह हारमोनिक्स पैदा हो रहे हैं। जेवीवीएनएल को ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि यह उन्हीं का

(श्री रोहित बौहरा)

नुकसान है क्योंकि पूरी बिजली जो कि उनका पावर फैक्टर है, जो कि वन होना चाहिए उससे कम होता है। पावर फैक्टर का मतलब जितनी बिजली वह दे रहे हैं कंज़ूमर से उतने का बिल नहीं ले पाते हैं। मेरी इतनी सी विनती है मंत्री महोदय हारमोनिक्स की बगरू इंडस्ट्रियल एरिया में प्रोब्लम आ रही है, वह कम की जाए जिससे इण्डस्ट्री अच्छी तरीके से चल सके। दूसरी एक चीज और है सर, एक सैकण्ड।

सर, मैं एक चीज और कहना चाह रहा था, आज के टाइम में पोल से हम थर्मल एनर्जी यूज कर रहे हैं। थर्मल एनर्जी का जमाना जा रहा है। मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि अब हमारे पास एक नई टैक्नोलॉजी और आ गई है, पहले हम सोलर सैल से भाप बनाएंगे, भाप बनाकर उसको 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले जाएंगे, 300 डिग्री सेंटीग्रेड से फिर टर्बाइन से बिजली बनाएंगे। मेरी यह विनती है कि यह नई टैक्नोलॉजी ईजाद हो चुकी है। हमें थर्मल बंद करना चाहिए। थर्मल से पोल्यूशन, सब जगह की प्रोब्लम है। यह पोल्यूशन वगैरह बंद करें। This is called solar thermal energy. हमें इस पर जाना चाहिए जिससे एक तो हमारी कास्ट आफ प्रोडक्शन कम आएगी। आज थर्मल एनर्जी करीब-करीब साढ़े चार लाख रुपये मेगावाट है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): सरकार की बचत होगी और इससे हमारा एन्वायर्नमेंट भी खराब नहीं होगा। सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री वासुदेव देवनानी।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): सभापति महोदय, आपने बिजली के विषय पर बोलने की अनुमति दी इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बिजली हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग बन गई है। चाहे वह पानी की आवश्यकता हो, चाहे खेती की हो, चाहे दैनंदिन दिनचर्या हो, बिजली के बिना इंसान नहीं रह सकता। मैं भी सदन में चौथी बार हूं, हर वर्ष बिजली और पानी पर सदन में चर्चा होती है। उस दौरान कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी आते हैं। पक्ष के लोग पक्ष की बात करेंगे, विपक्ष के विपक्ष की करेंगे। लेकिन असली समस्या पर अगर हम सर्वसम्मति से जाएंगे तो शायद समस्या के निदान की ओर आगे बढ़ सकेंगे।

बिजली के क्षेत्र में, इसके तीन मुख्य अंग होते हैं, जनरेशन,

(श्री वासुदेव देवनानी)

ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। उत्पादन संचारण, वितरण और उसके बाद लाइन में ले जाना, इन तीनों में लौसेज है, जो कारण है, उसको गहराई से जानने की आवश्यकता है। कुछ कारणों में जाना पड़ेगा। उत्पादन में जब पिछली सरकार के 2014 में यदि घाटा 2600 करोड़ का रहता है, 2018 में कम होकर 950 करोड़ के लाभ में आ जाती है। क्या कारण है कि पिछले छह महीने में ही वापस 300 करोड़ के घाटे में आ गई है। मैं बिना किसी राजनीति के इसमें मंत्री का तो कोई, आप ईमानदार हैं, आप मेहनत करते हैं, मैं आपका प्रशंसक हूं, लेकिन आपके जो अधिकारी हैं या नीचे का जो सिस्टम है उसमें जाना पड़ेगा कि ऐसी क्या बात थी कि 2600 करोड़ के घाटे को...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): पांच साल आपके जो अधिकारी थे वो ही अब उनके हैं।

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, विराजिए।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): आपकी सरकार आती है, सब को बदल देती है। आपने बदल दिए हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप अपनी बात कहें।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): तो क्या कारण है कि 2600 करोड़ के घाटे को हम 950 करोड़ के लाभ में छोड़ जाते हैं और वापस आज उत्पादन में 300 करोड़ का घाटा शुरू हो जाता है। ऐसी क्या कोयले की खरीद है या हमारे पुराने सिस्टम हैं? थर्मल यूनिट हमेशा घाटा ही देंगे। मैं भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रहा हूं। अब तो सोलर और विंड का समय आ गया। थर्मल के बाद हाइड्रोलिक सिस्टम आता है, हाइड्रोलिक के बाद आप आएंगे तो परमाणु एनर्जी के हिसाब में अपन जाते हैं, जहां यूरेनियम इत्यादि का उपयोग अपन करते हैं, उसकी कैपिटल कास्ट बहुत ज्यादा होती है।

श्री सभापति: आसन को मुखातिब करें।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ट्रांसमिशन निगम में, आपको ध्यान होगा यह सब कागजों पर है। उस समय लौसेज 3.2 परसेंट तक आ गए थे और राजस्थान को अवार्ड भी मिला था। आज क्या कारण है कि पिछले कुछ समय में लौसेज वापस 6 परसेंट हो गए। कहां कमी है, इसको ढूंढने की आवश्यकता है, उस कमी को ठीक करने की आवश्यकता है। मूल रूप से मुझे ध्यान में आता है छीजत और बिजली चोरी, यह दो हमारी बहुत बड़ी समस्या हैं। जिस पर बिजली कम्पनियों का कोई नियंत्रण नहीं है। शहरों में बिजली

(श्री वासुदेव देवनानी)

चोरी या छीजत का 10 परसेंट ही आता है, गांवों के अंदर लगभग 25 परसेंट होता है। हर सरकार प्रयत्न करती है और प्रयत्न करते-करते 2018-19 में यह 18 परसेंट तक आ गई थी। वापस पिछली मई से इस मई तक 04 परसेंट छीजत बढ़ गई। आखिर क्यों बढ़ी? नीचे सिस्टम में क्या कमी आई जिसके कारण से छीजत बढ़ रही है। नागौर जिले की छीजत मेरे पास है, वह 41.45 परसेंट, मंत्री महोदय शिक्षा के बैठे हैं उन्हीं के ज़िले के पास का है, उन्हीं का सीकर जिला है। भिवाड़ी डिवीजन में 24 फीडर हैं उसमें 1.45 करोड़ यूनिट में से केवल 85 लाख यूनिट का ही आपको भुगतान हो रहा है, अर्थात् 60 लाख यूनिट की चोरी प्रति माह हो रही है, जिसके कारण विद्युत निगम को 4.2 करोड़ का प्रति माह नुकसान हो रहा है।

जयपुर डिस्काम की बात करेंगे तो उसमें राणावास, जमवारामगढ़, नरैना, मनोहरपुरा, शाहपुरा क्षेत्र में 40 परसेंट तक बिजली चोरी हो रही है। इस चोरी को कैसे रोका जाए? इसे दो प्रकार से रोका जा सकता है। एक तो जो वर्तमान आधुनिक टैक्नोलॉजी है उसका प्रयोग किया जाए, ह्यूमन टेंडेंसी में आप कितना करेंगे, उससे कुछ कम कर पाएंगे लेकिन हम यदि प्रयत्न करेंगे तो आधुनिक टैक्नोलॉजी के लिए कई प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं। कुछ प्रांतों में इस प्रकार का सहयोग लिया जा रहा है, उसको लें।

दूसरा है, इसमें सारे जनप्रतिनिधि मिलकर यदि तय कर लें कि हमारे क्षेत्र के अंदर हम चोरी या छीजत का सहयोग नहीं करेंगे, जहां तक हो सकेगा उसको कानून के तहत नीचे लाने का प्रयत्न करेंगे तो मुझे लगता है कि छीजत और चोरी को हम काफी हद तक कम कर सकते हैं। वर्तमान में अजमेर में छीजत 27 परसेंट हो गई। वर्तमान में जो केन्द्र की योजनाएं हैं, उनमें इंसेंटिव है, उसके कुछ लाभ हैं वह भी राजस्थान नहीं ले पा रहा है। बात चली थी, मैं उसमें विस्तार से नहीं जाऊंगा, रिपीट नहीं करूंगा। उदय योजना का, पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना है, सौभाग्य योजना है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना का नाम आते ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से आप लोगों को करंट आ जाता है। यह तीन योजनाएं हैं, केन्द्र की योजनाएं हैं, उससे हमारे यहां के उपभोक्ता को हम जो लाभ दे सकते हैं, स्टेट को जो लाभ मिल सकता है वह लाभ लेने का हम प्रयत्न करें।

दूसरा है, अघोषित कटौती। अघोषित कटौती इतनी हो रही है, शहर का वासी हूं, गांव में भी जाता हूं, मेरा ग्रामीण क्षेत्र भी है, इतनी अघोषित

(श्री वासुदेव देवनानी)

कटौती है कि घंटो बिजली नहीं है। आप टेलीफोन करते रहो, कोई टेलीफोन नहीं उठाएगा। बार-बार ट्रिपिंग होगी। ट्रिपिंग बार-बार होने से किस प्रकार के लौसेज बढ़ते हैं अंदाजा लगा सकते हैं। ट्रिपिंग से भी आपको बहुत बड़ा नुकसान होता है। बात करें लोड बढ़ गया, अपन ट्रांसफार्मर खरीदते हैं, जो ट्रांसफार्मर खरीदे जा रहे हैं उस पर कहीं न कहीं सोचने की आवश्यकता है, आज टेम्प्रेचर बढ़ गया है, आजकल टेम्प्रेचर कहीं 45-50 डिग्री तक भी पहुंचने लगा है, उसमें इंसुलेशन 50 डिग्री तक बना रहे, हो सकता है कि नहीं हो सकता उसके अंदर आयल है वह उस टेम्प्रेचर के अनुकूल है या नहीं है, इसके बिना केवल पुरानी परिपाटी पर हम ट्रांसफार्मर खरीदते जाएंगे, ट्रांसफार्मर जलते रहेंगे, हम रिप्लेस करते रहेंगे और सरकार को घाटा होता रहेगा। इसमें भी नई टैक्नोलॉजी का उपयोग करें। फ्यूल सरचार्ज की बात पहले आ गई । फ्यूल सरचार्ज तीनों डिस्काम में अलग-अलग क्यों है? इलेक्ट्रिसिटी तो वही है, बिजली तो वही है। आज अगर अजमेर में 35 पैसे, जोधपुर में 52 पैसे, जयपुर में 55 पैसे के आदेश आ रहे हैं, इस पर निश्चित रूप से विचार किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूं आज भी जहां नये बिजली कनेक्शन की बात है, जयपुर डिस्काम ने तो अपने कनेक्शन पूरे कर दिए, लेकिन जोधपुर और अजमेर डिस्काम में अभी भी एक लाख से अधिक घर वंचित हैं, जिन्हें कनेक्शन देने हैं। एक बात अलग से आपके नॉलेज में ला रहा हूं जो शायद आपके भी नालेज में नहीं होगी। अजमेर में नये कनेक्शन के लिये जी.एस.टी. की वसूली हो रही है। टाटा पावर जी.एस.टी. वसूल कर रहा है। न तो अजमेर डिस्काम कर रही है, न जोधपुर डिस्काम कर रही है।

श्री सभापति: दो मिनट में बात समाप्त करें। माननीय सदस्य, दो मिनट में बात समाप्त करें।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): दो मिनट में खतम कर रहा हूं।

न जोधपुर डिस्काम कर रही है, न अजमेर कर रही है, न जयपुर डिस्कॉम कर रही है। केवल अजमेर शहर के वासियों को नये कनेक्शन लेते समय उनको जो जी.एस.टी. देनी पड़ रही है, उससे वह परेशान हैं।

दूसरा, जो हमारी कई नई कालोनियां बसी हैं। उनमें ओवर-हैड्स लाइन्स जा रही हैं। उनको जब हटाने के लिये कहते हैं तो उसकी सुनवाई नहीं

(श्री वासुदेव देवनानी)

होती है। शहर में आपने तय किया कि अण्डर-ग्राउण्ड केबल्स करेंगे, पोल-लेस बनाएंगे। वह भी काम ठण्डा पड़ा है।

एक बात और कहूंगा, हमारे समय में हमने 8 हजार स्कूलों को विद्युत कनेक्शन दिये। आज भी कई स्कूलों में विद्युत कनेक्शन बाकी हैं तो इस प्रकार की योजना बनाई जाए कि हमारे प्रत्येक स्कूल को एक बिजली का कनेक्शन मिले। उसके लिये सरकार योजना बनाएगी तो निश्चित रूप से उस शिक्षा को भी लाभ होगा, नये-नये जो कम्प्यूटर आये हैं, उसका भी लाभ होगा।

अंत में एक बात कहता हुआ अपनी बात पूरी करुंगा कि इन सब बातों के लिये भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना आवश्यक है। मूल रूप से यह करप्शन पूरे समाज की एक बीमारी है। उस बीमारी को हम लोग मिल करके समाप्त करेंगे। उसके लिये आपके यहां जो खरीद होती है, यदि आप एक टैक्निकल-वे में उस खरीद के सिस्टम को बनाएंगे तो भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है। जिस प्रकार हमारी सरकार ने किया कि 34 करोड़ खाते खुलवा दिये। पहले एक रुपया आता था तो 15 पैसे पहुंचते थे। अब एक रुपये का एक रुपया पहुंचना शुरू हो गया।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): तो बिजली विभाग में भी खरीद में इस तरह का कोई सिस्टम करें, जिसके आधार पर हम करप्शन को समाप्त करके एक अच्छी खरीद करके भ्रष्टाचार पर अंकुश लगायें, छीजत पर अंकुश लगायें, चोरी पर अंकुश लगायें और नई टैक्नोलोजी को ला करके हम स्टेट को, एक अच्छी बिजली सबको प्रदान कर सकें, ताकि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमीशन और जनरेशन सिस्टम ठीक हो सकेगा। तब राजस्थान में हम बिजली के सिस्टम को ठीक कर सकेंगे। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री मदन प्रजापत।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले मैं सरकार का और माननीय मुख्य मंत्रीजी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि चाहे बिजली हो, पानी हो, किसान का कर्ज हो, इनके ऊपर पूरा समय और तीन दिन तक सभी माननीय सदस्यों ने अपनी राय प्रकट की। विशेषकर जो आज का मुद्दा है, आज के समय की जरूरत है कि जैसे पानी और जीवन में रोटी महत्वपूर्ण है, उसी तरह आज के युग में बिना बिजली कोई भी काम सम्भव नहीं है।

(श्री मदन प्रजापत)

आज जो आप देख रहे हैं, और वैसे बड़ी खुशी भी है कि अनेकों तरह से जो बिजली उत्पादन हो रहा है और राजस्थान आत्मनिर्भर होने जा रहा है और अपने आने वाले समय में, और आज बिजली और पुरानी याद करें तो एक जमाना था, जब आकाश से बिजली देखते थे कि बिजली होती क्या है। लेकिन आज चाहे थर्मल से हो, चाहे पवन ऊर्जा हो, सौर ऊर्जा हो, मेरा आपके माध्यम से, माननीय सभापति जी, सुझाव भी है कि राजस्थान में गर्मी और सूर्य भगवान की मेहरबानी भी है तो बाकी महंगी बिजली उत्पादन को बंद कर धीरे-धीरे इनको, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना जरूरी हो गया है। ये सस्ती भी पड़ेंगी और राजस्थान उनके हिसाब से अनुकूल भी है।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पहले भी सरकार में प्रयास किया, अपन सबका दायित्व बनता है कि बिजली उत्पादन के साथ बिजली बचाना भी जरूरी है। यह कार्य जन सहयोग के बिना सम्भव नहीं है। आज कई बदमाशों और चोरों के कारण ईमानदार भले लोगों को उनका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आज अपन सभी जानते हैं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो एक क्रांतिकारी फैसला कि किसानों की पांच साल तक बिजली की रेट नहीं बढ़ाई जायेगी, मंत्रीजी भी विराजमान हैं, यह कोई मामूली बात नहीं है। यह इतना मजबूत फैसला वही ले सकता है जो किसानों के प्रति दर्द जानता हो और जिसमें माद्दा और हिम्मत हो, वह ही मजबूत फैसला किसान के हित में ले सकता है।

माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन भी है। सामने वाले भाषण भी दे रहे थे, कांग्रेस आई और बिजली गई। मेरा मानना है कि कांग्रेस आई, कांग्रेस आते ही भा.ज.पा. चली जाती है, बिजली कहीं नहीं जाती। माननीय सभापति महोदय, जोर-जोर से भाषण दे रहे हैं, जैसे इन चार-छह महीनों में ही सब गड़बड़ हो गया। पहले सब कुछ ठीक था। यह पानी और बिजली ऐसा मुद्दा है, इन दोनों बातों पर, इन दोनों मुद्दों पर अपना दायित्व बनता है कि राजस्थान की करोड़ों जनता अपन सबके ऊपर के देख रही है कि यह राजस्थान की विधान सभा में जाएंगे, हमारे प्रति, हमारे लिये कुछ न कुछ भला करेंगे। मेरा निवेदन है कि इस बिजली और पानी के मामले में अपन सब मिलकर जन हित में ऐसे फैसले लें ताकि जनता को सुविधा हो, बिजली की तकलीफ नहीं बढ़े। नाम बदलना वैसे भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत है। कई नाम बदले गये। जैसे दीनदयाल हो, इस गहराई में मैं नहीं जाता, कई महापुरुष हुए हैं। लेकिन नाम बदलने से जनता का भला होने

(श्री मदन प्रजापत)

वाला नहीं है। चाहे राजीव गांधी भवन की तरह राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना का नाम बदला लेकिन जनता इतनी भोली-भाली नहीं है कि नाम बदलने के बजाय अगर पंडित दीनदयाल उपाध्यायजी के नाम से और कोई नई योजना शुरू करते, तब हम मानते कि वास्तव में उस महापुरुष के नाम से कोई सौगात जनता को दी है। उसी घिसे-पिटे काम को नाम बदलकर, कपड़ा वही है, फर्मा चेंज करके जिस तरह मार्केट में लाना, आज जनता इतनी भोली नहीं है कि अपनी बातों में आये। इस नाम बदलने के कारण ही आज यहां से वहां गये हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत निवेदन करता हूं कि आज बिजली विभाग में कर्मचारियों के, जो छोटे कर्मचारी हैं, उनके ट्रांसफर पावर जो खतम हैं, उनको छोटे जिले लेवल के अधिकारियों को दिया जाए ताकि यह राजनीति, अखाड़ेबाजी, यूनियनबाजी की वजह से बाकी विभागों की तुलना में वहां के अधिकारियों के कंट्रोल में वे जो नहीं आ रहे हैं, वे एक्स.ईएन. के अधीन और एस.ई. के अधीन जो पावर है, वह वापस ट्रांसफर्स शुरू किये जाएं, ताकि वे छोटे कर्मचारी काम भी करें, उनको डर भी हो, ताकि जनता के हित में तुरन्त काम हो सकें।

माननीय सभापति महोदय, कई बातें, कई सुझाव आये। मैं मेरे क्षेत्र के बारे में निवेदन करता हूं कि मेरा बालोतरा शहरी और ग्रामीण क्षेत्र है। उसमें 21606 उपभोक्ता और 19621 पचपदरा उपखण्ड में और 10307 पी.डी.सी. उपभोक्ता हैं यानी कुल मिलाकर 73 हजार के करीब जो टोटल उपभोक्ता हैं। उनमें एक छोर से दूसरे छोर तक करीब 140 किलोमीटर एरिया है, ऐसी स्थिति में निपटने के लिये अधिकारियों को जो परेशानी होती है। उसके लिये मेरा सुझाव है कि कल्याणपुर में सहायक अभियंता पद नवसृजित किया जाये ताकि क्षेत्रफल की दृष्टि से बाड़मेर और जैसलमेर भौगोलिक परिस्थिति में बड़ा एरिया है। कल्याणपुर और बालोतरा बहुत बड़ा शहर है, और रिफाइनरी भी आ रही है और वैसे अपनी पूर्व सरकार में बालोतरा में जो 220 के.वी. जी.एस.एस. है और बालोतरा के इस पचपदरा साइड के बाद में 220 के.वी. जी.एस.एस. प्रस्तावित था। मुझे विश्वास है कि मजबूत मंत्रीजी विराजमान हैं और अपने समय प्रस्तावित था, इन्होंने पांच साल तक उसको ठण्डे बस्ते में डाल दिया और रिफाइनरी, इतना बड़ा जो उद्योग, काम जारी है, उसके हिसाब से एक जी.एस.एस. पर्याप्त नहीं है तो दूसरा 220 के.वी. जी.एस.एस. तुरन्त शुरू करवायें और बालोतरा शहर के लिये

(श्री मदन प्रजापत)

एफ.आर.टी. तकनीक जो प्राइवेट सैक्टर में फाल्ट रिपेयरिंग तुरन्त मिल सके और 24 घण्टे जनता के हित में तुरन्त शिकायत का निवारण हो सके।

क्षेत्र के जो रिक्त पद हैं उनको भी भरने की तुरन्त आवश्यकता है। इसके अलावा, माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके मार्फत निवेदन है कि चार-पांच जगह पर जो दूरी ज्यादा है उसके हिसाब से 33 के.वी.ए. जी.एस.एस. की और आवश्यकता है। चाहे दूदवा क्षेत्र है, चाहे कांकराला हो, चाहे सावयाली हो, चाहे नागणा-फाटा हो, और भी लिखित में भी निवेदन कर दूंगा, जो तकनीकी हिसाब से जरूरी हो वहां पर तुरन्त वह स्वीकृत हो तो जनता के हित में होगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, एक बात कहते हुए मैं स्थान ग्रहण करूंगा क्योंकि समय कम है। बाड़मेर, बालोतरा से 100 किलोमीटर दूर पड़ता है, उधर जोधपुर 100 किलोमीटर दूर पड़ता है और पूरे जिले का मात्र एक स्टोर है तो जोधपुर से बाड़मेर 200 किलोमीटर है। सामग्री 200 किलोमीटर जाती है और वापस वही गाड़ी 100 किलोमीटर वापस आती है तो उसमें खर्च भी बढ़ता है। बालोतरा में स्टोर की व्यवस्था अगर हो तो 200 किलोमीटर का फालतू का गाड़ी का, क्योंकि बालोतरा बीच में है, माननीय सभापति महोदय, सभी यह जानते हैं, मंत्रीजी भी पूरे एरिये के बारे में भली-भांति अवगत हैं तो मेरा निवेदन है कि बालोतरा में स्टोरेज हो ताकि सब जनता को सुविधा मिल सके।

अंत में मेरा निवेदन है कि थर्मल की जगह सौर ऊर्जा के प्रति ज्यादा अपन प्रयास करेंगे तो आने वाले समय में राजस्थान एक दिन इतना आत्मनिर्भर होगा कि बिजली की कोई कमी नहीं होगी। क्योंकि आज चाहे खेती हो या चाहे कोई भी उद्योग हो, चाहे घरेलू हो, कोई भी अगर काम की शुरूआत करेंगे तो बिना बिजली सम्भव नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, पहले का समय अलग था, बिजली नहीं थी, लोगों का जीवन-यापन उस हिसाब से था। आज कम्प्यूटर युग है और इस युग में बिजली बहुत जरूरी है।

मैं आज इस प्रकार के भाषण सुन रहा था कि जैसे हिन्दुस्तान यहां मोदीजी के आने के बाद बना है। यह जयपुर और बालोतरा भी बाद में बने हैं। इन चार सालों में यह बने हैं, जैसे पहले कुछ था ही नहीं। इस तरह के भाषण दे रहे हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें। श्री जगसी राम।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): राजस्थान की विधान सभा में जोर-जोर से कहना कि यह नहीं है, वह नहीं है, बिजली नहीं आ रही है तो क्या चार महीनों में हमने कहीं गायब कर दी? अगर आपके मन में जनता के लिए इतना ही दर्द है तो आप पांच साल सत्ता में थे ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए-विराजिए। माननीय सदस्य, विराजिए। श्री जगसी राम।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): आपने निजी हित के सिवाय जन हित में अगर प्रयास किया होता तो आपको आज भाषण देने की जरूरत नहीं होती लेकिन यह जानते हैं कि अख़बार में नाम छपवाने के लिए ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): 000

श्री सभापति: विराजिए। आपका अंकित नहीं हो रहा है। अब आप विराजिए।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): 000

श्री सभापति: विराजिए-विराजिए।

श्री जगसी राम (रेवदर): माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान का महत्वपूर्ण विषय जो है, किसान और सामान्य से सामान्य वर्ग जो कि बिजली के बिना अपना जीवनयापन नहीं कर पा रहे हैं और सरकार की ओर से आज अपन चर्चा कर रहे हैं। अभी हमारे विपक्ष के साथी कांग्रेस के भाई अपनी बात को बता रहे थे। मैं समझता हूं कि पूर्ववर्ती हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी के शासन में हमारे ऊर्जा मंत्रीजी सम्माननीय पुष्पेन्द्र सिंहजी ने जो बात कही बिलकुल सटीक और सही बात कही है और धरातल पर पूरे प्रदेश में काम हुए हैं।

मैं पूरे आंकड़ों की तरफ न जाते हुए सिरोही जिला और रेवदर विधान सभा क्षेत्र के लिए जिस तरह से हमारे अनूठे काम जो हुए हैं क्योंकि हमेशा किसान आए दिन बिजली की मांग को लेकर, बिजली की कटौती को लेकर आंदोलन करते थे लेकिन हम लोगों ने मांग की, 132 के.वी.ए. जी.एस.एस. सोरड़ा के अंदर स्थापित होने के बाद में मैं यह समझता हूं कि पूरे हमारे विधान सभा क्षेत्र के, रेवदर ब्लाक के किसान बहुत खुशी की ओर बढ़ रहे हैं।

अब यह जो सारी बात कही है, मैं समझता हूं कि बिजली पर चर्चा,

(श्री जगसी राम)

डिमांड नोटिस, जो डिमांड राशि निकली और किसानों के पैसे भरने के उपरांत भी यह सरकार बदलने के बाद में सारे काम ठप्प किए हुए हैं। मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में, सिरोही जिलों के किसानों के डिमांड नोटिस भरने के उपरांत, इन्होंने पैसे जमाए, किसानों के पैसे घर में कैसे आते हैं, यह आप और अपन सब जानते हैं जो इस सदन में बैठे हैं। मैं इस अवसर पर मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि तुरन्त प्रभाव से चाहे सामान्य वर्ग के हो या एस.सी. के हो या एस.टी. के हो, किसी भी कैटेगरी के हो, डिमांड नोटिस भरने के बाद में तुरन्त प्रभाव से उनको सामान जारी किया जाए ताकि आने वाले समय के अंदर खरीफ की जो फसल बुवाई का समय जब आएगा तो मैं समझता हूं कि आए दिन सिरोही जिले के अंदर जब किसान आंदोलन करे और बिजली कटौती के माध्यम से जो मैं समझता हूं कि आज से ही क्यों न उनकी व्यवस्था की जाए।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि जोधपुर संभाग के अंदर रेवदर ब्लाक जो है, रेवदर विधान सभा क्षेत्र और सिरोही जिला जो है हमेशा किसानों के लिए आए दिन समस्या खड़ी हो जाती है इसलिए खरीफ की फसल से पहले आप इनकी व्यवस्था कराएं ताकि मैं समझता हूं काश्तकारों के लिए एक बहुत बड़ा फायदा होगा।

एक और है, आबूरोड में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के माध्यम से कनेक्शन हुए हैं पर कुछ कनेक्शन उस बैल्ट के अंदर रह चुके हैं हमारे आदिवासी भाइयों के लिए सोलर प्लांट लगाकर यदि व्यवस्था की जाए तो एक बहुत बड़ा सराहनीय कदम होगा। क्योंकि हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने काफी काम किये हैं और जो कुछ काम बाकी रह गये हैं उनको भी करने की आवश्यकता है।

मैं इस अवसर पर विशेष तौर से, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने काफी बात कही है। स्टाफ की जो कमी है, हैल्परों की जो कमी है, मैं समझता हूं कि सिरोही जिले में और रेवदर क्षेत्र के अंदर मात्र गिने-चुने हैल्पर हैं, कभी भी घटना-दुर्घटना हो सकती है। मंत्री महोदय, आप आंकड़े उठाकर देख लें, कई बार जब ऐसी घटना-दुर्घटना होती है तो उनको काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सरकार है, मंत्रीजी भी बहुत करने के इच्छुक हैं, मैं चाहता हूं

(श्री जगसी राम)

कि आप हैल्परों की व्यवस्था करेंगे तो आने वाले समय के अंदर इस प्रदेश और सिरोही जिले के अंदर किसानों के लिए बहुत बड़ी सहूलियत रहेगी।

दूसरी बात, अभी बरसात सिरोही जिले के अंदर न के बराबर हुई, कुछ बारिश हुई है, माउंट आबू में भी हुई है लेकिन एक बार मामूली बारिश हुई और हवा आने के उपरांत दो-दो, तीन-तीन दिन तक वहां पर बिजली की व्यवस्था नहीं की जाती है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आप, यह कहने के लिए तो बहुत छोटी बात है लेकिन उन गांवों के जो लोग हैं, पढ़ाई करने वाले जो बच्चे हैं, पढ़ने के जो इच्छुक हैं, उनके लिए अगर तीन-तीन दिन तक लाइट की व्यवस्था नहीं होती है तो मैं समझता हूं कि इस प्रदेश का बच्चा, इस जिले का बेटा कैसे आगे बढ़ पाएगा? यह बिजली पर ही निर्भर है, बिजली नहीं है।

पहले तो ओपन कुए हुआ करते थे, अब यह ट्यूबवैल है, ट्यूबवैल के अंदर बाल्टी नहीं जाती है, और पहले के जमाने में जो ओपन वैल थे, वहां पर पानी सिंचित करके पशुओं को भी पानी पिलाते थे। यह जो समस्या है, इस समस्या के ऊपर मेरे से पूर्व साथियों ने कहा, यह बड़े-बड़े आंकड़े भी बताएं पर मेरी यह छोटी-छोटी बातें हैं लेकिन महत्वपूर्ण हैं। यह गांवों की, किसानों की बात है अगर इन बातों पर ध्यान देंगे तो आने वाले समय में महत्वपूर्ण चीज रहेगी।

मैं विशेष तौर से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि 132 के.वी.ए. जी.एस.एस. हमारा बन गया, उसके बाद में एक हमारे माटासन के अंदर जालौर की सीमा पर जो 33 के.वी.ए. जी.एस.एस. है, बिलकुल छोटी-मोटी त्रुटियों की वजह से, वह छह महीने पहले से स्वीकृति है लेकिन अधिकारियों और कर्मचारियों की वजह से वह जी.एस.एस. चालू नहीं हुआ है, जालौर से बिजली नहीं मिल रही है और किसानों के लिए बहुत ही भयंकर समस्या आए दिन वहां पर खड़ी हो जाती है।

मैं एक बात कहकर मेरी बात को पूरी करूंगा। रेवदर पूरा उप खण्ड स्तर पर है, वहां पर 220 के.वी.ए. का जी.एस.एस. प्रस्तावित है, सैंक्शन भी है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आप जब इसका उत्तर दें तो इसका भी जवाब दें, कब यह चालू होगा। खरीफ की फसल से पहले किसानों के लिए इस चीज को जोड़ा जाए ताकि आने वाले समय के अंदर किसानों को बहुत फायदा मिलेगा।

(श्री जगसी राम)

मैं मेरी बात को ज्यादा न कहते हुए जो दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत कार्य चालू है, सिंगल फेस वाले कुओं के अंदर जो स्कीम है, बहुत ही सराहनीय स्कीम है और कुछ किसान कुओं पर वंचित रह गये हैं, उनको भी इसमें जोड़ा जाए ताकि आने वाले समय के अंदर क्षेत्र का बहुत विकास होगा। धन्यवाद।

श्री सभापति: सुश्री दिव्या मदेरणा।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): सभापति महोदय, आज आपने मुझे बिजली की चर्चा पर बोलने का मौका दिया है। ऊर्जा डवलपमेंट का इंडिकेटर है। किस तरफ हम प्रगति कर रहे हैं। ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा की आपूर्ति वर्तमान युग में हमारी प्राथमिकता है। उद्योग का यह स्तम्भ है। परिवहन, कृषि हर कार्यों के अंदर हमें इसकी आवश्यकता है। इसके अपने स्रोत हैं परम्परागत, नोन फासिल्स और डिमांड एण्ड सप्लाई के वितरण के लिये इसके संसाधनों को बनाये रखने के लिये दोनों साइड को मैनेज करना अति-आवश्यक है। शहरी विद्युतिकरण और ग्रामीण विद्युतिकरण वापस उसी तरह से हमें मैनेज करने की आवश्यकता है, लेकिन ग्रामीण विद्युतिकरण घर-घर बिजली पहुंचा सके, यह हमारी सरकार की प्राथमिकता है।

दो पूर्व ऊर्जा मंत्री व वरिष्ठ नेताओं ने इस सदन में बहुत-से बिंदुओं पर, परेशानियों पर प्रकाश डाला और एक जन-प्रतिनिधि के रूप में बिजली की समस्या से जूझते लोगों से जो बातें सामने आयीं, उनको मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय के सामने बताना चाहूंगी।

अभी बहुत बार बात हुई जले हुए ट्रांसफार्मर्स की, कि 72 घंटे में देने का प्रावधान है और स्वयं किसान उसे अपनी गाड़ी में लेकर जाता है, लेकिन एक प्रावधान और है कि हम उसे 700 रुपये भुगतान आगामी विद्युत बिलों में करेंगे, अगर वह खुद अपना परिवहन करता है और यही प्रावधान कनेक्शन हेतु लाइन खिंचवाने के कार्य में भी है, साढ़े सात रुपये प्रति पोल उसको देने का है अगर वह स्वयं यह करता है। इसी तरह नये कनेक्शन लेते समय स्थापित विद्युत कनेक्शन व पुराना पम्प बदलते समय इसी क्षमता के नये एनर्जी एफिशिएंट पम्प अगर वह लगाता है तो साढ़े 700 रुपये प्रति एच.पी. उसे आगामी बिलों के अंदर दिया जाता है और मुझे नहीं लगता कि पांच साल में यह दिया गया है, न कोई देता है। इसके प्रचार-प्रसार की आवश्यकता है और अगर दिया है तो इसका विवरण सदन की मेज पर रखें।

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

दो वर्ष के अंदर जो कृषि कनेक्शन के लिये हमारे यहां पर राइडर है कि हम उसे शिफ्ट नहीं कर सकते। बहुत कम, मात्र एक प्रतिशत लोग उसे शिफ्ट कराने के लिये आते हैं। कई कारण ऐसे हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगी कि इस दो साल की अवधि को समाप्त किया जाए, क्योंकि इसकी वजह से किसानों को बड़ी कठिनाई होती है।

स्वेच्छा से कटे हुए कनेक्शन को पुन: जोड़ने का प्रावधान नहीं है, केवल बकाया राशि पर कनेक्शन पुन: जोड़ने का नियम है। इसे भी देखा जाए, लिबरल किया जाए।

हमारी सरकार ने आते ही यह कहा था कि हम पांच साल तक कृषि की दर नहीं बढ़ाएंगे और 2019 में हमने यह भी कहा कि हम एक लाख कृषि कनेक्शन देने का काम करेंगे। लेकिन इतना धरती की परिधि के बराबर हम इन्फ्रा फैला रहे हैं, हम कनेक्शंस दे रहे हैं, चाहे वह दीनदयाल योजना के माध्यम से, सौभाग्य योजना से पूर्ववर्ती सरकार ने दी हो और हमारी सरकार की भी प्राथमिकता है कि हम घर-घर बिजली पहुंचाएं, तो जरूरी है कि हमारी ट्रांसमिशन लाइंस, हाई वोल्टेज लाइंस, 132, 220 के.वी., इनको भी आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। इसके ऊपर लोड आ रहा है, नहीं तो बिजली की समस्या आने वाली रबी के सीजन के अंदर चरमरा जाएगी।

मैं आपसे यह भी कहना चाहती हूं कि कर्मचारियों की नेग्लीजेंस के कारण कई बार फाइनल क्लोजर की रिपोर्ट टाइम पर नहीं दी जाती और उसके कारण दस प्रतिशत का जो पैसा हमें ग्रांट मिलती है, वह रूक जाती है। वह एक बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर यह शोर्ट क्लोजर भी दे दें तो भी वह बड़ा अमाउंट हमें मिलेगा, उससे हमें सहायता मिलेगी।

राजस्थान में भी अभी यह माना जा रहा था जब सौभाग्य योजना और दीनदयाल योजना ला रहे थे कि हम इन्फ्रा के अंदर सौ प्रतिशत की तरफ पहुंच चुके हैं, लेकिन राजस्थान के अंदर इन्फ्रा का नैटवर्क पूरी तरह से नहीं पहुंचा है और वह अनगिनत ढाणियां, जहां सर्विस लाइंस तक नहीं हैं आज तक, वहां पर भी तीव्र गति से इन्फ्रा का काम कराने की आवश्यकता है।

कुसुम योजना की बात कर रहे थे। निश्चित रूप से सोलर को बढ़ावा मिलेगा। ट्राई पार्टी एग्रीमेंट होगा 25 साल और किसान की आय दुगनी होगी। जनरेशन पाइंट और कंजम्पशन पाइंट के बीच में एक लेवल करते हुए जो ट्रिपिंग, जो क्वालिटी और सप्लाई गिरती है, निश्चित रूप से फर्क आएगा, ग्रिड

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

से जुड़ेगा और बहुत सारी चीजें होंगी। निश्चित रूप से हमें इसको जल्दी क्रियान्वित कराने की आवश्यकता है।

जोधपुर डिस्काम में विशेष रूप से 110 करोड़ रुपये की कृषि कनेक्शनों की राशि जमा है, लेकिन हमने उनको कनेक्शन नहीं दिये हैं। रबी का सीजन है और इसलिये किसानों को जल्दी लाभ पहुंचाने के लिये तुरन्त प्रभाव से वह कनेक्शन देने चाहिए।

एक प्रोग्राम निकाला 'घर-घर बिजली, डिस्काम आपके द्वार'। मैंने नहीं देखा कि 'डिस्काम आपके द्वार' कब यह शिविर लगे और कितने लोग लाभान्वित हुए। निश्चित रूप से हमें एक मैकेनिज्म करने की जरूरत है कि जन-प्रतिनिधि, विद्युत विभाग के कर्मचारी निरन्तर रूप से एक कैम्प लगाएं और जन समस्याओं को सुनें ताकि किसान की विद्युत की समस्या को हल किया जा सके।

सभापति महोदय, जब हम इतने सारे डोमेस्टिक और कृषि कनेक्शंस दे रहे हैं तो मेरे क्षेत्र जोधपुर के अंदर 220 के.वी. तिवरी, आहू, देचू 132 के.वी. हतूंडी, किरमसरिया, बापिणी ऐसे छह ग्रिड स्टेशंस की क्षमता बढ़ाने की स्वीकृति मिल गयी थी। साल भर से ऊपर हो गया है, लेकिन उसके प्रति किसी ने नहीं देखा और बड़ा आश्चर्य होता है मुझे, कि चीफ मिनिस्टर का गृह जिला और विभाग के कर्मचारी कछुए की चाल चल रहे हैं।

गुणवत्ता और अच्छी सप्लाई देने के लिये भीकमपुर, ओसियां के पास के ग्रिड 132 की के.वी.ए. को भी बढ़ाने की कृपा करें।

ट्रिपिंग के बारे में मैंने पढ़ा और अभी ट्रिपिंग के बारे में बहुत-सी बातें हुई। दीनदयाल योजना के अंदर यह भी कहा था कि ट्रिपिंग के अंदर फीडर को दूर करना चाहिये। कृषि कनेक्शन के फीडर और डोमेस्टिक कनेक्शन के फीडर अलग होने चाहिए, जो आपने नहीं करे। इसलिये मैं आग्रह करूंगी आपके माध्यम से, कि इसका काम भी सुचारु रूप से किया जाए।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, दो मिनट में समाप्त करें अब आप।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): मैं लास्ट पाइंट पर आ जाती हूं। सभापति महोदय, बिजली कैसे गिरती है? कुछ बिजली तो आप समय की कटौती करके गिरा देते हैं हम पर और बिजली कैसे गिरती है, पहले आकाश की तरफ अभी बता रहे थे कि हम देखते थे। जब अखबारों में पढ़ा तो पता

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

लगा, एक बड़ी कयामत, एक बड़ी क्षति आती है और जब एक शायर इसकी व्याख्या करता है तो क्या कहता है, वह पूछता है।

'जब पूछा किसी से किस तरह गिरती है बिजली,
उन्होंने निगाहें मिलायीं और मिलाकर झुका दीं।'

आज जब मैं आम व्यक्ति की बात करती हूं, उस विचारधारा के व्यक्ति की बात करती हूं, व्यवस्था से हारे हुए व्यक्ति की बात करती हूं, उस किसान की बात करती हूं कि उस किसान पर कैसे बिजली गिरती है। जब छोटे-से-छोटे हैल्पर से लेकर विद्युत विभाग के अंदर लाइन देने के नाम पर, प्रस्ताव बनाने के नाम पर, भ्रष्टाचार के नाम पर वसूली करते हैं और जन-प्रतिनिधि के रूप में इनके संरक्षण के लिये जब हम ऐसी भ्रष्टाचार की बात हाएस्ट ब्यूरोक्रेटिक चैनल को कहते हैं तो वह कोई एक्शन नहीं लेते और आज यहां दिख भी नहीं रहे हैं आफिसर्स गैलेरी के अंदर। मंत्रीजी को बताते हैं तो मंत्रीजी को मिस-लीड करते हैं और कहते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट का मनोबल गिर जाएगा। कहीं पर तो आप देख रहे हैं कि भ्रष्ट अधिकारियों को, करप्ट मोरल इंटीग्रिटी से कम को कम्पलसरी रिटायरमेंट देकर भेजा जा रहा है और यहां हम कह रहे हैं कि हमारे डिपार्टमेंट का मनोबल गिर जाएगा। आपके डिपार्टमेंट का मनोबल गिरे या न गिरे, जनता का मनोबल नहीं गिरना चाहिए। हम जीरो टोलरेंस भ्रष्टाचार के ऊपर आये हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं कि अगर ऐसे हाएस्ट चैनल आफ ब्यूरोक्रेटिक का रवैया भी ऐसा रहेगा तो बड़ी सोच का विषय है और आप मंत्रीजी तक को मिस-लीड कर देते हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, समाप्त करें।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): लास्ट पाइंट। दूसरी बात, जब मैं 132 के.वी. की बात कर रही थी तो एम.डी. को 33 के.वी. के कितनी भी लिमिट के फाइनेंशियल पावर्स स्वीकृत करने के पावर्स थे। जयपुर डिस्काम के अंदर जोनल इंजीनियर को आगमेंटेशन के पावर हैं ताकि डिले न हो। 17.2.2019 को एक आर्डर से आपने वह डिसैंट्रलाइज कर लिये। अब एम.डी. को पता नहीं, आप इन डिस्काम को दंतविहीन बनाना चाहते हैं, पंगु बनाना चाहते हैं। हम डिसैंट्रलाइजेशन की पालिसी लेकर आते हैं, आप सैंट्रलाइज कर रहे हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, समाप्त करें।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): मैं यही कहना चाहती हूं कि ऐसी बिजली मत गिराइये, जिस जनता के हितों की रक्षा के लिए हम आए हैं, हाई वोल्टेज का करंट मारना हम भी जानते हैं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बलजीत यादव।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन में यह बात कहना चाहता हूं, मैं अभी सदस्यों को सुन रहा था कि ज्यादातर सदस्य बोल रहे थे कि किसान बिजली की चोरी करता है, छीजत हो रही है, लूट हो रही है, मैं इस सदन में कहना चाहता हूं कि 48 डिग्री टेम्प्रेचर में पत्थर तोड़कर बेटों का पेट भरने वाला मजदूर जान बूझकर चोर नहीं होता। हाड़ कंपाने वाली सर्दी में पूरी रात पाणत करके अपने बच्चों का पेट भरने वाला किसान चोर नहीं होता है। इस बात पर कोई चर्चा नहीं कर रहा कि वह चोरी करने को मजबूर क्यों है।

बातें हो रही हैं बड़ी-बड़ी। उद्योग लगाओ, विदेश से उद्योगपतियों को लाकर उद्योग लगाओ। हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, दर-दर घूमते हैं झोली फैलाते हुए, मैं कहना चाहता हूं बंद करो यह उद्योग-उद्योग, एक बार इस किसान की दशा सुधार दो, विदेशों में जाकर किसी के सामने भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

बिजली और पानी किसान की आवश्यकता है। मैंने किसान को रोते हुए देखा है मेरे विधान सभा क्षेत्र में कि बिजली का बिल आ गया। वह गरीब किसान बेटे को कोचिंग कराना चाहता है, पढ़ाना चाहता है इस स्वप्न के साथ कि मेरा बेटा पढ़-लिखकर ऊंचे मुकाम पर पहुंचेगा और इस गरीबी की बेड़ियों में मुझे जो पकड़ लिया है उनसे मुझे मेरा बेटा आजाद करेगा लेकिन उसी वक्त बिजली का बिल आ जाता है। पहले दो महीने में आता था, अब हर महीने आने लग गया। बिजली का बिल जमा कराये या बच्चे की कोचिंग की फीस जमा कराये। जब वह कोचिंग की फीस दे देता है तो उसका कनेक्शन कट कर दिया जाता है। वो गिड़गिड़ाता है, सर, मेरा कनेक्शन मत काटो, मैं जमा करा दूंगा, मुझे मौका दो, मेरी फसल कटकर आने वाली है। सभापति महोदय, मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि उसका बेरहमी से भ्रष्ट बिजली विभाग के अधिकारी जा करके कनेक्शन काट देते हैं और अगर उनकी सम्पत्ति की जांच की जाए तो वो करोड़ों के मालिक मिलेंगे, सभापति महोदय, यह आपके माध्यम से बताना चाहता हूं। लेकिन उस पर रहम नहीं किया जाता है, उसका कनेक्शन काट दिया जाता है। सभापति महोदय, मैं अनेक उदाहरण जानता हूं मेरे विधान सभा क्षेत्र में लाखों रुपये की चोरी करते हैं उद्योगपति महीने की, उनकी कोई वीसीआर नहीं काटता है, कोई उनका कनेक्शन नहीं काटता है लेकिन उस गरीब, मजदूर किसान के साथ ऐसा दोहरा व्यवहार किया जाता है।

(श्री बलजीत यादव)

मैं मंत्री जी को सिर्फ इतना कहना चाहता हूं हम आपके साथ हैं, आप मुख्य मंत्री जी से बात करें और केन्द्र सरकार से भी बात करें। जब उद्योगपतियों का करोड़ों का ऋण माफ हो सकता है तो आपकी जो कम्पनियां हैं ये घाटे में हैं, मैं मानता हूं उनका घाटा पूरा करना तो जब उनका ऋण माफ हो सकता है तो इन बिजली कम्पनियों का सरकार क्यों नहीं माफ कर सकती? केन्द्र सरकार भी मदद करे और राज्य सरकार भी मदद करे। यह वीसीआर रूपी डायन किसानों के, मजदूरों के पीछे मत छोड़ो, उनका गला मत दबाओ, इसको छोड़-छोड़कर जा रहे हैं, 50-50 हजार की काटकर आ रहे हैं। सभापति महोदय, बिजली का बिल ड्यू रह गया, कनेक्शन कट गया, लाइट जलाने को चला लिया, 50 हजार की वीसीआर काट आये। वो बेचारा 50 हजार कभी दे नहीं सकता, ईमानदार कभी बन नहीं सकता। इसलिए ऐसी कोई स्कीम लायी जाए कि अगर किसी का बिजली का बिल बकाया है तो उस बकाया बिल में उसको छूट दी जाए और उस आदमी को, वो वापस ईमानदारी से बिल भर सके, इस स्थिति में लाया जाए। सभापति महोदय, किसी व्यक्ति के पास जब जेब में पांच रुपये हैं और आप उससे कहते हो कि मुझे पांच सौ रुपये चाहिए, फिर चाहे आप उसको पीट लो, मार लो, कूट लो, फांसी पर लटका दो, वो नहीं दे सकता क्योंकि उसके पास है ही नहीं।

यह राजस्थान के किसान की हालत है इसलिए उसके दर्द को, उसकी पीड़ा को भी यह सदन समझे और सकारात्मक सोच के साथ कि किसान, मजदूरों ने ही हमें यहां भेजा है। मैं कितने ही ऐसे अधिकारियों को जानता हूं, मंत्री महोदय, जो एक आर.ए.एस. दो-दो हजार करोड़ की सम्पत्ति है, मैं पकड़ा सकता हूं कोई माई का लाल अगर उनको पकड़ ले तो, कोई नहीं पकड़ता है। कोई नहीं पकड़ता है, कम से कम बता रहा हूं। आई.ए.एस. अधिकारी बता सकता हूं जो दस-दस हजार करोड़ के मालिक हैं। मैं आपको जमीनें दिखा दूं, यह पड़ी इस आई.ए.एस. की, पकड़ लो कोई पकड़ सकता है तो। कोई माई का लाल नहीं पकड़ता है, सिर्फ भाषण दिये जाते हैं। और वो ही ब्यूरोक्रेट, वो ही कलेक्टर, वो ही एस.पी., उनसे सरकार फीडबैक लेती है, एम.एल.ए. का फीडबैक लिया जाता है। वो फीडबैक देंगे, वो चोर अधिकारी, उनसे दिन-रात लड़ने वाले एम.एल.ए. का फीडबैक लिया जाता है। वो कौनसा फीडबैक देंगे?

इसलिए मैं कहना चाहता हूं अगर सरकार वास्तव में गम्भीर है जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए तो उसको जनता की पीड़ा को समझना पड़ेगा और धरातल पर जाकर उसको देखना पड़ेगा, तब उसको सच्चाई का पता लगेगा।

(श्री बलजीत यादव)

इसलिए मैं कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, छह महीने में किसान की फसल बिकती है और बिल हर महीने आता है, तो क्यों नहीं जब बेचारे की फसल कटे छह महीने में तब उससे बिल लिया जाये? मजदूर को मौका दिया जाये। सब्सिडी पहले बिलों में कटकर आती थी, अब उसको कह दिया खाते में जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं बिल में, कौनसा बिल का ब्लैक हो रहा है, जब उस आदमी को, कनेक्शनधारक को ही अगर सब्सिडी देनी है ...

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): सभापति महोदय, दो मिनट और लूंगा।

अगर उसी को सब्सिडी देनी है तो सब्सिडी उसके बिल में काट करके दे दो। परदादा के नाम कनेक्शन है, बीस वारिस हो गये हैं, झगड़ा हो रहा है किसके नाम कनेक्शन हो, कैसे कनेक्शन हो, भाई-भाइयों में और झगड़ा हो रहा है। इसलिए सितम्बर तक आपने बढ़ाया उसके लिए, मंत्री जी, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं। आपकी मंशा साफ है, आप भले व्यक्ति हो और मैं आशा रखता हूं कि आप मेरी भावना को समझेंगे, उस किसान के दर्द को समझेंगे और नीचे जाकर चैक करेंगे।

अभी गर्मियों का टाइम था, बस एक मिनट में अपनी बात रख रहा हूं, सभापति महोदय। मेरा क्षेत्र डार्क जोन में है, आप पता करना, पूरी गर्मियां बहरोड़ का विधायक सुबह छह बजे से लेकर शाम के छह बजे तक तपती लू में गांव में खड़ा रहा और आपके जलदाय विभाग के उन्हीं अधिकारियों को लेकर जो चाहे बी.जे.पी. राज में ही लगे होंगे लेकिन मैं उनको पुरस्कृत करूंगा और मैंने कहा कि मेरे वेतन से, जो अधिकारी, कर्मचारी अच्छा काम करेगा उसको इनाम दूंगा, पुरस्कृत करूंगा और मेरे क्षेत्र में अख़बार ने लिखा कि बहरोड़ में कहीं भी मटका फोड़ प्रदर्शन नहीं हुआ, विधायक की और अधिकारियों की सक्रियता काम में आई। बिजली के अधिकारियों को भी सम्मानित करूंगा। कुछ अधिकारी अच्छे थे, अफसर सब खराब नहीं होते। वहां कहीं ट्रिपिंग की समस्या नहीं आई, कहीं वोल्टेज की समस्या नहीं आई। उन्होंने समय रहते ठीक किया, मैंने कहा लेकिन कुछ निकम्मे अधिकारी होते हैं, उनको यह गुमान होता है कि हमारी ऊंची पहुंच है या हम कहीं ऊपर पैसा देकर आ जाएंगे, हमें कोई नहीं हटा सकता। वे लोग गड़बड़ी करते हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): इसलिए आप इस ओर ध्यान देंगे, यह मैं आशा रखता हूं और मैं आपको पूरा-पूरा यह विश्वास दिलाता हूं कि हमारी ओर से, मेरी ओर से आपको पूर्ण रूप से सहयोग रहेगा। मेरे क्षेत्र में 11 हजार, 33 हजार की लाइनें हैं, वो बाड़े के ऊपर से जा रही हैं, अनेक पशु मर चुके हैं, अभी भैंस मर गयी। तार टूट जाता है।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): तो मेंटीनेन्स का काम ठीक से नहीं हो रहा है इसलिए मेंटीनेन्स का काम ठीक से करवाया जाए। यही कह करके और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिन्द। जय राजस्थान।

श्री सभापति: श्री अर्जुन लाल जीनगर।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय सभापति महोदय, आपने इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने के लिए मुझे समय दिया, इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं।

बिजली के बिना कोई कार्य सम्भव नहीं है चाहे यह सदन हो, चाहे कृषि कार्य हो, चाहे उद्योग हो। जहां अंधेरे को उजाले में परिवर्तित करना हो, बिना बिजली के कोई भी काम सम्भव नहीं है। बिजली जीवन का एक आवश्यक अंग बन गया जैसे रात हो चाहे दिन हो, बिजली की हमेशा जरूरत पड़ती है।

सभापति महोदय के माध्यम से मेरा एक निवेदन है कि जब भारतीय जनता पार्टी का शासन था तो गांवों में 24 घंटे सिंगल फेस बिजली निर्बाध रूप से मिलती थी, किसानों को आठ से दस घंटे बिजली खेतों के लिए, कृषि के लिए मिलती थी, मात्र छह-सात महीने में ऐसा कौनसा पहाड़ टूट गया जो खेतों से बिजली गायब हो गई, गांवों से बिजली गायब हो गई, खाना खाते समय बिजली गायब हो गई, खाना बनाते समय बिजली गायब हो गई? माननीय सभापति महोदय, मेरा इतना निवेदन है अब जो यह बिजली गायब रहेगी और एक-एक दिन में बीस-बीस बार ट्रिपिंग आ जायेगी तो कैसे काम चलेगा?

जब भी बिजली जाती है फोन आता है कि हमारे गांव से बिजली चली गई, पढ़ने वाले छोटे-छोटे बच्चे कहते हैं बिजली चली गई। हम ए.ईएन., जे.ईएन., एक्स.ईएन. को फोन लगाते हैं, एक बात कही जाती है एलडी मैसेज है। मैं बार-बार पूछता हूं, चाहे हमारा भी शासन रहा, कभी भी फोन आया कि एलडी मैसेज है, अभी तो वर्तमान सरकार है, मैं ढूंढ़ना चाहता हूं एलडी मैसेज

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

आता कहां से है? आपको भी ढूंढ़ना चाहिए यह एलडी मैसेज देता कौन है और यह एलडी मैसेज इतना क्यों परेशान करता है? यह शहरों में नहीं आता है, यह शहरों में बहुत कम आता है, आता भी है तो बहुत कम आता है। यह सिर्फ गांव में एलडी मैसेज आता है। मेरा यह निवेदन है कि शहरों के अन्दर सरकार रहती है, शहरों के अन्दर अधिकारी रहते हैं, आई.ए.एस. आफिसर रहते हैं, कई सैक्रेटरी रहते हैं तो गांव के अन्दर तो पढ़े-लिखे लोग रहते ही नहीं हैं, सब यहां ही पढ़े-लिखे लोग रहते हैं?

सबसे पहले जब भी एलडी मैसेज आए तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि शहर की बिजली काटो, अपने आप पता चल जाएगा कि अंधेरे में मां किस प्रकार से खाना बनाती है, किस प्रकार से बच्चों को खाना खिलाती है और किस प्रकार से खेती करते हैं। 'जाके फटी ना बिवाई वो क्या जाने पीर पराई' हम तो गांवों के लोग हैं, हमको पता है। उस किसान को पता है कि बिजली की क्या हालत होती है। मंत्री जी शहर के हैं। इनको पता भी नहीं है कि बिजली होती क्या है और खेती किस प्रकार से करते हैं।

सभापति महोदय, मैं एक अति महत्वपूर्ण निवेदन करना चाहूंगा कि उद्योगों को हम दिन में भी बिजली देते हैं, रात में भी बिजली देते हैं। लेकिन किसान को टर्नवाइज बिजली देंगे। रात का समय होगा तो ठंड के समय में वह व्यक्ति, वह किसान, वह मजदूर उस खेत में जाकर के, जीरो डिग्री टैम्प्रेचर पर, अंधेरे में पाणत करने का काम करेगा। मेरा आग्रह है इस सदन के माध्यम से कि जिस दिन टर्न मेरा भी हो, मैं खेत में जब पाणत करने जाऊं, मैं खुद भी यही काम करता हूं, खेती का काम करता हूं, आपका सैक्रेटरी, आपका ए.ईएन., आपका एक्स.ईएन., आपका एस.ई., उस खेत की पाली पर बैठकर के देखे, चाय भी मैं उनको पिलाऊंगा, खेती मैं करुंगा, उस ठंड के मौसम में बैठकर के दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा कि वह किसान के लिए कुछ सोच रखता है, ध्यान रखता है। मैंने कई बार सैक्रेटरी को रात के एक-एक बजे फोन किया है। एम.डी. को फोन किया है कि बिजली चली गई है। उस किसान की हालत बड़ी खराब हो रही है। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक काम जोरदार इसमें और होता है, वीसीआर का। यह वीसीआर भरने का काम होता है। किसान चोरी करता है? घरेलू आदमी चोरी करता है? वह चोरी क्यों नहीं करेगा? आप समय पर कनेक्शन दे दो। ईमानदारी के साथ बिल दे दो। हम

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

सारा काम कर लेंगे। वह किसान, जिसको हम कनेक्शन नहीं दे पा रहे हैं, इस कारण से वह चोरी कर रहा है। वह हिम्मत के बल पर चोरी कर रहा है। किसान खेती करके अन्न पैदा करता है। उसकी समस्या का समाधान करें। लोगों को अन्न देने का काम करता है। हिम्मत के बल पर चोरी करके वह खेती कर रहा है तो वह गुनाहगार नहीं हो सकता है। गुनाहगार तो हम हैं।

सभापति महोदय, मेरा एक निवेदन है कि बीपीएल परिवारों को हम पहले दीनदयाल उपाध्याय जीवन ज्योति योजना के तहत फ्री में कनेक्शन दे रहे थे और एपीएल को 500 रुपये में दे रहे थे। आज 1800 रुपये हम उससे डिमांड का ले रहे हैं। 10-10 साल पुराने कनेक्शन हम दे नहीं पा रहे हैं। वह कनेक्शन तुरन्त प्रभाव से दें, उसको ट्रांसफार्मर दे देंगे तो सारा काम ठीक होगा।

श्री सभापति: 2 मिनट में समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): 2 मिनट में कैसे समाप्त होगा?

श्री सभापति: बस करिए आप 2 मिनट में।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): किसानों के लिए 9 एचपी तक की मोटरों के कनेक्शन माफ करके सबसे बड़ा कोई काम किया है तो हमारी पूर्व मुख्य मंत्री वसुन्धरा जी ने किया है। मैं उनको बार-बार इस सदन के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूंगा।

सभापति महोदय, एक मन की पीड़ा मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा। पीड़ा सबकी है। एस.सी. के लोगों को जिस प्रकार से एप्लीकेशन लगाते ही कृषि का कनेक्शन दिया जाता है। एस.टी. के लोग भी बहुत पूअर स्थिति में हैं। आप जानते हैं समाज कल्याण मंत्री जी। एस.टी. के लोग बिखरी हुई आबादी में रहते हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी सैकड़ों, हजारों लोग ऐसे हैं, लेकिन यदि वह बिजली के लिए एप्लीकेशन लगाएंगे तो सामान्य श्रेणी में उनको मानकर के 10-10 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। मैं 25 साल से इस बात को उठा रहा हूं। जब हम 1993 में भैरोंसिंह जी शेखावत के समय में बैठते थे। कल्ला जी, आप भी थे उस समय। तब भी मैंने यह बात उठाई थी। आज भी उठा रहा हूं। मेरा आग्रह है कि एस.टी. के लोगों को भी एस.सी. के समान मानकर के तुरन्त प्रभाव से कनेक्शन दे दिए जाएं ताकि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके।

श्री सभापति: समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): 2 ही मिनट में अपनी बात कह

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

रहा हूं। मेरे क्षेत्र की बिजली समस्या के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि निर्बाध रूप से अच्छी बिजली मिल जाए। हमारी सरकार ने एक योजना बनाई थी। हर 5 किलोमीटर पर एक जीएसएस बना दिया जाए। मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि रिक्त पदों को भर दिया जाए।

मेरे क्षेत्र के अंदर निम्बाहेड़ा, मुंगाणा, बनाकिया कलां, ऊचनार खुर्द, उपरेड़ा, नेवरिया, बालोटियां की खेड़ी, बावलास, जाड़ान, बारु, पीपलवास, पोटला कलां, रेवलिया खुर्द, बांगूड, गुन्दली, उसरोल, फलासिया में 33 केवी के जीएसएस बन जाएं तो मैं सोचूंगा कि बिजली की समस्या का समाधान हो जाएगा।

सोलर ऊर्जा और पवन ऊर्जा पर हमको आधारित रहना पड़ेगा। अगर इस पर हमने ध्यान दिया तो आने वाले समय में बिजली की समस्या से हम निजात पा सकते हैं। आपने समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गोविन्द राम।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): आदरणीय सभापति महोदय, आपने मुझे बिजली के विषय पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय, देश जब आजाद हुआ तो देश में गिनी-चुनी जगह पर बिजली थी। आज जो यह बड़ी-बड़ी बातें करते हैं कि कांग्रेस ने 60 साल में क्या किया। 1962 में भाखड़ा डैम नेहरू जी ने बनाया। पोंग डैम बना। उसके बाद इंदिरा गांधी नहर निकली। उसमें लिफ्ट योजनाएं चल रही हैं। पोंग डैम के ऊपर भी बिजली उत्पादन का संयंत्र बना। वहां से बिजली भी आज उत्पादित हो रही है।

सभापति महोदय, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आज यह जो हमारे विपक्ष के लोग हैं, यह कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस जिस समय देश में आजादी लेकर आई, उस समय देश में न तो स्कूल थे, न ही यहां सड़कें थीं, न ही यहां डैम थे, न ही यहां पर फैक्ट्रीज थीं। आज जो यह बिजली पूरे देश में प्रकाश देने का काम कर रही है, यह कांग्रेस की देन है।

सभापति महोदय, मैं मोदी जी का नाम नहीं लेना चाहता था। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह दीनदयाल योजना की बात कर रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): 2003 में तो यह बीजेपी की ...(व्यवधान) 2003 में तो आप बीजेपी की उपलब्धियां बता रहे थे ...(व्यवधान)

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): 2003 में तो घनश्याम जी तिवाड़ी भी थे ...(व्यवधान) मानवेन्द्र सिंह जी भी थे ...(व्यवधान)

श्री सभापति: चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य, कृपया ...(व्यवधान)

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): मानिक चन्द सुराना जी भी थे। कितने नाम गिनाऊं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: गोविन्द राम जी। श्री गोविन्द राम। चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य, यह बार-बार आपका खड़ा होना बिलकुल बर्दाश्त के बाहर है। बैठिए आप। इस तरह से बिलकुल बर्दाश्त नहीं होगा। आप इतने सीनियर आदमी हैं। यह क्या कर रहे हैं आप।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): सभापति महोदय, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि यह जो सामने बैठे हैं, अच्छे लोग हैं। यह अच्छे लोग हैं।

श्री सभापति: मैं अभी ऊर्जा मंत्री जी का रिप्लाई करा दूंगा। बैठिए।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): लेकिन हमारा विचारधारा का झगड़ा है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य। यदि आपने बाध्य किया तो ऊर्जा मंत्री जी का रिप्लाई करवा दूंगा और फिर आप आराम से यहां बैठे रहिए।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): मैं इनका ही तो जवाब दे रहा हूं।

श्री सभापति: कोई इंटरवीन नहीं करेगा।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): अब यह +++ की बात कर रहे थे। मैं उसमें इतना ही कहना चाहता हूं कि +++ 5 साल में देश में एक भी विकास की योजना चालू नहीं की। इन्होंने +++ राज किया है।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): हम असत्य सुनने के लिए नहीं बैठे हैं ...(व्यवधान)

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): इन्होंने ईवीएम घोटाले से राज... (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): बहुमत कैसे आया ...(व्यवधान) हिन्दुस्तान की लोक सभा के अंदर ...(व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): +++ तो राहुल गांधी जी की पार्टी के सारे लोग ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आसन पैरों पर है ...(व्यवधान)

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): असत्य सुनने के लिए नहीं ... (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): सांप्रदायिकता का ढोंग करके सत्ता में आने वाले लोग ...(व्यवधान) यहां शिक्षा दे रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए आप।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): मेरी बात अभी बिजली पर तो आई ही नहीं। मैं 5 मिनट तो बोलूंगा।

श्री सभापति: आप विराजिए। आप बैठिए एक बार। कोई आसन का निर्देश नहीं, आसन को सुनना नहीं, आसन जब आपको बार-बार आग्रह कर रहा है कि इतने ज्यादा माननीय सदस्य बोलने वाले हैं। जरूरी है उनको इनवाइट करना? ऊर्जा पर आपके सुझाव क्या हैं, जरूरी यह है। आप अपने सुझाव दीजिए ऊर्जा पर।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): सभापति महोदय, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि 2008 में हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री जी ने बताया कि 6 हजार मेगावाट बिजली उत्पादित हुई।

श्री सभापति: बोलने का मैटर कुछ है नहीं, इधर से उधर से। ऊर्जा पर सिर्फ सुझाव दीजिए। आपके सुझाव क्या हैं? 5 मिनट में समाप्त करें आप।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): 5 साल के लिए कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की है कि हम किसानों के बिजली के बिल नहीं बढ़ाएंगे। एक माननीय सदस्य ने बहुत ठीक बात कही है कि विदेश में आप जाइए अमेरिका में, वहां किसान अगर 2 लाख की फसल उत्पादित करता है तो 2 लाख की उसको सब्सिडी दी जाती है। आज हम यहां किसान को बात-बात के अंदर इंगित कर रहे हैं। आज उनके हालात क्या हैं? रात्रि को सर्दी में 1 बजे वह गेहूँ में पानी लगाने का काम करता है। ड्रिप सिस्टम से वह वहां काम करता है।

(18.00 बजे)

यह आज जो बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं, इनको बड़ी चिंता आ गई, ऋण की बात कर रहे हैं, कभी यह बिजली की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि पांच साल के अंदर बिजली के बिलों के चक्कर में बहुत सारे किसान आत्महत्या कर गए इनके राज के अंदर। आज यह प्रतिपक्ष में बैठकर बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं, ...(व्यवधान) इसलिए आप पीछे के मुद्दों पर मत जाइए, भारतीय जनता पार्टी में बहुत नेता थे, बहुत सारे पार्टी छोड़ गए। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, घनश्यामजी तिवाड़ी 1952 से हाफ पैंट पहनने लगे थे, उनको पार्टी छोड़ने को मजबूर कर दिया लेकिन मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता। (व्यवधान) मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर आप बिजली पर डिस्कस करें।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): हम चाहते हैं कि किसान को सस्ते दाम पर बिजली मिले, जिन गांवों में तार लूज हैं वह तार कसे जाएं। गांवों के अंदर बहुत सारी जगह पर अभी जो पिछले राज के अंदर डीपी लगी, दीनदयालजी के नाम पर, मैं मंत्रीजी से कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जली हुई डीपी लगा दी गईं, आप जांच कराएं मेरे क्षेत्र में, खाजूवाला में। इन लोगों ने ऐसे लोगों को ठेके दे दिए जिन्होंने जली हुई डीपी लगा दी दीनदयाल योजना में।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): किसान की अगर डीपी जल जाती है तो यह छह-छह महीने उसको चेंज नहीं करते थे, इसलिए इन लोगों को प्रतिपक्ष में बैठने को मजबूर कर दिया इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज राठौड़ साहब भी मजबूरी में बैठे हैं, पहले मेरे साथ में थे।

श्री सभापति: श्रीमती अनिता भदेल।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): यह नारे लगाते थे, कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा, नया जमाना आएगा, यह राठौड़जी नारे लगाते थे मेरे साथ जनता दल में। इसलिए आप पीछे वाली बातों में मत जाइए। माननीय सभापति महोदय, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बिजली जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं।

श्री सभापति: आप समाप्त करें। (व्यवधान)

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): एक मिनट। पांच एचपी सिंगल फेस की मोटर इन्दिरा गांधी नहर के पास-पास में लगाने का काम करें। अब हम सुझाव दे रहे हैं, भाषण खतम कर दिया। भाषण अगर बजट पर बोलने देंगे तो वहां देंगे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप समाप्त करें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय सदस्य, आप बोल चुके।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): पांच एचपी का कनेक्शन नहर के पास-पास दें जिससे किसान अच्छी फसल पैदा कर सकता है।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, आप व्यवस्था दें।

श्री सभापति: श्रीमती अनिता भदेल।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): 24 घंटे बिजली सिंगल फेज गांव में मिलनी चाहिए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपको बोलना किस विषय पर है? अंकित नहीं होगा। श्रीमती अनिता भदेल का अंकित होगा।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजें। आसन पैरों पर है। विराजिए आप। विराजिए। अंकित नहीं हो रहा है आपका। विराजिए। बैठिए।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): 000

श्री सभापति: विराजिए। कुछ सीख लीजिए, काम आएगा। विराजिए आप।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): 000 ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप गम्भीर नहीं हैं, इस चर्चा में भाग नहीं लेना चाहते तो मंत्रीजी का जवाब करवा देते हैं, बात खतम हो जाएगी। (व्यवधान)

श्री बलवान पूनियां (भादरा): माननीय सभापति महोदय, हम बीच में नहीं बोलते हैं, हमें तो बुलवाएं।

श्री सभापति: आपको बुलवाकर करूंगा मैं रिप्लाई शुरू। विराजिए आप। मैं बार-बार आप लोगों से आग्रह कर रहा हूं।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, बिजली जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मुझे अवसर दिया।

श्री सभापति: एक मिनट, माननीय सदस्य। कितनी बजे तक चलाना है हाउस, कोई समय सीमा है या फिर ऐसे ही करना है? मुझे बाध्य होकर मंत्रीजी का रिप्लाई करवाना पड़ेगा। मैं आपसे फिर यह कह रहा हूं या तो आप संजीदगी बरतें वर्ना रिप्लाई करवाऊंगा मैं। कोई बीच में इंटरवीन नहीं करेगा, अपनी बात कहें और जहां तक सम्भव हो अपने सुझाव दें। आपके सुझाव अमूल्य हैं, साढ़े सात करोड़ लोगों ने आप 200 को चुनकर भेजा है, इसका मतलब आप में पूरी योग्यता है, मेहरबानी करके सिर्फ सुझाव दें। (व्यवधान) कोई इंटरवीन नहीं।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, देखो फिर खड़े हो गए।

श्री सभापति: आप विराजिए।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): 000

श्री सभापति: आप विराजिए।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजिए, कुछ अनुशासन रखिए। श्रीमती अनिता भदेल।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बिजली जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए समय दिया उसके लिए धन्यवाद। मैं अपनी भूमिका बनाए बगैर अपने कुछ महत्वपूर्ण सुझावों की ओर आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी।

बिजली का घाटा, पूरे प्रदेश के लिए समस्या बना हुआ है और बिजली के बगैर व्यक्ति का जीवन भी सम्भव नहीं है, यह सब माननीय सदस्यों ने बात कही है लेकिन फिर भी विद्युत कम्पनियां न तो अपनी बिजली की छीजत कम कर पा रही हैं और न घाटा कम कर पा रही हैं। ऐसे में घाटे की स्थिति में जब हम नुकसान में हैं बिजली के क्षेत्र में, उसके बावजूद भी जब बाजार में 2 रुपये 44 पैसे प्रति यूनिट बिजली उपलब्ध है तो फिर बिजली कम्पनियों ने 3 रुपये 14 पैसे प्रति यूनिट बिजली खरीदकर इसको और घाटे के अंदर पहुंचाने का जो काम किया है वह इस प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था को तोड़ने-मरोड़ने का काम होगा क्योंकि पिछले पांच वर्षों में जिस तरह से उदय योजना के माध्यम से 60 हजार करोड़ रुपये जो बिजली का था वह सरकार ने अपने ऊपर लिया और बिजली कम्पनियों के घाटे को कम करने की कोशिश की और किसी भी तरह से इंडस्ट्रीज के एरिया में जो बिजली की छीजत है उसको कम करने के लिए मानदंड तय किए गए। समय अनुसार उस बिजली की छीजत कैसे कम होनी चाहिए थी उसकी मोनिटरिंग की गई लेकिन इन 6 महीनों में ऐसा क्या हुआ कि उन इंडस्ट्रियल एरिया की बिजली की छीजत बढ़ी हुई थी उसको हम 2 प्रतिशत पर लेकर आए वह बिजली की छीजत अब वापस 6 प्रतिशत तक बढ़ने जा रही है तो ऐसा क्या हो गया? क्या हमारी मोनिटरिंग में फेल्योर हो गया या हमारे संदेश को नीचे मान नहीं पा रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसी कौनसी परिस्थितियां राजस्थान में हो गईं कि हम वापस बिजली के घाटे को बढ़ाने जा रहे हैं, न कि कम करने जा रहे हैं।

एक माननीय सदस्य जो सिरोही से आते हैं उन्होंने अडाणी पावर के बारे में बात कही। मैं सीधा-सीधा अधिकारियों पर आरोप लगाना चाहती हूं कि अडाणी पावर जब तक भारतीय जनता पार्टी शासन में थी तब तक नहीं जीत

(श्रीमती अनिता भदेल)

पाया, ऐसी क्या स्थिति आई, किस वकील ने कोर्ट में पैरवी की कि आप अडाणी पावर से कोर्ट में हार गए और 2700 करोड़ रुपया इस जनता के, उपभोक्ताओं पर डालने की हम तैयारी कर रहे हैं। जनता कंफ्यूज है कि हमें 5 पैसे प्रति यूनिट सरचार्ज देना पड़ेगा कि हमें 55 पैसे देना पड़ेगा। हर 3 महीने में हमने कहा कि हम बिजली की रेटें नहीं बढ़ाएंगे, हम कृषि विद्युत की रेट नहीं बढ़ाएंगे, हम आम उपभोक्ता की रेटें नहीं बढ़ाएंगे लेकिन इसके बावजूद भी हम सरचार्ज के रूप में बार-बार, बार-बार यह रेटें बढ़ाते जा रहे हैं। एक तरह से हम उन पर दूसरे रास्ते से बोझ डाल रहे हैं जो हमारे अधिकारियों की कमियां थीं, उन कमियों के कारण से हमारे उपभोक्ताओं पर जो भार पड़ रहा है, वह उपभोक्ता हमारे माई-बाप हैं, यह अधिकारी हमारे माई-बाप नहीं हैं। इसलिए उन उपभोक्ताओं को ध्यान में रखकर हमें अपनी बिजली की नीतियों को तय करना पड़ेगा, तब जाकर हम छीजत को कम कर पाएंगे, तब जाकर हम घाटे को कम कर पाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, एक निवेदन और करना चाहती हूं कि माननीय वसुन्धराजी के शासन में जैसा कपासन से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि हमने 9 एचपी तक के जितने कनेक्शन थे उनके बिलों को 10 हजार रुपये तक के जितने साल भर के बिल थे उनको माफ किया, उनके बिल वसूल नहीं करती थी सरकार। आपने उन बिलों को वापस चालू कर दिया, फिर आप पर जनता का दबाव पड़ा, आपने उस आर्डर को विड्रा किया। विड्रा किया, उसके लिए तो आपको धन्यवाद, लेकिन विड्रा करते समय आपने कुछ शर्तें जो कृषि उपभोक्ताओं पर डाली हैं कि आपको अकाउंट नम्बर देना पड़ेगा। हम यदि प्रैक्टिकल रूप में सोचें तो संयुक्त खाते में होती है जमीन, पिताजी के नाम है जमीन और चार भाई बुवाई कर रहे हैं, जब तक बुवाई कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं तब तक तो कोई झगड़ा नहीं है लेकिन किसी भी एक के नाम से खाता खुलवाकर ट्रांसफर करवा दें तो वह उसका अधिकार हो जाता है तो यह व्यावहारिक परेशानी है इसको आप समझिएगा। आपकी इस योजना का लाभ नहीं दिला पाएंगे उन कृषकों को जो इसके हकदार हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि वास्तव में आप उनको लाभ देना चाहते हैं तो जो अकाउंट की शर्त आपने डाली है उसको आप हटाइएगा, तभी इसका लाभ लोगों को मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं अपने शहर की कुछ बातों की ओर

(श्रीमती अनिता भदेल)

आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। ठेकेदारी प्रथा, निश्चित रूप से ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से बिजली विभाग में काम होता है। हमारे अधिकारी, माननीय सभापति महोदय, आप भी इस बात से पीड़ित होंगे कि जितनी भी नई लाइनें गई हैं, अभी दो-तीन दिन पहले वर्षा लगातार आई, तेज हवा के साथ, तेज आंधी के साथ वर्षा हुई और दस मिनट के अंदर-अंदर पूरे हाइवे के जितने पोल्स थे गिर गए नीचे। इतना पैसा लगाकर हमने उन लाइनों को खड़ा करने का काम किया है, कुछ नोर्म्स होते हैं कि आप कितना खड्डा खोदोगे, कितना सीमेंट कंक्रीट डालोगे, कितना पोल को नीचे तक गाड़ोगे, इसको वैरीफाई करते हैं, उसकी एमबी भरते हैं, उसके बाद पेमेंट होता है, लेकिन जब वह गिर जाते हैं, वापस उनको खड़ा करने के लिए वापस नया कांट्रेक्ट देते हैं, यह खेल चलता रहा है, सरकार का जो पैसा है चाहे उधर बीजेपी की सरकार बैठी हो या कांग्रेस की सरकार बैठी हो, वह सरकार का पैसा है, जनता का पैसा है और यह अधिकारियों की लापरवाही के कारण पानी में हम इस पैसे को बहाते हैं यह ठीक नहीं है इसलिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए।

जिस अधिकारी के कार्यकाल में वे लाइनें खड़ी हुई हैं, उन लाइनों को यदि दस साल पहले या जो आपके नोर्म्स हैं कि इतने सालों तक वे लाइनें खड़ी रहनी चाहिए, यदि उससे पहले वे लाइनें गिरती हैं तो जो अधिकारी है, वह कोई भी तैनात रहा हो उस समय, उसे ढूंढ़कर आप उस पर जिम्मेदारी फिक्स करिए ताकि शासन का भय हो कि अगर खंभे गिर गये तो हमारी जिम्मेदारी होगी।

श्री सभापति: समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): मेरा निवेदन है कि यह जो घटिया काम हो रहा है, उसे आपको रोकना चाहिए। एक निवेदन और करना चाहूंगी कृषि के बारे, क्योंकि कृषि के बगैर हमारा काम नहीं चलने वाला। मैं सीधे-सीधे पाइंट बोल रही हूं, कोई भूमिका नहीं बना रही हूं, किसी पर आरोप-प्रत्यारोप भी नहीं लगा रही हूं।

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें आप।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): सभी को आपने आठ मिनट दिये, सभापति महोदय, मुझे सिर्फ दो मिनट हुए हैं, मुझे दो मिनट और बोलना है, कोई ज्यादा लंबी-चौड़ी बहस नहीं करनी है। मेरा निवेदन है आपसे कि जिस तरह से अजमेर शहर की जो बिजली व्यवस्था है, वह टाटा पावर को

(श्रीमती अनिता भदेल)

दी गयी है। टाटा पावर को देने के बाद जो मेंटिनेंस का काम है, पहले विभाग के पास काम था, मेंटिनेंस विभाग करता था, लेकिन अभी मेंटिनेंस के लिये यदि आप फोन करें कि मेंटिनेंस करना है, बिजली का पोल जर्जर है, लाइन गिर रही है तो वे कहेंगे कि आप एमपी कोटे से पैसा लाएं या एमएलए कोटे से पैसा लाएं, विभाग पैसा नहीं देने वाला।

आपकी जो शर्तें हैं कि वह मेंटिनेंस करेगा तो कराइये उससे मेंटिनेंस। जब कोई बिजली का तार गिर जाएगा किसी घर पर और हादसा हो जाएगा और अखबारों में बड़ी-बड़ी खबरें छपेंगी, तब हम थोड़ी मानने वाले हैं। सिर्फ इसलिए मेरा निवेदन है कि मेंटिनेंस के काम को आप उस कंपनी से कराइए और जिस तरह से पिछले तीन माह में बिजली की ट्रिपिंग हुई है, यह कांग्रेस, मैं सही बता रही हूं सभापति महोदय, आपके बारे में गलत संदेश जाने का एक माध्यम बना है, बिजली की ट्रिपिंग।

पिछले पांच सालों में बिजली की ट्रिपिंग नहीं होती थी शहरों में, लेकिन इस बार आप रिकार्ड उठाकर के देख लीजिए यदि मेरी बात असत्य हो तो कि पिछले पांच सालों में कितनी ट्रिपिंग हुई अजमेर शहर में और इन छह महीनों में कितनी ट्रिपिंग हुई। सीधे-सीधे संदेश जाता है कि कांग्रेस सरकार आई है, इसलिए बिजली जा रही है। बिजली जा रही है, कांग्रेस का कोई लेना-देना नहीं है, अधिकारियों की गलती है, पर आरोप किसके ऊपर लगता है कि कांग्रेस सरकार है, इसलिए मेरा निवेदन है आपसे।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): सभापति महोदय, कंपनी को तो ये ही लेकर आए हैं बीस साल के लिए।

एक माननीय सदस्य: लाइट तो छह महीने पहले भी जाती थी।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): नहीं, लाइट इन छह महीनों में ही जा रही है, पहले नहीं जाती थी। लाइट छह महीने में क्यों जा रही है, यह मेरा निवेदन है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): दो चीजें मैं और बताना चाहूंगी। यह जो जीएसटी के बारे में अजमेर, उत्तर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है, वह जीएसटी जो टाटा पावर वसूल कर रही है बिजली के कनेक्शंस को लेकर, उन कनेक्शंस के समय जीएसटी वसूल न करें। जिन घरों

(श्रीमती अनिता भदेल)

के ऊपर से पचास हजार की आबादी से हाईटेंशन 33 केवी और 11 केवी की लाइनें जा रही हैं, जब डिस्काम आपके द्वार जाता है, माननीय सभापति महोदय और लोग कनेक्शन के लिए आवेदन करते हैं और एमडी जैसे उच्चाधिकारी आश्वासन देते हैं कि हम आपको कनेक्शन जारी कर देंगे, लेकिन उसके बाद भी कनेक्शन जारी नहीं होता, क्योंकि हाईटेंशन लाइन वहां से गुजरती है तो इस हाईटेंशन लाइन को भी आप कहीं न कहीं शिफ्ट करने का काम करें या भूमिगत करने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से जनता को परेशानी नहीं होगी।

जो आए दिन चोरी होती है उन लाइनों के कारण से, उस चोरी को भी हम रोक सकेंगे। सभापति महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहती हूं। मैं मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहती हूं ब्यावर और उसके आसपास का क्षेत्र। उस क्षेत्र में सौभाग्य योजना के तहत 500 रुपये बिजली के कनेक्शन के लिये लगते हैं, लेकिन वहां के लोगों से 1500 रुपये बिजली के कनेक्शन हेतु लिये जा रहे हैं। मैंने इसे कन्फर्म भी किया कि कहीं दीनदयाल उपाध्याय योजना में तो नहीं है, क्योंकि वहां 1500 रुपये लिये जा रहे हैं, तो मुझे ध्यान में आया कि वे दीनदयाल उपाध्याय योजना के कनेक्शन नहीं हैं, वे सौभाग्य योजना के कनेक्शन हैं। आप चाहेंगे तो मैं आपको रसीदें दिखा दूंगी। आपको मैटर बता दूंगी। इसकी जांच कराइए कि किस अधिकारी ने 500 रुपये के कनेक्शन को 1500 रुपये का किया है। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री खिलाड़ी लाल बैरवा।

श्री खिलाड़ी लाल बैरवा (बसेड़ी): सभापति महोदय, आपने मुझे इस बहुत महत्त्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का अवसर दिया, कल से जो बात चल रही है पानी और बिजली की, ये जीवन का वह अंग है जो हर व्यक्ति की जरूरत होती है। पानी से बिजली का संबंध है और बिजली का पानी से संबंध है। अगर बिजली नहीं आएगी तो मैं नहीं सोचता कि आपके बोरवैल या पानी की भी कोई व्यवस्था हो पाएगी।

लोग यहां तक कहते हैं कि बिजली जा रही है ठीक है, लेकिन एक घंटा चालू करवा दीजिए ताकि पानी की व्यवस्था हो जाए और हम पानी पी सकें। ऐसे हालातों में जब बिजली और पानी का इतना संबंध है, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र की ओर दिलाना चाहता

(श्री खिलाड़ी लाल बैरवा)

हूं, क्योंकि डांग जो क्षेत्र है, यह वास्तविकता में पानी और बिजली के लिये ही महरूम है।

बिजली किलोमीटर तक नहीं है। डांग में स्थिति यह है कि जब मैं सांसद था तो ऐसी स्थिति आयी थी कि लोगों का पलायन, लोगों की पोजिशन देखकर मन करता था कि अभी इमीजिएटली बोरिंग मशीन मंगायी जाए और उनके लिये पानी की व्यवस्था की जाए। हमें, सरकार ने एमपी लैड का पैसा भी दिया हुआ था, लेकिन हम मजबूर थे, क्योंकि बोरिंग तो चलिए हम करा देते, लेकिन वहां बिजली के कनेक्शन नहीं हैं, बिजली की लाइन नहीं है।

महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि कल से बहुत महत्त्वपूर्ण चर्चाएं हो रही हैं और इन चर्चाओं को फाइल भी किया जा रहा है, लेकिन कोई अर्थ निकलना चाहिए। हमारे जो मैंबर साहिबान हैं, सीनियर मिनिस्टर्स भी हैं और पूर्व मंत्री भी हैं। जिस मुद्दे पर हम जिक्र कर रहे हैं और चिंता कर रहे हैं, उसका कोई हल निकलना चाहिए। आज करीब-करीब बहुत से मैंबरान ने यह बात कही कि वीसीआर, जो जहर है भ्रष्टाचार का, यह किस तरह से काम में लिया जा रहा है। जो अधिकारी, भ्रष्ट लोग हैं, वे अपने मन से जब चाहें तब वीसीआर भर देते हैं। यह एक वास्तविकता है जो आम आदमी के लिये कितनी तकलीफदेह है।

आज इसका हल होना चाहिए। इसकी जांच होनी चाहिए और यह निकलकर आना चाहिए कि आज एक आदमी है जो जंपर डाल रहा है, उसका कोई रिकार्ड नहीं है तो उसकी कोई वीसीआर नहीं भरी आएगी, लेकिन वीसीआर उस आदमी की भरी जाएगी, जो पैसा भी दे रहा है, जिसका कनेक्शन है। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि आज हर जगह सुनवाई है, हर जगह बात होती है। लेकिन क्या यह नहीं हो सकता कि जहां ऐसी स्थिति है, जहां पावर बढ़ गया है, जिसका कनेक्शन 15 का है, 20 का है और वह 25 की निकाल रहा है तो क्या उसे नोटिस नहीं दिया जा सकता।

क्या अधिकारी उसे यह नहीं कह सकता कि तुम्हारी इसमें इतनी बढ़ोतरी हो रही है, आप इसमें री-कनेक्शन करवाइए, पावर बढ़वाइए, लेकिन सीधा-सीधा या तो उनके साथ व्यवहार ठीक रखो, उनकी सुविधाओं पर ध्यान दो, अदरवाइज तो वो इस तरह से करते रहेंगे। यह जो चिंता है इस सदन की, इस पर कहीं न कहीं गौर होना चाहिए।

मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इतने दिनों में अभी तक जो स्थितियां बनकर आयी हैं और यहां तक आया है कि ऊपर के

(श्री खिलाड़ी लाल बैरवा)

अधिकारी बोलते हैं कि इतनी वीसीआर तो भरनी ही पड़ेगी, यह क्या मतलब है? यह किसान, गरीब, व्यापारी और उद्योगपति को किस तरीके से आप मारना चाहते हैं? जब वह बराबर पैसा भर रहा है तो फिर इस तरह की हरकत क्यों होती है?

सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि इस मुद्दे को सदन की आवाज के द्वारा गहराई से उठाया जाए और आने वाले समय में ऐसे दोषी अधिकारी दंडित होने चाहिए और उनकी सीबीआई द्वारा जांच होनी चाहिए। सरकार किसी की भी हो, सरकार चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की, गला किसान का कटता है, मजदूर का कटता है और परेशानी उद्योगपति और व्यापारी को होती है तो सबका दिल दुखता है, क्योंकि सरकारें केवल कनेक्शन के लिये नहीं बनी हुई हैं, सरकार केवल पैसा इकट्ठा करने के लिये नहीं बनी हुई है। सरकार बनी हुई है आम आदमी को रिलीफ देने के लिये। यह जो रिलीफ है, यह जो मुद्दा है, यह जो परेशानी है, इसका महत्व होना चाहिए।

महोदय, मेरा जो क्षेत्र है बसेड़ी, वह डांग क्षेत्र है, उसके लिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वहां अगर तीन-चार जीएसएस और खुल जाएं तो शायद हमारे क्षेत्र को और फायदा मिल सकता है और बिजली की जितनी भी परेशानी है, वह भी थोड़ी कम हो सकती है। जिसमें बागतर है, गोलारी है, सलेमपुर है और पवेनी है। महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि आज काफी लंबे समय से तार टूटे पड़े हैं, झूले पड़े हैं, कमजोर हो गये हैं, लेकिन उनका मेंटिनेंस नहीं हो पा रहा है।

सरकार आधा पैसा देती है, आधा पैसा व्यक्तियों को इकट्ठा करना पड़ता है, फिर शिफ्टिंग होती है, लेकिन महोदय, यह ठीक नहीं है। इसके रिजल्ट ठीक नहीं हैं। आप देखिए, उस गांव में से एक पैसा इकट्ठा नहीं हो सकता। महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो शिफ्टिंग का मामला है, जहां आबादी है और आबादी के ऊपर होकर जो तार जा रहे हैं, उन तारों की शिफ्टिंग पूरा डिपार्टमेंट करे, यह एक आवश्यक बात है।

मंत्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि इस मुद्दे पर अपना रुख साफ करें। दूसरा मेरा निवेदन है कि बरसात के टाइम पर या झूले हुए तारों की वजह से जो मौत होती है, जन-धन की हानि होती है तो डिपार्टमेंट द्वारा पांच लाख रुपये कम्पनसेशन होना चाहिए व्यक्ति के लिये और पचास हजार रुपये और होने चाहिए।

श्री सभापति: समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री खिलाड़ी लाल बैरवा (बसेड़ी): सभापति महोदय, आपकी इजाजत हो तो दो-एक मिनट और ले लूं, मैं तो वैसे ही बहुत कम बोलता हूं।

श्री सभापति: कर लो, सुबह तीन बजे तक बैठने के लिए।

श्री खिलाड़ी लाल बैरवा (बसेड़ी): महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। एक मिनट, महोदय।

श्री सभापति: संसदीय कार्य मंत्री महोदय, सुबह तीन बजे तक बैठना है? सुबह तीन बजे तक बैठना है।

श्री खिलाड़ी लाल बैरवा (बसेड़ी): महोदय, दो बात और कहूंगा, केवल दो ही छोटी-छोटी बात है। एक बात यह है महोदय....

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, आपने कहा था कि सुझाव दीजिए तो जैसे यह पर्ची के लिए आपने टाइम तय कर रखा है कि साढ़े नौ बजे तक ही पर्ची डालोगे तो यह सुझाव देने का भी कोई टाइम कर दो न। वर्ना तो अंधाधुंध सुझाव आते रहेंगे और चलता ही रहेगा यह।

श्री खिलाड़ी लाल बैरवा (बसेड़ी): महोदय, जो हैं कर्मचारी, लाइनमैन, ए.ईएन., जे.ईएन. घरों में बैठे हुए ही मीटर थमा देते हैं और जिस व्यक्ति का जो बिल 500 रुपये, हजार रुपये का होगा वहां एक-एक लाख रुपये का बिल आ जाता है तो ऐसे केसेज में उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए जो इस तरह की हरकत करते हैं या इस तरह का होता है। जब जनता हमारे पास आती है तब यही बात होती है और कहते हैं कि ऐसा करिये साहब, इन सब लोगों को हमारे पास भेज दीजिये, सही कर देंगे। यह कौनसा तरीका है? यह लोग पहले यह काम क्यों नहीं करते। मेरा निवेदन है कि जहां ये बिजली के बिलों में जिस तरह की बातें होती हैं वो ठीक होनी चाहिए।

एक लास्ट सवाल और है महोदय। जीएसएस बने हुए हैं उनमें लोकल कर्मचारी लगे हुए हैं जिससे वहां स्थिति यह होती है कि वो लोकल लोग आपस में सैट कर लेते हैं और झगड़े होते हैं वहां पर। वहां पर कोई भी हल्का-फुल्का उसको एप्रोच करके उसकी लाइन कटवा देते हैं। कभी इधर साइड की कटवा देते हैं, कभी उधर साइड की कटवा देते हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री खिलाड़ी लाल बैरवा (बसेड़ी): मेरा निवेदन यह है कि जो जीएसएस हैं वहां पर स्टाफ का रोटेशन से कम से कम एक साल में ट्रांसफर जरूर होना चाहिए ताकि ये लोग इकट्ठे नहीं हों, जमे नहीं और जनता को परेशान नहीं करें। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का टाइम दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री कान्ति प्रसाद।

श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे जो बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा। मैं मंत्री महोदय का आपके माध्यम से ध्यान दिलाना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में 45 हजार उपभोक्ता हैं और 20 हजार उपभोक्ताओं पर एक ए.ईएन. आफिस खुलता है इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि दूसरा ए.ईएन. आफिस प्रतापगढ़ में खुले जिससे हमारे उपभोक्ताओं की समस्या खतम हो।

दूसरा, मेरे विधान सभा क्षेत्र में गोला का बास एक बहुत बड़ा गांव है, वहां दौसा से बिजली की सप्लाई है। दौसा से बिजली की सप्लाई पहुंचते-पहुंचते बीच में सात जीएसएस हैं और पीछे किसी जीएसएस में गड़बड़ हो जाती है तो दो-दो, तीन-तीन दिन तक गोला का बास में लाइट नहीं आती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि उस टहला के अन्दर, क्योंकि वह बहुत बड़ा एरिया है, माइंस का एरिया है, 132 का जीएसएस वहां खोल दिया जाए तो उस एरिया की पूरी समस्या का समाधान हो सकता है।

प्रतापगढ़ में ए.ईएन. आफिस खुलने के बाद में यह एरिया इतना लम्बा है कि किशोरी एक जगह है उस किशारी में एक जे.ईएन. आफिस खुल जाए तो मेरे थानागाजी की समस्या का समाधान हो सकता है। सभापति महोदय, मैं तो इतना ही मेरे क्षेत्र के लिए माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि एक तो ए.ईएन. आफिस प्रतापगढ़ में खोल दें, एक जे.ईएन. आफिस किशोरी में खोल दें और टहला के अन्दर 132 का जीएसएस खुल जाएगा तो थानागाजी की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आपने बोलने का मौका दिया इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापति: श्री हमीरसिंह भायल। श्री फूलसिंह मीणा।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): सभापति महोदय, आज महत्वपूर्ण बिजली के बारे में जो चर्चा हो रही है वह वास्तव में आम जनता से

(श्री फूल सिंह मीणा)

जुड़ा हुआ विषय है। बिजली विभाग द्वारा गांव, मजरा, ढाणी और मौहल्ले तक लाइट लगाने का वर्षों से प्रयास चल रहा था मगर पहली बार दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के मार्फत् घर, गांव तक लाइट पहुंचाने का जो मोदी जी ने बीड़ा उठाया, हर नागरिक तक जो लाइट पहुंचाने का काम हुआ यह पहली बार हुआ।

सम्माननीय सभापति महोदय, बिजली के पोल के बारे में आज मेरे से पहले वक्ताओं ने बताया, वास्तव में डेढ़-डेढ़ फीट खड्डे खोदकर खम्बे खड़े किये गये हैं जो वास्तव में इस बिजली विभाग का भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। सभापति महोदय, चार दिन पहले बरसात के दिनों में मेरे विधान सभा क्षेत्र का किशन गमेती नाम का व्यक्ति अपने 18 साल के बच्चे मोहन और 4 साल की बेटी रेखा को लेकर खेत से घर जा रहा था तब अचानक जब खम्बा गिरता है तो उसके बेटे और बेटी पर यह गाज गिरती है। वह घायल हो जाता है। जब बिजली विभाग की गाड़ी आती है, उसको हास्पिटल ले जाता है तो बच्ची रास्ते में ही जान दे देती है और वो बिजली विभाग वाले उसको रास्ते में छोड़कर चले जाते हैं। वो बेचारा किसान किशन गमेती वहां भटकता है, गाड़ी का इंतजार करता है और फिर टेम्पो किराया करके हास्पिटल लेकर जाता है। जब वह हास्पिटल पहुंचता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उस किशन गमेती के चार लड़कियां हैं। सभापति महोदय, बड़े दु:ख के साथ बोलना पड़ रहा है कि चार बेटियों के बीच में मोहन गमेती इकलौता चिराग था उसको भी उसे खोना पडा, उसने जान दे दी। अगर समय पर बिजली विभाग की गाड़ी उस मरीज को हास्पिटल ले जाती, समय पर पहुंच जाती तो हो सकता है कि बेटी तो खो दी थी मगर बेटे को वो बचा सकता था। सभापति महोदय, इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। सभापति महोदय, इसको चार दिन हो गये हैं। जब मोर्चरी में पूरा गांव इकट्ठा हुआ, एक महीने से मैं भी बिजली विभाग के अधिकारियों को बोला कि तार लूज हैं, इन तारों को ठीक कर दो मगर उन्होंने किसी ने भी नहीं सुना। गांव वालों ने 20 दिन पहले उनको लिखित में भी दिया, मुंह जुबानी भी कहा लेकिन वहां के लाइनमैन फोन तक नहीं उठाते हैं और फोन को उठाकर साइड में रख देते हैं तो इससे दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। वहां अधिकारियों की पकड़ नहीं है। मंत्री महोदय यहां नहीं हैं मगर मंत्री महोदय से मुझे उम्मीद है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर ये पूरी कानूनी कार्यवाही करेंगे।

(श्री फूल सिंह मीणा)

सभापति महोदय, यह मैं दिखाना चाहता हूं कि ये तार हैं जो लूज पड़े हैं। यही नहीं, यह खम्बा भी टेढ़ा पड़ा हुआ है, वृक्ष के ऊपर खम्बा पड़ा हुआ है। सारी वस्तु स्थिति हमने बताई है। सभापति महोदय, यह देखो कि जंगली जानवर मर रहे हैं, यह बन्दर मरा हुआ पड़ा है, खेत के अन्दर तार पड़ा हुआ है, बन्दर मर रहा है, मवेशी मर रहे हैं और जो आदमी खेत में काम पर जाए उसको क्या मालूम कि इसमें करंट है या नहीं तथा उसकी भी जा सकती है। सभापति महोदय, आज दिन तक उस ठेकेदार का भी पता नहीं लगा है। कौन अधिकारी है, क्या इसके मापदण्ड हैं? पुलिस के अन्दर एफ.आई.आर. लाज की। मैं कलेक्टर महोदया आनन्दी को धन्यवाद देता हूं कि वो गांव वाले मोर्चरी में जब इकट्ठे हुए, पोस्टमार्टम के लिए मना कर दिया तब गांव वालों ने मुझे फोन किया कि हमारा साथ में ऐसा हादसा हो गया तो मैंने कलेक्टर महोदया को फोन किया। उन्होंने दस मिनट में आफिस में बुलाया। जैसे ही वहां गये, वस्तु स्थिति बताई तो उन्होंने आश्वासन दिया कि एमएलए साहब, गांव वालों को समझा दो, इनको दो-दो लाख रुपये एक व्यक्ति के हिसाब से चैक दूंगी और अधिकारियों के ऊपर भी मैं कार्यवाही करूंगी तथा तुरन्त प्रभाव से एक कमेटी गठित करूंगी और आपकी जो समस्या है इसका समाधान करूंगी। वास्तव में रात को आठ बजे तक उन्होंने चैक दे दिया और उन गरीबों के लिए उन्होंने वास्तव में अच्छा काम किया। मगर, सभापति महोदय, बिजली विभाग वाले कानों में तेल डालकर सो रहे हैं, उन बेचारे गरीबों के बारे में उनको कोई पता नहीं है। मैं पूरे विधान सभा क्षेत्र के बिजली विभाग की बात कर रहा हूं कि जब हमारे गांव के लोग फोन करते हैं तो वे फोन नहीं उठाते हैं।

एक वीडियो-आडियो मैंने एसीई महोदय को भी दिया, हमारे आरएसईबी का एसी...

श्री सभापति: दो मिनट में बात समाप्त करें अपनी।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): सभापति महोदय, मैं देख रहा हूं अभी, मेरे को चार मिनट हुए हैं।

श्री सभापति: दो मिनट में बात समाप्त करें, अपनी। बोलिए आप।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): सभापति महोदय, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, ये किसानों का मुद्दा है। किसानों के साथ में ऐसा अगर अन्याय होगा। हमारे जो गांव के किसान हैं। उनको मतलब 10 हजार रुपये

(श्री फूल सिंह मीणा)

एक कुए के कनेक्शन पर देते हैं। मगर जो शहर के नजदीक किसान है। उनको उस राशि से जो वंचित किया जाता है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि उनको फायदा दिया जाए।

सभापति महोदय, जो हमारा ट्रांसफार्मर जल जाता है, उसके लिए बिजली विभाग वाले कहते हैं कि हम गाड़ी भेजते हैं, तुरन्त उसको बदलवाते हैं। मगर गांव के अपने घरेलू कनेक्शन की जो डी पी जल जाती है तो 5 दिन तक गर्मी के अंदर, मवेशी पानी बिना तरसते हैं। गांव वाले जब आरएसईबी में बात करते हैं तो आप आ जाओ हमारे पास कर्मचारी नहीं है। हमारे पास साधन नहीं है और जब गांव वाले मजदूरी छोड़कर आठ-दस जने उदयपुर आते हैं और गाड़ी किराया की करके लाते हैं। मैं आपको गाड़ी नम्बर भी दे सकता हूं और वो आदमी आये हैं, उनका नाम भी मेरे पास है, लिस्ट मेरे पास है, 700 रुपये उन गरीबों से उस गाड़ी वाले को उन्होंने दिया और अपनी लाइट चालू करवाई।

वास्तव में सभापति महोदय, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा आपसे यही अनुरोध करूंगा कि सिंगल फेस का कनेक्शन अगर दिया है तो पूर्व सरकार वसुन्धरा राजे सिंधिया जी ने हमारे आदिवासी बैल्ट के अन्दर, सिंगल फेस से, अगर किसान खेती करना चाहते हैं तो यह भी पहले आरएसईबी वाले इसको छापा मारते थे। अगर घर के कनेक्शन से मोटर चलाते थे तो उनको कामर्शियल का बिल देकर उनसे ये करते थे...

श्री सभापति: श्री गिर्राज सिंह।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): सभापति महोदय, 2 मिनट का मेरा समय है।

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए। श्री गिर्राज सिंह।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): आधा मिनट, सभापति महोदय।

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए। श्री गिर्राज सिंह। विराजिए अंकित नहीं हो रहा है।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): 000

श्री सभापति: अंकित नहीं हो रहा है कोई फायदा नहीं है बोलने का। विराजिए आप।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): 000

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): सभापति महोदय, आपने बोलने के लिए समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बिजली आमजन की बहुत बड़ी समस्या है और इसके लिए आज सदन में चर्चा हो रही है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मेरे बाड़ी विधान सभा क्षेत्र में 132 जीएसएस बनी हुई। वह 2019 में पूरी होनी थी, वह कोई कारणों से नहीं हो पाई।

सभापति महोदय, 132 जीएसएस की वजह से हम लोगों को इतनी परेशानी आ रही है बाड़ी के अंदर जो लाइट की सप्लाई है जो सरमथुरा और बसेड़ी से आ रही है। सभापति महोदय, वहां पर ये हालात हैं कि साढ़े 12 केवी का ट्रांसफार्मर रखा है। जबकि 25 केवी का भी वहां कम पड़ेगा, इतना ओवरलोड है। एक तो उस 25 का ट्रांसफार्मर रखाया जाए, ओवरलोड है। हर 10 मिनट में, 5 मिनट में लाइट आती है, जाती है, कोई सिस्टम नहीं है। चलो एक तो ये हो घन्टे दो घन्टे के लिए लाइट आ गई और बाद में वो चली गई तो भी हमको सोच है। हर पांच मिनट में आ रही है, कभी दस मिनट में चली जाएगी और जो पुराने तार हैं सभापति महोदय, अभी तक जो पुरानी लाइन है। वो लाइन नहीं बदली गई है। पता नहीं कितना पीरियड हो गया उन लाइनों को।

सभापति महोदय, एक इन लाइनों को बदला जाए, अभी हमारे सामने वाले लोग बड़े-बड़े जोर-जोर से चिल्लाते थें कि हमारी सरकार में 24 घंटे में ट्रांसफार्मर देते थे। जबकि इनकी सरकार की हालत यह थी कि 24 दिन के अंदर भी नहीं मिलते। सभापति महोदय, थोड़ा सा मंत्री जी अगर सुन रहे हों तो मेरा सुझाव है कि जो ट्रांसफार्मर फुकता है तो पहले हम लाइनमैन की रिपोर्ट लेते हैं, फिर जेईएन की रिपोर्ट चाहिए, फिर एईएन की रिपोर्ट चाहिए, फिर एक्सईएन की रिपोर्ट चाहिए फिर उसके बाद जाकर एसी उस ट्रांसफार्मर को स्वीकृत करता है, उसके बाद होता है। उसमें दो दिन, तीन दिन, चार दिन कोई अधिकारी छुट्टी पर चला गया तो इतनी लम्बी जो प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया को कम किया जाए। एक जगह से आप रिपोर्ट ले लो, चाहे जेईएन की ले लो, चाहे एक्सईएन की ले लो, दो जगह सिस्टम है, इतनी लम्बी चौड़ी प्रक्रिया बना रखी है कि कोई अधिकारी छुट्टी पर चला गया, कोई आफिस में नहीं आ रहा है, कोई फील्ड में चला गया तो इतनी लम्बी प्रक्रिया है। इसको थोड़ा शोर्ट कराया जाए।

(श्री गिर्राज सिंह)

सभापति महोदय, जो 33 केवी है जो पिछली गहलोत सरकार में सैंक्शन हुए थे हमारे वे चालू कराये जाएं। सभापति महोदय, ये सामने वालों ने मेरे खुद के गांव में 33 केवी पहले गहलोत साहब की सरकार में शिवरपाली गांव में सैंक्शन कराई थी हमने, उसको जिन लोगों ने निरस्त कर दिया। कैसे मैं कांग्रेस का था, उसकी वजह से मेरे को लाइट की जरूरत नहीं है, न हम लोग बिल भरते हैं, न इनको वोट मिलते हैं वहां पर तो सिर्फ इसको देखते हुए कि ये कांग्रेस के लोग हैं। इनके यहां 33 केवी नहीं लगाई जाए।

सभापति महोदय, मेरे यहां बाड़ी में गुमट मोहल्ला है उसकी 33 केवी का कार्य अधूरा पड़ा है। उसको चालू कराया जाए, बाड़ी की जो जनसंख्या है 40 परसेंट जनसंख्या गुमट मोहल्ले में रहती है, बार-बार जो लाइट ट्रिप करती है। जो समस्या है उस समस्या का हमारा समाधान हो जाएगा।

सभापति महोदय, हमारे टोटरी गांव है, वो करीबन 40 किलोमीटर दूरी से लाइन घूमकर यहां आती है। जब वहां गांव में जाकर लाइट पहुंचती है तो छोटी सी लाइट दिखती है। यह भी नहीं लगती कि लाइट जल भी रही है या नहीं जल नहीं है। एक सभापति महोदय, वहां का जो 33 केवी स्वीकृत है। इन लोगों ने तो काम नहीं किया। इन लोगों ने तो वो गांव छांट लिये कि कौन गांव किसका है। इन गांवों में हमें कितने वोट मिले, तो हमको इनमें काम कराना है या नहीं कराना है। इन लोगों ने तो बदले की भावना से काम किया।

सभापति महोदय, मैं तो मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसे गंभीरता से लेते हुए एक शिवरपाली वाली, एक बाड़ी गुमट मोहल्ला वाला और एक टोटरी वाला ये कार्य किसानों का काम है। इनको भी किसानों की समस्या का देखते हुए इनको थोड़ा जल्दी कराएं। एक सभापति महोदय, ये गांव के अंदर और बाजार के अंदर जो हमारे बिजली के जो पुराने केबल और तारें पुरानी वाली, उनको बदला जाए। जो ये बार-बार दस मिनट में, पांच मिनट में लाइट जाती है, इसकी समस्या का समाधान कराया जाए। सभापति महोदय, एक मेरे महाराज बाग़ चौराहे पर एक 33 केवी है। उस पर साढ़े तीन केवी का ट्रांसफार्मर रखा है। उसको बड़ा कराया जाए, उसको 5 का कराया जाए।

सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि उस पर काफी लोड है और उसके लोड को देखते हुए, बाड़ी की जो लाइट की समस्या है और जो ग्रामीण क्षेत्र की है। उस समस्या को ध्यान में रखते हुए सभापति

(श्री गिर्राज सिंह)

महोदय एक मेरे यहां सैपऊ उपखण्ड कार्यालय वहां पर हमने पहले भी मांग की है और वहां पर 220 की हमने मांग रखी है।

सभापति महोदय, प्रपोजल भी आया है सरकार में, अब सभापति महोदय जब सरकार ने प्रपोजल मंगाये हैं तो उसकी आवश्यक जरूरत है। उसको भी सभापति महोदय चालू करवाया जाए। यदि हम किसानों को कम से कम बिजली नहीं दे पाएंगे तो किसान खेती किससे करेंगे। कभी तालाब में पानी नहीं आता है, जब तालाब में पानी नहीं आएगा, तो नहर के अंदर पानी कहां से आएगा। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो 220 केवी सैपऊ की है, इसको भी चालू करवाया जाए। जो बसेड़ी के अंदर साढ़े 12 का ट्रांसफार्मर रखा है, उसको 25 का कराएं।

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): बाड़ी के कार्य, सभापति महोदय, जो लाइट है वो हमारे बसेड़ी से आ रही है और बार-बार सभापति महोदय ज्यादा लोड होने के कारण न तो बसेड़ी वालों को लाइट मिल पा रही है न बाड़ी वालों को लाइट मिल पा रही है।

सभापति महोदय, उस ट्रांसफार्मर को बदलकर बड़ा कराया जाए और जो बाड़ी की 132 है उसको जल्दी से चालू कराया जाए और जो पुरानी लाइन उनका विशेषकर जगह-जगह गांव की लाइनें हैं, ट्रैक्टर चलते हैं खेत में तो उनका साइलेंसर अड़ जाता है तो करंट आ जाता है, काफी मौतें हो चुकी हैं और मौतों का आंकड़ा बढ़ेगा, जो विद्युत की वजह से, यह सिर्फ इसी की वजह से बढ़ रहा है कि जो तार पुराने हैं। कई खेत में टूट जाते हैं सभापति महोदय, काफी लोगों की मृत्यु हो चुकी है और इसमें जो मुआवजा देते हैं उसके लिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि मुआवजा राशि को डबल किया जाए। सामने वालों ने हम लोगों को तो ऐसा समझ रखा था कि ये तो कांग्रेस के लोग हैं इनके तो कोई काम करने ही नहीं हैं। सभापति महोदय, हमारे यहां एक-एक साल तक इन्होंने ट्रांसफार्मर ही नहीं बदलने दिये। कुछ जो गांव हमारे बिना लाइट के रह गये हैं उन गांवों में बिजली पहुंचायी जाए और सेवरपाली में 33 केवी जीएसएस पिछली गहलोत साहब की सरकार में स्वीकृत हुई लेकिन चूंकि यह मेरा गांव था इसलिए इन्होंने निरस्त कर दिया। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि उस 33 केवी जीएएस का जल्दी से जल्दी कार्य कराया जाए। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती शोभारानी कुशवाहा।

श्रीमती शोभारानी कुशवाह (धौलपुर): माननीय सभापति महोदय, आपने महत्वपूर्ण बिन्दु पर बोलने का जो मौका दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे धौलपुर जिले में लाइट की गम्भीर समस्या है। मैं चाहती हूं कि जिस तरह से शहर में लाइट दी जाती है हमारे गांव में भी लाइट दी जाए, क्योंकि लाइट की समस्या से हमारे गांव के बच्चे, बड़े, बूढ़े बीमार पड़ रहे हैं और पढ़ाई में भी बाधा हो रही है। लाइट के न रहने से बच्चे काफी बीमार पड़ गये हैं और मेरे पास लोग मिलने आते भी हैं क्योंकि लाइट की काफी समस्या है और अधिकारी सुनते नहीं हैं। अधिकारी मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं और अंधाधुंध वीसीआर काट रहे हैं और आफिस के चक्कर लगाते-लगाते लोग परेशान हैं। ट्रांसफर जले पड़े हैं नये मिल नहीं रहे हैं। बारिश के कारण लोग छतों व आंगन में सो नहीं पा रहे हैं। मेरा आपसे ही निवेदन है कि आप गांवों में 22 से 23 घंटे बिजली की व्यवस्था कराने का श्रम करें, क्योंकि अधिकारियों के पास जब हमारे लोग जाते हैं तो वो लोग तुरन्त कार्यवाही नहीं करते हैं और हजार-पांच सौ रुपये जिसको मिल जाते हैं तो वो कार्यवाही करते हैं नहीं तो लोगों को टालते रहते हैं।

सभापति महोदय, मेरा विनम्र निवेदन है कि आप अधिकारियों पर कड़ाई से काम करने का आदेश करें, जिससे हमारी जनता जनार्दन खुशहाल जीवनयापन कर सके। आपने मुझे महत्वपूर्ण बिन्दु पर बोलने का जो मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री सभापति: कुछ इनसे ही सीख लो।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): मैं अनपढ़ आदमी हूं, मेरे को समझ में नहीं आता है।

श्री सभापति: मेरे से आप समझ नहीं रहे हो तो उनसे तो सीख लो। श्री राकेश पारीक।

श्री राकेश पारीक (मसूदा): माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने का समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। एक महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय को गंभीरता से आप ले रहे हैं। मंत्री महोदय यहां पर विराजे हुए नहीं हैं। राजनीति तो बहुत वर्षों से करते आ रहे हैं, लेकिन आज वाकई विधान सभा में बैठकर बहुत ज्ञानवर्द्धन हुआ और इस बिजली के बारे में तो इतना ज्ञानवर्द्धन हुआ कि जो नीचे से देखते थे किसान, मजदूर, गरीब वहीं से निकला हूं मैं। बिजली की व्यवस्था मैं तो यह मानता हूं कि पण्डित जवाहर

(श्री राकेश पारीक)

लाल नेहरू जी ने पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश का विकास नहीं किया होता तो बिजली नहीं देख पाते। अब समय-समय पर जो कुर्सी पर बैठेगा चार काम कर देगा कोई उसका नाम क्या रखेगा और कोई क्या नाम रखेगा यह विषय ही नहीं है। विषय यह है कि बिजली की व्यवस्था कैसे सुधरे। मैं जिस इलाके से चुना गया हूं उस इलाके में गुलाबपुरा से मेरे बिजली आती थी और बिजली से इतना परेशान था कि मेरा फोन खुला रहता है और हर पांच मिनट में पता लगता कि बिजली गई, लेकिन चाहे मंत्री जी की मेहरबानी समझो चाहे प्रशासन की मैंने माननीय सदस्य मलिंगा साहब वाली भाषा और वे जीनगर साहब चले गये उनकी भाषा नहीं बोली और मैंने हाथ जोड़ कर भाषा अपनाई हुई है। मेरे इलाके से एक मसूदा से लाइन डल रही है दसेक दिन में तो बिजली की समस्या कुछ मिटने वाली है। (व्यवधान) आज वाकई सही बात है जो वे माननीय सदस्य बता रहे थे कि भ्रष्टाचार है। गांव का गरीब आदमी उसको...

श्री सभापति: आप इधर देखिये।

श्री राकेश पारीक (मसूदा): आदरणीय सभापति महोदय, जानकारी कम होने से यहां पर बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन यह जो कांग्रेस की सरकार आई है इस सरकार और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा यह छोटी-मोटी समस्याएं हमारे वहां पैदा भी नहीं हैं। मैं तो मेरे इलाके में मांग करूंगा कि 132 केवी का जीएसएस बांदनवाड़ा या भिनाय में लगाया जाए जिससे मेरे इलाके की बिजली की समस्या का स्थाई निदान हो सके। आपने बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और सामने वालों से इतना ही कहना है कि 60-70 साल, 1885 से 1947 तक तो देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है इस कांग्रेस पार्टी और 1947 से अब तक देश का विकास किया है बीच में हमारे कामों में अपना लेबल मत चिपकाओ। कोई अपना लेबल साफ तौर से लेकर आओ तब मजा आएगा। धन्यवाद। जय हिन्द। राम-राम, साहब।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटा और बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: सदन का समय एक घंटा बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

(श्री सभापति)

सदन का समय एक घंटा बढ़ाया गया।

श्रीमती कल्पना देवी।

विभिन्न विषयों पर विचार

राज्य में बिजली की स्थिति पर विचार

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): माननीय सभापति जी, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद। मेरा विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा है जो कि कोटा जिले में है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 18 पंचायत और 15 नगर निगम के वार्ड हैं। इस प्रकार कुल आबादी में से लगभग चालीस परसेंट शहरी आबादी क्षेत्र है। शहर के बोरखेड़ा में केवल एक 33 केवी का जीएएस है जिससे कि उस इलाके की बिजली पूरी तरह से जनता को नहीं मिल सकती है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से अनुरोध है कि इसकी क्षमता बढ़ा कर 132 केवी में कर दें, ताकि वहां की जनता को राहत मिल सके। इसी तरह गलाना में भी 33 केवी का सब स्टेशन है उसकी भी क्षमता 132 केवी में बढ़ायी जाए। मेरे विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में चन्द्रसेल और बावड़ीखेड़ा जो कि डार्क जोन में हैं वहां भी बिजली की बहुत दिक्कत आती है और ट्रिपिंग बहुत ज्यादा है वहां आपसे अनुरोध है कि वहां 33 केवी का सबस्टेशन बनाया जाए। एक और गम्भीर समस्या जो मेरे क्षेत्र में है हाइटेंशन वायर की। अभी पिछले कई महीने पहले एक छोटा सा बच्चा छुट्टियों में नानी के घर आया था उसको पांच फीट दूरी से खींचने से हादसा हो गया था। मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से अनुरोध है कि इसका भी समाधान किया जाए। मेरे विधान सभा क्षेत्र में काफी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाए जिससे बिजली की कमी पूरी हो सके। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती कृष्णा पूनियाँ (अनुपस्थित), श्रीमती मनीषा पंवार।

श्रीमती मनीषा पंवार (जोधपुर): आदरणीय सभापति महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस पन्द्रहवीं विधान सभा में पहली बार बोलने का मौका दिया। मैं सदन को नमन करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाती हूं। जिस तरह जल हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, उसी तरह बिजली भी जीवन का एक अभिन्न अंग है, उसके बगैर जीवन कुछ भी नहीं है। चाहे खेत हो, चाहे उद्योग, चाहे घर, चाहे सार्वजनिक उपक्रम, बिजली हर

(श्रीमती मनीषा पंवार)

जगह अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, उसके बगैर जीवन ठहर सा जाता है। हमारे जीवन को आगे बढ़ाने और सामाजिक सरोकार को आगे बढ़ाने के लिये बिजली को सहेजना भी जरूरी है और संवारना भी जरूरी है। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं कांग्रेस सरकार को और हमारे मुख्य मंत्री अशोक गहलोत साहब को कि जब भी वह सरकार में रहे हैं उन्होंने बिजली के संबंध में बहुत कड़े कदम उठाये हैं। चाहे वह बिजली पैदा करनी हो, चाहे बिजली का वितरण करना हो। जब भी गहलोत साहब सरकार में रहे हैं उन्होंने बिजली को सक्षम बनाने में अहम कदम उठाये हैं। इस वर्ष भी उन्होंने सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत परियोजना इकाई 5 व 6 का लोकार्पण कर राजस्थान को एक बहुत अहम सौगात दी है। कांग्रेस हमेशा से ही विद्युत आपूर्ति को लेकर एक दूर दृष्टि का दृष्टिकोण रखती है। मेरा विधान सभा क्षेत्र जोधपुर शहर से मैं आती हूं। मेरा जोधपुर विधान सभा क्षेत्र है वह शहर का हृदय कहलाता है जिससे हमारे आदरणीय मंत्री महोदय जी भी पूरे वाकिफ हैं।

आदरणीय सभापति जी, पिछले 15 वर्षों से शहर विधान सभा क्षेत्र में बीजेपी का विधायक रहा है लेकिन आज भी शहर विधान सभा क्षेत्र की बिजली व्यवस्था को लेकर हालत ज्यों की त्यों बनी हुई है। कहीं तार लटक रहे हैं, कहीं खम्भे टूटे हुए हैं, कहीं पर वोल्टेज नहीं आता है और पूरे विधान सभा क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति रुक-रुककर आती है। पिछले 15 सालों से हमें विकास कहीं नजर नहीं आता है। जो हमारा शहर विधान सभा क्षेत्र है वह एक हृदय सम्राट है जिसे ब्लू सिटी और हैरिटेज के नाम से जाना जाता है। जहां पर्यटन सबसे ज्यादा है और पर्यटक भी सबसे ज्यादा आते हैं। आदरणीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन करती हूं कि शहर के भीतरी इलाकों को देखते हुए जो तार लटक रहे हैं उनको भूमिगत करें। जो खंभे अस्त व्यस्त हैं उनको सुरक्षित और व्यवस्थित करें। वोल्टेज के माध्यम को बढ़ाते हुए नये ट्रांसफार्मर लगाने की भी विनती करती हूं। इसके साथ-साथ जो शहर का बाहरी इलाका है वह नया विकसित हो रहा है, उसमें भी हम नये आयाम पैदा करे। पहले से ही भविष्य को देखते हुए वहां बिजली की आपूर्ति को नये तरीके से हम कैसे विकसित कर सकते हैं, इसका इंतजाम उसमें करे। इसके साथ-साथ जो हमारा भीतरी क्षेत्र है, उसकी जो सडकें हैं, वह बहुत ही छोटी हैं, 20 से 30 फीट है और घर बहुत नजदीक है। उसको देखते हुए और उसके सौंदर्य को देखते हुए, उसके हैरिटेज लुक को बचाते हुए हमें वहां जो भी तार है, उसे भूमिगत करना चाहिये जिससे हम उसे एक नया

(श्रीमती मनीषा पंवार)

आयाम दे सके और पर्यटन को और अधिक बढ़ावा दे सकें। इसके साथ-साथ जो भी हमारी 11 केवी की लाइनें हैं, उसे हम व्यवस्थित करें और भूमिगत करें। हमारे पुराने क्षेत्र में एक 33 केवी जीएसएस स्थापित किया जाए जिससे जर्जर हो रही विद्युत आपूर्ति को भी व्यवस्थित किया जा सके।

विद्युत कर्मचारी, चाहे वह तकनीकी हो, चाहे वह विभागीय कर्मचारी हो, उनकी कई सीटें खाली पड़ी हैं। इस विद्युत आपूर्ति को व्यवस्थित और सुचारु रूप से चलाने के लिये उन्हें भी भरा जाएं।

इसके साथ-साथ हम जोधपुर शहर के निवासी हैं, राजस्थान का पश्चिमी इलाका है, जहां सूर्य सबसे पहले और बहुत तेज तपन देता है। बिजली को अधिक से अधिक बचाते हुए सौर ऊर्जा के माध्यम से सोलर प्लांट लगाये जाएं जिससे हम विद्युत आपूर्ति को सरल और व्यवस्थित कर सकें।

आदरणीय सभापति महोदय की इजाजत से मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगी कि शहरी हैरिटेज लुक को ध्यान में रखते हुए शहर की बिजली आपूर्ति को व्यवस्थित करने के लिये एक अलग से बजट बनाया जाए। उसे पर्यटन के तौर पर मानकर सुव्यवस्थित बिजली आपूर्ति और वितरण किया जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्रीमती संतोष।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): सभापति महोदय, बिजली जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आज आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिये धन्यवाद। जिस प्रकार जल हमारे जीवन के लिये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आज बिजली भी हमारे जीवन के लिये बहुत महत्वपूर्ण है। बिजली जैसे महत्वपूर्ण विषय पर काफी चर्चा और सुझाव आ चुके हैं। मैं मेरे क्षेत्र की कुछ समस्याएं हैं जो माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहूंगी। मेरे अनूपगढ़ विधान सभा क्षेत्र में कृषि बिजली कनेक्शनों के डिमांड नोटिस जारी होने व किसानों द्वारा डिमांड राशि जमा कराने के उपरांत भी कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं। उपभोक्ताओं को स्टोर से विद्युत मैटेरियल उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है। ठेकेदार अपनी मनमर्जी करते हैं। इससे समय पर कनेक्शन नहीं मिलने से किसानों को डबल नुकसान हो रहा है। हमारे क्षेत्र में अत्यधिक लोड के कारण ट्रांसफार्मर जल जाते हैं। आये दिन यह समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। जिनको समय पर बदला नहीं जाता है इससे ग्रामीण विद्युत व्यवस्था चरमरा जाती है। जबकि नियम तो यह है कि 72 घंटे में डीपी चेंज की जाए लेकिन

(श्रीमती संतोष)

ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है और जनता को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। शिकायत करने पर भी ट्रांसफार्मर नहीं बदला जाता है। कभी ठेकेदार कहते हैं कि हमारे पास विद्युत विभाग से कोई सामान नहीं आ रहा है। हमारी जनता को किराये पर वाहन लेकर ट्रांसफार्मर बदलने के लिये कहा जाता है और वह किराया वहन करके ट्रांसफार्मर की व्यवस्था करते हैं। इस प्रकार की जो अव्यवस्था है, उसका समाधान कराया जाए।

इसके अलावा ग्रामीण कृषि उपभोक्ताओं को कृषि टैरिफ सब्सिडी का अनुदान, पुनर्भरण राशि उपभोक्ताओं को समय पर नहीं मिल पा रही है। पुनर्भरण अनुदान के रूप में दिया जाता है लेकिन उपभोक्ताओं पर कोई भी बकाया नहीं होने की स्थिति में ही अनुदान राशि का पुनर्भरण किया जाता है। पुनर्भरण जमाबंदी के आधार पर निर्धारित है लेकिन यदि एक ही खेत में तीन, चार काश्तकार हैं तो अनुदान की राशि केवल एक ही व्यक्ति को मिल पाती है। भाई-भाई में जमीन का बंटवारा होने के पश्चात नामांकन नहीं खुलने के कारण उक्त राशि जमाबंदी के मालिक को मिल जाती है, बाकी उससे वंचित रह जाते हैं। अनुदान की राशि कनेक्शन के आधार पर उपभोक्ताओं को दी जाए, मेरा ऐसा मंत्री महोदय से निवेदन है।

जोधपुर डिस्काम में बिजली छीजत अन्य डिस्काम से ज्यादा है। बिजली की छीजत के कारण ट्रांसमिशन सिस्टम और सब डिवीजन स्टेशन की कमी के कारण होते हैं। मेरे क्षेत्र खोखराली में 33 केवी सब डिवीजन की डिमांड लंबे समय से की जा रही है। इस 33 केवी सब डिवीजन के निर्माण से ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसमिशन लोस भी कम होगा और किसानों को बार-बार बिजली कटौती से भी निजात मिलेगी। अनूपगढ़ क्षेत्र में भी 33 केवी सब डिवीजन निर्माणाधीन है, उसको अतिशीघ्र पूरा कराया जाए। मेरे क्षेत्र अनूपगढ़ और घड़साना में जेईएन और मंत्रालयिक कर्मचारियों के काफी पद रिक्त हैं, उन पदों को अतिशीघ्र भरवाया जाए।

इसके अलावा हमारे राजस्थान में सबसे अच्छा एक स्कोप सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी के पैनल लगाये जाएं, जिससे आये दिन हो रही बिजली की समस्या का समाधान हो सके और जनता को राहत मिले। किसानों को दिन में बिजली दी जाए और बिजली की समय सीमा को भी बढ़ाया जाए।

(19.00 बजे)

मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि मेरा एक रावला उपखण्ड क्षेत्र है। जो

(श्रीमती संतोष)

कि काफी पहले समय बनाया गया था। वहां अभी तक कोई कर्मचारी, अधिकारी या ए.ई.एन. पदस्थापित नहीं है। मेरा अनुरोध है कि रावला क्षेत्र के लोगों को छोटे-छोटे कामों के लिए घड़साना जाना पड़ता है। जनता को राहत प्रदान करते हुए रावला उपखण्ड चालू करवाया जाए और वहां के जो भी पद खाली हैं, उनको भरवाया जाए।

इसके अलावा, अधिकांश तकनीकी कर्मचारियों को भीषण गर्मी, आंधी तूफान के मौसम में आवश्यक संसाधनों के कारण विद्युत व्यवस्था को सुचारु बनाये रखने के लिये अथक प्रयास करना पड़ता है, जबकि कुछ विशेष तकनीकी कर्मचारियों को लिपिक कार्य हेतु लगा रखा है, उससे विद्युत व्यवस्था प्रभावित होती है। मेरे क्षेत्र की महत्वपूर्ण समस्या है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के अंतर्गत जो आवेदन किये गये हैं, उनका सर्वे तो हो चुका है, लेकिन उन आवेदकों को सर्वे होने के बावजूद भी कनेक्शन नहीं दिये गये हैं। उनको कनेक्शन दिलवाया जाए, ताकि जनता को राहत मिले। जो कनेक्शन बाकी हैं, उनको दें। काफी फाइलें पैंडिंग पड़ी हैं। आये दिन जो विद्युत की कटौती की जा रही है उससे आम जनता काफी परेशान है। छोटे बच्चे, बुजुर्ग और मरीजों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि आये दिन जो विद्युत कटौती हो रही है, उसका समाधान करवाया जाए और क्षेत्र की जनता को लाभ प्रदान किया जाए।

श्री सभापति: श्रीमती इन्द्रा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, ये पत्रकार दीर्घा की बिजली कई दिनों से गुल थी। आज बिजली वापस चालू हो गयी है। मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहता हूं।

श्री सभापति: इसलिए आसन आपको आदेश देता है कि आप इस खुशी में मिठाई खिलाएं। माननीय उप नेता महोदय, यह पुरानी विधान सभा की पुरानी परम्परा रही है। जब कोई सदस्य बहुत ज्यादा लालायित हो, उत्साहित हो तो माननीय भैरोंसिंह जी कहा करते थे कि लड्डू मंगाओ तो आप मेहरबानी करके लड्डू मंगवा लीजिए। दोनों पक्षों के लोग आराम से आकर खा लेंगे। आप आदेश की पालना करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आदेश की पालना है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): इसमें आप यह भी जोड़ दो कि ये परसादी लाल जी वाले एक्ट में अच्छा बोले थे, इस खुशी में मिठाई है।

श्री सभापति: हां, यह दोहरी खुशी है। लड्डू मंगाओ। यह हमारी पुरानी परम्परा रही है। इसको दुबारा शुरू करें। श्रीमती इन्द्रा।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप गजब कर रहे हैं। जेब से निकालो, इधर दो, वहां मिलीभगत है। हम ईमानदारी से मंगाएंगे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अपने स्थान पर जाएं। श्रीमती इन्द्रा।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): माननीय सभापति महोदय, आपको धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने हमें यहां बोलने का मौका दिया है। यह सभी के लिये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और एक अति आवश्यक चीज जो जीवन के लिए है, उस मुद्दे पर आज चर्चा हो रही है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बामनवास के बौंली उप खण्ड में 132 केवी जीएसएस बनाये जाने की अति महत्वपूर्ण आवश्यकता है। क्योंकि इस उप खण्ड की सप्लाई 132 केवी जीएसएस भाड़ौती से होती है, जो सीजन के समय ओवरलोड हो जाने के कारण किसानों को उस समय सिंगल फेस की पूरी सप्लाई नहीं मिल पाती तथा मित्रपुरा की सप्लाई निवाई से होती है, जो कि काफी दूर पड़ता है। बौंली उप खण्ड काफी बड़ा है, इसमें लगभग 40 हजार से अधिक उपभोक्ता हैं। इसलिए मलारना डूंगर को बौंली उप खण्ड से अलग किया जाए, जिससे अधिकारियों द्वारा उपभोक्ताओं की समस्याओं का समय पर निदान हो सके। सभापति महोदय, बौंली उप खण्ड में अभी भी करीब 150 कृषि कनेक्शन जारी करने शेष हैं। इनका सामान सीजन से पहले उपलब्ध कराया जाना बहुत ही जरूरी है। सभापति महोदय, उप खण्ड बौंली में कई जगह पर तार नीचे झूल रहे हैं। उनके बीच में खंभे लगाकर ऊंचा किया जाए, ताकि लोगों को सहूलियत हो सके।

सभापति महोदय, उप खण्ड बौंली के लिए कुछ इस प्रकार के सुझाव हैं, जो कि मैं आपको बताना चाह रही हूं। उप खण्ड बौंली में तकनीकी कर्मचारियों की कमी है। कहीं-कहीं दो लाइनों पर एक-एक कर्मचारी लगे हुए हैं। जिससे व्यवस्थाओं में व्यवधान हो रहा है। गांवों में अभी कई किसानों के पास बैंक खाते नहीं हैं। इसलिए कृषि कनेक्शन कराने वालों को दी जाने वाली जो सब्सिडी है उनको बिलों में ही समायोजित किया जाए। कृषि कनेक्शनों के डिमांड नोटिस जारी करते समय उपभोक्ताओं को डिमांड जमा कराने के उपरांत उनका कनेक्शन फलां ठेकेदार के द्वारा किया जाएगा, यह बता देना चाहिए जिससे कि किसान इधर-उधर नहीं भटके और सीधे अपने ठेकेदार से सम्पर्क करे और उनको समय

(श्रीमती इन्द्रा)

पर अपने कनेक्शन करवाने में आसानी हो सके। सभापति महोदय, बामनवास क्षेत्र में ये मेरी बौंली की समस्याएं और सुझाव थे। मेरा दूसरा ब्लाक बामनवास है।

बामनवास क्षेत्र में 33 केवी की सप्लाई गंगापुर, दौलतपुरा 220 केवी जीएसएस से आती है, जिसकी लंबाई लगभग 45 किलोमीटर है। इस लाइन में 5 नंबर 33 केवी जीएसएस चलते हैं। जिससे किसानों को कम वोल्टेज मिलते हैं तथा फाल्ट भी अधिक आता है। इस समस्या को सुधारने के लिए बामनवास में 132 जीएसएस का काम दो साल से चल रहा है, लेकिन अभी तक पुरा नहीं हुआ है। अगर बामनवास 132 केवी जीएसएस तुरन्त चालू किया जाए तो हमारी समस्या का, गांवों की समस्याओं का समाधान जल्दी हो सकता है। इसमें 6 नंबर जीएसएस चालू हो सकते हैं। इन छह जीएसएस का प्रपोजल बनाकर एस.ई., जयपुर (प्लान) में भिजवाया जा चुका है। इनको तुरन्त स्वीकृत कर भिजवाएं। 11 केवी फीडर अमरावरा पर अधिक लोड होने के कारण व लंबी 11 केवी लाइन होने के कारण उस पर 33/11 केवी जीएसएस बनाया जाए, जिससे वोल्टेज में सुधार हो सके। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो ब्लाक हैं। दो ब्लाकों में जो एक्स.ई.एन. आफिस है, वह दो भागों में डिवाइड हो रखा है। एक को सवाई माधोपुर से जोड़ रखा है और एक को गंगापुर सिटी से जोड़ रखा है। तो लोगों को बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हम चाहते हैं कि एक्स.ई.एन. आफिस, दो ए.ई.एन. जिसके अंडर में आते हैं, वह बन सकता है। मेरे विधान सभा क्षेत्र का अलग से एक्स.ई.एन. आफिस बन जाए तो सभी लोगों को सुविधा हो सकती है। सभापति महोदय, एक विशेष अनुरोध मैं आपसे करना चाहूंगी कि सभी सदस्यों ने अपनी-अपनी बात रखी, लेकिन हम चाहते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं। किसानों का अगर हम पूरी तरह से बिल माफ कर दें तो हमारे किसानों की सम्पूर्ण समस्याओं का समाधान हो सकता है और यह किसान को सुदृढ़ करने को एक मजबूत रास्ता हमारे लिए हो सकता है। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): माननीय सभापति महोदय, बिजली पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बिजली की क्या स्थिति है? यह हम सब जानते हैं। भलें ही यहां वाहवाही लूटने के लिए कोई सदस्य कुछ भी बोल दे, लेकिन वर्तमान में जो स्थिति बनी हुई है, वह हम सभी के सामने ह। हम इस बात से वाकिफ हैं कि

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

2012-13 में बिजली के किस तरह के हालात थे। हमें कोई कर्जा देने को तैयार नहीं था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और किस तरह से छीजत को रोकते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय कर्जा भी हमको मिला और बिजली विभाग जिस मजबूती में आकर खड़ा हुआ, वह हम सबके सामने था।

मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहती हूं कि देश आजाद हुआ तब से लेकर भारतीय जनता पार्टी की पूर्व में जब वसुन्धरा जी की सरकार थी, उस समय मैं रामगंजमंडी से विधायक थी। पूरे रामगंजमंडी विधान सभा क्षेत्र में मात्र पांच जीएसएस हुआ करते थे। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, पांच साल में पांच नये जीएसएस बने। यह बहुत बड़ी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की थी। चार साल-पांच साल में बिजली विभाग को प्रोफिट में लाने का काम किया, वह आपको मालूम है। सीधे-सीधे 65 करोड़ का मामला था। इस बात को हम सब जानते हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूं कि वर्तमान में 22 हजार करोड़ की देनदारी अभी बिजली विभाग के ऊपर है। हम इससे मान सकते हैं कि क्या हालत बिजली विभाग की है? पूर्व में वसुन्धरा जी की सरकार थी, हमारी सरकार थी, हमने जनता से वादा किया कि हम दो लाख कनेक्शन देंगे। हमने सवा लाख कनेक्शन देने का काम किया और चाहे सौभाग्य योजना हो, चाहे दीनदयाल योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री सबके लिए विद्युत योजना हो, इन सारी योजनाओं के माध्यम से कनेक्शन मिले। लेकिन सौभाग्य योजना, आपको जानकारी होगी कि 31 मार्च तक उसके समाप्त होने का था, उसमें भी हमारे कितने कनेक्शन बकाया रह गये, यह आप सबके सामने हैं। मेरा निवेदन है कि जिन-जिनका डिमांड नोटिस जमा था, जिनको फ्री में कनेक्शन हमें देने थे और जिनका उस लिस्ट में नाम था, कम से कम हम उन सभी लोगों को, उपभोक्ताओं को कनेक्शन देने का काम करेंगे तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि वह लगातार आफिस में चक्कर काट रहे हैं। अगर ऐसा किया तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा काम होगा क्योंकि वर्षों से वह लोग अंधेरे में रह रहे हैं।

मैं बताना चाहूंगी कि 1133 केवी जीएसएस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाये। इसके अलावा हमने 132 केवी जीएसएस बनाये, 220 केवी जीएसएस बनाये, 400 केवी जीएसएस बनाये, 765 केवी जीएसएस भी हमने बनाये। यह बहुत बड़ी उपलब्धि पूरे राजस्थान के लिए थी। यह कोई छिपाने की

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

बात नहीं है। मैं आपको मेरे विधान सभा क्षेत्र की कुछ बातें बताना चाहती हूं। पूरे बूंदी जिले के अंदर जो वर्तमान स्थिति है, उसमें हमारा स्ट्रक्चर कमप्लीट है और वर्तमान में हमारे 506 ऐसे कनेक्शन हैं, जिनका सब कुछ तैयार है लेकिन ट्रांसफार्मर की वजह से हमारे वह कृषि कनेक्शन चालू नहीं हो पा रहे हैं।

एक बात और मैं बताना चाहूंगी कि 966 जो हमारे कनेक्शन थे, वह जरूर कमप्लीट हुए हैं लेकिन अभी वर्तमान में जो बिजली की स्थिति है, उस बारे में मैं लगातार एस ई साहब को अवगत करवा रही हूं और लगातार बात कर रही हूं कि बिजली कटने का जो समय है, महिलाएं किचन तक पहुंचती हैं और बिजली गायब यानी अघोषित बिजली कटौती। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहती हूं कि कम से कम इस बात की ओर ध्यान दें। वर्तमान में लाइट का कोई अता-पता नहीं है। पांच-पांच घंटे, मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताना चाहती हूं कि लेसरदा मेरे केशोरायपाटन विधान सभा क्षेत्र का गांव है, दो दिन तक बिजली नहीं आई। जब हम फीडर सुधार का काम कर रहे हैं। लाखों-करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर ऐसी स्थिति बनी हुई है तो क्या ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ कुछ एक्शन लेने को तैयार है, जिनकी लापरवाही की वजह से बिजली बंद रहती है। आप देखिए, मैं खुद लगातार डेढ़ महीने से एस ई साहब से बातचीत कर रही थी। मैंने उनको बोला हमारी लिफ्ट सिंचाई परियोजनाएं, अगर बारिश के पहले हमें पोल नहीं मिले तो हमारे पूरी की पूरी स्कीम फेल। पूरे साल भर हमें बैठा रहना पड़ेगा। लेकिन एस ई साहब का कहना था कि अभी हमें 8-9 दिन पहले ही पोल मिले हैं। एक पोल हमारे पास नहीं था। जब करवर के पास एक पोल टूटा तो लाइटें 24 घंटे तक बंद रहीं।

मैं पूछना चाहती हूं, माननीय सभी मंत्री महोदय मेरी बात सुन रहे हैं, या तो भारतीय जनता पार्टी के होने के नाते हम लोगों के साथ पार्शिलिटी की जा रही है कि एक पोल हमें अवेलेबल नहीं हुआ। ट्रांसफार्मर के लिए हम लोग लगातार बोल रहे हैं कि जलते ही हमको ट्रांसफार्मर दीजिए, वह नहीं मिल पाए। दूसरा, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं कि कोटा के अंदर क्योंकि मैं लगातार पन्द्रह साल वहां की जन-प्रतिनिधि रही हूं, उस नाते मैं कहना चाहती हूं कि जो केडीएल कंपनी है, जिसको आपने बिजली विभाग को सौंपने का काम किया है, कम से कम इससे मुक्ति दिलाएंगे तो कोटा की जनता का हित होगा। चूंकि मैं कोटा में निवास करती हूं, लाइट चली जाए तो

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

किसको फोन करें। कोई फोन उठाने को तैयार नहीं। आठ-आठ, नौ-नौ घंटे तक बिजली गुल रहती है कांलोनियों में। यह हालात ठीक नहीं है। इंडिविजुअल एक व्यक्ति कोई विरोध करे तो उसके साथ कोटा के अंदर क्या हालात कर दिए, यह सबने देखा होगा।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं कि अभी हम लोग जो इंडस्ट्रीज की बात कर रहे थे कि इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देंगे...

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): पूरे राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा अगर छोटी-छोटी इकाइयां कोटा स्टोन की हैं तो वह रामगंजमंडी के अंदर हैं। हम बड़े उद्योगों को रात को जो कम रेट की बिजली मिलती है, वह उपलब्ध करवाते हैं। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जिस तरह से गुजरात में, मध्यप्रदेश में, महाराष्ट्र में छोटी जो इकाइयां हैं, उनको भी कम रेट में बिजली दी जा रही है। अगर हम भी राजस्थान में ऐसा करेंगे तो जो हमारी छोटी-छोटी इकाइयां हैं, वह पनपेंगी और उनको लाभ होगा क्योंकि उनको बिजली दो से तीन रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बहुत ज्यादा महंगी पड़ती है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): माननीय सभापति महोदय, दो मिनट। मैं कहना चाहती हूं कि कोटा स्टोन की फैक्टरी पर जब 60 एचपी का कनेक्शन लेने के लिए उद्यमी जाता है तो उसे ट्रांसफार्मर खुद खरीद कर लाने को कहा जाता है। उसका सीधा-सीधा 6 से 7 लाख रुपये का नुकसान होता है। मेरा आपके माध्यम से सम्माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि हम इस तरह का नियम बनाएं कि जिस तरह आप 100 का, 120 का जो ट्रांसफार्मर देते हैं, जो एचपी का कनेक्शन लेते हैं, उसी तरह से हम इनको ट्रांसफार्मर देने की व्यवस्था करेंगे तो यह बहुत बड़ा फायदा उनका हो सकता है।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं कि पूरे बूंदी जिले में कितने बजे से लेकर कितने बजे तक लाइट बंद रहती है। आप मेरे विधान सभा क्षेत्र का ही निकलवा लीजिये। यह हालात नहीं होंगे तो ठीक रहेगा। सरकार ने यह घोषणा पत्र में वादा किया था कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम दिन में बिजली देंगे। मेरा सदन के माध्यम से निवेदन है और मुझे लगता है चाहे मंत्री जी हों, चाहे हमारे सब

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

विधायक हों, सब इस बात के लिए सहमत होंगे कि हमारा जो किसान है, जो रात को बिजली के लिए सड़कों पर बैठता है, धरना देता है, प्रदर्शन करता है, उसे मुक्ति दिलाएं। हम किसान को रबी की फसल के लिए दिन को बिजली देंगे तो यह बहुत बड़ा काम हमारा हो सकता है। साथ ही साथ मेरा आपसे यह भी निवेदन है कि ...

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): वीसीआर भरने का जो काम चल रहा है, उसमें मेरा निवेदन है कि जो किसान पहले से बर्बाद है, हम देख रहे हैं उसके क्या हालात हैं? इस पर भी अंकुश लगाएं क्योंकि किसान के साथ बहुत ज्यादा लूट-खसोट होती है। हमारे पास किसान आता है कि मेरी इतने रुपये की वीसीआर भरवाई। जब वह दो महीने बाद मिलता है और हम पूछते हैं कि कितने रुपये जमा करवाए तो कभी बोलता है चालीस हजार की भरी थी, हमारा दस में समझौता हो गया। कहीं न कहीं कर्मचारियों की मिलीभगत से जो इस तरह का कृत्य हो रहा है, उस पर अंकुश लगाएं। दूसरा निवेदन है कि जो हाइटेंशन लाइन निकल रही है, उसकी वजह से जनहानि हो रही है, पशुहानि हो रही है। पिछले दस साल से मैं देख रही हूं कि पशुहानि की काफी फाइलें बिजली विभाग के माध्यम से हमारे पास आती हैं।

श्री सभापति: श्रीमती रमीला खड़िया। आप विराजिए।

श्रीमती रमीला खड़िया (कुशलगढ़): सभापति महोदय, मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में बिजली की भारी समस्या है। मेरे कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में पोल झुक रहे हैं, तार झूल रहे हैं। बिजली की काफी गम्भीर समस्या है।

पिछली बार जो ठेकेदार थे जिनको मेरे कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में दीनदयाल उपाध्याय में काम करवाना था वह 10 परसेंट भी नहीं हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी, पेपर में भी पढ़ा होगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के लोग ही मेरे प्रति धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसा क्यों? मैं पाटन पंचायत में दौरे पर गई, वहां पर 100-200 लोग घेराव करके खड़े हो गए कि हमारे यहां डेढ़ साल से पोल खड़े कर दिए गए हैं लेकिन अभी तक लाइनें नहीं खींची हैं। जब ठेकेदार को फोन किया जाता है, अधिकारियों को फोन किया जाता है तो अधिकारी कहते हैं कि यह ठेकेदार का काम है। हम ठेकेदार को कहां पकड़ने जाएंगे, हम अधिकारियों को कहां पकड़ने जाएंगे? हमारा काश्तकार बिजली से बहुत ज्यादा परेशान है। पेपर में भी आया था कि मेरे

(श्रीमती रमीला खड़िया)

सज्जनगढ़ पंचायत समिति में एक पोल झुका हुआ था, तार झूल रहा था, हमारा एक काश्तकार गया, तार झूलने की वजह से उसको करंट लग गया और उसकी वही मृत्यु हो गई। कसारवड़ी में एक काश्तकार बैल लेकर जा रहा था, वहां भी इसी तरह की घटना हुई। मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंदर तीन-चार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। तार बहुत पुराने हो चुके हैं, नये तार लगाने की कोशिश करे।

आदरणीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगी मेरे विधान सभा क्षेत्र में बिजली की गम्भीर समस्या है। अथियादिली, पाटन, बड़ी सर्वा, छोटी सर्वा ऐसा गांव है कि वहां गानवन गांव में आज तक बिजली नहीं पहुंची। अथियादिली पहाड़ी इलाका है। वहां न तो बिजली की उपलब्धता है, न पानी है। वहां पर बहुत समस्या है। सौर ऊर्जा अभी लगाया है। मैं पूछना चाहूंगी कि घटिया सामग्री खरीदने से, 300 की आबादी है, आधे चल रहे हैं, आधे बंद पड़े हैं। आए दिन लोग मैटेरियल लेकर माथे पर थोप-थोपकर कुशलगढ़ घूम रहे हैं। मैं आदरणीय मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि यह ठेकेदार कौन है, तत्काल प्रभाव से इसकी जानकारी की जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती सफिया जुबेर।

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): सभापति महोदय, आपका धन्यवाद करती हूं कि आज इतने इम्पोर्टेंट मुद्दे पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूंगी कि मैं पिछले तीन-चार दिन से देख रही हूं कि यहां किसानों के बारे में बहस हुई, पानी पर हुई और आज बिजली पर हो रही है। यह तीनों मुद्दे गांव में रहने वाले हमारे किसानों की परेशानियों से जुड़े हुए हैं। किसानों से भी मैं कहूंगी हमारे अलवर जिले में तो 70 प्रतिशत किसान महिलाएं हैं, तो महिलाओं की परेशानी से जुड़े हुए हैं।

आज बिजली पर चर्चा हो रही है, मैं अलवर ज़िले के बारे में कहना चाहूंगी कि अलवर ज़िले में सबसे ज्यादा कृषि कनेक्शन पैंडिग चल रहे हैं। कारण क्या है यह पता नहीं है लेकिन हमारे किसानों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। वह इंतजार में बैठे हुए हैं कि कब उनको कनेक्शन मिलेगा और कब वह अपनी खेती-बाड़ी ठीक प्रकार से कर पाएंगे। अभी बाजरे की बुवाई होने वाली है। कनेक्शन जारी नहीं हुए हैं। सबसे बड़ी समस्या आएगी कि बिजली सप्लाई छह घंटे है, वह कभी चार, कभी पांच, कभी साढ़े पांच घंटे मिलती है, छह घंटे लगातार मिले मुझे तो कभी ऐसी खबर मिली नहीं है, उसमें भी बीच-बीच में झटके लेती है जिसके कारण किसानों की मोटर अक्सर फुंक भी जाती है। मैं चाहूंगी कि छह घंटे बिजली है इसको बढ़ाकर कम से

(श्रीमती सफिया जुबेर)

कम दस घंटे तो कर ही देना चाहिए। जब आप इंडस्ट्रीज को 24 घंटे बिजली दे सकते हैं, शायद वह उसके लिए अच्छा पे कर रहे हैं, तो किसानों की इंडस्ट्री तो उनकी खेती-बाड़ी ही है, आप उनको दस घंटे बिजली क्यों नहीं दे सकते हो? मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगी कि आज की तारीख में किसानों की दुर्दशा हो रही है, उनकी फ़सलों का उचित दाम उनको नहीं मिल रहा है, गांवों में पानी की व्यवस्था नहीं है तो कम से कम हमें बिजली की राहत उनको देनी चाहिए क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज्यादा होती है। मुझे लगता है ऊपर सूर्य देवता भी हमें यह इशारा कर रहे हैं कि आप मेरा इस्तेमाल करें, आप पानी से बिजली नहीं। हवा से बिजली नहीं, मेरी ऊर्जा से बिजली बनाइए यानी सरकार को सोलर एनर्जी पर पूरा ध्यान देना चाहिए। इस पर ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी देनी चाहिए। जब कांग्रेस की सरकार थी तो बहुत अच्छी सब्सिडी मिलती थी लेकिन पिछली बीजेपी सरकार ने सोलर सिस्टम में जितनी सब्सिडी थी उसमें काफी कटौती की थी जिसकी वजह से किसानों का रूझान सोलर सिस्टम से हट गया था।

इसके अलावा जो मेंटिनेंस के काम होते हैं, मुझे लगता है उसमें बिजली विभाग ध्यान नहीं देता है। हमें फोन करना पड़ता है। किसान हमें बोलता है मैडम, यह तार खराब हो रहा है इसको ठीक करवाओ। मुझे नहीं लगता कि यह डयूटी हमारी है, यह डयूटी ब्यूरोक्रेसी की है, अधिकारियों की है, लाइनमैन की है। अपने इलाक़ों में वह क्यों नहीं देखते हैं कि कहां पर मेंटिनेंस की जरूरत है। कहां जीएएस बनना चाहिए, कहां पर 132 बनना चाहिए। हम तो टैम्परेरी हैं, हम कोई इंजीनियर नहीं हैं। सदन में यह बात तय होनी चाहिए, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि अगर कहीं पर किसी किसान की वीसीआर भरी जा रही है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या लाइनमैन की कोई जिम्मेदारी नहीं है। उनकी आंखों के नीचे अगर किसान बिजली चोरी कर रहे हैं तो क्या उसको पता नहीं है, क्या वह उसको कनेक्शन करके नहीं दे सकता? लेकिन ऐसा नहीं होता है, डेढ-डेढ़ लाख की वीसीआर काट देते हैं, हालांकि लाइनमैन को सब पता होता है। मेरा तो आपसे यही निवेदन है कि लाइनमैन की भर्ती कीजिए और इनकी जिम्मेदारी तय कीजिए कि अगर आपके इलाक़े में कहीं बिजली की छीजत हो रही है तो इसकी जिम्मेदारी आपकी भी है, उसको दूर करें।

इसके अलावा डीपी खराब होने पर अब नया सिस्टम आया है कि आनलाइन शिकायत जाती है। उसके लिए एप डाउनलोड करना पड़ता है जो स्मार्ट फोन में पोसिबल है। मुझे लगता है वैसे किसान काफी जागरूक है

(श्रीमती सफिया जुबेर)

लेकिन स्मार्ट फोन में एप डाउनलोड करके उसमें शिकायत दर्ज कराना अभी सम्भव नहीं है और उनको जानकारी भी नहीं है। वह फिर दफ्तरों में चक्कर लगाते हैं तो अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते। कहीं-कहीं पर पैसे का लेन-देन भी हो जाता है और धक्के खाते हैं। इस सिस्टम को भी आपको ठीक करना पड़ेगा। या तो सभी किसानों को आप एक-एक स्मार्ट फोन दे दीजिए।

मीटर रीडिंग की बात है, आज की तारीख में मीटर रीडिंग में बहुत गड़बड़ी होती है। मीटर चाहे 600 रीडिंग दिखा रहा हो, लाइनमैन पैसे लेकर 100 दिखाता है और एक साल बाद उस मीटर को फूंक दिया जाता है ताकि पता ही नहीं लगे, यह भी एक बहुत बड़ा लोस है। हमारे ज़िले में 30 परसेंट का लीकेज इलेक्ट्रिसिटी में है जिसका बड़ा कारण यह भी है कि भ्रष्टाचार काफी हद तक फैला हुआ है।

सरकारी बिल्डिंग के ऊपर 11 हजार की लाइनें जा रही हैं, जैसे स्कूल है इनके ऊपर 11 हजार की लाइन है उनकी शिफ्टिंग के लिए भी अधिकारी कहते हैं कि एमएलए कोटा चाहिए तो इसका क्या मतलब है? बच्चों की रक्षा का कोई ध्यान नहीं है क्या? कम से कम सरकारी बिल्डिंग के ऊपर से तो 11 हजार की लाइन सरकारी ख़र्चे पर शिफ्ट हो जानी चाहिए। हमारे यहां एक स्कूल है उच्च माध्यमिक विद्यालय अलावड़ा, जहां 11 हजार की लाइन जा रही है और नीचे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। कल को यदि वहां कोई हादसा हो जाएगा तो इसकी जिम्मेदारी विभाग की रहेगी, न कि उन बच्चों की।

वैसे तो कांग्रेस पार्टी जब भी आती है जनता को बहुत अधिकार देती है चाहे राइट टू इनफोर्मेशन हो, राइट टू एजुकेशन हो, राइट टू फूड हो, राइट टू वाटर भी मुझे लगता है राजस्थान में हमारे मुख्य मंत्री जी ने दिया है कि आपको पानी का कोई पैसा नहीं भरना है, मुझे लगता है कि राइट टू इलेक्ट्रिसिटी भी हमें देना चाहिए। यह जनता का अधिकार है। आजादी के 70 साल बाद भी गांव में रहने वाला कोई व्यक्ति अगर अंधेरे में है तो कहीं न कहीं हमारी कमी है। बीजेपी ने भी वैसे जनता को एक अधिकार तो बहुत अच्छा दिया है झूठ बोलने का अधिकार, कि झूठ बोलो आपको कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है कि सदन के माध्यम से यह बात रखी जाएगी कि राइट टू इलेक्ट्रिसिटी किसानों का अधिकार है। चाहे आप शहरों में मत करो लेकिन गांवों में किसानों को बिजली प्रोपर तरीके से उपलब्ध कराओ।

मैं रामगढ़ विधान सभा क्षेत्र की बात करूं, अभी जो तूफान आया था उसमें एक हजार खंभे मेरे रामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में गिरे थे। मैं हमारे मंत्री

(श्रीमती सफिया जुबेर)

महोदय और अधिकारियों को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने बहुत कम समय में सभी खम्भों को खड़ा करके बिजली की व्यवस्था बिठा दी। फिर भी हमारे यहां दो-तीन जीएसएस की जरूरत है, सैंथली, नांगलटप और रघुनाथगढ़ है, मैं उम्मीद करूंगी कि मंत्री महोदय इस पर ध्यान देंगे और रामगढ़ में बिजली व्यवस्था को ठीक करने में पूरा सहयोग करेंगे। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती इन्दिरा देवी।

श्रीमती इन्दिरा देवी (मेड़ता): माननीय सभापति महोदय, मुझे बोलने का मौका दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

हमारे मेड़ता क्षेत्र में किसान लोग बहुत दु:ख पाते हैं इसलिये मैं सरकार से कहना चाहती हूं कि छह घण्टे लाइट देते हैं, वह भी बराबर नहीं आती है। किसान लोग बहुत दु:ख पाते हैं। कुछ गरीब लोगों ने फाइल भी भर रखी है उनके लाइट नहीं है, इसलिये सरकार से मांग करती हूं कि उनको जल्दी से जल्दी लाइट दिलवाएं। किसान लोग बहुत दु:ख पाते हैं, उनकी कमी पूरी हो सकती है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती मीना कंवर।

श्रीमती मीना कंवर (शेरगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं जोधपुर जिले की उस विधान सभा क्षेत्र से आती हूं जो कि शहीदों एवं शूरवीरों की धरती से है। मैं पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय दादूसा हुकुम श्री खेतसिंहजी राठौड़ की पौत्र वधु हूं। मैं सदन को नमन करती हूं और आपका ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ की बिजली से सम्बन्धित निम्न समस्याओं की ओर दिलाना चाहती हूं।

बिजली की आपूर्ति हेतु मेरे विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत शेखाला एवं खुडियाला में प्रस्तावित 132 के.वी. जी.एस.एस. को अतिशीघ्र स्वीकृत कर बिजली की आपूर्ति की जाए।

दूसरा, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत स्वीकृत 33/11 के.वी. जी.एस.एस. ग्राम भूंगरा, गढ़ा, पाबूसर में पूर्व स्वीकृत किये गये हैं। लेकिन इनका निर्माण नहीं किया गया है। जिसके कारण विद्युत समस्या से राहत नहीं मिली है। ग्रामीणों को कम वोल्टेज, ट्रिपिंग आदि की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। शट-डाउन लेने के लिये 20 से 30 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ रही है। पाबूसर ग्राम में चारदीवारी व भवन का निर्माण करके छोड़ दिया गया है।

मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगी कि वर्तमान में राज्य सरकार

(श्रीमती मीना कंवर)

द्वारा सर्विस लाइन से ही बिजली की आपूर्ति की जा रही है, जबकि मेरा विधान सभा क्षेत्र रेतीला क्षेत्र है, जहां सर्विस केबल के माध्यम से घरेलू बिजली पहुंचाना सम्भव नहीं है। क्योंकि मेरे क्षेत्र की आबादी दूर-दराज की ढाणियों में फैली हुई है। ऐसी स्थिति में बिना पोल के बिजली पहुंचाना सम्भव नहीं है। अत: बिजली आपूर्ति हेतु जहां तक सम्भव हो सके पोल के माध्यम से बिजली की आपूर्ति हेतु घरेलू कनेक्शन की स्वीकृति दिलाने की कृपा करें।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में पानी बहुत गहराई पर है। छोटे-छोटे कृषि विद्युत कनेक्शनों से कुछ-कुछ जगहों पर खेती व चारा उत्पादन करना सम्भव है। अधिकांश लोग बिखरी हुई ढाणियों में रहते हैं। जिनके पास भूमि है, उनको सिंगल फेस विद्युत कनेक्शन जारी किये जाएं। जिससे कि चारा उत्पादन कर सकें और पशुओं के चारे की समस्या से निजात पा सकें। उनसे ट्रांसफार्मर की राशि नहीं ली जाए क्योंकि ऐसे छोटे किसान उक्त राशि जमा कराने में असमर्थ रहते हैं।

सभापति महोदय, आपने मुझे आज महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री हमीर सिंह भायल।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): माननीय सभापति महोदय, महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिये मुझे अवसर दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय, मैं सिर्फ मंत्रीजी को सुझाव के रूप में मेरे एरिये की बात बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि स्टाफ की कमी है। हर जी.एस.एस. से लगाकर कर्मचारियों की कमी है, उसकी अगर पूर्ति समय पर की जाए तो किसानों के लिये और घरेलू कनेक्शनों के लिये यह दिक्कत नहीं आएगी।

(19.34 बजे)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष पदासीन)

मंत्री महोदय, आप बाड़मेर जिले के प्रभारी हैं। आपको ध्यान है कि आजादी के बाद में आज दिन तक, 2014 तक जो बाड़मेर में कनेक्शन 2 लाख 50 हजार थे। भारत के प्रधान मंत्री आदरणीय मोदीजी की वजह से दीनदयाल ज्योति योजना का आगाज हुआ तो बाड़मेर जो बसावट सारी ढाणियों में है, गांव और ढाणियों में इतनी दूरी है तो दीनदयाल योजना में,

(श्री हमीर सिंह भायल)

आप अभी मीटिंग करके पधारे, एक लाख 20 हजार कनेक्शन जो इन तीन सालों में हुए हैं, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के मार्फत आपसे निवेदन करूंगा कि दीनदयाल और सौभाग्य योजना अगर जारी नहीं रही तो बाड़मेर जिले में जो वंचित कनेक्शन रहे हैं उनको ढाणियों में कभी लाभ नहीं मिलेगा। इसलिये इस लाइट की जो व्यवस्था दीनदयाल और सौभाग्य योजना की है, यह जारी रहेगी तो जो वंचित किसान और ढाणियों में गरीब किसान रहे हैं उनकी पूर्ति हो जाएगी।

एक निवेदन यह था कि जैसे मेरे पड़ौसी बालोतरा से आने वाले माननीय सदस्य ने आपको अवगत कराया कि जोधपुर से, जो डिस्काम का भण्डारण है, सामान है वह बाड़मेर जाता है। बाड़मेर जाने के बाद में बालोतरा, समदड़ी, कल्याणपुर, सिवाना और सिणधरी वापस आता है। तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के मार्फत आपको निवेदन करूंगा कि 220 किलोमीटर जोधपुर से बाड़मेर जाएगा, वापस सौ किलोमीटर बालोतरा आने के बाद में वापस डिस्ट्रीब्यूट होता है तो इसमें खर्चा भी ज्यादा आ रहा है, और इस वजह से अगर भण्डारण बालोतरा में पहले था, और आज अगर वे करेंगे तो एक तो खर्चा भी बचेगा और किसानों के लिये सहूलियत होगी। एक बंडल ट्रांसफार्मर ले जाने के लिये डिस्काम जाती है या कोई जाता है तो इतनी दूरी पड़ती है, उसके लिये एक आप प्रबन्ध कराएं।

एक निवेदन यह था कि जितने भी जी.एस.एस. बने हुए हैं, हमारे वहां पशु बहुत ज्यादा हैं और पशु इस साल तो अकाल की चपेट में, पानी की वजह से और चारा नहीं मिलने की वजह से काफी कालग्रस्त हो गये हैं। पर जितने भी जी.एस.एस. बने हुए हैं, उनकी चारदीवारी नहीं है। अगर चारदीवारी वहां बन जाए तो पशुओं का वहां रखरखाव भी हो जाए, जितने भी जी.एस.एस. बने हुए हैं, उनकी चारदीवारी हो जाए। यह मैं आपसे विशेष निवेदन करूंगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): एक निवेदन, बस, अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन करके मैं मेरी बात को समाप्त करूंगा। बोलने का समय दिया इसके लिये धन्यवाद।

एक निवेदन और करूंगा कि विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर, जोधपुर और अजमेर, इनमें सैकड़ों अधिकारी जो लगे हुए हैं, अभियंता पद के विरुद्ध, जैसे कनिष्ठ अभियंता को सहायक अभियंता, सहायक अभियंता को

(श्री हमीर सिंह भायल)

अधिशासी अभियंता, अधिशासी अभियंता को अद्यीक्षण अभियंता इस तरह से पद-स्थापित कर रखा है। इन अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच भी है। न्यायालय में प्रकरण हैं, भ्रष्टाचार ब्यूरो के प्रकरण विचाराधीन हैं। लेकिन राज्य सरकार ने इनको उच्च पदों पर बैठा रखा है जिसके कारण ऊर्जा विभाग में भ्रष्टाचार की बू आ रही है, वित्तीय प्रबन्ध प्रभावित हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में विभागीय कर्मचारियों की नियमानुसार पदोन्नति भी रुकी हुई है। इन तीनों कम्पनियों में ऐसे कितने अधिकारी, जो पद के विरुद्ध पद-स्थापित हैं, सदन में उनकी सूची उपलब्ध कराएं और इनके खिलाफ कार्यवाही करके जनता को राहत दिलाएं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप सबकी आज्ञा हो तो, डिबेट लम्बी चलेगी तो अंत नहीं होगा। मेरा एक निवेदन है कि जो प्रथम बार जीतकर आये हैं, उनको मैं बोलने का अवसर दूंगा और उसके बाद साढे आठ बजे रिप्लाई शुरू हो जाएगी। मेरा सबसे निवेदन है, पहले, बी.एस.पी. की पार्टी वाले, जो नये हैं, कौन बोलेंगे, नाम दे दें। कम्युनिस्ट पार्टी वाले कौन बोलेंगे, पार्टी की तरफ से नाम भेज दें। पर मैं बी.जे.पी., बी.एस.पी. और सब पार्टियों से निवेदन करूंगा कि नये सदस्य जीतकर आये हैं, उनको मैं बोलने का मौका दूंगा। पांच मिनट में अपनी बात समाप्त कर दें।

अब श्री रामनिवास गावड़िया।

श्री रामनिवास गावड़िया (परबतसर): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय, जो आपने मुझे आज बिजली जैसे महत्वपूर्ण विषय पर इस परिचर्चा में बोलने का अवसर दिया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कहते हैं न कि प्रतिभा स्थितियों की मोहताज नहीं होती, वह तो बस कुछ कर दिखाने का हुनर रखती है। इसी प्रकार का एक उदाहरण मेरे नागौर जिले के परबतसर से है। पिछले दिनों मई माह में जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं का विज्ञान वर्ग का परिणाम घोषित हुआ, उसमें एक निम्न वर्ग का स्टूडेंट, दीपक, जिसने 93 प्रतिशत अंक अर्जित किये हैं। एक तरफ इस बात की खुशी है कि आज हमारे देश का नौजवान अपने भविष्य को लेकर इतना जागरूक है, लेकिन दूसरी तरफ आज अगर प्रदेश और देश का युवा जन प्रतिनिधियों के खिलाफ और सरकार के खिलाफ अपनी मानसिकता बनाता है, उसी का उदाहरण यह है कि इसने लालटेन की रोशनी में पढ़कर 93 प्रतिशत प्राप्त किये हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले दो दिनों से जल और बिजली जैसे

(श्री रामनिवास गावड़िया)

महत्वपूर्ण विषयों पर सदन में चर्चा हुई। मैं पहली बार जीतकर आया हूं और मैंने देखा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों ने अपने विचार सदन में रखे, मैं उनसे यह कहना चाहूंगा कि आज जिस वी.सी.आर. के मुद्दे पर दोपहर तीन बजे से आप सब लोगों ने अपने विचार रखे, जिस ठेकेदारी प्रणाली के ऊपर आपने सवाल खड़ा किया, मैं इस मामले में यह कहना चाहूंगा कि मेरे परबतसर में आपकी पूर्ववर्ती सरकार में माननीय विधायकजी ने लाइनमैन से लेकर एक्स.ईएन. तक को नहीं छोड़ा और ठेकेदार से लेकर ठेके वालों तक को नहीं छोड़ा। उसी का परिणाम रहा कि पिछले पांच वर्षों में दीनदयाल उपाध्याय जैसी योजनाएं, सौभाग्य जैसी योजनाएं जिनमें इस प्रदेश के किसान को फायदा मिलना चाहिए था लेकिन इनके विधायकों को दो साल तक तो इस बात के लिए फुर्सत नहीं थी कि सी.आई. को कैसे चेंज किया जाए, तहसीलदार को कैसे चेंज किया जाए क्योंकि इन लोगों को जनता की भलाई नहीं करना था, अपनी जेब को किस तरह से भरकर अपने आपको मजबूत कैसे किया जा सकता है, इस बात पर ज्यादा ध्यान दिया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को अवगत करवाना चाहूंगा कि पिछली सरकार में आज यह लोग जो बड़ी बात करते हैं, मैं इनसे यह कहना चाहूंगा कि अगर आपने जनता की सेवा की है तो जब आपकी सरकार जाने वाली थी तो हर विभाग का कर्मचारी सड़क पर बैठा था हड़ताल पर और उसी का नतीजा है कि आप लोग 163 से आज विपक्ष में बैठने के लिए यहां पर खड़े हो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि मेरे परबतसर में आज सरकारी स्कूल और जितनी सरकारी संस्थाएं हैं उनके ऊपर से 11 हजार और 33 हजार की लाइनें गुजर रही हैं लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने वोट की राजनीति के चक्कर में आज दिन तक हमारे नौजवान बच्चे पढ़ने जो स्कूल जाते हैं, उनके भविष्य का ध्यान नहीं रखते हुए उनको आज दिन तक नहीं हटाया गया।

मैं आपके माध्यम से कहना चहूंगा कि मेरे परबतसर के रघुनाथपुरा और ललाणा कलां में 33/11 के.वी.ए. सब स्टेशन का निर्माण किया जाए ताकि वहां की आम जनता को इसका फायदा मिल सके और जो बार-बार ट्रिपिंग होती है और जिस तरह से विद्युत की आपूर्ति समय पर नहीं हो पाती उसका फायदा मिल सके।

(श्री रामनिवास गावड़िया)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी और सम्पूर्ण कैबिनेट को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने सरकार में आने के बाद कृषि कनेक्शन पर विद्युत दर को पांच साल नहीं बढ़ाने का जो ऐतिहासिक फैसला लिया है इसे पूरे राजस्थान की सात करोड़ जनता देख रही है और यह आशीर्वाद हम सब लोगों को उसी जनता ने दिया है। आज इस सदन में हम लोग अगर यहां पर विचार कर रहे हैं और हमारे विचार यहां पर रख रहे हैं तो हमारा यह दायित्व बनता है कि जो 2 हजार आबादी के जो गांव-ढाणी है, उनको विशेष रूप से एक अलग से लाइन देकर हमें उनको 24 घंटे विद्युत उपलब्ध करवानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री रामनिवास गावड़िया (परबतसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। आज जो गैर-आबादी की ढाणियां हैं, वह निश्चित रूप से हमारे राजस्थान में रहती हैं। जनता हमसे यह उम्मीद करती है कि उनके लिए एक अलग से प्रावधान किया जाए कि उनको कृषि कनेक्शन मिल जाए, घरेलू विद्युत कनेक्शन दिया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आज किसान को सबसे बड़ी जरूरत है तो सौर ऊर्जा पर ध्यान देने की जरूरत है। मैं सरकार के माध्यम से मंत्री महोदय को कहना चाहूंगा कि हम लोगों को किसानों को प्रोत्साहित करना चाहिए और जिस तरह की सब्सिडी पूर्व में जब कांग्रेस की सरकार थी और जब तत्कालीन मुख्य मंत्री वसुन्धरा जी राजे थीं उन्होंने इस सब्सिडी को काफी हद तक कम कर दिया। मैं सरकार के सामने यह मांग रखता हूं कि इस सब्सिडी को बढ़ाकर किसानों को प्रोत्साहित करके सौर ऊर्जा के ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस मौके पर बोलने का जो मौका दिया, उसके लिए मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री संदीप यादव।

श्री संदीप कुमार (तिजारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने इस मुद्दे पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

मेरे विधान सभा क्षेत्र तिजारा में आबादी के अनुपात में बिजली की खपत बहुत ज्यादा है। खुशखेड़ा, भिवाड़ी, चौपान की सारेकलां में जो औद्योगिक क्षेत्र है उसके कारण से वहां पर बिजली की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, उपभोग ज्यादा है और बिजली की आवक कम है। करीब 21 करोड़ यूनिट की खपत भिवाड़ी में है

(श्री संदीप कुमार)

जिसमें से 80 प्रतिशत औद्योगिक क्षेत्र में उपभोग होता है। अधिक मांग व बिजली की कम आपूर्ति के कारण से लोड बढ़ रहा है, ऐसी स्थिति में लगातार बिजली की कटौती होती रहती है जो ज्यादातर ग्रामीण एरिये में बिजली की कटौती होती है।

इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करता हूं कि अलग-अलग जगह पर नये बिजली स्टेशन व सब स्टेशन स्थापित करने की आवश्यकता है जिसमें 11 के.वी.ए, 33 के.वी.ए. व 220 के.वी.ए. व इससे अधिक क्षमता वाले स्टेशन शामिल हैं। तो मेरा यह निवेदन है कि अतिशीघ्र इस समस्या के निराकरण के लिए हमारे वहां पर बिजली के स्टेशन और सब स्टेशन स्थापित किए जाएं।

इसके अलावा मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में जो शहरी क्षेत्र है, पूरे राजस्थान में शायद इस तरह की व्यवस्था है कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को ढाई रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली दी जाती है, जबकि शहरी क्षेत्र के आसपास का जो एरिया है उसमें सभी किसानों को साढ़े चार से छह रुपये प्रति यूनिट उनसे वसूले जा रहे हैं और उनको कृषि में सब्सिडी भी नहीं दी जा रही है। मेरा मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि शहरी क्षेत्र के आस-पास का जो इलाका है, उन्हें बाकी किसानों की तर्ज पर ही ढाई रुपये प्रति यूनिट बिजली दी जाए और उनको सब्सिडी प्रदान की जाए।

इसके अलावा बहुत सारे किसानों को जिन्होंने दस महीने, बारह महीने से बिजली की डिमांड राशि जमा करवा रखी है, उनको सैकिण्ड फेज में मेरे विधान सभा क्षेत्र में तिजारा जो फीडर है, वहां पर 348 में से अभी 310 ट्रांसफार्मर पेंडिंग हैं, जो 10 माह पूर्व में बिजली की डिमांड राशि जमा करा चुके हैं। इसके अलावा टपूकड़ा फीडर पर 66 ट्रांसफार्मर में से 33 ट्रांसफार्मर अभी तक पेंडिंग है। इसी तरह गांव-ढाणियों पर तिजारा फीडर पर 380 घरेलू कनेक्शंस की डिमांड राशि जमा होने के बाद भी उनको अभी तक कनेक्शन नहीं दिया गया है। ग्रामीणों द्वारा बड़ी मुश्किल से डिमांड राशि जुटाई जाती है। ट्रांसफार्मर नहीं मिलने के कारण उनको पानी की आपूर्ति नहीं हो पाती है, जिससे किसान की फसलें खराब हो रही हैं और जो घरेलू कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं, उसके कारण से बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। अत: श्रीमानजी से निवेदन है कि इन बातों पर भी गौर फरमाया जाए।

इसके अलावा बिजली के झूलते तार आए दिन हादसे को न्यौता देते हैं। आए दिन कहीं न कहीं अख़बार में खबर आती है, इसके कारण से कई बार

(श्री संदीप कुमार)

जन हानि भी हुई और हमारे यहां पर अभी जस्ट पिछले दिनों 11 हजार की एक लाइन जिसकी बार-बार शिकायत करने के बाद भी वह नहीं बदली गयी, बहुत लंबे समय से 11 हजार और 33 हजार की लाइनें जो पुराने समय से हैं, जो पुरानी लाइन हैं, उनको नहीं बदला जा रहा है। अभी मेरे स्वयं के गांव में पिछले दिनों तीन भैंसें मर गईं जिसमें कुल 20 हजार रुपये की राशि का उनको मुआवजा मिला। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक लाख से कम कोई भैंस नहीं आती है, 20 हजार रुपये की राशि किसान को दी गयी तो उसमें किसान का क्या दोष था?

इसके अलावा बिजली विभाग के द्वारा बिलों में हो रही धांधली के बारे में माननीय मंत्री महोदय विचार करें। बिजली के हमारे जो लाइनमैन होते हैं वह सैटिंग करके बिजली का बिल पहले कम भेज देते हैं और बाद में उसको बढ़ाकर बिल आ जाते हैं। एक घटना ऐसी हुई है कि किसी किरायेदार ने कोई जमीन किराये पर ली हुई थी, उसने सैटिंग करके, वह मेरे स्वयं के साथ भी घटित हुई, सैटिंग करके लाइनमैन को कह दिया कि आप मेरे कम यूनिट दिखा दो। किरायेदार चला जाता है और 25 हजार रुपये बिल बाद में बकाया राशि आती है। इस तरह की व्यवस्था क्यों है? जो उचित बिल है, वह उसी समय दिया जाए, जो मंथली बिल आता है। मेरा आपसे यह निवेदन है कि इन सभी बातों पर भी ध्यान रखा जाए।

इसके अलावा बिजली शिफ्टिंग के नाम पर वाटर लेवल लगातार नीचे होता जा रहा है। हमारे यहां पर औद्योगिक क्षेत्र है, औद्योगिक इकाइयों में लाखों लीटर पानी का दोहन होता है, जिसके कारण से जल स्तर नीचे होता जा रहा है और जब किसान नया ट्यूबवैल लगाता है तो शिफ्टिंग के नाम पर उससे चार्ज लिया जाता है तो मेरा मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि किसानों से वह शिफ्टिंग चार्ज नहीं लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री संदीप कुमार (तिजारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री गोपी चन्द मीणा।

बधाई एवं आभार

पत्रकार दीर्घा में पत्रकारों का आगमन

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत आभार। पत्रकार दीर्घा में सारे के सारे पत्रकार बंधु आ गये हैं और राजेन्द्रजी ने राजेन्द्र पारीक साहब के निवेदन पर लड्डू भी मंगवा लिये हैं। आपका सबकी तरफ से बहुत-बहुत आभार।

श्री अध्यक्ष: आपका नहीं, सबका आभार। पत्रकारों का और आप सबका आभार। इसी तरह से नियम और कानून का पालन करें, सदन अच्छा चले, सबको धन्यवाद।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): बहुत-बहुत धन्यवाद।

विभिन्न विषयों पर विचार

राज्य में बिजली की स्थिति पर विचार

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, बिजली जैसे महत्वपूर्ण विषय पर मेरे को बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, दीनदयाल बी.पी.एल. कनेक्शन के कार्य गत एक वर्ष से लम्बित हैं, जिसके परिणामस्वरूप गरीब तबके को उक्त योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। दो हजार की आबादी के गांवों को 24 घंटे विद्युत आपूर्ति से जोड़ने का कार्य करवाया जा रहा है जैसे ग्राम लुहारीकलां, ग्राम सरस्या, ग्राम रावतखेड़ा, ग्राम मुलेला, ग्राम गुढ़ा पंचायत को इस योजना से लाभान्वित करवाया जाए। सार्वजनिक स्थलों जैसे खेल मैदान, स्कूल, कालेज व आबादी में पुरानी एक्सटेंशन लाइन निकली हुई है 11 के.वी. और 33 के.वी. को हटाने का प्रावधान करना चाहिए ताकि दुर्घटनाओं से बचाया जा सके।

किसानों को थ्री फेस बिजली रात्रि के समय नहीं दी जानी चाहिये। किसानों को सर्दियों में बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। जहरीले जानवर, सर्प व विद्युत करंट से, रोजड़ों से किसानों की दुर्घटनाओं में मौत हो जाती है। बिजली दुर्घटना से किसान की मृत्यु पर पांच लाख का मुआवजा देने का प्रावधान है। दस लाख का मुआवजा आर्थिक सहायता के रूप में दिया जाना चाहिए।

प्रत्येक ग्रिड सब-स्टेशन पर मेन पावर की कमी होने के कारण संबंधित कार्य सुचारु रूप से समय पर पूरा नहीं हो पाता तथा इसी के कारण कर्मचारी पर कार्य का दबाव रहता है।

एग्रीकल्चर के सामान्य श्रेणी के कृषि कनेक्शनों की श्रेणी में एस.टी. के किसानों को भी इस श्रेणी का लाभ दिया जाए।

सभी जी.एस.एस. का कार्य ठेके पर होने के कारण ठेकेदार द्वारा जो लोग नियुक्त किये गये हैं, वह अकुशल हैं तथा निर्धारित मेन पावर की जगह पर ठेकेदार द्वारा एक या दो व्यक्तियों से जी.एस.एस. का संचालन करवाया जा रहा है। पुरानी लंबी लाइनों का रख-रखाव का बजट दिया जाना चाहिए। इस कारण लाइनों की ट्रिपिंग में बढ़ोतरी हो रही है व लोड सैटिंग के नाम पर बिजली काटी जा रही है, जिससे 24 घंटे लाइट उपलब्ध करवाना सपना जैसा साबित हो रहा है।

(श्री गोपी चन्द मीणा)

प्राइवेट अकुशल कर्मचारी के कारण ठेकेदार द्वारा लाइनों का संचालन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। इन कर्मचारियों के कारण अपरोक्ष रूप से निगम के कर्मचारियों पर दबाव बढ़ रहा है। इस कारण आये दिन निगम के कर्मचारियों के साथ दुर्घटना हो रही है एवं निगम के कर्मचारियों का सामाजिक जीवन भी प्रभावित हो रहा है। जो भी उपकरण निगम में उपयोग में लिये जा रहे हैं, वह उच्च गुणवत्तापूर्ण नहीं होने के कारण आये दिन उपकरण खराब हो जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप सरकार का आर्थिक व्यय बढ़ रहा है, जोकि राजकोष के घाटे का प्रमुख कारण है।

निगम के कर्मचारियों को मानक सुरक्षा उपकरण समय-समय पर उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, जोकि निगम के कर्मचारियों की दुर्घटना का मुख्य कारण है। एक ही लाइन पर तीन या चार जी.एस.एस. होने के कारण अनवांछित ट्रिपिंग बढ़ जाती है, जिसका खामियाजा उपभोक्ताओं को उठाना पड़ता है। ट्रांसफार्मर जल जाते हैं, किसानों को समय पर ट्रांसफार्मर नहीं दिया जाता है, इसके लिये अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिये।

निगम के संचालन कार्य में पारदर्शिता नहीं होने के कारण भ्रष्टाचार के मामले बढ़ रहे हैं। किसानों के सामलाती कृषि कनेक्शनों में जो शपथ-पत्र लिया जाता है, उसमें सरलीकरण किया जाना चाहिए। जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बिजली शिकायत पर फीडर सुधार कार्यक्रम में ठेकेदार के द्वारा राशि वसूली जा रही है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, वाइंड-अप करें। श्री पदमाराम।

श्री पदमाराम (चौहटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जनता से जुड़े महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बड़ा आभार, धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, पन्द्रहवीं विधान सभा का यह दूसरा सत्र है और सत्र प्रारम्भ होते ही माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जनता से जुड़े हुए विषय पर सभी माननीय सदस्यों को बोलने के लिये, जनता की आवाज को उठाने के लिये यह चर्चा रखी। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का, माननीय अध्यक्ष महोदय जी का, माननीय मंत्री महोदय का बहुत बड़ा आभारी हूं और मैं इनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि जनता की आवाज, जनता ने जिस उम्मीद के साथ सभी माननीय सदस्यों को यहां चुनकर भेजा है कि यह सदन में जाकर जनता के हित के लिये, जनता के महत्वपूर्ण विषयों के लिये वहां आवाज उठाएंगे, किसानों के हित में निर्णय करेंगे, इस मुद्दे को यहां सदन में चर्चा के रूप में रखा है। इसके लिये मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा।

(श्री पदमाराम)

(19.55 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, कल पानी के ऊपर चर्चा थी, आज बिजली के ऊपर चर्चा है। दो महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट हैं। मैं सुबह से यह चर्चा सुन रहा हूं और जो पूर्व राज्य मंत्री हैं, मंत्री हैं, माननीय वरिष्ठ सदस्य हैं, जो सामने बैठे हैं, वह बार-बार कह रहे हैं भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, बिजली नहीं मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी के राज के अंदर हमने बहुत अच्छा काम कर दिया, बिजली की बहुत बड़ी व्यवस्था कर दी, बिजली का बहुत उत्पादन कर दिया, सब सुधार कर दिया, अच्छे पोल लगा दिये, सब कुछ कर दिया। तो, मेरा माननीय सभापति महोदय, आपके मार्फत माननीय सदस्यों से निवेदन है कि कैसे पांच-छह महीनों के अंदर कांग्रेस के राज में ऐसा कौनसा आपका सिस्टम बंद कर दिया या वहां पर पोल खड़े हुए थे, उनको उखाड़ दिये या तारों की लाइनें कम कर दीं। आप कह रहे हो तो हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि पांच साल तक आप सो रहे थे, क्या कर रहे थे? पांच साल के अंदर आपने जो काम किया, आपने जो ठेकेदारों को सहयोग किया, आपने जो भ्रष्टाचार की नींव रखी, उसको हम भुगत रहे हैं। उसके कारण ही हम परेशान हो रहे हैं। (व्यवधान) आप बैठो। जब आपके पास राज था, जब आपके पास ताकत थी... (व्यवधान) माननीय सदस्य, जब आप बोल रहे थे, उस समय कोई नहीं बोला। सुनने का माद्दा रखो। सुनो, सुनने का माद्दा रखो। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, माननीय सभापति महोदय ...(व्यवधान)

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): टाइम हो गया।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): आप तो डिमांड बताओ।

श्री पदमाराम (चौहटन): हां, टाइम हो गया, डिमांड बताऊं, आपको तकलीफ हो रही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अभी जो आपने पर्ची के माध्यम से बोलने का मौका दिया। हमारे पूर्व माननीय मंत्री महोदया, हमारे मंत्रीजी से पूछ रहे थे कि हमारे यहां 1200 आदमियों के खाद्य सुरक्षा में नाम नहीं जुड़े। आप पांच साल मंत्री थीं, आपका राज था, आप सब कुछ कर सकती थीं तो 1200 आदमी वंचित कैसे रह गये? अजमेर से आने वाली पूर्व माननीय मंत्री महोदय कह रही हैं कि मेरे क्षेत्र के सब खम्भे गिर गये तो आपका राज था, आपने टेंडर किया, आपकी देखरेख के अंदर काम हुआ तो पांच-छह महीनों के अंदर खम्भे कैसे गिर गये? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप जनता

(श्री पदमाराम)

की बात नहीं करना चाहते हो, जनता के हित की बात करना नहीं चाहते हो, सिर्फ आपका अखबारों के अंदर नाम होना चाहिये। जनता के बारे में आप लोगों की चर्चा होनी चाहिये, उसके बारे में आप बात नहीं करना चाहते हो। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जनता हित के काम हैं, अपन सब जनता की मेहरबानी से यहां आये हैं, किसी की दादागीरी से यहां नहीं आये हैं, किसी की मेहरबानी से नहीं आये हैं। जनता ने अपन को यहां पर चुनकर भेजा है तो जनहित के अंदर बात करें। जनता का फायदा कैसे हो, किसान का हित कैसे हो, इस प्रदेश का विकास कैसे हो, उस मुद्दे पर बात करें तो अपन सबको जनता आशीर्वाद देगी। यह शोभा बढ़ाने के लिये, किसी का नंबर बढ़ाने के लिये, किसी की प्रशंसा करने से कोई काम नहीं चलेगा। आपके राज के अंदर महारानीजी का राज था। आपने बिजली की अच्छी व्यवस्था कर दी, बिजली के सब कुछ काम कर दिये...(व्यवधान)

श्री सभापति: एक मिनट, पदमाराम जी।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटे के लिये और बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति: क्या सदन का समय एक घंटे बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटा बढ़ाया गया।

विभिन्न विषयों पर विचार

राज्य में बिजली की स्थिति पर विचार

श्री पदमाराम (चौहटन): मेरा आपसे निवेदन है कि सभी वरिष्ठ माननीय सदस्य और पूर्व मंत्री महोदय आरोप लगा रहे हैं कि बिजली के अंदर इतना कर्जा हो गया। आपने बिजली का सुधार कर दिया, बिजली विभाग प्रोफिट में आ गया तो छह महीने के अंदर हमने ऐसा कौनसा जादू कर दिया, हमारे ऐसे कौनसे उद्योगपति थे, जिनको हमने फ्री में बिजली दे दी कि बिजली का नुकसान हो गया। आपके किये हुए को हम भुगत रहे हैं। आपके खोदे हुए गड्ढ़े अभी तक पूरे नहीं भर रहे हैं। कल यहां जो प्रसंग चल रहा था,

(श्री पदमाराम)

उसके अंदर वित्तीय संसाधन की बात कहते ही आपको हंसी आ रही थी, क्योंकि आपने उसका भट्टा बैठा दिया, आपने उसका पूरा कल्याण कर दिया। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: मंत्री नहीं बनाएंगे।

श्री पदमाराम (चौहटन): मंत्री हमको बनाएं, नहीं बनाएं, उसकी आपको चिंता नहीं है। आप तो अपनी चिंता करो। हमको मंत्री बनाएं, नहीं बनाएं, हम क्या कर रहे हैं, उसकी आप चिंता मत करो।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री पदमाराम (चौहटन): मेरा आपसे निवेदन है कि इस जनता ने आपको चुनकर भेजा है, आप जनता ..(व्यवधान) आपको तकलीफ हो रही है, मैं इधर नहीं देख रहा हूं, मैं इधर देख रहा हूं। आपको तकलीफ क्यों हो रही है? मेरा आपसे निवेदन है कि जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जनता हित के अंदर किसानों को समय पर बिजली मिले। किसानों को उच्च क्वालिटी की बिजली मिले और किसानों के हित में आप बात करें। सभी माननीय सदस्य कह रहे हैं कि दिन को बिजली मिलनी चाहिये। आपके समय में तो आपको रात में भी नहीं मिल रही थी, अब दिन को बिजली कहां से आ आएगी? आप रात के समय भी बिजली नहीं दे रहे थे। रात को ट्रिपिंग जा रही थी।

(20.00 बजे)

चार घंटे, पांच घंटे से ज्यादा बिजली नहीं आ रही थी, उस समय आपकी व्यवस्था कहां गई थी? अभी माननीय सदस्य महोदय कह रहे थे हमारे समय में दस घंटे बिजली मिल रही थी। पांच घंटे का तो था, पांच घंटे भी समय पर बिजली नहीं मिल रही थी, अब दस घंटे बिजली कहां से आ गई?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, शांत रहें, शांत रहें, बोलने दें। (व्यवधान) तो बोलने दें, वो अपनी बात बोल रहे हैं, क्या दिक्कत है आपको? विराजिए, विराजिए। (व्यवधान) आपकी सब की बी.पी. नापी हुई है मेरी।

श्री पदमाराम (चौहटन): मेरा आपसे निवेदन है कि आज दीनदयाल ज्योति योजना जो माननीय ...

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): लोक सभा का रिजल्ट याद नहीं है क्या?

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): लोक सभा का रिजल्ट याद नहीं आ रहा है क्या? लोक सभा का रिजल्ट याद कर लो न, जीरो हो जीरो। (व्यवधान)

श्री पदमाराम (चौहटन): अभी दिलाता हूं, अभी दिलाता हूं। (व्यवधान)

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सभापति महोदय, माननीय सदस्य का बी.पी. चैक करा लो ...(व्यवधान)

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): वापस चुनाव करा लो ...(व्यवधान)

श्री पदमाराम (चौहटन): लोक सभा के बारे में भी बात करता हूं ... (व्यवधान) करनी है तो कर लूंगा।

श्री सभापति: श्री रामस्वरूप लाम्बा।

एक माननीय सदस्य: आप विषय से हटकर बोल रहे हैं।

श्री सभापति: बैठिये। श्री रामस्वरूप लाम्बा।

श्री पदमाराम (चौहटन): मंत्री जी बोल लें।

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए।

श्री पदमाराम (चौहटन): सभापति महोदय, मैंने मेरे क्षेत्र के बारे में बात ही नहीं की। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, मंत्री महोदय, मेरे क्षेत्र के अन्दर जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, जो सीमावर्ती क्षेत्र के रहने वाले हैं उनके साथ टाडा, माडा के तहत उनको भी ...

श्री सभापति: समाप्त करें, समाप्त करें। (व्यवधान)

श्री पदमाराम (चौहटन): एक मिनट, एक मिनट। सिर्फ एक मिनट। तकलीफ क्यों हो रही है, मैंने अभी तो कुछ कहा ही नहीं है, आप इतनी तकलीफ क्यों कर रहे हो? आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है?

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए।

श्री पदमाराम (चौहटन): मेरा आपसे निवेदन है कि अनुसूचित जनजाति के किसानों को सीमावर्ती क्षेत्र घोषित करते हुए विशेष दर्जा देकर उनको कृषि कनेक्शन के अन्दर प्राथमिकता दें, इस बजट में प्रावधान करें। यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: बैठिये। श्री रामस्वरूप लाम्बा। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। श्री हमीर सिंह भायल साहब, आप अपने स्थान पर आइये।

(श्री सभापति)

आपको अपने स्थान पर बैठ करके बोलना चाहिए, जहां मर्जी आये वहां जाकर बोल रहे हैं आप।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): सभापति महोदय, आप मंत्री जी को भी डांट लगाओ। (व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया शांत रहें आप। शांत रहें। (व्यवधान) आप भी अपने स्थान पर नहीं हैं। स्थान पर जाकर बोलिये, आप इतने सीनियर हैं। नये मैम्बर आये हुए हैं, इन्हें बोलने दो। इनको गम्भीरता से सुनिये, ये नये-नये मैम्बर हैं और सभी माननीय नये मैम्बर ही बोलेंगे।

श्री रामस्वरूप लाम्बा (नसीराबाद): माननीय सभापति महोदय, आज बिजली जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है और हम सब का यही मानना है कि बिजली सब को मिले और सब का यह अधिकार है कि बिजली मिलनी चाहिए, पानी मिलना चाहिए और आम जनता को मिलनी चाहिए, गरीबों को भी मिलनी चाहिए।

आज हम सब को पता है, हमारी सरकार में पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के माध्यम से सभी गांव-ढाणियों को जोड़ने का जो काम किया गया है, उससे सभी गांवों को लाभ मिला। सब गांव में रहने वालों को, ढाणियों में रहने वाले लोगों को लाभ मिला। सौभाग्य योजना से लाभ मिला। आज हम सब को पता है कि बिजली के बिना अंधेरा है और हमें उजाले के लिए बिजली की बहुत जरूरत है गांव में रहने वाले सभी लोगों को।

आज हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो डिजिटल इंडिया जब ही साकार होगा जब हम बिजली की प्रोपर रूप से व्यवस्था कर पाएंगे। आज हम सब को पता है हमारे प्रदेश में जो हालात हैं, जो हमारी सप्लाई है, जो हमारा उत्पादन है उसमें बहुत अन्तर है तो उस अन्तर को भी हमें धीरे-धीरे कम करना चाहिए। इस मुद्दे पर हम सब को एक होकर, चाहे उसके लिए परम्परागत जो बिजली उत्पादन के सोर्स हैं उनके अलावा नये सोर्स डवलप करें और सबके लिए करें।

आज हम सब को पता है कि जो नियामक आयोग बना तो हमारे किसानों के लिए जो बिजली का बिल 55 पैसे बढ़ाया तो उसको हमारी माननीय राजस्थान सरकार ने भुगता और लगभग ढ़ाई हजार करोड़ का यह किसानों को पूरे राजस्थान में फायदा मिला।

(श्री रामस्वरूप लाम्बा)

आज इस महत्वपूर्ण विषय पर मैं यही कहना चाहूंगा कि, माननीय मंत्री जी, जिस प्रकार नसीराबाद में, श्रीनगर में लगभग 44 हजार कनेक्शन हैं नसीराबाद उपखण्ड में तो श्रीनगर में जे.ईएन. की पोस्टिंग है, जो अभी वर्तमान में सीट खाली है तो उसको क्रमोन्नत करके एक ए.ईएन. कार्यालय वहां पर भी खोला जाए जिससे दबाव कम हो, सभी लोगों को फायदा मिले।

आज हम सब गांव में रहते हैं, गांव वालों को कई बार समस्याएं आती हैं, ट्रांसफार्मर बदलने में कई बार महीना-महीना भर लग जाता है तो वो भी समय पर बदला जाए। कई बार कनेक्शन देने में डिमाण्ड जमा होने के बाद भी कनेक्शन सही समय पर नहीं दिया जाता है, तो उसके लिए भी समय पर यह व्यवस्था हो। इसके लिए कोई अधिकारी नियुक्त हो कि इनकी यह डिमाण्ड जमा हो गयी है और अगर यह डिमाण्ड एक महीने में जमा नहीं हो पायेगी तो इसकी जो भी पैनल्टी होगी, जो भी होगा, उसके ऊपर सख्त कार्यवाही डिपार्टमेंट के अधिकारियों पर होगी।

आज हम सब को पता है कि कई बार लाइन शिफ्टिंग का है, मकानों पर लाइनें आ रही हैं तो उसके लिए भी उपभोक्ता बहुत परेशान होते हैं, उनका भी समय पर हो। अगर वो डायरेक्ट कोई बात कहते हैं तो उनकी बात को सुना नहीं जाता है। यह भी कोई व्यवस्था होनी चाहिए कि विभाग की ओर से डायरेक्ट उपभोक्ता की बात सुनी जाए।

कई बार स्कूलों में समस्याएं आ जाती हैं, स्कूलों में लाइन पास में होती है और बरसात के समय में लाइनों से करंट दौड़ जाता है, तो इसकी भी अधिकारियों से जांच करवाकर ऐसी व्यवस्था की जाए कि लाइनों में कोई फाल्ट न हो, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। इसके लिए भी हमारा बहुत-बहुत निवेदन है।

आपने जो समय दिया और इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा में भाग लेने का अवसर मिला, इसके लिए भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं।

आज हमें घरेलू बिजली में भी बार-बार ट्रिपिंग की समस्या का सामना करना पड़ता है। कई बार शाम के समय बिजली नहीं आती है, तो इसको भी सुधारा जाए और किसानों को सही समय पर बिजली दी जाए। कई बार ट्रिपिंग की वजह से किसानों को बिजली देना नहीं देना बराबर हो जाता हैं क्योंकि खेतों में पानी नहीं पहुंच पाता है, उस पानी को पहुंचाने के लिए प्रोपर रूप से बिजली दी जाए जो लगातार दी जाए। बार-बार ट्रिपिंग होती है, किसी भी कारण से होती है, चाहे फाल्ट हो चाहे कुछ भी हो, तो उसको सुधारा जाए।

(श्री रामस्वरूप लाम्बा)

कई बार 33 केवी के, 11 केवी के नये स्टेशनों के लिए भी सर्वे करवाया जाए, जहां पर जरूरत महसूस हो वहां पर उपखण्ड लेवल पर यह चीजें की जाएं।

नसीराबाद में पीसांगन एक डार्क जोन घोषित एरिया है तो इसमें भी कनेक्शन में, कई बार किसानों को कृषि कनेक्शन नहीं दिये जाते हैं, तो ऐसी व्यवस्था हो कि यहां पर जहां पर पानी है उस जगह पर सर्वे करवाकर कनेक्शन जारी किये जाएं। इसमें किसानों को अधिकारियों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं रहे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार।

श्री सभापति: श्रीमती कृष्णा पूनियां।

श्रीमती कृष्णा पूनियां (सादुलपुर): धन्यवाद, सभापति महोदय। काफी गम्भीर विषय है और सभी सदस्यों ने अपने-अपने विचार रखे। मैं सदन में आपके माध्यम से सम्माननीय मंत्री जी को अपने विधान सभा क्षेत्र राजगढ़, सादुलपुर की तरफ जरूर ध्यान दिलाना चाहूंगी।

जैसा कि कल पानी के विषय पर भी बोलते हुए मैंने बताया था कि बहुत ज्यादा जमीन का पानी हमारे उधर नहीं है लेकिन हमारे क्षेत्र के अन्दर 20 परसेंट ऐसा एरिया है जहां पर कृषि कनेक्शन हैं लेकिन पिछले 15 साल से जो कनेक्शन कट गये थे, वहां पर काफी किसानों की मांग है जो दोबारा कनेक्शन चाहते हैं। मैं आपसे इन 15 वर्षों से कटे हुए कनेक्शन को री-कनेक्शन देने के लिए जरूर आग्रह करना चाहूंगी। सादुलपुर शहर में उपखण्ड कार्यालय नहीं होने के कारण आसपास ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, बोलने दें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): सभापति महोदय, जरा सारे जो मंत्री लोग हैं उनको यह तो समझाओ, कहीं से भी कोई भी वाक करते हुए आ रहे हैं। गार्डन में चल रहे हैं क्या? (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, नई सदस्या हैं, बोल रही हैं, आप तो कोआपरेट करें। माननीय सदस्य, श्रीमती कृष्णा पूनियां।

श्रीमती कृष्णा पूनियां (सादुलपुर): सादुलपुर शहर में उप खण्ड कार्यालय नहीं होने के कारण आसपास के गांवों में जो शहर से जुड़े हुए गांव हैं उनमें बिजली की काफी समस्याएं आ रही हैं और मैं यहां पर आपके माध्यम से मांग रखना चाहती हूं कि राजगढ़ शहर के अन्दर भी एक उप खण्ड कार्यालय बनाने की कृपा की जाए क्योंकि काफी वर्षों से इस क्षेत्र की मांग रही है।

(श्रीमती कृष्णा पूनियां)

इसके साथ-साथ 33 केवी जीएसएस नीमा, जो कि सादुलपुर शहर से जुड़े होने के कारण आसपास के गांवों में काफी ट्रिपिंग की समस्या है। आपसे आग्रह करना चाहूंगी कि बिलकुल पास में लगते चांदगोठी के 132 केवी जीएसएस से जब नीमा को जोड़ दिया जाता है तो सादुलपुर के आसपास के गांवों में बिजली से सम्बन्धित समस्या का निस्तारण हो पाएगा। राघा बड़ी 33 केवी जीएसएस जिससे गागड़वास, बीसलाण, सदाऊ और काफी गांवों की सप्लाई होती है लेकिन आज वहां पर 11 केवी फीडर बनाये जाने की मांग उठ रही है। मैं बताना चाहूंगी कि इसी तरीके से चाहे वो भीमसाना, तांबा खेड़ी और रयाऊ की साइड अगर मैं बात करूं तो यही समस्याएं हमारे पास आ रही हैं। भीमसाना और तांबा खेड़ी में 33 केवी जीएसएस स्वीकृत है, उन्हें जल्द से जल्द बनाया जाए।

सभापति महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि इसके साथ दूरदराज की ढाणियों में जो अभी कनेक्शन से वंचित हैं, उन ढाणियों को जल्द से जल्द जोड़ा जाए। बहुत सारी ऐसी ढाणियां हैं जिनमें हम बिजली की लाइनें नहीं पहुंचा सके हैं, उनको भी बिजली की सुविधा से जोड़ा जाए। यह भी मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगी।

राजगढ़ के अंदर कम से कम 700-800 ऐसे कनेक्शन हैं जिनके डिमांड नोटिस जमा करा दिए गए हैं। बावजूद उसके कनेक्शन देने में देरी बढ़ती जा रही है। सादुलपुर ग्रामीण उप खण्ड में 3 साल से लगभग 3 हजार कंसर्न फार्म हैं, जिन्हें सर्वे कराकर जल्द से जल्द कनेक्शन दिलाए जाने का मैं आपसे आग्रह करती हूं।

सभापति महोदय, मैं आपसे यही अनुरोध करती हूं कि जो 33 केवी के जीएसएस स्वीकृत हैं, उनको जल्द बनाया जाए। जो दूरदराज के खेतों में ढाणियां बसी हुई हैं, उनमें जल्द से जल्द कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएं। आपका बहुत-बहुत आभार।

श्री सभापति: श्री छगनसिंह।

श्री छगनसिंह (आहोर): सभापति महोदय, आपने मुझे बिजली जैसी गम्भीर समस्या पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

आज दोपहर से बिजली पर चर्चा हो रही है। जिसमें एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं। कोई पिछली पूर्ववर्ती सरकार पर आरोप लगा रहे

(श्री छगनसिंह)

हैं। अगर पूर्ववर्ती सरकार पर आरोप है तो यही जब विपक्ष में बैठेंगे तो उन पर आरोप लगाएंगे। लेकिन सुझाव कम आ रहे हैं। जैसे कि हमारी 2 माननीया सदस्यों ने बहुत ही अच्छे सुझाव दिए। उसी प्रकार से मैं भी सुझाव दूंगा।

सभापति महोदय, जो बूंद-बूंद वाली एक योजना है, उसके अनुसार तुरन्त विद्युत कनेक्शन दिये जाते हैं। लेकिन मेरे आहोर विधान सभा क्षेत्र और जालौर जिले में फ्लोराइड की मात्रा बहुत अधिक है। जिसमें यह बूंद-बूंद वाली जो कनेक्शन की स्कीम है, उसको अगर लिया जाए तो फ्लोराइड से प्लास्टिक के पाइप भर जाते हैं। जिससे पानी की सप्लाई नहीं होती। यह नर्सरी कनेक्शन जो पहले देते थे, वही तत्काल कनेक्शन जो किसानों के लिए दिए जाते हैं, वह दिए जाएं। जिससे किसानों को राहत मिले। किसानों को एक अच्छी सुविधा मिल सके।

सभापति महोदय, सभी किसानों के लिए बात कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि किसानों को जो लाइट रात में मिलती है, वह दिन में दी जाए। जिससे सभी किसान आराम से अपने खेतों में पानी पिला सकें और घर पर जाकर के आराम कर सकें। यहां जो माननीय सदस्य विराजे हुए हैं, वह लगभग सभी किसान ही हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि दिन में कृषि के लिए लाइट दी जाए।

सभापति महोदय, मेरी आहोर विधान सभा क्षेत्र में 24 घंटे थ्री फेज कनेक्शन ग्राम पंचायतों में नहीं हैं। मैं चाहूंगा कि पादरली, काम्बा, निम्बला, अजीतपुरा आदि ग्राम पंचायतों में भी थ्री फेज के 24 घंटे वाले कनेक्शन दिए जाएं। जिससे मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी जो कमी है, वह पूरी हो सके।

मेरे आहोर विधान सभा क्षेत्र के भाद्राजून उप खण्ड में ए.ईन. पोस्ट का सृजन किया जाए। वहां भी 29 हजार उपभोक्ता हैं। इतने उपभोक्ताओं पर एक ए.ईएन. पोस्ट होनी चाहिए। लेकिन वह नहीं है। मैं चाहूंगा कि भाद्राजून में भी एक ए.ईन. पोस्ट का सृजन किया जाए। जिससे वहां के रहवासियों को, उपभोक्ताओं को सुविधा मिल सके।

सभापति महोदय, दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत कनेक्शन ढाणियों में तीन के जोड़े पर मिल रहे थे। मैं चाहूंगा कि यह कनेक्शन शुरू रखें। जो ढाणियां अलग बसी हुई हैं। जहां एक-एक हैं, नए नियमों के अनुसार

(श्री छगनसिंह)

वह एक कनेक्शन भी ढाणियों में दिए जाएं। जिससे कि सभी को विद्युत मिल सके। ऐसा मेरा निवेदन है। ऐसी मेरी आपसे अपेक्षा है।

सभापति महोदय, मेरी विधान सभा में पेयजल की भी भारी समस्या है। नर्मदा योजना के तहत वहां पर पानी की व्यवस्था की जा रही है। नर्मदा पेयजल परियोजना की डिमांड राशि भर दी है। लेकिन विद्युत कनेक्शन अभी तक नहीं हुए हैं। उनका भी तुरन्त प्रभाव से आप विद्युत कनेक्शन करवाएं। जिससे कि वहां पर पेयजल की समस्या खतम हो। इसी बात के साथ आपका धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री हाकम अली खां।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): सभापति महोदय, आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय, बिजली का मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं ज्यादा न बोलते हुए मेरे विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर की ओर आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में विद्युत निगम के 3 उप खण्ड कार्यालय हैं। एक फतेहपुर शहर, जिसमें लगभग 28 हजार उपभोक्ता हैं। दूसरा फतेहपुर ग्रामीण, जिसमें लगभग 29 हजार उपभोक्ता हैं। एक रामगढ़ शेखावाटी जिसमें लगभग 20 हजार उपभोक्ता हैं। लगभग 76 से 77 हजार विद्युत उपभोक्ता हैं जो कि अधिशाषी अभियंता, लक्ष्मणगढ़ के अधीन आते हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि लक्ष्मणगढ़ फतेहपुर से 20 किलोमीटर दूर पड़ता है। रामगढ़ शहर से तकरीबन 45 किलोमीटर दूर पड़ता है। मेरे विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में एक अधिशाषी अभियंता कार्यालय अगर खोल दिया जाए तो उपभोक्ताओं को बहुत सहूलियत मिलेगी। आए दिन उपभोक्ताओं को लक्ष्मणगढ़ जाना पड़ता है।

सभापति महोदय, दूसरी समस्या से अवगत कराऊंगा कि वर्तमान में रामगढ़ के अधीन आने वाले उपभोक्ताओं को 132 केवी जीएएस बिसाऊ से जोड़ा गया है। जो कि झुंझुनूं जिले में पड़ता है। जब भी कोई फाल्ट आता है तो झुंझुनूं वालों से बात करनी पड़ती है। झुंझुनूं वाले और फतेहपुर दोनों के मध्य सामंजस्य नहीं होता है। कई बार एक दिन या रात भर भी बगैर बिजली के रह जाना पड़ता है। आपके मार्फत मंत्री महोदय से आग्रह है कि फतेहपुर में

(श्री हाकम अली खां)

33 केवी फीडर बना, उससे रामगढ़ को जोड़ दिया जाए तो इस समस्या का समाधान हो सकता है।

सभापति महोदय, फतेहपुर शहर के चारों ओर कृषि भूमि में लोग बसे हुए हैं। आवासीय कालोनियां हैं। जिन्होंने कालोनियां काटी थीं, वह प्लाट बेच-बेचकर निकल गए। अभी उन बसे हुए गरीबों को कनेक्शन लेने में बहुत भारी समस्या आती है कि वर्ग फुट के पैसे वसूले जाते हैं। जिस कालोनाइजर ने कालोनी काटी, उसने कोई व्यवस्था वहां नहीं की। मेरा मंत्री महोदय से आग्रह है कि इसमें नियमों में शिथिलता देते हुए ऐसी कालोनियों में निवास करने वाले परिवारों को विद्युत कनेक्शन के लिए निगम द्वारा विद्युतिकरण का चार्ज लेकर कनेक्शन दिया जाए।

सभापति महोदय, विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में माननीय न्यायालय की अधिसूचना की पालना में राज्य सरकार द्वारा डार्क जोन घोषित किया गया। जबकि भू जल संरक्षण विभाग ने डार्क जोन नहीं माना। भारत सरकार द्वारा जल शक्ति अभियान में भी फतेहपुर को शामिल नहीं किया। इसका जल स्तर बहुत ऊपर है तो फिर डार्क जोन घोषित क्यों कर रखा है? मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि अधिसूचना 14.07.2011 से हमारे क्षेत्र में नए जल स्रोतों का निर्माण करना प्रतिबंधित कर रखा है। उसमें कनेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं। बिजली विभाग के पास किसान कनेक्शन के लिए जाता है तो कहते हैं कि आपका 2011 से पहले की सूची में नाम नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि या तो दुबारा सर्वे कराया जाए, या उस सूची में से फतेहपुर का नाम हटाया जाए। किसान जब भी अपना नलकूप खोदे तो उसे कनेक्शन दिया जाए।

सभापति महोदय, वर्तमान में कृषि सामान्य श्रेणी में माह फरवरी, 2012 तक के कृषि आवेदकों को कनेक्शन जारी किए जा रहे हैं। किसानों के हित को दृष्टिगत रखते हुए कृषि सामान्य श्रेणी में अब तक आवेदित सभी परिवारों को विद्युत कनेक्शन दिया जाए। यह मेरा मंत्री महोदय से आग्रह है। फतेहपुर शहर में 440 केवी की लाइनों में बहुत सारे लोहे के पोल लगे हुए हैं, फतेहपुर शहर निचले स्तर पर बसा हुआ है, चारों तरफ पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं है और जब भी बारिश का मौसम आता है तो जो विद्युत पोल हैं लोहे के, करंट आने का ज्यादा खतरा रहता है। हर दिन कहीं कोई पशु मर जाता है, तीन-चार मनुष्य हानि भी हो गईं, इसलिए मैं वे पोल बदलवाने के लिए मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा।

(श्री हाकम अली खां)

माननीय सभापति महोदय, मेरे फतेहपुर शहर में आईपीडीएस योजना में सीकरिया चौराहे पर 33/11 केवी जीएसएस स्वीकृत है लेकिन बजट के अभाव में इसे रद्द कर दिया गया, अत: बजट अलाट कर उस जीएसएस की स्वीकृति जारी की जाए। पिछले चार वर्ष में तकनीकी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति होने से विद्युत व्यवस्था दुरुस्त किए जाने के लिए आवश्यक कर्मचारियों की कमी है। फतेहपुर ग्रामीण में 15 कर्मचारियों की कमी है, 33 केवी रोलसाहबसर सब स्टेशन में भी बहुत कमी है।

माननीय सभापति महोदय, दूसरी समस्या है कि शहर में घरों के ऊपर से विद्युत लाइनें जा रही हैं, जैसा पहले कई माननीय सदस्यों ने बताया था कि जो बिजली के तार हैं वह बहुत ही लूज हो जाते हैं और आपस में भिड़-भिड़कर कहीं न कहीं हादसा होता रहता है। जिन घरों के ऊपर से बिजली की लाइनें जा रही हैं, उनको अगर हटाने की एप्लीकेशन लगाएं तो विद्युत विभाग बोलता है कि डिमांड नोटिस भराओ तब हटाया जाएगा। मंत्री महोदय से मेरा यह निवेदन है कि इसमें भी शिथिलता देते हुए तारों को अन्य जगह लाइन शिफ्ट किया जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे मौका दिया, आपका धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री लाखन सिंह।

श्री लाखन सिंह (करौली): सम्माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

जल और बिजली, आज बिजली के ऊपर मुझे बोलने का मौका दिया है, बिजली एक ऐसी आवश्यकता है कि इसके बिना कुछ नहीं है। मेरा विधान सभा क्षेत्र करौली है और यह डांग क्षेत्र है। इस क्षेत्र में आज भी पोजीशन यह है कि आजादी के 70 साल बाद भी आज भी बहुत से गांव ऐसे हैं, जहां पर बिजली नहीं है। अभी एक गांव में मैं गया, बड़े प्रयासों के साथ में बिजली का कनेक्शन करवाया तो उन लोगों को इतनी खुशी हुई कि तीन दिन तक उस गांव में उत्सव मनाया गया, पहली बार उस गांव में बल्ब देखे गए। तो आज भी इस देश में ऐसी जगह हैं, ऐसे गांव हैं जहां बिजली नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह के जो गांव हैं उनको चिंहिनत किया जाए और जल्दी से जल्दी उनमें बिजली दी जाए। हमारे एक मासलपुर क्षेत्र है जहां

(श्री लाखन सिंह)

बिजली नहीं है। मासलपुर बहुत बड़ा क्षेत्र है, डांग क्षेत्र है। यहां पर 33 केवी जीएसएस है, अभी प्रस्ताव 132 केवी जीएसएस का दिया गया है, मंत्रीजी से निवेदन है कि इसको स्वीकार करके जल्दी चालू किया जाए। यहां से जो तार जाते हैं वह 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर पहाड़ों में होकर जाते हैं, एक बार तार टूटने के बाद में वह महीनों तक ठीक नहीं होते हैं, इसलिए आपसे निवेदन है कि 132 केवी यहां स्वीकृत करके चालू किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 132 केवी जीएसएस जब कांग्रेस सरकार थी, ग्राम कटकड़ में स्वीकृत किया गया था। स्वीकृति के बाद में कर्मचारियों ने जाकर चिन्हित कर दी, जमीन भी वहां निश्चित कर दी और जमीन की बाउण्ड्री भी कर दी। पिछली सरकार में पता नहीं क्यों इन लोगों ने उसको अस्वीकृत कर दिया, आज भी वह जमीन है, बाउण्ड्री हो रही है और वहां वैसा का वैसा पड़ा है। दुबारा हमने उसको मंत्रीजी के यहां भेजा है, मेरा निवेदन है कि उसको भी स्वीकृत किया जाए जिससे कि हमारे क्षेत्र की बिजली सुचारु रूप से चालू हो सके। सभी सदस्यों ने निवेदन किया है कि सारे क्षेत्र में जो तार हैं बहुत पुराने तार हैं, तार झूल रहे हैं, मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक महीने के अंदर 5 एक्सीडेंट हुए हैं। इसमें एक जगह तो करीब 32 बकरी और 8 भैंसे मर गईं, दो जगह एक बच्चे की डेथ हुई और तीन जगह एक महिला और एक पुरुष की डेथ हुई, इस तरह पांच एक्सीडेंट हुए हैं। माननीय सभापति महोदय, मेरा यह पूरा गम्भीर विषय है, राजस्थान का भी गम्भीर विषय है कि जो तार लूज हैं, उनको ठीक किया जाए जिससे कि एक्सीडेंट से बचा जा सके।

माननीय सभापति महोदय, हमारे यहां एक जीएसएस की आवश्यकता है, करसौली में। यह क्षेत्र हिण्डौन ब्लाक में पड़ता है और यह क्षेत्र वहां से जहां तक 40 किलोमीटर है और 40 किलोमीटर के बीच में तार एक बार टूट जाता है तो दुबारा नहीं जुड़ता है, इसलिए मैंने सरकार के लिए 33 केवी का खीपकीपुरा में जीएसएस के लिए भेजा है, मेरा मंत्रीजी से निवेदन है कि इसको भी स्वीकार किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, सबसे बड़ी बात यह हो रही है कि यहां पर कर्मचारियों की कमी बहुत है और प्राइवेट सेक्टर में जो दे रखे हैं, प्राइवेट जो कर्मचारी हैं वह सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। हर जगह शिकायत आती है, उपभोक्ता को जाकर कहेगा कि आपका वीसीआर भराऊंगा 50 हजार का, आप कुछ दोगे तो मैं सैटलमेंट कर दूंगा, 5 हजार में सैटलमेंट करवा देते हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री लाखन सिंह (करौली): सबसे बड़ा जो भ्रष्टाचार वाला मामला है, प्राइवेट इसको दे रखा है, यह बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, इसलिए मेरा निवेदन है मंत्रीजी से कि सरकारी भर्ती निकाली जाए, बेरोजगारों को रोजगार मिले जिससे कि यह भ्रष्टाचार भी कम हो और बेरोजगारों को रोजगार मिले। धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत, जय भीम।

श्री सभापति: श्री बिहारीलाल।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय सभापति महोदय, आपका धन्यवाद। आपके मार्फत मैं मंत्री महोदय से मेरे निर्वाचन क्षेत्र नोखा की बिजली से जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण समस्याओं की तरफ ध्यान इंगित करना चाहूंगा। नोखा विधान सभा क्षेत्र खण्ड नोटक में तीन उप खण्ड है, चौथा उप खण्ड एक साल पहले स्वीकृत हो चुका है, वित्तीय स्वीकृति के अभाव में संचालित नहीं हो रहा है और पांचू पंचायत समिति के उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है और 40 किलोमीटर दूर नोखा तक आना पड़ता है, इसलिए माननीय मंत्रीजी से आग्रह है कि इस चौथे उप खण्ड को शुरू किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, दूसरी बात, 132 केवी जीएसएस ग्रिड सब स्टेशन पांचू व 132 केवी जीएसएस रालमदेसर बड़ा में, दोनों जगह 1X20/25 MVA 1 गुणा 24/25 एमवी का एडीशनल ट्रांसफार्मर लगाने की अति आवश्यकता है। प्रस्ताव स्वीकृत हो चुके हैं माननीय मंत्रीजी, कार्य नहीं हो रहा है। लोड मांग के अनुसार नोखा के सात स्थानों पर 33 केवी के जीएसएस स्वीकृत हो चुके हैं, जिनका कार्य लम्बित है, कहीं जमीन का मामला है, कहीं अधूरे पड़े हैं, कहीं शुरू नहीं हुए हैं, यह 33 केवी के 7 सब स्टेशन, सलूंडिया, जेगला, सिंजगुरू, सिणियाला, बीदासरिया, सादासर, झाड़ेली, मंत्रीजी, आपसे आग्रह है कि इनको शीघ्र पूरा करवाएं।

तीन पोस्टें जेईएन की खाली हैं मंत्रीजी, इससे काम बाधित हो रहा है, उपभोक्ता परेशान हो रहे हैं, इस ओर भी ध्यान दिया जाए।

माननीय सभापति महोदय, एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि नोखा खण्ड में 33 केवी के 69 जीएसएस अभी कार्यरत हैं, इनमें निकलने वाले 11 केवी फीडर के 335 फीडर हैं, इन फीडरों पर फीडर इंचार्ज 89 ही हैं, 335 फीडर इंचार्ज में से 89 ही कार्यरत हैं, हर फीडर पर एक फीडर इंचार्ज रखने का प्रावधान है, इतने कम फीडर इंचार्ज

(श्री बिहारीलाल)

होने से विद्युत तंत्र को सुचारु रूप से चलाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। 246 नए फीडर इंचार्ज लगाए जाने की कृपा करें।

माननीय सभापति महोदय, वर्तमान में जोधपुर डिस्काम में एलटी कनेक्शन के लिए उसी खेत में दूसरे ट्यूबवैल के विद्युत कनेक्शन के लिए एक ही ट्रांसफार्मर दिया जा रहा है, जिसके कारण दोनों नलकूप नहीं चल पाते हैं इसलिए प्रत्येक नलकूप को लोड के अनुसार एक अतिरिक्त ट्रांसफार्मर देने की व्यवस्था की जाए।

माननीय सभापति महोदय, आपका, माननीय मंत्रीजी, आपका, आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। यह छोटे से समय में मेरे नोखा की महत्वपूर्ण बिजली की समस्या मैंने आपके मार्फत मंत्री महोदय के ध्यान में लाई है, शीघ्र समाधान की जरूरत है, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अमित चाचाण।

श्री अमित चाचाण (नोहर): माननीय सभापति महोदय, आज आपने एक महत्वपूर्ण मुद्दे बिजली पर चर्चा में आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं। पिछले कई वर्षों में राजस्थान में सरकारें बदलती रहीं, लेकिन आज भी धरातल पर हमारी समस्या ज्यों की त्यों है। आज हमें आवश्यकता है तो एक बदलाव की, आज जो हमारे कर्मचारी, आज जो अंतिम कड़ी के बीएलओ, डीएलओ के कर्मचारी हैं, उनमें एक बदलाव की आवश्यकता है। उनके व्यवहार में बदलाव की आवश्यकता है, उनकी कार्यशैली में बदलाव की आवश्यकता है।

आज विद्युत विभाग के अधिकारी, कर्मचारी ऐसी कुंभकर्णी नींद में सोये रहते हैं, वे तब तक नहीं जागते, जब तक कोई बड़ी दुर्घटना न हो जाए। कोई बड़ा जन आंदोलन न हो, तब तक वे सोये रहते हैं। आज उन्हें ऐसी आदत पड़ गयी है कि वे एसी आफिस में बैठे रहते हैं, एसी गाड़ियों में घूमते हैं और सिर्फ और सिर्फ टैक्निकल हैल्पर पर निर्भर रहते हैं। वे फील्ड में जाना जरूरी नहीं समझते, धरातल की जानकारी उन्हें नहीं है, जिसकी वजह से आज आम किसान, मजदूर को खामियाजा भुगतना पड़ता है।

आज गांव का अंतिम छोर का व्यक्ति, गांव का गरीब किसान, गांव का गरीब मजदूर, चाहे कनेक्शन में कोई त्रुटि हो, चाहे नये कनेक्शन की बात हो, वह बिजली आफिस के चक्कर काटता रहता है, लेकिन उसे संतोषपूर्ण जवाब नहीं मिलता। आफिस में बैठा अंतिम कड़ी का बाबू भी अपने आपको

(श्री अमित चाचाण)

आईएएस अफसर समझता है, लेकिन वह अपनी जिम्मेदारी का सच्चाई और ईमानदारी के साथ निर्वहन नहीं करना चाहता।

आज सभी माननीय सदस्यों ने लगभग एक सामूहिक व्यवस्था बतायी कि आज प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र में, घरों में विद्युत की लाइनें, 11 हजार की लाइनें ऊपर से जा रही हैं, लेकिन विभाग तब तक नहीं जागता, जब तक कोई दुर्घटना न हो जाए या किसी परिवार का चिराग नहीं बुझ जाए। अगर परिवार का चिराग बुझने के बाद विभाग के अधिकारी वहां पहुंचते भी हैं, पांच लाख रुपये का अवार्ड देते भी हैं, उन तारों को बदलते भी हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि हमें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि अगर विभाग की कोई लापरवाही है और उस वजह से जन हानि की कोई घटना होती है तो उन तारों को स्वयं के खर्चे पर बदलना चाहिए।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मेरे नोहर विधान सभा क्षेत्र में जो एसी श्रेणी के कनेक्शन हैं, सामान्य श्रेणी के जो कनेक्शन हैं, बूंद-बूंद पद्धति के जो कनेक्शन हैं या दीनदयाल उपाध्याय की ढाणियों के जो कनेक्शन हैं, अविलम्ब से उन्हें जोड़ा जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले दिनों जब आंधी आयी, बड़ी विडम्बना की बात है कि दो-तीन पोल ही टूटे थे, लेकिन दो दिनों तक मेरे ग्रामीण क्षेत्र में बिजली नहीं पहुंच पायी। यह सिर्फ और सिर्फ उन कर्मचारियों के नाकारापन के कारण, उनकी उदासीनता के कारण आज पूरे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, उन पर लोड बहुत ज्यादा बढ़ गया, लेकिन हमारे कर्मचारी और अधिकारी पहले से जागते नहीं हैं। उनका सर्वे नहीं करवाते, लेकिन जब गर्मी में लोड बढ़ जाता है और ट्रांसफार्मर जल जाते हैं, दो-दो, तीन-तीन दिन तक ट्रांसफार्मर नहीं मिलते तो मैं आपके माध्यम से सरकार को इस बात से अवगत कराना चाहता हूं कि ऐसे ट्रांसफार्मरों का, ऐसे लोड जो बढ़े हुए हैं, पहले सर्वे कराया जाना चाहिए, उनके लोड बढ़ाए जाने चाहिए और अन्य ट्रांसफार्मरों की व्यवस्था की जानी चाहिए। आप सरकार को इस तरह पाबंद करें।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों को पाबंद करें, जन सुनवाई सुनिश्चित की जाए। संबंधित क्षेत्रों में भी जाएं और वहां भी जन सुनवाई करें, क्योंकि मेरे क्षेत्र से 85 परसेंट की

(श्री अमित चाचाण)

आबादी ग्रामीण क्षेत्र से है, जो रोजाना 50-60 किलोमीटर से बिजली आफिस में आते हैं, उनका किराया भी लगता है, लेकिन आम किसान, मजदूर, जो अंतिम छोर का व्यक्ति है, वह पैसे वहन नहीं कर पाता, इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि उन अधिकारियों को पाबंद किया जाए कि वे अपनी फील्ड में जाएं तो तहसील मुख्यालयों पर भी जन सुनवाई सुनिश्चित करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा पंक्ति के अंतिम छोर के गरीब किसानों, मजदूरों को उसका फायदा मिल सके।

मैं आपसे और एक निवेदन करना चाहता हूं कि एक ही एक्सईएन के नीचे दो या तीन-चार एईएन लगते हैं, लेकिन अब व्यवस्था ऐसी हो गयी है कि एक एक्सईएन के नीचे आने वाले टैक्निकल हैल्परों की जो स्थानांतरण प्रक्रिया है, वह एक्सईएन नहीं कर पाता, वह एसई नहीं कर पाता तो मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि ऐसे ट्रांसफर जो एक एईएन से दूसरे एईएन के करने हैं, उनकी व्यवस्था का उनका अधिकार क्षेत्र एक्सईएन या एसई को दिया जाए, जिससे कि अविलम्ब उनके ट्रांसफर कराकर जहां भी कोई समस्या है, उसे दूर किया जा सके। आपने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये एक बार पुन: आपका धन्यवाद।

श्री सभापति: बलवीर सिंह लूथरा।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): आदरणीय सभापति महोदय, आपने बिजली के मुद्दे पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बिजली अनमोल है, इसके बिना जीवन भी सम्भव नहीं है और देश का विकास भी सम्भव नहीं है। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र के बारे में बोलना चाहूंगा कि रायसिंहनगर विधान सभा क्षेत्र में नये 33 केवी पावर हाउस पिछले चार साल से स्वीकृत हैं। निम्न गांवों में कंवरपुरा, करड़वाली, 75 NP, बिलोचिया, 15 बीएलडी और अनूपगढ़ का एक 21 SJM इनका अभी तक काम चालू नहीं हुआ है। एक श्री विजय नगर में आठ एसटीबी में मंजूर करने की आवश्यकता है। पंडित दीनदयाल योजना व सौभाग्य योजना में 31 मार्च, 2019 के बाद से सारा काम बंद पड़ा है। इसे सरकार की कब तक चालू करने की योजना है?

राजस्थान में कुसुम योजना अभी तक चालू नहीं की गयी है और न ही इस योजना में आवेदन मांगे गये हैं। श्री विजय नगर में मात्र आठ ग्रुपों में इस योजना का लाभ मिला है। 25-26 ग्रुप अभी बाकी हैं। कृषि कनेक्शन श्री

(श्री बलवीर सिंह लूथरा)

विजय नगर में 425 किये जाने थे। ठेकेदार के काम नहीं करने से कृषि का एक भी कनेक्शन नहीं हो पाया है, जिससे किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। इसी प्रकार रायसिंहनगर में 48 कनेक्शन बकाया हैं। आदरणीय सभापति महोदय, 2011 तक के कनेक्शनों में भी विलम्ब किया जा रहा है। इन्हें तुरन्त शुरू करवाया जाए। अब नयी दर 2013 की की जाए, क्योंकि गरीब किसान स्पेशल जनरल कनेक्शन नहीं ले सकता। गरीब किसान डेढ़-डेढ़ लाख रुपये नहीं भर सकता।

आदरणीय सभापति जी, हमारे क्षेत्र में सर्दियों के मौसम में डिस-इंसुलेटर पर भट्टे अधिक होने पर धुआं जमा रहता है और इस पर ओस जमा हो जाती है तो पूरी लाइन के डिस-इंसुलेटर बदले जाएं, अभी तक आधे बदले गये हैं और आधे नहीं बदले गये हैं। सौर ऊर्जा एक प्राकृतिक ऊर्जा है, ज्यादातर किसानों का रुझान सोलर की तरफ है, परन्तु सोलर पर पूर्व से सब्सिडी कम मिल रही है। राजस्थान सरकार 30 परसेंट, केन्द्र सरकार 30 परसेंट सब्सिडी देती है। विद्युत की खपत अधिक होने से बचत बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा सोलर पर पूर्व की भांति 50 परसेंट सब्सिडी दी जाए और उपभोक्ता को भी सोलर में सब्सिडी 20 परसेंट बढ़ायी जाए ताकि किसानों एवं उपभोक्ताओं को इस योजना का पूरा-पूरा लाभ मिल सके। सोलर में विद्युत उपभोक्ता बीपीएल को अलग से सब्सिडी दी जाए और प्राथमिकता से कनेक्शन दिए जाएं।

आदरणीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जब भी किसान का ट्रांसफार्मर जल जाता है या खराब हो जाता है, वह ट्रांसफार्मर किसान को अपने साधन से लेकर जाना पड़ता है और वापस भी लेकर आना पड़ता है, जिससे गरीब किसान की दो-तीन दिहाड़ी भी खराब हो जाती है और डीजल खर्च होता है या उसे किराये का साधन लेना पड़ता है।

सभापति जी, मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि राजस्थान के प्रत्येक जिले में एक एईएन आफिस पर एक लिफ्टर अथवा लोडर मशीन उपलब्ध करवा दी जाए ताकि किसानों पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़े। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि शायद इनके गृह जिले बीकानेर में यह व्यवस्था शुरू हो चुकी है और मैं मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि जो सामान्य उपभोक्ता हैं, किसान हैं, उनकी वीसीआर

(श्री बलवीर सिंह लूथरा)

भर दी जाती है, 25 हजार से लेकर 50-50, 70-70 हजार तक वीसीआर भर दी जाती है। किसी भी बड़े उद्योगपति और फैक्ट्रियों में मेरे ख्याल में कभी भी वीसीआर नहीं भरी जाती।

मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि बिजली की छीजत और चोरी रोकने के लिये बड़े-बड़े जो उद्योग और कारखाने हैं, उन पर भी छापे मारकर बिजली चोरी रोकी जाए। अध्यक्ष जी, मैं अंत में आपके माध्यम से मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूं, मेरे विधान सभा क्षेत्र के विजय नगर कस्बे में पिछले छह माह में विद्युतीकरण से पांच-छह मौतें हो चुकी हैं। ठेकेदार द्वारा अप्रशिक्षित मजदूरों से कार्य करवाया जाता है और कार्य करते समय जो तकनीकी सावधानी रखनी चाहिए, वह नहीं रखी जाती है, जिसकी वजह से कई बार मजदूरों की करंट लगने से मृत्यु हो जाती है। निगम अथवा ठेकेदारों द्वारा किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जाता है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में विजय नगर कस्बे में दिसम्बर, 2018 में एक मजदूर के करंट लगने से मौत हो गयी, निगम के अधिकारियों ने पांच लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की थी, मगर अभी तक उस मजदूर के पीड़ित परिवार को एक रुपया भी मुआवजा नहीं मिला। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि उस पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाकर राहत प्रदान की जाए। धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री रफीक खान।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): सभापति महोदय, बजट सेशन में बिजली और पानी की चर्चा में कल पानी पर चर्चा हुई और आज बिजली की चर्चा पर मुझे अन्त में बोलने का मौका मिला, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं।

मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा। सदन में सभी तरह की बातें हुईं। बहुत सारे लोगों ने बिजली उत्पादन से रिलेटेड, ट्रांसमिशन से रिलेटेड, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड बात की। बहुत सारे सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याएं बताईं। मैं आदर्श नगर से आता हूं, जयपुर से विधायक हूं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मंत्री जी को और हमारे मुख्य मंत्री जी को कि पिछले पांच सालों में जयपुर शहर बिजली की कटौती से जूझता रहा और यह पहला गर्मी का ऐसा सीजन गया जिसमें बिजली के अन्दर कोई कटौती नहीं की गई। मैं इसके लिए हमारे मंत्री जी को, हमारे मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। 6 महीनों में 2-3 महीने आचार संहिता की वजह से हम काम नहीं कर पाये पर इस छोटे से टेन्योर में, छोटे से पीरियड में

(श्री रफीक खान)

बिजली उत्पादन में ऐतिहासिक वृद्धि हुई और 793 मेगावाट बिजली का अधिक उत्पादन हुआ जो पिछले 5 सालों में कभी नहीं हुआ इतने छोटे से टेन्योर में, इसके लिए भी मैं हमारे मंत्री महोदय को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं।

जब सदन में बिजली उत्पादन, डिस्ट्रीब्यूशन, बिजली के पड़ते प्रभाव, ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर विचार विमर्श हुआ तो मुझे निराशा हुई कि भारतीय जनता पार्टी के तीनों विधायक यहां मौजूद नहीं रहे और अब लास्ट में सांगानेर से आने वाले विधायक लाहोटी जी यहां पधारे हैं। इससे इनकी संवेदनशीलता देखी जा सकती है कि कितने सीरियस और किस मुद्दे पर यहां सदन में चर्चा हो रही है।

कांग्रेस ने सरकार में आने के बाद में जब ऋण माफी की बात की तो किसानों के ऋण माफी की ही बात नहीं की, उन्होंने किसानों के लिए बिजली के बारे में भी सोचा और यह अनाउंस किया कि हम पांच साल तक किसानों की बिजली की दरों में कोई वृद्धि नहीं करेंगे। मैं इसके लिए भी हमारे मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।

कुछ मुद्दे चर्चा में, डिस्कशन में आने से रह गये। लोगों ने हरेक तरह की चर्चा की, किसानों के बारे में चर्चा हुई, गांवों के बारे में चर्चा हुई, गरीब आदमी, बीपीएल श्रेणी के लोगों के बारे में चर्चा हुई लेकिन उसे बहुत कम महत्व दिया गया। मैं एक छोटी सी बात की तरफ मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बजट सेशन है, जयपुर शहर में ऐसे बहुत से मजदूर हैं जो छोटे-छोटे गांवों से, कस्बों से आकर यहां रोजगार करते हैं, मजदूरी करते हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिनकी मन्थली इन्कम 15 हजार या 15 हजार से कम हैं। उन लोगों की इन्कम का एक बहुत बड़ा खर्चा जहां वो काम करते हैं, 15 हजार रुपये पाने वाले आदमी का 2 से 3 हजार रुपये जहां वो काम करता है उसकी पाकेट मनी के रूप में, उसके आने-जाने के रूप में, कन्वेंस के रूप में खर्च हो जाता है। 2 से 3 हजार रुपये उसके बिजली-पानी में खर्च हो जाते हैं, उसी आदमी के 2 से 3 हजार रुपये अपने घर में किसी बुजुर्ग आदमी की, बच्चे की दवाई-पानी में खर्च हो जाते हैं और यही 2-3 हजार रुपये उसके बच्चों की एजुकेशन पर खर्च हो जाते हैं। मैं सदन से गुजारिश करूंगा, मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि ऐसे आदमी के पास में अपनी रसोई के लिए 4 से 5 हजार रुपये बचते हैं जो आदमी 15 हजार रुपये मन्थली कमाता है। मैं चाहूंगा कि जैसे मुख्य मंत्री जी ने दवाइयों के क्षेत्र में काम किया है, चिकित्सा के क्षेत्र में काम किया है और

(श्री रफीक खान)

फ्री दवाइयां, फ्री मेडिकल फैसेलिटी प्रोवाइड की है, जैसे आपने पानी में रियायत दी है और पूरे राजस्थान में आपने तीन करोड़ से ज्यादा की आबादी को मुफ्त पानी की एक सुविधा दी है, शहरों में भी जैसे आपने करीब 30 परसेंट पानी में कटौती की है उसी तर्ज पर मैं यह चाहूंगा कि आप 250 यूनिट एक आम आदमी को, एक गरीब आदमी को दो रुपये प्रति यूनिट की रेट से प्रोवाइड करायें जिससे वह बिल के जो 1500-2000 रुपये खर्च करता है उसका वह बिल 500 रुपये के अन्दर आ जाएगा। मैं यह भी नहीं चाहता कि सरकार के ऊपर बहुत अधिक भार पड़े इसलिए इसका डिफरेंस आप उन श्रेणी के उपभोक्ताओं से ले सकते हो जो घरों में ए.सी. खुले छोड़कर चले जाते हैं, जिनका कंजम्प्शन 3 हजार यूनिट पर-मन्थ से ज्यादा का है। आप अगर उनसे 50 पैसे एक्स्ट्रा चार्ज करोगे तो इन गरीब आदमियों को राहत मिल जाएगी। मैं बजट सेशन में मंत्री महोदय से उम्मीद करता हूं कि जो भी वो प्रोविजन रखें उसमें एक प्रोविजन बीपीएल के लिए, गरीब आदमी के लिए जरूर रखें।

किसान की बात हुई तो एक बात मैं इण्डस्ट्री के लिए करना चाहता हूं। वो इण्डस्ट्री जो एम्प्लायमेंट जनरेशन का काम करती है, वो इण्डस्ट्री जो छह महीने में एक ऐसा आदमी तैयार करती है जो 10 हजार से 15 हजार रुपये महीना कमाने लग जाता है, वो इण्डस्ट्री जिसमें 500 से ज्यादा मजदूर काम करते हैं उन इण्डस्ट्री के प्रमोशन के लिए, एम्प्लायमेंट जनरेशन के लिए उन इण्डस्ट्री को आने वाले बजट में कोई ऐसा प्रोत्साहन दिया जाए, बिजली में कुछ ऐसी सब्सिडी दी जाए ताकि वो इण्डस्ट्री यहां पनपे और उनका प्रोत्साहन हो। वह इण्डस्ट्री यहां ग्रो करे जिससे एम्प्लायमेंट जनरेशन में आसानी हो तो मैं मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि उस इण्डस्ट्री के लिए एक स्पेशल पैकेज का एनाउंसमेंट बजट में किया जाए।

जहां हमारे पास सरप्लस बिजली होती है, हम बिजली चार, साढ़े चार रुपये में, साढ़े तीन रुपये में आनलाइन सेल कर देते हैं और हमारे पड़ोसी राज्य उसी बिजली को छह रुपये में इण्डस्ट्रियलिस्ट को देते हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): +++ हम ढाई लाख जनता, ढाई लाख वोटर्स से, जयपुर शहर से चुनकर आते हैं जिनके प्रति हम जवाबदेह हैं, जिनके सवालों को उठाने के लिए हम यहां मजबूर हैं और हमें समय नहीं दिया जाता है। लास्ट में समय दिया जाता है। पत्रकार दीर्घा खतम हो जाती है और तब

(श्री रफीक खान)

फर्स्ट टाइमर को टाइम मिलता है। हम पहली बार आने वाले विधायक इस सदन में 84 हैं। आप अगर हमारी आवाज को इस तरीके से दबाओगे तो आने वाले टाइम में, यहां कैमरे लगे हुए हैं सबके पास में, जनता में यह मैसेज जाएगा कि पहली बार लड़ने वाले आदमी को इलेक्ट ही नहीं किया जाए, उसको चुना ही नहीं जाए और जो पहले से विधायक हैं उन्हीं को चुना जाए।

श्री सभापति: मेरा पूरा संरक्षण है आपको।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): अगर हम अपनी बात नहीं कह पाएंगे तो हमारा आना और न आना बराबर हो जाएगा। 84 विधायक इस हाउस में नये हैं, फर्स्ट टाइमर हैं जिनको फर्स्ट टाइमर की संज्ञा दी जाती है। जगह अलाटमेंट के नाम पर, बंगला अलाटमेंट के नाम पर, टाइम अलाटमेंट के नाम पर +++ हो रहा है और सारे विधायक यहां बैठे हैं।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): सभापति महोदय, जयपुर से केवल ये एक ही बोल रहे हैं, हम 9 जनों का टाइम दे दो इनको तो, हम नहीं बोलेंगे।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): यह वाइस सबकी है पर कोई बोल नहीं रहा, मैं बोल रहा हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए। समाप्त करें, माननीय सदस्य। दो मिनट में समाप्त करें।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): 2-3 सजेशन मेरे और हैं। मैंने आनलाइन सेलिंग की बात की। मैं आनलाइन सेलिंग के बारे में बताना चाहता हूं कि हमारे पड़ोसी राज्य साढ़े तीन, चार, साढ़े चार रुपये में आनलाइन बिजली हमसे खरीदते हैं और बड़े इण्डस्ट्रियलिस्ट को 6 रुपये में बेच देते हैं और जब हमारे यहां कोई बड़ा इण्डस्ट्रियलिस्ट इण्डस्ट्री लगाने आता है तो हम उससे 8 रुपये, 9 रुपये की बात करते हैं तो इसमें तवज्जो देनी चाहिए ताकि बड़ी इण्डस्ट्री हमारे यहां आ सके।

एक और जो हमारे नियमों में दिक्कत है और जो सबसे बड़ी दिक्कत है उन दो पाइंट पर मैं पाइंट आउट करूंगा। मैं गारमेंट एक्सपोर्ट करता हूं। गारमेंट एक्सपोर्टर्स को जिसके यहां हजार सिलाई की मशीन लगी है, जिसके यहां 500 सिलाई की मशीन लगी है, उसको तो आप इण्डस्ट्रियल कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं और ये बेचारा दर्जी जो दुकान लेकर बैठा है, जो पांच सिलाई की मशीन लेकर बैठा है उससे आप कामर्शियल चार्ज कर लेते हैं। मेरी मंत्री जी से गुजारिश है कि उन स्टिचिंग करने वाले दुकान वालों की, जिनके पास

(श्री रफीक खान)

मशीनें हैं, जो सिलाई की मशीनों से काम करते हैं उसे एसआईपी या टाइनी इण्डस्ट्री का दर्जा दिया जाए, उनके बिजली की सब्सिडाइज रेट लगाई जाए।

श्री सभापति: समाप्त करें माननीय सदस्य। समाप्त करें।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): एक और लास्ट मुद्दा जो मेरी कांस्टीट्यूएंसी से रिलेटेड है। जयपुर शहर में जैम्स एण्ड ज्वैलरी का बहुत बड़ा बिजनस है और करीब दो से ढाई लाख लोग बाग़ इस बिजनस में इनवाल्व हैं। जयपुर का सबसे बड़े रेवेन्यू जनरेशन का स्रोत है, चाहे वो फारेन करेंसी के मामले में हो, चाहे डोमेस्टिक बिजनस के मामले में हो। वे छोटे-छोटे घरों में नगीनों की घिसाई का, कटाई का....

श्री सभापति: समाप्त करें। सहयोग करें।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है, साहब। जब बिजली वाले उनके वहां रीडिंग करने जाते हैं तो वे उनसे कामर्शियल करने की धमकी देते हैं। जबकि वे एक इंडस्ट्री को रन करते हैं, टाइनी इंडस्ट्री को रन करते हैं। देश की जीडीपी में ग्रोथ देते हैं, देश की इकोनोमी में ग्रोथ देते हैं। फारेन करेन्सी में ग्रोथ देते हैं। तो मेरी गुजारिश है मंत्री जी से कि ऐसे टाइनी उद्योगों को जब ये नोटिस में आ जाए कि ये मशीन से काम कर रहा है तो बजाए उनको नोटिस देने के, बजाय उनसे कामर्शियल चार्ज करने के उनसे एसआईपी कनेक्शन या टाइनी इंडस्ट्री का कनेक्शन का दर्जा दिया जाए और उनसे सब्सिडाइज्ड रेट पर बिजली का बिल चार्ज किया जाए।

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए। माननीय सदस्य विराजिए।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बलवान पूनियां। पूनियां जी, दो-ढाई मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): नहीं साहब, चार मिनट देनी पड़ेगी।

श्री सभापति: जल्दी करिए।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): पौने चार में ही कर दूंगा काम। सभापति महोदय जी, इस दर्द भरी प्रगतिशील बहस में भाग लेने के लिए आखिरी वक्ता के रूप में आपने मुझे मौका दिया है, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। दर्द चारों तरफ से उठा है, सदन कराह उठा है। सदन अरली हियरिंग चाहता है, जैसे

(श्री बलवान पूनियां)

अदाणी की अरली हियरिंग हुई, सदन भी यही चाहता है कि अरली हियरिंग हो, उस किसान की जिसने कृषि कनेक्शन के लिए 7 साल पहले फाइल लगा दी है। वो किसान भी अरली हियरिंग चाहता है। जो ढाणी में कनेक्शन के लिए मोहताज है। जिसको कभी सौभाग्य योजना से, जिसको कभी दीन दयाल योजना से ठगा गया है। जिसको कभी ये कहा गया कि तू तो ला दे 500 रुपये, तेरे पांच दिन में कनेक्शन कर देंगे। दोनों तरफ से आवाज उठी है कि कनेक्शन तो अभी नहीं हुए हैं।

माननीय मंत्री जी, लम्बी-लम्बी केबल चाहिए, हां ले लिया मैंने, राम प्रताप जी, मैंने 1800 कनेक्शन लिये हैं। मैंने इंतजार नहीं किया किसी का, मैं पीछे पड़ गया, मुझे मेरे इलाके के किसी एईएन, जेईएन, एक्सईएन से कोई एतराज नहीं, पर मुझे प्रदेश की चिंता है।

2016 में किसान का आंदोलन हुआ। फ्लैट रेट वापस लिये गये, बढ़े हुए सामान्य श्रेणी के वापस लिये बढ़े हुये, लेकिन बूंद-बूंद के किसान का क्या कसूर है। मैं चाहता हूं सदन से, मैं चाहता हूं आपके मार्फत कि बूंद-बूंद के किसान के 2016 में बढ़े हुए रुपये वापस किये जाएं।

मैं चाहता हूं उस किसान की बात सुनी जाए, जिसके पांच लाख, छह लाख रुपये की विजीलेंस कर दी। किसान की विजीलेंस, पांच लाख की, छह लाख की किसान की विजीलेंस। सभापति जी, एईएन करने जाएगा, जेईएन करने जाएगा, साढ़े चार करोड़ उपभोक्ताओं की विजीलेंस एईएन और जेईएन करने जाएगा, लेकिन किसी भी उद्योग में विजीलेंस करने न एईएन जाएगा, न जेईएन जाएगा, एक्सईएन जाएगा, एसई जाएगा चीफ जाएगा, वो नहीं जाएगा। वो चांदी के चम्मचे में होली और दिपावली को गिफ्ट ले लेगा। इसलिए उसकी विजीलेंस नहीं करेगा।

फिर कहेंगे कंजम्पशन कहां हुआ, खपत कहां हुई, किसान पर थोपेंगे, आम उपभोक्ता पर थोपेंगे। बिजली कंजम्पशन कहीं होता है, और पनिश कोई और होता है। हम न्याय चाहते हैं। क्या न्याय सुनाया जाएगा मंत्री जी, हम यह चाहते हैं कि ढीले तार अगर हैं हमारे, लोग मर रहे हैं। लोगों ने आवाज उठाई है, मेरी बहन जो कम पढ़ी लिखी वो न्याय चाहती है। उन्होंने ढीले तार के लिए कहा है, किसान के लिए गांव के लोगों के लिए एक तार शिफ्ट करना हो तो बिजली के एसई, एक्सईएन, एईएन, जेईएन निहत्थे हो जाते हैं। जब किसी उद्योग के लिए कनेक्शन, मैं उद्योग के खिलाफ नहीं लेकिन भेदभाव के बहुत तगड़े खिलाफ हूं, भेदभाव नहीं होना चाहिए।

(श्री बलवान पूनियां)

सभापति महोदय जी, हम चाहते हैं कि हमें विजीलेंस के नाम पर दौड़ा-दौड़ा करके चोर घोषित मत करो। हमारे किसान आज कनेक्शन मांग रहे हैं, इसका मतलब वो चोरी नहीं करना चाहते, चार ढाणियां, पांचवी ढाणी, सभापति जी वो फाइल लिये हुए दौड़ रहा है, पर उसने कुंडी नहीं डाली। उनको यह समझते हैं अधिकारी, ये तो कुछ नहीं जानता, वो जानता है पर उसका जमीर जिंदा है। इसलिए मैं आपसे चाहता हूं कि ढाणी में कनेक्शन के लिए कोई एक-दो-तीन-चार-पांच फाइल की शर्त ही न हो, जिसने ढाणी लगाई है वो कनेक्शन लें। इस हाथ से कनेक्शन ले, दूसरे हाथ से बिल दे।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): मैं चाहता हूं साहब, एक दो छोटी-छोटी बात और बची है। जो दीनदयाल योजना में कनेक्शन किये गये 5 किलोवाट के, 16 किलोवाट का, 25 किलोवाट का, जो ट्रांसफार्मर लगाये, जो मीटर लगाये, सबके सब नकली और बेकार मीटर तो इतने खतरनाक सभापति महोदय जी घर में बिजली नहीं, अगर रोड लाइट पर कोई लाइट जल रही है या कोई साधन गुजर गया तेज लाइट का, वो मीटर चल पड़ेगा, एक यूनिट निकाल देगा और उससे बड़ी खतरनाक बात राठौड़ साहब, कहां से लाये थे। वो ट्रांसफार्मर आप बताओ जरा, वो ट्रांसफार्मर जल जाते है...

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): उसकी जांच करवाई जाएं। दीनदयाल उपाध्याय योजना में मीटर और ट्रांसफार्मर कौन खरीदकर लाया था। वो एक्सपर्ट कौन है, जो यह प्रमाण पत्र दे देता है कि ये तो ट्रांसफार्मर सही है। ये तो मीटर सही है। फिर उपभोक्ता ठगे जाते हैं। उपभोक्ता गया कि मेरा मीटर जल गया उसको दो-दो महीने, तीन-तीन महीने किसी ने नहीं बदला और उसको फिर एक बिजली का बिल ऐसा दे दिया, जिससे उसके करंट आ गया, घर में करंट नहीं, बिल में करंट है। सभापति महोदय, यह अन्याय जो हो रहा है, लोगों को लूटने की जो प्लानिंग चल रही है। मैं चाहता हूं मंत्री जी, सारे दिन की जोरदार बहस का जवाब...

श्री सभापति: नाम में ही करंट है। इस नाम में ही करंट है। ये करंट क्या मारेगी...

श्री बलवान पूनियां (भादरा): ये करंट, हम सब लोगो बरकरार रहें,

(श्री बलवान पूनियां)

सारे सदन में बहुमत से साथियों ने जो राय रखी, मैं उस राय से इत्तेफाक रखता हूं। सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाए, हर घर में हर उपभोक्ता के घर सौर ऊर्जा की प्लेट दी जाए...

श्री सभापति: पूनियां साहब, दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम में ही करंट है।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): उसके पैसे हम किश्तों में लौटा देंगे।

श्री सभापति: दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम में करंट है, ये सब करंट में ही तो है और क्या है।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति जी, आज विषय करंट का था और सारे दिन करंट दौड़ रहा था। मैं समझता हूं सरकार भी बड़े करंट के साथ दौड़ेगी, अडाणी और अम्बानी के हितों की रक्षा न करके उपभोक्ताओं की रक्षा करेगी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री राजेन्द्र सिंह गुढा।

श्री राजेन्द्रसिंह गुढा (उदयपुरवाटी): सभापति महोदय...

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय माननीय मंत्री जी के रिप्लाई तक बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: क्या सदन का समय माननीय मंत्री जी के रिप्लाई तक बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय माननीय मंत्री जी के रिप्लाई तक बढ़ाया गया।

विभिन्न विषयों पर विचार

राज्य में बिजली की स्थिति पर विचार

श्री राजेन्द्रसिंह गुढा (उदयपुरवाटी): सभापति महोदय, सुबह से सारी बहस सुन रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई जेईएन या एईएन, एक्सईएन या एससी, विधायक बात करें और उसकी बात वो न माने, मेरी जानकारी के

(श्री राजेन्द्रसिंह गुढा)

हिसाब से जब चाहे हम विधायक थे या हम नहीं थे, कभी किसी को फोन कर दिया वो काम हो जाता है। मुझे नहीं लगता फोन करने, आम उपभोक्ता भी, यदि कोई गांव का सरपंच भी कह देता है तो मेरे वहां तो काम हो जाता है। मेरे जिले में भी हो जाता है।

अब लोग-बाग़ कह रहे हैं कि मकान के ऊपर से 33 हजार की, 11 हजार की, सच बात तो यह है कि लाइन के नीचे मकान बनते हैं और बाद में लाइन आती है। मकान नीचे बनता है, लाइन पहले होती है। फिर भी हमारे कहने से चेंज कर देते हैं। एक भी ऐसी जगह नहीं है जहां मकान के ऊपर से 11 या 33 हजार की लाइन खींच दी गई है। यह सच है उसके बावजूद भी हम कहते हैं तो चेंज कर देते हैं। मुझे नहीं लगता कि हमें हमारे एक्सईएन के लिए, हमारे एससी के लिए हमारे एमडी को, मंत्री महोदय को कभी कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। न किसी को जरूरत पड़ती, गांव का सरपंच कह देता है, लाइट सही आ रही है और तारों की कोई छोटी-मोटी समस्या हो जाती है तो कह देते हैं, डीपी भी टाइम के ऊपर चेंज हो जाती है। कभी हमें नहीं लगता, पता नहीं क्या, कभी नहीं लगता कि हमने फोन किया डीपी चेंज नहीं हो। सभापति महोदय, कोई छोटी-मोटी...

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्रसिंह गुढा (उदयपुरवाटी): सभापति महोदय, किसी किसान के 20 हजार भर लेते हैं। उसमें भी कह देते हैं, रहने दे, तो छोड़ देते हैं। इससे पहले सभापति महोदय, जरूर एक यहां इस राज से पहले एक खलीफा था। एक अधिकारी +++ कभी सीएमडी और कभी पता नहीं क्या, उस आदमी ने जो लूट की, इस बिजली का जो बेडा गर्क किया, उस मामले के अन्दर सारे लोग जानते हैं। मैं उन बातों में नहीं जाना चाह रहा। लेकिन जहां तक बलवान जी पूनिया भी बोल रहे थे मेरे से पहले, बेचारे अधिकारी काम करते हैं। +++

(21.00 बजे)

तो मैं बताऊं कितनी लूट की उस राज में और सरेआम जिस लेवल पर जिस तरीके से उस खलीफा ने चलाया उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं। जहां तक मैं सोच रहा हूं हमें तो कोई समस्या है ही नहीं और आज तक बी.डी. कल्ला जी को कोई काम के लिए कहा नहीं। कोई अधिकारी लगे, कोई रहे, कोई जाये, सब काम करते हैं। कोई समस्या नहीं आई मेरे जिले में भी समस्या नहीं आई और बाकी लोगों के आई तो मैं कहता हूं कि थोड़ा अपनी विल पॉवर को काम

(श्री राजेन्द्रसिंह गुढा)

लो समस्या का समाधान हो जाएगा। मैं जहां तक समझता हूं अधिकारी ठीक काम कर रहे हैं। छोटा-मोटा चुग्गा-पानी की बात है उस पर मैं नहीं जाता। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रामप्रसाद ढिंढोर।

श्री रामप्रसाद (सागवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, आपने बिजली के विषय पर बोलने का मुझे मौका दिया उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: बस दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री रामप्रसाद (सागवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, खास तौर से डूंगरपुर जिले में जो हालात हैं दक्षिण राजस्थान के शिड्यूल्ड एरिया में वह मैं अवगत कराना चाहता हूं। बिजली कटौती तो आम बात है चाहे वह सूचना करे या नहीं करे लेकिन सवाल यह नहीं है। विभाग द्वारा गांवों में, शहरों में तो पर्याप्त मात्रा में बिजली देते हैं, लेकिन गांवों में वो बिना बताये लगातार कटौती पर कटौती करते रहते हैं। इससे गांवों में बहुत परेशानियां होती हैं और पहली बारिश में ही कभी-कभी तीन-तीन, चार-चार दिन तक बिजली बंद रहती है इस वजह से बहुत परेशानियां होती हैं। गांवों में तीन-चार दिन बिजली बंद रहती है तो सीएचसी, पीएचसी में जहां पर डिलिवरी होती है वह डिलिवरी चिमनी में और टार्च जला कर करते हैं। ऐसी हालत गांवों में है और बिजली से बहुत परेशान हैं। मैं बताना चाहता हूं कि ऐसी-ऐसी घटनाएं घटी हैं गांवों में ये जो ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से बीपीएल परिवार के लोगों को जो बिजली के कनेक्शन दिये जाते हैं उसमें हर पोल लगाने का पांच सौ रुपये और कनेक्शन के लिए पांच-पांच हजार तक वसूल करते हैं और जब इनको बोला जाता है तो ठेकेदार यह कहते हैं हमारी तो आप कहीं भी कोई शिकायत करो हमारे पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये लोग इतनी मनमर्जी करते हैं अधिकारी को बोलते हैं तो अधिकारी कहते हैं कि ठीक है हम जांच करा लेंगे। कोई जवाब नहीं मिलता कहीं से और बहुत से गांवों में हमारे जो पोल लगे हुए हैं 12-12 महीनों से उन पोल्स से न तो मीटर लगा है न कनेक्शन हुआ और न ही बल्ब जला एक भी, फिर भी उन व्यक्तियों के 12-12 महीनों से बिल आ रहे हैं और विभाग के लोग वहां जाकर वसूल करते हैं बोलते हैं कि ये जमा कराओ नहीं कराओगे तो आपके पोल हटा दिये जाएंगे। ऐसे हालात वहां पर हैं। बिजली को लेकर परेशानी हो रही है इसलिए हम आपसे खास तौर से यह निवेदन करना चाहते हैं...

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री रामप्रसाद (सागवाड़ा): ...कि गांवों में ज्यादा से ज्यादा सोलर प्लांट के द्वारा बिजली का उत्पादन करके लिफ्ट योजना और पेयजल योजनाओं को गांवों में ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित किया जाए और ज्यादा से ज्यादा किया जाए। खास तौर से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे बीच में माननीय भारतीय जनता पार्टी के सदस्यगण भी हैं जो बहुत अच्छे मुद्दे उठाते हैं। मैं शोर-शराबा तो नहीं कहूंगा लेकिन देश में एक बहुत बढ़िया संदेश देना चाहते हैं, लेकिन मैं खास तौर से हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय जिन्होंने पहले एक वादा किया था कि विदेशों में जो काला धन है उसको हम देश में वापस लाएंगे और ...

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री रामप्रसाद (सागवाड़ा): ... वापस लाएंगे जो वादा किया उस वजह से लोगों ने बहुत सारे खाते खोल दिये कि हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपये जमा होंगे, लेकिन आज तक यह नहीं हुआ।

श्री सभापति: विराजिए।

श्री रामप्रसाद (सागवाड़ा): इसलिए लोग आज भी बैंकों में जाकर अपने खाते में ढूंढते हैं कि पैसा आया कि नहीं आया। धन्यवाद।

श्री सभापति: विराजिए। श्री बुलाकी दास कल्ला।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, आज बाली से आने वाले माननीय सदस्य ने बहस शुरू की और सागवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य पचासवें सदस्य थे जिन्होंने अपनी बात पूरी की। सभी माननीय सदस्यों ने उपयोगी सुझाव दिये और ऊर्जा मंत्रालय के बारे में, डिस्काम के बारे में, विभिन्न कंपनियों के बारे में अपने-अपने विचार रखे। कुछ माननीय सदस्यों ने बातों को बहुत ही जनरल वे में कहा। कुछ स्पेसिफिक मामले भी आये। मैं कोशिश करूंगा कि आपको प्रेसाइजली उसके बारे में रिप्लाई दूं। देखिये, किसी भी उद्योग को चलाने के लिए पांच घटकों की आवश्यकता होती है। उद्योग लगाने के लिए भूमि चाहिए, पूंजी चाहिए, श्रम चाहिए, संगठन चाहिए, साहस चाहिए लेकिन ये पांचों होने के बाद भी यदि बिजली का घटक नहीं है तो उद्योग काम नहीं करेगा। आज मेरे से पूर्व जो मंत्री रहे हुए हैं खेतड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि मैं लालटेन की रोशनी में पढ़ता था। यह अनुभव मुझे भी है। आम आदमी भी बिना बिजली एक सैकिण्ड नहीं रह सकता। हम इतने सुविधाभोगी हो गये हैं

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

कि बिजली के बिना हमारा एक सैकिण्ड काम नहीं चलता। ऐसी स्थिति में आप याद करो कि आजादी से पहले रियासतकालीन वक्त था। इस प्रदेश में 13.16 मेगावाट बिजली पैदा होती थी। मात्र 20 रजवाड़ों में, रियासतों में बिजली थी और 42 गांवों में बिजली थी, लेकिन आज यदि हम राजस्थान की बिजली की स्थिति को देखें तो 21770.64 मेगावाट बिजली राजस्थान में उपलब्ध है और हम धीरे-धीरे आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहे हैं।

सभापति महोदय, माननीय सदस्यों ने कृषि कनैक्शंस के बारे में सबसे ज्यादा बातें कीं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कृषि कनेक्शन पूर्ववर्ती सरकार ने दो लाख देने का वादा किया था। उसकी जगह उन्होंने 80 हजार लोगों को कनेक्शन दिये, किन्तु हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने आते ही अभी एक लाख कनेक्शन देने की बात की उसमें से 76 हजार कनेक्शन हम दे चुके हैं मात्र 24 हजार कनेक्शन देने बाकी हैं और हमारे पास पूरा वित्तीय वर्ष बाकी है तो आप चिन्ता न करें जो हमने वादा किया है उसको निभाएंगे और उसको पूरा करेंगे वित्तीय वर्ष पूरा होने से पहले-पहले। इसके साथ ही हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने बहुत पहले 1998 से 2003 में एक ऐसी स्कीम बनाई उसके अन्तर्गत राजस्थान में लगभग 7 हजार मेगावाट से ऊपर बिजली पैदा करने की योजना बनाई और आपको जानकर खुशी होगी और सदन को भी खुशी होगी कि कांग्रेस के 1998 से 2003 तक के शासनकाल में 1270 मेगावाट बिजली उत्पादित हुई। उसके बाद बीजेपी के 2003 से 2008 के शासनकाल में मात्र 455 मेगावाट बिजली पैदा हुई। दिसम्बर, 2008 से नवम्बर, 2013 फिर कांग्रेस का राज आया। हमने 2030 मेगावाट बिजली पैदा करके राजस्थान को दी। फिर 13 दिसम्बर, 2013 से 11 दिसम्बर, 2018 तक बीजेपी का राज रहा इसमें 1560 मेगावाट बिजली पैदा हुई।

सभापति महोदय, यदि हम 2013-2018 और 2003-2008 इन दोनों को जोड़ें तो 2015 मेगावाट बिजली इन्होंने दस वर्ष में पैदा की जबकि कांग्रेस के राज में 2008 से 2013 के बीच में 2030 मेगावाट केवल पांच वर्षों में पैदा की। मैं यह कम्पेरिजन इसलिए दे रहा हूं कि राजस्थान की जनता आज हमको और इनको, दोनों को सुन रही है। हमने बिजली के लिये बहुत सतत प्रयत्न किये, मन से प्रयत्न किये, ईमानदारी से प्रयत्न किये उसी के परिणामस्वरूप आज राजस्थान बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है। अभी 18 दिसम्बर, 2018 से लेकर अब राजस्थान में 793 मेगावाट नई बिजली का जनरेशन हमने किया है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

कि राज्य में बिजली उत्पादन के क्षेत्र में हमने जो प्रयत्न किये हैं वह राजस्थान की जनता के हित में है। हमारी स्वीकृत योजनाओं में से 2800 मेगावाट की परियोजनाएं, यथा छबड़ा, सूरतगढ़, सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट, इनमें तकनीकी आधारित 1320 मेगावाट बिजली, अभी हाल ही में करीब एक सप्ताह पहले छबड़ा में आपने देखा होगा हमने 9550 मेगावाट बिजली ...(व्यवधान) इसका आदेश हम देकर गये थे। (व्यवधान)

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): मैं प्रिविलेज मोशन लाऊंगा, जो बोल रहे हो वह सोच समझकर बोलना, मैं आपके खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाऊंगा, आप सोच समझकर बोलना। छबड़ा 5 नंबर, 6 नंबर हमारे समय में आई है और कालीसिंध 1 नंबर, 2 नंबर हमारे समय में आई है तो 2 हजार मेगावाट तो यही हो गया। उद्घाटन करने से नहीं होता है, सीओडी करने से होता है।

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए।

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय सदस्य धमकाने का प्रयास नहीं करें। हमसे बात कर लें क्या बात करनी है, हम बता देते हैं आपको, आपने क्या किया है। आपके राज में आपने क्या किया, कितना भ्रष्टाचार हुआ है, पूर्व मंत्री जी, मुझसे बात कर लो, इनसे क्या बात कर रहे हो।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): मैं यह कह रहा था छबड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास कांग्रेस के वक्त में हुआ और अभी आपने देखा होगा इसका शुभारंभ...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आपने 6 महीने में ही बिजली पैदा कर दी, वह कौनसा मैकेनिज्म है? विधान सभा में जवाब दे रहे हो, कल्ला जी आप बोल रहे हो, आपके मुंह से ऐसी बातें, आपके मुंह से ऐसी बातें ...(व्यवधान)

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, यह क्या तरीका है ...(व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): सभापति महोदय, यह अपने हिसाब से सदन को चलाना चाहते हैं। यह बताएंगे क्या बोलना है मंत्री जी को, यह नहीं बता सकते। (व्यवधान)

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): ...(व्यवधान) इनके भरोसे चलोगे तो आप 100 परसेंट डूबोगे। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए। (व्यवधान) विराजिए, विराजिए।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): सभापति महोदय, एक मिनट आप बैठ जाओ, एक मिनट ...(व्यवधान) सभापति महोदय, हमेशा बीच में बोलना और बीच में बोलकर मंत्रियों की बात को काटना और असत्य बोलना, सदन को गुमराह करने की इन लोगों की आदत पड़ गई है। यह इसलिए नाराज हो गये कि पांच महीने में 76 हजार कनेक्शन हो गये और यह पांच साल में एक लाख दे पाये, इस बात की तकलीफ है इनको। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय। नेता, प्रतिपक्ष, पूरे समय सदन में काफी माननीय सदस्यों ने भाग लिया, काफी अच्छी चर्चा रही, माननीय मंत्री महोदय को रिप्लाई देने दें, बीच में इंटरवीन करने से कोई फायदा नहीं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): इसमें कोई ना नहीं है, जैसा आप चाहे वैसा बोले लेकिन अगर आपके फैक्ट्स एण्ड फीगर गलत होंगे तो हम प्रिविलेज मोशन लेकर आपके खिलाफ आएंगे। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): अगर आपको प्रिविलेज मोशन लेकर आना है तो लेकर आइए ...(व्यवधान)

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): यह आपका धमकाने का तरीका है, यह ठीक नहीं है। आपका अधिकार है, लेकर आओ, हमने आपको रोका है क्या?

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): आपके प्रिविलेज मोशन से कोई नहीं डरता ...(व्यवधान) किसको डरा रहे हो। (व्यवधान)

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मंत्री जी के रिप्लाई के बीच में आप बोलोगे ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए ...(व्यवधान) बैठिए आप, बैठिए आप।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): आपका यह तरीका बिलकुल गलत है। सभापति महोदय, इनका तरीका बिलकुल गलत तरीका है।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ...(व्यवधान) लोकतंत्र में यकीन नहीं है आपको। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): ...(व्यवधान) धमकी दे देकर बात कर रहे हैं ...(व्यवधान) धमकियां चलेंगी नहीं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, माननीय सदस्य ...(व्यवधान)

श्री अमीनुद्दीन कागजी (किशनपोल): सुनने की हिम्मत रखिए थोड़ा सा।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): असत्य नहीं सुनेंगे। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य ...(व्यवधान)

श्री अमीनुद्दीन कागजी (किशनपोल): असत्य बोलते-बोलते तो आप यहां आ गये। आप लोगों की आदत है यह तो, दिल्ली से चली आ रही हैं आपकी आदतें।

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, ...(व्यवधान) विराजिए, विराजिए। माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपने अपनी बात कह दी, सारे दिन से सुन रहे हैं, मंत्री महोदय को रिप्लाई करने दें। माननीय मंत्री महोदय, अब आपस में कोई वार्ता नहीं करेंगे। माननीय मंत्री महोदय, आपको साढ़े नौ बजे आपका रिप्लाई समाप्त करना है।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): कितने बजे?

श्री सभापति: साढ़े नौ बजे तक समाप्त करें, टाइम बढ़ाया हुआ है न।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): मैंने तो अभी शुरू ही नहीं किया है। सभापति महोदय, पूर्व राज्य ऊर्जा मंत्री जी को मैं बताना चाहता हूं कि छबड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर 2013 में माननीय अशोक गहलोत जी मुख्य मंत्री थे, तब उसकी स्वीकृति हुई। इसके बाद आपकी सरकार आई, आप उसको शुरू नहीं कर सके, उसका लोकार्पण हमने किया। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय, आप इधर देखकर बात करें, आप इनको इन्वाइट मत कीजिए।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): मैं फैक्ट्स पर ही बात कर रहा हूं।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): एक मिनट, उद्घाटन करने से शुरूआत नहीं होती है, सीओडी होती है तब उसे शुरूआत मानते हैं। उद्घाटन करने से नहीं होता है, आप बात समझ नहीं रहे हो।

श्री सभापति: आप विराजिए, आप विराजिए, उनको रिप्लाई देने दीजिए। माननीय मंत्री महोदय, आप आसन की तरफ अपनी बात कहें, आप उनको इन्वाइट मत कीजिए।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): इसके अलावा सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजना इकाई 7 एवं 8 का निर्माण कार्य को

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

प्राथमिकता देते हुए कार्य में हम अतिशीघ्र गति प्रदान करेंगे। इसके अतिरिक्त 4950 मेगावाट की स्वीकृत परियोजनों की बिजली खरीद समझौते पूर्व में ही कर लिये गये थे और अगले दस वर्ष की ग्रामीण, शहरी और उद्योग की मांग को ध्यान में रखते हुए हम कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं ताकि पूरे राजस्थान में आम उपभोक्ताओं को 24 घंटे और किसानों को गुणवत्ता की बिजली कम से कम 6 घंटे मिल सके।

(21.18 बजे)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

वर्तमान में प्रदेश की कुल अधिस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता राज्य के क्षेत्र में 7277 मेगावाट है। साझेदारी में 853 मेगावाट, केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं से आबंटन 3245, निजी क्षेत्र से 3742 मेगावाट, अक्षय ऊर्जा स्रोतों से 6653 मेगावाट सहित 21770.64 मेगावाट बिजली का उत्पादन और बिजली की उपलब्धता राजस्थान में है। अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान में काफी काम किया है। हम सौर ऊर्जा में कर्नाटका, तैलंगाना के बाद तीसरे नंबर पर हैं और भड़ला विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा का हब बना है। वहां पर काफी अच्छी मात्रा में सौर ऊर्जा पैदा हो रही है। पवन ऊर्जा में देश में हमारा पांचवां स्थान है और हम 4370 मेगावाट बिजली विंड एनर्जी के माध्यम से पैदा कर रहे हैं। चूंकि हमारे प्रदेश में सूर्य की मेहरबानी है और जैसा मेरे से पहले माननीय सदस्यों ने बताया कि यहां सोलर रेडिएशन 5.72 केडब्ल्यूएस पर डे है और सीयूएफ 20 परसेंट है जिसके कारण यहां पर करीब-करीब 142 गीगा वाट बिजली लगने की संभावना है और 1.5 लाख हैक्टेयर क्षेत्र ऐसा है जिसमें सौर ऊर्जा के सयंत्र लग सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि 3424 मेगावाट बिजली सौर ऊर्जा के माध्यम से यहां पर स्थापित कर चुके हैं। 2095 मेगावाट निर्माणाधीन है। 4310 मेगावाट पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित है और 120 मेगावाट बायोमास आधारित बिजली हम पैदा कर रहे हैं। गत 6 माह में 260 मेगावाट सौर ऊर्जा के माध्यम से हमने बिजली उत्पादित की है।

हम आने वाले समय में जो 'Solar Energy Policy-2014', 'Policy for Promoting Generation of Electricity for Wind-2012', 'Policy for Promoting Generation of Electricity from Wind-2012', 'Policy for Promoting Generation of Electricity from Bio-

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

mass-2010' इसकी समीक्षा करेंगे और जो भी राज्य के हित में होगा, उसके आधार पर निर्णय लेंगे। डीएलसी दर पर सौर ऊर्जा लगाने वाले किसी भी साहसी को हम छूट देते हैं, भूमि आबंटन करते हैं। कोई भी व्यक्ति निजी कृषि भूमि का उपयोग करके सौर ऊर्जा का संयंत्र लगा सकता है। जो सीलिंग की भूमि है, उसमें सीलिंग की छूट रखी है। इस प्रकार की छूट सौर ऊर्जा के क्षेत्र में जो ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, उनको दी गयी है। मैं इस अवसर पर खास तौर से बताना चाहूंगा कि भड़ाना में 1650 मेगावाट बिजली आज की तारीख में पैदा हो रही है और 550 मेगावाट के लिए निमार्णाधीन है। छह माह पूर्व जब हमारी सरकार ने कार्यभार संभाला था, तब बिजली की आपूर्ति की व्यवस्था बिलकुल अस्त-व्यस्त थी। तार ढीले पड़े हुए थे और जगह-जगह पोल टेढ़े-मेढ़े थे। सर्किट ब्रेकर खराब पड़े थे। ट्रिपिंग की अत्यधिक शिकायतें थीं। इन सब शिकायतों को दूर किया गया। अभी मई-जून में तूफान आंधी से जो करीब 2 हजार से अधिक पोल गिर गये थे, उनको भी ठीक किया गया है। मैं मानता हूं, पूरे सदन में स्वीकार करता हूं कि अभी पिछले दो-तीन महीने में ट्रिपिंग की समस्या पूरे राजस्थान में रही है, इससे मैं इन्कार नहीं करता। लेकिन इसका कारण प्रकृति, तूफान, आंधी है। जून मास में हमने एक अभियान चलाया था। हमने 64 हजार लोंगों से फीडबैक लिया। इसमें सरपंच, माननीय विधायकगण, माननीय प्रधानगण, जिला प्रमुखगण थे। सभी लोगों से फीडबैक लेकर, पूरे राजस्थान में हमारे 4 हजार से अधिक अधिकारी फील्ड में गये और वहां जाकर फीडबैक लेकर आए और जहां-जहां गड़बड़ी थी, ट्रिपिंग की प्रोब्लम थी, उनको हमने ठीक करने का प्रयास किया। मैं आज की तारीख में कह सकता हूं कि ट्रिपिंग की प्रोब्लम को हमने लगभग 95 प्रतिशत ठीक कर लिया है।

अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार बनने के बाद सात माह में क्या प्रगति हुई, उसके बारे में आपके माध्यम से सदन को जानकारी देना चाहता हूं। छबड़ा सुपरक्रिटिकल थर्मल परियोजना की 660 मेगावाट इकाई में 02.04.2019 से विद्युत उत्पादन प्रारम्भ कर दिया। इस प्रकार राज क्षेत्र में 7277 मेगावाट उत्पादन क्षमता स्थापित हो चुकी है। राज क्षेत्र में स्थापित 05.02.2019 को 400 केवी का एक ग्रिड सब-स्टेशन जैसलमेर में स्थापित, 30.03.2019 को 132 केवी का एक ग्रिड सब-स्टेशन पाटन, जिला अजमेर में निजी क्षेत्र में पीपीपी मोड पर 220 केवी का एक ग्रिड सब-स्टेशन, रामपुरा कोटा में दिनांक 05.02.2019 को, 132 केवी के 4 ग्रिड सब-स्टेशन, भंभोरा

(श्री बुलाकी दास कल्ला)
जिला उदयपुर और रामजी की गोल जिला बाड़मेर, राजमथाई जिला जैसलमेर, पिपलू जिला टोंक, 258 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र, 10 मेगावाट के सौर ताप के संयंत्र स्थापित किये गये। इसके अलावा 76432 किसानों को कृषि कनेक्शन दिये हैं।

अध्यक्ष महोदय, किसान और कांग्रेस की राशि मिलती है। जब-जब कांग्रेस आती है किसानों के हित में फैसले लेती है और इसी कारण हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक लाख कृषि कनेक्शन देने की बात की है और उन कनेक्शन में से 76 हजार 432 कनेक्शन दे दिए गये हैं और बाकी जो कनेक्शन हैं, उनके लिए इस वित्तीय वर्ष में पूरा करके उन्होंने जो घोषणा की है, उसकी क्रियान्वित कर देंगे। उसके साथ-साथ एक घोषणा और की कि पांच वर्ष तक कृषि बिजली की दर में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। मैं समझता हूं कि उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में भी यह घोषणा की थी और उसको निभाया। आपने किया है तो अच्छा किया होगा। 33 केवी सब-स्टेशन 234 और हमने घरेलू कनेक्शन 4 लाख 3 हजार 449 इन सात महीनों में दिये हैं।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने सबसे ज्यादा जोर दीनदयाल कुटीर योजना के बारे में दिया है। मैं अभी हाल ही ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन में गया था और माननीय ऊर्जा मंत्री जी को मैंने बताया। यूपी के माननीय मंत्री जी मुझे कह रहे थे कि छह लाख कनेक्शन नहीं हुए, मैंने उनसे कहा कि हमारे यहां तो लगभग 1 लाख 40 हजार कनेक्शन बाकी थे, उसमें भी पिछले दिनों 32 हजार कनेक्शन कर दिए। अब हमारे लगभग 1 लाख 8 हजार कनेक्शन बाकी हैं। मैंने उनसे कहा कि आप पैसे तो देते नहीं और कनेक्शन चाहते हो। लगभग 932 करोड़ रुपये इन योजनाओं के केन्द्र सरकार में राजस्थान सरकार को बकाया है। मैंने कहा आप यह राशि दो, तो हम अभी कनेक्शन कर देंगे। उन्होंने आश्वस्त किया है कि आप दीपावली तक ये कनेक्शन कर लो तो जो समान खरीदा है वह लगा दो। हम इसको करेंगे। मुझे लगता है कि अब अन्य राज्यों के आंकड़े आएंगे माननीय केन्द्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री जी हमारी तारीफ को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। एक माननीय सदस्या ने यह बात कही कि पांच सौ रुपये की जगह पंद्रह सौ रुपये ले रहे हैं, आप उसका नाम बताइए, मैं उसके खिलाफ एक्शन लूंगा। आप लिखित में दीजिए, मैं उसके खिलाफ कार्यवाही करूंगा। कुछ माननीय सदस्यों ने जो स्पेसिफिक प्रश्न उठाएं हैं, उनके बारे में बताना चाहूंगा। बाली से आने वाले माननीय सदस्य जो कि स्वयं ऊर्जा मंत्री रहे हैं, उन्होंने उदय योजना के बारे में काफी

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

विस्तार से बताया है। उदय योजना में पूर्ववर्ती सरकार ने 62 हजार 422 करोड़ रुपये अभिग्रहीत किये थे, परन्तु इनके ब्याज का भार आपने दुबारा डिस्काम पर डाल दिया। 11 हजार करोड़ के ब्याज के भार को पुन: डिस्काम पर डालने के कारण, उदय योजना की जो मूल भावना है, वह इसके विपरीत है। एक तरफ तो इन्होंने लोन को अपने खाते में ट्रांसफर कर दिया और हमसे कहते हैं कि ब्याज दो। अध्यक्ष महोदय, 11 हजार करोड़ रुपये ब्याज का देना और नहीं दे पाएंगे तो ब्याज पर ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। लोग दिन में चलते हैं लेकिन ब्याज दिन-रात चलता है। हमको इस तरह से एक ऋणग्रस्तता के रूप में डाल दिया। उदय योजना के अंतर्गत पूर्ववर्ती सरकार ने विद्युत दरों में देय अनुदान में 5 हजार करोड़ रुपये की कटौती कर ली, इससे वितरण निगमों की बैलेंसशीट को भी खराब कर दिया। उदय योजना के लास फंडिंग के पेटे 1 हजार 424 करोड़ रुपये भी पूर्व सरकार ने नहीं दिये थे। इसलिए उदय योजना में वित्तीय स्थिति सुधारने के स्थान पर उसको और अधिक बिगाड़ दिया। जहां तक विद्युत छीजत की बात है, उसे उदय योजना में 15 परसेंट तक लाने का लक्ष्य था। मैं इस विषय में आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब हम सत्ता में आये थे, तो राजस्थान में छीजत 23.2 परसेंट थी। इसको हमने 21.2 परसेंट पर लाकर छोड़ा है। अध्यक्ष महोदय, हमें समय कहां मिला? जुम्मा-जुम्मा 70-80 दिन मिले। लगभग तीन महीने तो कोड आफ कंडक्ट लागू हो गया। उसमें भी हमने कोशिश करके और हमारे सारे मेहनती इंजीनियरों ने मिलकर 2 परसेंट छीजत को कम किया है। मैं सदन को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारा यह प्रयत्न रहेगा कि उदय योजना के अंतर्गत जो 15 परसेंट छीजत को लाने का लक्ष्य रखा गया है, उसको लाने के लिये हम जी तोड़ प्रयत्न करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि छीजत ओप्टिमम 15 परसेंट आ जाए ताकि जो डिस्काम घाटे में चल रहे हैं, वे मुनाफे की ओर आगे बढ़ सकें।

सौभाग्य योजना 11 अक्टूबर, 2017 को शुरू हुई। परन्तु पूर्ववर्ती सरकार ने इसकी स्वीकृति के लिए आठ माह बाद मई, 2018 में भेजा। जुलाई में आधी-अधूरी स्वीकृति मात्र 571 करोड़ रुपये की प्राप्त हुई। इसके बावजूद भी निविदाएं जारी कर, आदेश नहीं जारी किये गये। सौभाग्य योजना के तहत घरेलू कनेक्शन देने में कोई तत्परता नहीं दिखायी। हमारी सरकार के आने के बाद इस योजना को इम्प्लीमेंट करने के लिये 16 जनवरी, 2019 को 1791

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

रुपये की पूरी योजना स्वीकृत की। हमने ही ग्रिड से, आफ ग्रिड से कनेक्शन देने हेतु निविदाएं और कार्य आदेश जारी कर 3 लाख 50 हजार कनेक्शन जारी कर दिए हैं। हम शेष कनेक्शन शीघ्र जारी करने के प्रयास करेंगे। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा। (व्यवधान) भारत माता की जय हो। आपने प्रधान मंत्री जी से लेकर अध्यक्ष जी तक से असत्य बुलवा दिया। भारत माता की जय बोलकर ही देश को आजाद किया था।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, प्लीज आप बोलिए।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने पारसा कैंटे, यह छत्तीसगढ़ में एक माइन्स है, इसके संबंध में मुद्दा उठाया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के एक अधिवक्ता ने दिनांक 21.5.19 को केस सूचीबद्ध होने की जानकारी दी और यह भी सलाह दी की सीनियर एडवोकेट श्री गोपाल सुब्रमण्यम जी की अनुपस्थिति में एक द्वितीय अतिरिक्त अधिवक्ता की नियुक्त किया जावे। इस बात को ध्यान में रखते हुए निगम के पूर्णकालीन अधिवक्ता के साथ सोलीसीटर जनरल तुषार मेहता जी को लगाया गया है। उनको केवल यह बात कही गई कि आज आप तारीख ले लें। लेकिन तारीख सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं दी और फैसला कर दिया। आज की तारीख में यह केस सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू पीटीशन के अंतर्गत विचाराधीन है। वर्ष 2018-19 में उत्पादन निगम का लाभ 105 करोड़ रुपये रहा जो 2019-20 में.....

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): इन्होंने वापस रिव्यू लगाया है।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): रिव्यू पिटीशन ही कहा है मैंने और क्या कहा है? आप सुन नहीं रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपका ध्यान कहीं और है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आपको भारत सरकार के सोलीसिटर जनरल ही मिले पैरवी कराने के लिए। इन्हीं को भेज देते आप।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मंत्री जी की बात सुनिए प्लीज। बाद में पूछ लेना।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): अडाणी पावर का 2288 करोड़ का भुगतान बीजेपी की सरकार के समय में किया गया। सुप्रीम कोर्ट से प्रकरण का फैसला भी बीजेपी की सरकार के समय हुआ था। इसमें हमारा कोई लेना-देना नहीं है। यहां पर कुसुम योजना के बारे में काफी बातें हुईं। मैं बाली

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

से आने वाले माननीय सदस्य और पूर्व ऊर्जा राज्य मंत्री से यह कहना चाहूंगा कि अभी थोड़े दिन पहले ही उसका ड्राफ्ट आया है। केन्द्रीय सरकार का बजट भी अभी आया है। जो लक्ष्य देंगे, उस लक्ष्य को हम पूरा करेंगे। बिना लक्ष्य के हम क्या कह सकते हैं कि कुसुम योजना में क्या करेंगे? वह बजट आएगा। हमको जो लक्ष्य देंगे, उस लक्ष्य के आधार पर किसानों के हित में जो भी काम होगा, यह सरकार करेगी। उसको कोई रोक नहीं सकेगा।

जहां तक अप्रैल से जून तक लोड बढ़ाने के बारे में आपने कहा, नई भर्ती निकालने की बातें कही, मैं समझता हूं कि आपने कुछ काम किये, कुछ हम लोग सब कुछ देखकर जो भी स्थिति होगी, उसको करेंगे। खेतड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने कई उपयोगी सुझाव दिए। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार द्वारा छबड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट को बेचने की या डिसइन्वेस्टमेंट की, दूसरे शब्दों में यह कह दीजिए कि आपने डिसइन्वेस्टमेंट करने का निर्णय ले लिया था। मैं सदन को आपके माध्यम से यह जानकारी देना चाहता हूं कि अभी हाल ही में राजस्थान के मंत्रिमंडल ने यह निर्णय लिया है कि छबड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट जिसकी लागत 9550 करोड़ की है, यह स्टेट सैक्टर में रहेगा और यह राजस्थान को समर्पित रहेगा।

राजसमंद से आने वाले माननीय सदस्य दीनदयाल कुटीर ज्योति योजना की बात कर रहे थे। पहले राजीव गांधी जी के जमाने से ही कुटीर ज्योति योजना चल रही थी। इसका केवल नाम, जैसे पंचायती राज के जो सेवा केन्द्र बने थे, उनका नाम राजीव जी के नाम से था, बदलकर इन्होंने अटल सेवा केन्द्र कर दिया। यह कुछ वैसा ही मामला है। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि हमारे किसान को, हमारे गांव के लोगों को, हर व्यक्ति को बिजली का कनेक्शन मिले। इस सूरत में केन्द्रीय सरकार की जो भी योजनाएं होगी, उन योजनाओं को राज्य सरकार पूरा करने में कोई कोर-कसर नहीं रखेगी। मैं अभी ऊर्जा राज्य मंत्री जी के द्वारा जो सम्मेलन दिल्ली में बुलाया गया था, उसमें गया था। उसमें किसानों के लिए कुसुम सोलर पावर का एक प्रोजेक्ट उन्होंने बताया था। इसमें तीस परसेंट केन्द्र सरकार अनुदान देगी, तीस परसेंट राज्य सरकार, तीस परसेंट नाबार्ड और दस परसेंट किसान को देना होगा। दस लाख रुपये का कोई प्रोजेक्ट लगाता है तो उसके लिए केवल उसको एक लाख का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। बहुत अच्छी योजना है। हमने उनसे मांग की थी कि हमको दो-तीन लाख जितना आप लक्ष्य देना चाहे, दें। हम उसको लेकर आगे

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इससे किसानों को अधिक से अधिक सोलर पावर प्लांट देंगे ताकि दिन में जो बिजली की मांग है, उसको हम दूर कर पाएं। यह स्थिति दो-तीन साल तक रही तो जो चिंता माननीय सदन ने की है कि दिन में किसानों को बिजली मिले, यह योजना यदि किसान अपना लेंगे तो निश्चित रूप से दिन में उनको पावर मिल सकेगी और वह अपनी खेती ढंग से कर सकेंगे। लेकिन इस संबंध में मैं माननीय सदस्यों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि हम पानी का अत्यधिक दोहन कर रहे हैं। फव्वारा खेती, बूंद-बूंद कृषि और कम पानी की खेती करने से पानी का दोहन भी कम होगा, बिजली का खर्चा भी कम होगा और किसान खुशहाल होगा।

सांगोद से आने वाले माननीय सदस्य ने यह सुझाव दिया था कि हम लोग क्रापिंग पैटर्न को सुधारें। क्रापिंग पैटर्न यदि सही होगा, कम पानी में जैसे सरसों हो सकती है, फिर आप ज्यादा पानी वाली फसलों को क्यो बोते हैं? लेकिन उन्होंने सरसों के मूल्य का कहा, वह एक अलग विषय है। केवल मात्र मैं यह कहना चाहता हूं कि कम पानी में जो फ़सलें होती हैं जिनका मूल्य अच्छा मिले, वह की जा सकती है। हर्बल खेती की जा सकती है जो कम पानी में होती है। हजार-हजार रुपये किलो तक, जैसे मूसली है और कई हर्बल दवाइयां हैं, उनका उत्पादन करना चाहिए। इसके अलावा सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने डिमांड के बाद भी कृषि कनेक्शन नहीं होने की बात कही। आप कोई स्पेसिफिक मामला बताएं, किसी गांव का, किसी व्यक्ति का तो मैं उसको दिखवा लूंगा।

बानसूर से आने वाली माननीय सदस्या ने भी उपयोगी सुझाव दिए। मैं उनको धन्यवाद देता हूं। ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने तो टेलीफोन, गैस, गौरव पथ इनकी बातें ज्यादा कीं। बिजली विभाग को हमारे अधिकारी ही चला रहे हैं और कोई नहीं चला रहा है। ट्रिपिंग व्यवस्था में सुधार किया जायेगा। राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने उदय योजना की पोल खोलकर रख दी। मैंने भी आपको काफी तथ्यात्मक जानकारी अध्यक्ष महोदय के माध्यम से दी है। कुल-मिलाकर माइक्रो एवं मिनी इंडस्ट्रीज के लिए उन्होंने उपयोगी सुझाव दिए कि इसके लिए डेडिकेटेड लाइन आनी चाहिए। इसके बारे में हम विचार करेंगे। स्माल स्केल इंडस्ट्रीज से इसका डवलपमेंट होगा।

अजमेर उत्तर से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ सुझाव दिए हैं,

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

उनको मैं ध्यान रखूंगा। बिजली की चोरी के बारे में आपने चिंता की। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को तीन बातें निवेदन करना चाहता हूं। एक, बिजली की चोरी रोकने के लिए सभी जन-प्रतिनिधि कमर कस लें। बिजली की चोरी होती है तो जो ईमानदार व्यक्ति है, उनको नुकसान होता है। उनके ऊपर उसका भार आता है। मैं अपने अधिकारियों को निर्देशित करना चाहता हूं कि वह छीजत को 15 परसेंट आप्टिमम करने का संकल्प लें। तीसरी बात यह है कि हम सब लोग यह संकल्प लें कि हम बिजली की बचत करेंगे। हमारे पिताजी ने हमको संस्कार में यह बातें सिखाईं कि घर में कमरे से निकलो तो पंखा बंद कर दें। आज भी मेरी आदत है कि मैं अपने कमरे से बाहर निकलता हूं तो सारे बटन बंद करके जाता हूं। बिजली की बचत भी बहुत जरूरी है। बचत ही अपने आप में नया जनरेशन है। इसीलिए हमारे मुख्य मंत्री जी ने नारा दिया था 'पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ'। हमको बिजली को बचाना है, बचत करनी है। इसके साथ-साथ आपने टाटा पावर के बारे में बताया कि वह जीएसटी वसूल कर रही है। इसके बारे में एग्रीमेंट को दिखाएंगे और यथोचित कार्यवाही करेंगे।

बालोतरा से आने वाले माननीय सदस्य ने सौर ऊर्जा पर सुझाव दिए। बिजली को बचाने के सुझाव दिए। उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। इसके साथ-साथ रेवदर से आने वाले माननीय सदस्य ने आदिवासियों के लिए सोलर प्लांट लगाने की बात की। इस अवसर पर एक बात मुझे याद आ रही है कि हमने दिल्ली में एक सवाल उठाया कि हमारी गवर्नमेंट ने और हमारे से पूर्ववर्ती गवर्नमेंट ने 7642 व्यक्तियों को सोलर कनेक्शन दिए। वह 100 मेगावाट के थे। अब केन्द्र सरकार के अधिकारी यह कहते हैं कि आपने 200 मेगावाट का संयंत्र नहीं लगाया इसलिए हम आपको 12 करोड़ रुपये, जो आपके वक्त का भी बकाया है, वह नहीं देंगे। मैंने कहा हमारे राजस्थान में, अरुणाचल में 200 मेगावाट संयंत्र की जरूरत है, वहां सौर ऊर्जा कम है, सूर्य की रोशनी कम है लेकिन हमारे यहां तो 100 वाट में ही पूरी की पूरी बिजली मिल जाती है। मंत्री जी देना चाहते थे लेकिन अधिकारियों ने कहा कि हम वित्त विभाग से राय लेकर इस पर आपको बताएंगे। हमारे वह 12 करोड़ रुपये भी बकाया है। मेरे कहने का तात्पर्य है एक तरफ सेन्ट्रल गर्वनमेंट सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन देना चाहती है, दूसरी तरफ हमने जो कनेक्शन किए हैं उसका 12 करोड़ रुपया सोलर ऊर्जा का बकाया है जो अभी तक केन्द्र सरकार नहीं दे पा रही है।

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

बहरोड़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि उद्योगपतियों की वीसीआर नहीं भरी जाती है, मैं आपको आंकड़े देखकर बता सकता हूं कि एक वर्ष में कितने उद्योगपतियों के यहां रेड मारी गई है। 7-7 करोड़, 8-8 करोड़, 12-12 करोड़ की वीसीआर भरी गई है। मैं एक ऐसा फुलप्रूफ सिस्टम माननीय जन प्रतिनिधियों की राय से लाना चाहूंगा कि अगर किसी की गलत वीसीआर भरी गई है तो उसका उचित समाधान हो, यथोचित समाधान हो।

खाजूवाला से आने वाले माननीय सदस्य ने जली हुई डीपी लगाने के बारे में, दीनदयाल योजना के बारे में, पूर्ववर्ती सरकार के बारे में बताया, आपने जो जानकारी दी है उसको हम दिखवा लेंगे।

अजमेर दक्षिण से आने वाली माननीय सदस्या ने रखरखाव का काम, डिस्काम और टाटा कम्पनी, जो वहां पर बिजली डिस्ट्रीब्यूशन का काम देखती है, उसके बारे में शिकायत की। मुझे एक मारवाड़ी कहावत याद आती है, आप कमाया कामना कैने दीजे दोष। पूर्ववर्ती सरकार ने ही भरतपुर, बीकानेर, कोटा, अजमेर इन चार निजी कम्पनियों को 20-20 साल का ठेका दिया। आप मुझे लिखित कोई शिकायत देंगे तो मैं अपने अधिकारियों से उसकी जांच करवाऊंगा। जो भी यथोचित कार्यवाही होगी वह करूंगा। कम्पनी को ठेका 20 साल के लिए पूर्ववर्ती सरकार देकर गई है यह मैं सदन को बताना चाहता हूं।

बसेड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने बसेड़ी डांग क्षेत्र में वीसीआर भरने की कार्यवाही को गलत बताया, यदि कहीं गलत भरी गई है तो उसका आप उदाहरण दें, मैं उसको दिखवा लूंगा।

थानागाजी से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रतापगढ़ में एईएन आफिस की, मैं ऐसे सारे प्रश्नों का एक साथ उत्तर दे देता हूं। कई माननीय सदस्यों ने जेईएन, एईएन, एक्सईएन कार्यालयों को खोलने की मांग की है। मैं इसको गुणावगुण के आधार पर दिखवाकर जो भी यथोचित होगा उसकी कार्यवाही करूंगा।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): एस.सी. के लोगों के लिए अलग से ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): कपासन से आने वाले माननीय सदस्य, एस. सी. की अलग से प्रायोरिटी बनी हुई है और उनको प्रायोरिटी के

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

आधार पर राजस्थान में कनेक्शन मिल रहे हैं। (व्यवधान) एस. टी. के लोगों का आपने पांच वर्ष में कुछ नहीं किया, मुझसे पूछ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, बाड़ी से आने वाले माननीय सदस्यों ने और अन्य सदस्यों ने कहीं 11 केवी, कहीं 33 केवी, कहीं 120 केवी, 132 केवी, अलग-अलग जीएसएस की मांग की है, इसको भी मैं गुणावगुण के आधार पर देखकर यथोचित कार्यवाही करूंगा।

मसूदा से आने वाले माननीय सदस्य ने सब-स्टेशन की मांग की है इसको भी मैं दिखवाऊंगा। लाड़पुरा से आनी वाली माननीया सदस्या ने गोरखेड़ा में...

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, डिनर का भी समय होता है।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): चलिए, मैं समाप्त कर देता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ...(व्यवधान) राठौड़ साहब, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य, खुद तो अपने समय में भी बोलते हैं और बीच-बीच में भी बोल लेते हैं लेकिन आप संतुष्ट हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है। अध्यक्ष महोदय, एक बात जरूर कहना चाहूंगा...

श्री बलवान पूनियां (भादरा): मंत्री जी, बूंद-बूंद के कनेक्शन... (व्यवधान)

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): प्रदेश आगे बढ़ रहा है और इसमें आप सब लोगों के सहयोग की मैं अपेक्षा रखता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि सदन के माननीय सदस्य ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुझे पूरा सहयोग देंगे।

माननीय भादरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कोई स्पेसिफिक... (व्यवधान) नियामक आयोग है उसमें आप अपना प्रश्न रखो...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठें ...(व्यवधान)

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): नियामक आयोग हमें जो अपनी रिपोर्ट देगा उसके आधार बिजली की दर तय होगी, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 10 जुलाई 2019 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 21.45 बजे बुधवार, दिनांक 10 जुलाई 2019 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

सदन में नहीं लिए जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

झाड़ोल में प्रदूषण रोकने की कार्ययोजना

62. **श्री बाबुलाल** (झाड़ोल): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल में खनन कार्य चल रहा है? यदि हां, तो कहां-कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि खनन के कारण वायु प्रदूषण से लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है? क्या सरकार इसे रोकने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या यह सही है कि प्रदूषण के कारण दमा व टी.बी. की बीमारी फैल रही है? यदि हां, तो उक्त बीमारी के कारण अब तक कितने लोगों की मौतें हुई हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल में 25 खनन पट्टे स्वीकृत हैं जिनमें से 2 खनन पट्टों, एम.एल. 13/98 खनिज मारबल निकट ग्राम आकोदरा तहसील झाड़ोल तथा एम.एल. 118/95 खनिज ग्रेनाइट निकट ग्राम जुड़ा तहसील कोटड़ा में खनन कार्य चल रहा है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

नदबई में नवीन गैस एजेन्सी की स्थापना

63. **श्री जोगिन्दर सिंह अवाना** (नदबई): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार घर–घर गैस कनेक्शन देने के प्रति कटिबद्ध है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र नदबई में 10 जून, 2019 तक ऐसे कितने परिवार हैं जो गैस कनेक्शन से वंचित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उच्चैन व नदबई सर्किल में नयी गैस एजेन्सी खोलने का विचार रखती है। यदि हां, तो कब तक, विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। 10 जून, 2019 तक नदबई विधान सभा क्षेत्र में

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

आईओसीएल कम्पनी के 107 परिवारों को गैस कनेक्शन दिया जाना शेष है तथा 185 परिवारों के आवेदन पत्रों की जांच होना शेष है। एचपीसीएल कम्पनी के 482 परिवारों को गैस कनेक्शन दिया जाना शेष है, जिन्हें संबंधित दस्तावेजों को जमा कराने तथा डिड्प्लीकेशन की जांच में सही पाये जाने पर गैस कनेक्शन जारी कर दिये जाएंगे। बीपीसीएल कम्पनी में कोई कनेक्शन बकाया नहीं है।

(2) जी नहीं।

अजमेर में निजी बसों के लिए बस स्टैण्ड की स्थापना

64. **श्री वासुदेव देवनानी** (अजमेर उत्तर): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या अजमेर शहर में विभिन्न मार्गों से आने वाली निजी बसों के लिए कोई निर्धारित स्टैण्ड है? यदि हां, तो कहां-कहां पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वर्तमान में उक्त निजी बसें निर्धारित स्टैण्ड के स्थान पर शहर में विभिन्न स्थानों पर अनाधिकृत रूप से खड़ी रहती है? यदि हां, तो क्यों व इसके लिए कौन जिम्मेदार है?

(3) क्या सरकार जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक तथा नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए निजी बसों का संचालन निर्धारित बस स्टैण्ड से सुचारु रूप से कराये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.9(976) परि/आरटीए/03/23724 दिनांक 23.02.2007 द्वारा अजमेर शहर में केवल एक प्राईवेट बस स्टैण्ड नौसरघाटी के पास निर्धारित किया गया है। अधिसूचना की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) शहर में अनाधिकृत बस खड़ी पाई जाने पर पुलिस यातायात विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाती है। वर्ष 2019 में माह जनवरी से दिनांक 23.06.2019 तक प्राईवेट/निजी बसों के विरुद्ध नो एन्ट्री में प्रवेश करने

(परिवहन मंत्री)

पर 65 व नो-पार्किंग क्षेत्र में खड़े पाये जाने पर 185 बसों के विरुद्ध कार्यवाही की गई।

(3) कोई भी पुलिस/यातायात कर्मी की निजी बसों को अपने निर्धारित बस स्टैण्ड के अलावा अन्य स्थान पर अनाधिकृत रूप से खड़ी कराने अथवा अनाधिकृत रूप से प्रवेश कराने में संलिप्तता नहीं पाई गयी है।

(4) जी हां। आदेश क्रमांक एफ.9(976)परि/आरटीए/(03)/93723 दिनांक 23.02.2007 द्वारा अजमेर शहर में वर्तमान में निजी बसों का संचालन निर्धारित बस स्टैण्ड नौसरघाटी से हो रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पाठ्यक्रम में समीक्षा के लिए गठित समिति

65. **श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के विभिन्न पाठ्यक्रमों की समीक्षा एवं बदलाव के लिए कोई समिति गठित की गई है? यदि हां, तो कुल कितनी पुस्तकों के कितने अध्यायों में परिवर्तन किये जाने का प्रस्ताव समिति द्वारा दिया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2017-18 के सामाजिक विज्ञान में महाराणा प्रताप व चित्तौड़गढ़ में जौहर सम्बन्धी अध्याय में कोई परिवर्तन किया है? यदि हां, तो उक्त परिवर्तन का क्या आधार है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। गणित (कक्षा-9 व 10), सामाजिक विज्ञान (कक्षा-9 व 10), इतिहास (कक्षा-11 व 12) तथा राजनीति विज्ञान (कक्षा-11 व 12) में यथासंभव/अत्यावश्यक/आंशिक संशोधन किये गये हैं।

समिति ने माध्यमिक शिक्षा की कुल 08 पुस्तकों के 81 अध्यायों में संशोधन प्रस्तावित किया है। विवरण परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(2) पाठ्यपुस्तकों में जौहर सम्बन्धी अध्यायों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। महाराणा प्रताप की वीरता एवं शौर्य को पहले से अधिक रेखांकित किया गया है।

पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा व पुनरीक्षण के लिए गठित विशेषज्ञ समिति

(राज्य मंत्री, शिक्षा)

की अभिशंषा के आधार पर पाठ्यपुस्तकों को सुसंगत रूप प्रदान किये जाने के आंशिक संशोधन किये गये हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पीड़ित प्रतिकर योजना में उपलब्ध सहायता

66. **श्री नारायण सिंह देवल** (रानीवाड़ा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बलात्कार पीड़िताओं को पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत सरकार की ओर से सहायता उपलब्ध कराई जाती है? यदि हां, तो विगत चार माह में कहां-कहां, कितनी-कितनी पीड़िताओं को, क्या-क्या सहायता उपलब्ध कराई गई। यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार बलात्कार पीड़िताओं को सहायता उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि थानागाजी (अलवर) बलात्कार पीड़िता को सरकार द्वारा सरकारी नौकरी दी गई है? यदि हां, तो किन नियमों के तहत? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार प्रदेश की अन्य बलात्कार पीड़िताओं को भी सरकारी नौकरी देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। बलात्कार पीड़िताओं के लिए राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2011 यथा संशोधित दिनांक 08.04.2015 संचालित की जाती है, जिसके संचालन का दायित्व राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व इसके अधीनस्थ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पर है।

इस योजना के अधीन बलात्संग पीड़ित वयस्क महिला एवं अवयस्क को 05 लाख रुपये तक का पीड़ित प्रतिकर उपलब्ध कराया जाता है जिसमें से अवयस्क की दशा में अधिकतम सीमा का 50 प्रतिशत अंतरिम सहायता के रूप में जबकि वयस्क को 25 प्रतिशत राशि अधिकतम सीमा का, अंतरिम सहायता के रूप में उपलब्ध कराई जाती है। नियम परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

विगत 04 माह में महिला पीड़िताओं को विभिन्न जिला विधिक सेवा

(गृह मंत्री)

प्राधिकरणों द्वारा उपलब्ध कराई गई सहायता राशि निम्न प्रकार से है -

S. No.	Name of Month	Women	Awarded Compen-sation	Chil-dren	Awarded Compen-sation	POCSO	Awarded Compen-sation	Total Benefi-ciaries	Total Amount
1	Febru-ary	47	8753750	66	7212500	148	22270000	261	38236250
2	March	28	4525000	25	2675000	33	7575000	86	14775000
3	April	41	5912500	43	2915000	70	17478000	154	2630500
4	May	82	8945000	25	2515000	97	17655000	204	29115000
Total		**198**	**28136250**	**159**	**15317500**	**348**	**64978000**	**705**	**108431750**

जिलेवार विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(2) जी हां। थानागाजी प्रकरण में राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 में मंत्रिमण्डल द्वारा दी गई आज्ञा में उक्त नियमों में शिथिलता देते हुए कानिस्टेबल के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई है, परन्तु इस शर्ते के साथ कि पीड़िता नियमों में कानिस्टेबल के पद के लिये निर्धारित योग्यता/अर्हता/पात्रता रखती हो। (उक्त नियम की प्रति परिशिष्ट-स पर संलग्न है)

(3) जी नहीं। विशेष प्रकृति का "rarest of rare" श्रेणी में आने वाले प्रकरणों बाबत् राज्य सरकार नौकरी देने पर विचार करती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

ब्यावर-पिण्डवाड़ा सड़क पर सर्विस रोड बनाने की कार्ययोजना

67. **श्री शंकर सिंह रावत** (ब्यावर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ब्यावर से पिण्डवाड़ा फोरलेन पर सेन्दड़ा रेलवे ओवरब्रिज प्रदेश का सबसे बडा रेलवे ओवरब्रिज है?

(2) क्या यह भी सही है कि ओवरब्रिज के दोनों ओर सर्विस रोड बनाया जाना नियमानुसार आवश्यक होता है? यदि हां, तो सेन्दड़ा रेलवे

(श्री शंकर सिंह रावत)

ओवरब्रिज के पास पाली से ब्यावर की ओर सर्विस रोड नहीं बनाने के क्या कारण रहे? ब्यावर से पिण्डवाड़ा फोरलेन पर किस-किस जगह ओवरब्रिज बनाये गये हैं तथा किस-किस जगह पर ओवरब्रिज के दोनों ओर सर्विस रोड नहीं बनायी गयी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार सेन्दड़ा रेलवे ओवरब्रिज सहित अन्य ओवरब्रिज के दोनों ओर सर्विस रोड बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) भाराराप्रा/भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तर निम्नानुसार है:-

ब्यावर से पिण्डवाडा फोरलेन परियोजना के अन्तर्गत सेन्दड़ा रेलवे ओवरब्रिज जो कि किमी 14+470 से किमी 15+550 तक स्थित है एवं जिसकी कुल लम्बाई 1+080 किमी है। यह प्रदेश के पांच सबसे बड़े रेलवे ओवरब्रिज में से एक है।

(2) तकनीकी मापदण्ड यातायात का दबाव एवं भूमि की उपलब्धता के अनुसार रेलवे ओवरब्रिज अथवा फलाईओवर के समानान्तर दोनों तरफ सर्विस रोड का निर्माण किया जाता है। भाराराप्रा द्वारा इस परियोजना के अन्तर्गत निर्मित सेन्दड़ा ओवरब्रिज राष्ट्रीय राजमार्ग के नवीन स्वीकृत संरेखण पर स्थित है जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग-14 के पुराने संरेखण पर स्थित रेलवे फाटक से काफी दूर स्थित है, एवं इस ओवरब्रिज के आस-पास कोई भी आबादी क्षेत्र स्थित नहीं होने के कारण निर्मित सेन्दड़ा ओवरब्रिज के समानान्तर सर्विस रोड बनाने की तकनीकी रूप से कोई आवश्यकता नहीं है।

ब्यावर-पाली-पिण्डवाड़ा परियोजना में ब्यावर से पिण्डवाड़ा तक कुल 41 ओवरब्रिज बनाये गये हैं, जिनके दोनों तरफ सर्विस रोड बनायी गयी है, इनका विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(3) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इस सम्बन्ध में अवगत कराया है कि सेन्दड़ा रेलवे ओवरब्रिज सहित अन्य ओवरब्रिज के दोनों ओर शेष रहे सर्विस रोड़ के निर्माण हेतु वर्तमान में कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

किशनगढ़ में फायर ब्रिगेड वाहनों का क्रय

68. **श्री सुरेश टाक** (किशनगढ़): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में वर्तमान में कहां-कहां पर फायर ब्रिगेड की व्यवस्था कब से है और उक्त वाहन कब क्रय किए गए थे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार अरांई में अग्निशमन केन्द्र खोलकर नई अत्याधुनिक फायर ब्रिगेड वाहन उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगर परिषद किशनगढ़ में सन् 1984 से अग्निशमन केन्द्र संचालित है। कोर्ट रोड सुभाष पार्क के पीछे फायर स्टेशन 1984 से जिसमें 02 अग्निशमन वाहन एवं एयरपोर्ट के पास स्थित फायर स्टेशन वर्ष 2018 से संचालित है, जिसमें 01 अग्निशमन वाहन उपलब्ध है। राज्य सरकार द्वारा एक अग्निशमन वाहन 2005 में, दूसरा अग्निशमन वाहन वर्ष 2014 में एवं एक छोटा अग्निशमन वाहन वर्ष 2016 में नगर परिषद किशनगढ़ को आबंटित किये गये थे, जो कि वर्तमान में चालू हालत में है।

(2) ग्राम पंचायत अरांई किशनगढ़ से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। विभागीय स्तर पर ग्राम पंचायतों के लिये अग्निशमन वाहन उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, परन्तु ग्राम पंचायत अरांई में अग्नि दुर्घटना होने पर नगर परिषद किशनगढ़ द्वारा तत्काल अग्निशमन वाहन भिजवाये जाने की व्यवस्था की जाती है।

किसानों के लिए संचालित फसल योजनाएं

69. **श्री जगदीश चन्द्र** (सादुलशहर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) कृषि पर्यवेक्षक द्वारा कौन-कौनसे कार्य किये जाते हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या कृषि पर्यवेक्षक द्वारा सरकार की फसल संबंधित योजनाओं को किसानों तक पहुंचाया जाता है? यदि हां, तो कृषि पर्यवेक्षक द्वारा वर्तमान में किसानों को कौन-कौनसी योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कृषि विभाग के कृषि पर्यवेक्षक द्वारा किये जाने वाले कार्यों का विवरण परिशिष्ट-अ तथा उद्यान विभाग के कृषि पर्यवेक्षक द्वारा किये जाने वाले कार्यों का विवरण परिशिट-ब पर संलग्न है।

(2) जी हां। कृषि पर्यवेक्षक द्वारा सरकार की फसल संबंधित योजनाओं को किसानों तक पहुंचाया जाता है।

कृषि विभाग की योजनाओं का विवरण परिशिष्ट-स पर एवं उद्यान विभाग की योजनाओं का विवरण परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अवैध बजरी खनन के दर्ज प्रकरण

70. **श्री सुभाष पूनिया** (सूरजगढ़): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में अवैध बजरी खनन के कितने प्रकरण किस-किस जिले में किन-किन धाराओं के तहत दर्ज किये गये हैं? दर्ज प्रकरणों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त दर्ज प्रकरणों पर अनुसंधान पूर्ण हो चुका है? यदि हां, तो किन-किन प्रकरणों में कब-कब चालान प्रस्तुत किये गये? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या दर्ज प्रकरणों में दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है? यदि नहीं, तो किन-किन प्रकरणों में दोषियों को गिरफ्तार किया जाना शेष है? सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) 01 जनवरी, 2019 से 20 जून, 2019 तक प्रदेश में अवैध बजरी खनन के कुल 1740 प्रकरण दर्ज किये गये हैं। दर्ज प्रकरण मय धारा की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उक्त दर्ज प्रकरणों में से 1458 प्रकरणों का अनुसंधान हो चुका है तथा 282 प्रकरणों का अनुसंधान लम्बित है। दर्ज प्रकरणों में चालान प्रस्तुत किये जाने संबंधी सूचनाएं परिशिष्ट-अ के कालम संख्या 5 में अंकित हैं।

(3) दर्ज प्रकरणों में 2711 दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। 282 प्रकरणों में 235 व्यक्ति वांछित हैं जिनका विवरण परिशिष्ट-अ के कालम संख्या 7 में अंकित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

स्वर्ण आभूषणों में मिलावट रोकने की कार्ययोजना

71. **श्री जगसी राम** (सिरोही): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में सोने-चांदी एवं उनसे निर्मित आभूषण बनाकर बेचने वाले ज्वैलर्स द्वारा मिलावटी सोना चांदी को शुद्ध या उच्च कैरट का बताकर फर्जी हालमार्क लगवाकर ठगी करते पाये गये ज्वैलर्स के विरुद्ध कार्यवाही करने के क्या नियम व प्रावधान हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जनवरी, 2019 से जून, 2019 तक उक्त प्रकार की ठगी, चार सौ बीस, मिलावट के मामले विभिन्न माध्यमों से सरकार के सामने आये हैं? यदि हां, तो जिलेवार ऐसे ज्वैलर्स, फर्जी हालमार्किंग सेन्टर्स के नामजद विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा सोने व चांदी तथा स्वर्ण आभूषणों में मिलावट को रोकने की प्रभावी कार्यवाही करते हुए अब तक नामजद दोषी ज्वैलर्स के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है? यदि हां, तो क्या जिलेवार की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भारतीय मानक ब्यूरो से प्राप्त सूचना के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 की अनुच्छेद 15(2) के अंतर्गत अपंजीकृत ज्वैलर्स हालमार्क का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। साथ ही अनुच्छेद 15(3) के अंतर्गत यदि वह ज्वैलर्स पंजीकृत भी है तब भी वह मानक के अनुसार खरे नहीं उतरने वाले आभूषणों पर हालमार्क नहीं लगा सकता है।

उपरोक्त प्रावधानों का उल्लंघन करते पाए जाने पर पंजीकृत ज्वैलर्स पर भारतीय मानक ब्यूरो (हालमार्किंग) विनियम, 2018 के विनियम 7 के अंतर्गत कार्यवाही की जाती है।

अपंजीकृत ज्वैलर्स यदि भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 का दुरुपयोग करते हुए पाए जाते हैं तो उन पर अनुच्छेद 29(2) के अंतर्गत कार्यवाही की जाती है।

इसके अतिरिक्त गृह विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार प्रदेश में सोने-चांदी एवं उनसे निर्मित आभूषण बनाकर बेचने वाले ज्वैलर्स द्वारा मिलावटी सोना-चांदी को शुद्ध या उच्च कैरेट का बताकर फर्जी हालमार्क लगवाकर ठगी करते पाये गये ज्वैलर्स के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत धोखाधड़ी/

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 की धारा 17/29, 32 में कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है।

(2) ऐसा कोई प्रकरण खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के ध्यान में नहीं लाया गया है तथा इस सन्दर्भ में जनवरी 2019 से अब तक, भारतीय मानक ब्यूरो की जयपुर शाखा को केवल एक शिकायत प्राप्त हुई है जो एक अपंजीकृत ज्वैलर्स द्वारा हालमार्क के दुरुपयोग के विषय में है व इस समय अन्वेषण में है, साथ ही गृह विभाग में भी पुलिस द्वारा उक्तावधि में ठगी, चार सौ बीस, मिलावट का कोई मामला दर्ज नहीं है।

(3) खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के समक्ष ऐसा कोई प्रकरण ध्यान में नहीं लाया गया है। जिससे कार्यवाही किये जाने का आधार नहीं रहा। भारतीय मानक ब्यूरो की जयपुर शाखा में एक शिकायत प्राप्त हुई है जो एक अपंजीकृत ज्वैलर्स द्वारा हालमार्क के दुरुपयोग के विषय में है व इस समय अन्वेषण में है, साथ ही गृह विभाग में भी पुलिस द्वारा उक्तावधि में स्वर्ण आभूषणों में मिलावट से सम्बन्धित कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ। अत: कार्यवाही नही हुई है।

परिवहन निरीक्षकों की स्थानान्तरण नीति

72. **श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में कुल कितने परिवहन निरीक्षक एवं उप-निरीक्षक कार्यरत हैं और अपने कार्यकाल में कहां-कहां कार्यरत रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) ऐसे कितने निरीक्षक/उप-निरीक्षक हैं जिनके विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक विभाग अथवा CCA नियम 16 की कार्यवाही विचाराधीन है। उक्त कार्मिक कहां-कहां पर कार्यरत हैं। विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) ऐसे कितने निरीक्षक/उप-निरीक्षक हैं जिन्हें 1 जून, 2019 को अपने पदस्थापन जिले में तीन वर्ष की अवधि हो गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त 3 वर्ष से अधिक एक ही जिले में ठहराव वाले निरीक्षक/उप-निरीक्षकों के जिले बदलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) परिवहन विभाग में 151 परिवहन निरीक्षक एवं 266 परिवहन उप निरीक्षक कार्यरत हैं एवं उनके कार्यकाल में जिन कार्यालयों में कार्यरत रहे उसकी सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) 61 परिवहन निरीक्षक/उप निरीक्षकों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक विभाग अथवा नियम 16 की कार्यवाही विचाराधीन है एवं उनके वर्तमान पदस्थापन की सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) 40 परिवहन निरीक्षक/उप निरीक्षक ऐसे हैं जिन्हें 01 जून, 2019 को अपने पदस्थापन जिले में 03 वर्ष की अवधि हो गई है।

(4) इस बाबत विचार कर उपयुक्त निर्णय लिया जाएगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

परिणाम के आधार पर निजी विद्यालयों को प्रोत्साहन

73. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध प्रत्येक जिले में उच्च माध्यमिक व माध्यमिक स्तर के कितने राजकीय एवं निजी विद्यालय हैं? जिन्होंने वर्ष 2019 की बोर्ड परीक्षाओं में भाग लिया? उक्त निजी विद्यालयों में से कितने विद्यालय विद्या भारती से सम्बद्ध हैं? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2019 की बोर्ड परीक्षाओं में 10वीं एवं 12वीं के राजकीय एवं विद्या भारती से सम्बद्ध एवं अन्य निजी विद्यालयों का परिणाम प्रतिशत पृथक-पृथक क्या रहा? जिला एवं संकायवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ने श्रेष्ठ परिणाम देने वाले ऐसे विद्यालयों को प्रोत्साहित करने हेतु कोई योजना बनाई है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार ऐसे श्रेष्ठ निजी विद्यालयों के शिक्षकों को वित्तीय सुरक्षा हेतु किसी प्रकार की मदद करना चाहती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिलेवार उच्च माध्यमिक व माध्यमिक परीक्षा 2019 के राजकीय एवं निजी विद्यालयों की सूची परिशिष्ट "1अ से 1द" पर संलग्न है। निजी विद्यालयों को मान्यता/सम्बद्धता विद्यालयवार दी जाती है, समूह विशेष के नाम से नहीं।

(राज्य मंत्री, शिक्षा)

(2) वर्ष 2019 के बोर्ड द्वारा आयोजित 10वीं एवं 12वीं के राजकीय एवं निजी विद्यालयों के परिणाम प्रतिशत की सूची परिशिष्ट "2अ से 2ब" पर संलग्न है।

विभाग द्वारा विद्या भारती अथवा अन्य समूह के नाम से विद्यालयों का पंजीकरण/मान्यता नहीं दी जाकर विद्यालय प्रबंध समिति के नाम से प्रत्येक विद्यालय को अलग-अलग मान्यता मानदण्डानुसार दी जाती है।

(3) राजकीय सर्वश्रेष्ठ विद्यालय पुरस्कार योजना के अन्तर्गत राज्य, मण्डल एवं जिला स्तर पर क्रमश: 50,000/-, 40,000/-, 25,000/- पुरस्कार राशि एवं प्रशस्ति पत्र बोर्ड कार्यालय द्वारा प्रदान की जाती है।

(4) विभाग के स्तर पर ऐसी कोई योजना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

नदियों को जोड़ने की कार्ययोजना

48. **श्री अशोक लाहोटी** (सांगानेर): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या प्रदेश में नदियों को जोड़ने की कोई योजना बनाई गई है? यदि हां, तो सरकार द्वारा अब तक नदियों को जोड़ने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा नदियों को जोड़ने हेतु राशि स्वीकृत की गई है? यदि हां, तो किस-किस मद में कितनी राशि से क्या-क्या कार्य कहां-कहां करवाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या रामगढ़ बांध व बीसलपुर बांध के जल आवक को बढ़ाने हेतु किसी अन्य जल स्रोत से जोड़ने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है? यदि हां, तो पूर्ण कार्ययोजना का विवरण मय खर्च व DPR सहित सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में नदियों को जोड़ने की योजनाओं के प्रस्ताव तैयार किये गये/जा रहे हैं। इन योजनाओं के संबंध में अब तक किये गये कार्यों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) सरकार द्वारा उक्त योजनाओं की डी.एफ.आर., डी.पी.आर. एवं निर्माण कार्य हेतु किये व्यय एवं मद का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) रामगढ़ बांध एवं बीसलपुर बांध को प्रस्तावित "पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना" अंतर्गत जोड़ा जाना सम्मिलित है तथा बीसलपुर बांध को ब्राह्मणी नदी के अधिशेष पानी से भी जोड़ा जाना प्रस्तावित है। विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राजस्थान लेखा सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों को भुगतान

49. **श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि दिसम्बर, 2017 तथा जनवरी, 2018 में राज. लेखा सेवा सुपर टाईम तथा राज. लेखा सेवा हायर सुपर टाईम स्केल सेवा के अधिकारी राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हुये थे? यदि हां तो कौन-कौन

(श्री कालीचरण सराफ)

से अधिकारी नाम, पद नाम तथा सेवानिवृति विभाग के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सेवानिवृत्त अधिकारियों के विरुद्ध फौजदारी एवं अन्य प्रकरण न्यायालयों में विचाराधीन हैं जिसकी जानकारी सरकार को भी है? यदि हां, तो सेवानिवृत अधिकारी का नाम, पदनाम तथा विभाग के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त अधिकारियों को सेवानिवृति पर L.P.C. जारी कर अन्य वित्तीय भुगतान कर दिये गये हैं? यदि हां, तो किस-किस को L.P.C., ग्रेच्युटी व अन्य भुगतान तथा पेंशन भुगतान आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि सेवानिवृत अधिकारियों के विरुद्ध प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने पश्चात् भी पदोन्नति दी जाकर वित्तीय लाभ दिया गया है? यदि हां, तो क्यों तथा किस नियम के तहत? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान लेखा सेवा हायर सुपर टाईम के 01 अधिकारी श्री सुभाष चन्द्र शर्मा दिनांक 31/01/2018 को वित्तीय सलाहकार, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर से सेवानिवृत हुये हैं। दिसम्बर, 2017 तथा जनवरी, 2018 में राजस्थान लेखा सेवा सुपर टाईम में कोई भी अधिकारी सेवानिवृत नहीं हुआ है। सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक एच.जी.।।(19860)/2017-18/29360 दिनांक 13.10.2017 द्वारा एवं प्रशासनिक विभाग के अभिलेखों के आधार पर श्री सुभाष चन्द्र शर्मा के विरुद्ध कोई फौजदारी एवं अन्य प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(3) जी हां। श्री सुभाष चन्द्र शर्मा के विरुद्ध कोई फौजदारी एवं अन्य प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन/लम्बित नहीं होने के कारण सेवानिवृति पर गत भुगतान प्रमाण-पत्र जारी कर अन्य वित्तीय भुगतान कर दिया गया है। (गत भुगतान प्रमाण पत्र, ग्रेच्युटी व अन्य भुगतान एवं पेंशन भुगतान आदेश की प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(4) जी नहीं। श्री सुभाष चन्द्र शर्मा के विरुद्ध कोई फौजदारी एवं अन्य

(वित्त मंत्री)

प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन/लम्बित नहीं होने के कारण सेवानिवृति पर गत भुगतान प्रमाण-पत्र जारी कर अन्य वित्तीय भुगतान कर दिया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मंत्रियों के आवासों पर व्यय राशि

50. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर): क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) 1 जनवरी, 2019 के पश्चात् किन-किन मंत्रियों को कौन-कौनसे राजकीय आवास आबंटित किये गये व किस-किस आवास का कब्जा कब-कब सौंपा गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आवासों पर जनवरी, 2019 के पश्चात् भवन निर्माण, मरम्मत एवं रख-रखाव पर कितनी राशि स्वीकृत की गई? आवास अनुसार स्वीकृत राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त आवासों पर किया गया व्यय क्या उचित है? यदि नहीं, तो सरकार की उक्त प्रकार के अनुचित व्यय को रोकने की क्या योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) 1 जनवरी, 2019 के बाद इस विभाग द्वारा माननीय मंत्री गण को आबंटित राजकीय आवास की सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) 1 जनवरी, 2019 के बाद माननीय मंत्रीगणों को आबंटित राजकीय आवसों के रख-रखाव एवं मरम्मत पर स्वीकृत राशि की सूचना परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(3) इन आवासों में माननीय मंत्रीगणों की मांग अनुसार अतिआवश्यक प्रकृति के निर्माण, मरम्मत एवं सुरक्षा हेतु नियमानुसार कार्य करवाये गये हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

रामगंजमण्डी व बारां-अटरू के पुलिस थानों में दर्ज प्रकरण

51. **श्री मदन दिलावर** (रामगंज मण्डी): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र रामगंजमंडी व बारां-अटरू में 15 दिसम्बर, 2018 से 10 जून, 2019 तक पुलिस थानों में कितनी एफआईआर, परिवाद व आवेदन प्राप्त हुए हैं? उनमें में कितनी एफआईआर दर्ज हुई तथा न्यायालय के

(श्री मदन दिलावर)

माध्यम से कितने प्रकरण प्राप्त हुए? संख्या सूची विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रत्येक प्रकरण में क्या-क्या कार्यवाही की गई है तथा कितने प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है? कितने प्रकरणों में चालान पेश कर दिये गये हैं? प्रकरणवार की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) रामगंजमंडी विधान सभा क्षेत्र में 15 दिसम्बर, 2018 से 15 जून, 2019 तक पुलिस थानों में 267 एफआईआर 2418 परिवाद व आवेदन प्राप्त हुए हैं। प्राप्त परिवाद एवं आवेदनों की जांच उपरान्त 02 एफआईआर दर्ज हुई हैं तथा न्यायालय के माध्यम से कुल 45 इस्तगासे न्यायालय प्राप्त होने पर एफआईआर दर्ज की गई है। इस प्रकार कुल 314 एफआईआर दर्ज हैं।

इसी प्रकार बारां-अटरू विधान सभा क्षेत्र में 15 दिसम्बर, 2018 से 15 जून, 2019 तक पुलिस थानों में 907 एफआईआर 237 परिवाद व आवेदन प्राप्त हुए हैं। प्राप्त परिवाद एवं आवेदनों की जांच उपरान्त 06 एफआईआर दर्ज हुई हैं तथा न्यायालय के माध्यम से कुल 99 इस्तगासे न्यायालय प्राप्त होने पर एफआईआर दर्ज की गई हैं। इस प्रकार कुल 1012 एफआईआर दर्ज हैं। विधानसभावार सूचना परिशिष्ट-अ व ब पर संलग्न है।

(2) उक्त प्रत्येक प्रकरण में अनुसंधान के पश्चात नतीजा चालान/ एफआर में दिया गया है। रामगंजमंडी विधान सभा क्षेत्र में कुल 314 प्रकरण दर्ज किये गये हैं जिनमें से कुल 224 प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है। 164 प्रकरणों में चालान पेश किये गये हैं।

बारां-अटरू विधान सभा क्षेत्र में कुल 1012 प्रकरण दर्ज किये गये हैं जिनमें से कुल 643 प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है। 486 प्रकरणों में चालान पेश किये गये हैं (शेष 157 प्रकरणों में एफआर दी जा चुकी है एवं 369 प्रकरण अनुसंधानाधीन चल रहे हैं) प्रकरणवार सूचना परिशिष्ट-स व द पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

शाहपुरा व बनेड़ा पंचायत समिति में विकास कार्य

52. **श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल** (शाहपुरा): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल)

(1) क्या यह सही है कि केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार व अन्य स्रोतों से ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न विकास योजनाओं की क्रियान्विति के लिए पंचायत समितियों को आर्थिक सहयोग/अनुदान आदि से धन मिलता रहता है? यदि हां, तो भीलवाड़ा जिले के विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा-बनेड़ा के अन्तर्गत आने वाली पंचायत समिति शाहपुरा एवं पंचायत समिति बनेड़ा को इन स्त्रोतों से दिनांक 1 अप्रैल, 2015 से 10 जून, 2019 तक कितनी-कितनी धनराशि प्राप्त हुई? मदवार, तिथिवार व वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि इस प्रकार प्राप्त धनराशि से पंचायत समिति अपने स्तर पर ग्राम पंचायतों को विभिन्न विकास कार्यों के लिए धन की स्वीकृतियां जारी करती है? यदि हां, तो उक्त पंचायत समितियों ने दिनांक 1 अप्रैल, 2015 से 10 जून, 2019 तक किस-किस ग्राम पंचायत को किस-किस विकास कार्य हेतु कब-कब कितनी-कितनी धनराशि की स्वीकृतियां जारी कीं? मदवार, तिथिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जारी की गई स्वीकृतियों के विरुद्ध कितने-कितने कार्य पूर्ण होकर उनके उपयोगिता एवं पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त हो चुके हैं व कितने कार्य निर्माणाधीन हैं और कितने अब तक चालू ही नहीं हुए हैं? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) हां। यह सही है कि केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार व अन्य स्रोतों से ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न विकास योजनाओं की क्रियान्विति के लिए पंचायत समितियों को आर्थिक सहयोग/अनुदान आदि से धन मिलता है। भीलवाडा जिले के विधान सभा क्षेत्र बनेडा(परिशिष्ठ 1)व शाहपुरा(परिशिष्ठ 4)पर संलग्न है।

(2) हां यह सही है कि इस प्रकार प्राप्त धन राशि से पंचायत समिति अपने स्तर पर ग्राम पंचायतों को विभिन्न विकास कार्यो के लिए धन की स्वीकृतियां जारी करती हैं। पंचायत समिति बनेड़ा एवं शाहपुरा द्वारा एस.एफ.सी/आवास/एस.बी.एम योजना की स्वीकृतियां पंचायत समिति द्वारा जारी की जाती है तथा एम.एल.ए लैड/एम.पी लैड/जीजीवाई/माडा/नरेगा योजना की स्वीकृतियां जिला परिषद् द्वारा जारी की जाती है। किसान सेवा केन्द्र की स्वीकृति विभाग द्वारा जारी की जाती है। उक्त जारी स्वीकृतियों का विवरण बनेड़ा के लिए परिशिष्ट 2 एवं शाहपुरा के लिए परिशिष्ट 5 पर संलग्न है।

(3) उक्त जारी की गई स्वीकृतियों के विरुद्ध पूर्ण कार्यो एवं यूसी/

(पंचायती राज मंत्री)

सीसी प्राप्त कार्यो व निर्माणाधीन कार्यो व अप्रारम्भ कार्यों का विवरण बनेड़ा के लिए परिशिष्ट 3 व शाहपुरा के लिए परिशिष्ट 6 पर संलग्न हैं।

चुनाव आचार संहिता होने के कारण कुछ कार्य प्रारम्भ नहीं हो सके हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

रोहट (पाली) पंचायत समिति के ग्राम सेवकों की अग्रिम राशि

53. **श्री ज्ञानचंद पारख** (पाली): क्या पंचायतीराज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पाली जिले की पंचायत समिति रोहट के किस-किस ग्राम-पंचायत के किस-किस ग्राम सेवक ने किस-किस कार्य के लिये कितनी-कितनी राशि, कितने-कितने समय से अग्रिम ले रखी हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कौन-कौन सा कार्य कब-कब पूर्ण हो गया व कितनी-कितनी राशि का भुगतान, कितने-कितने समय से, किन-किन कारणों से किस-किस ग्राम-सेवक द्वारा किया जाना शेष हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त में से किस-किस कार्य हेतु, कितनी-कितनी राशि अग्रिम ले ली गई है तथा उक्त कार्य कितने-कितने समय से अपूर्ण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पाली जिले की पंचायत समिति रोहट की ग्राम पंचायतों के ग्राम सेवकों के पास रखी गई अग्रिम राशि के संबंधित विवरण परिशिष्ठ-1 पर संलग्न है।

(2) कार्य पूर्ण होने की स्थिति एवं राशि के भुगतान से संबंधित विवरण परिशिष्ठ-2 पर संलग्न है।

(3) कार्य हेतु अग्रिम राशि एवं अपूर्ण व बंद कार्यों से संबंधित विवरण परिशिष्ठ-3 पर संलग्न हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

खानपुर के गांव भूमाडा से भालता वाया बकानी रटलाई स्टेट हाईवे का निर्माण

54. **श्री नरेन्द्र नागर** (खानपुर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र खानपुर के गांव भूमाडा से भालता वाया बकानी रटलाई स्टेट हाईवे स्वीकृत है? यदि हां, तो उक्त हाईवे का निर्माण सरकार कब तक करवाने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधानसभा क्षेत्र खानपुर के गांव भूमाडा से भालता वाया बकानी रटलाई स्टेट हाईवे की कुल लम्बाई 26.60 किमी. है, जिसमें से 9.8 किमी. एसआरएफ योजनान्तर्गत स्वीकृत है। जिन्हें बजट की उपलब्धता व विभिन्न कार्यों की पारस्परिक प्राथमिकता एवं वरियता के आधार पर पूर्ण किया जायेगा।

नोखा में सड़क निर्माण व मरम्मत के कार्य

55. **श्री बिहारीलाल** (नोखा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र नोखा में जनवरी, 2013 से दिसम्बर, 2018 तक सरकार द्वारा सड़क निर्माण व मरम्मत के क्या-क्या कार्य स्वीकृत किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत कार्यों में से कौन-कौनसे कार्यों पर कितनी राशि व्यय की गई व कौन-कौन से कार्य अपूर्ण है? अपूर्ण कार्य को कब तक पूरा कर लिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वित्तीय वर्ष 2018-19 व 2019-20 में नोखा में सड़क निर्माण व मरम्मत के क्या-क्या कार्य कहां-कहां व कितनी राशि में करवाया जाना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र नोखा में जनवरी 2013 से दिसम्बर 2018 तक सडक निर्माण एवं मरम्मत के कार्यो का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र नोखा में कार्यो पर किये गये व्यय एवं पूर्ण/ अपूर्ण कार्यो का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। अपूर्ण कार्यो को बजट की

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

उपलब्धता व विभिन्न निर्माण कार्यों की पारस्परिक प्राथमिकता एवं वरियता के आधार पर यथा शीघ्र पूर्ण किया जावेगा।

(3) विधान सभा क्षेत्र नोखा में वित्तीय वर्ष 2018-19 में करवाये जाने वाले कार्यों का विवरण परिशिष्ट-1 पर व 2019-20 में सडक निर्माण एवं मरम्मत के प्रस्ताव परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

चूरू जिले में मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन योजना में स्वीकृत कार्य

56. **श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू): क्या पंचायतीराज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन योजना में चूरू जिले में विभिन्न चरणों में कुल कितने कार्य स्वीकृत किये गये तथा उनमें से कितने कार्य पूर्ण हो चुके हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जल स्वावलम्बन योजना के अंतर्गत चूरू में विभागीय स्वीकृति के पश्चात करवाये गये कवि सम्मेलन की कोई राशि बकाया है? यदि हां, तो कितनी तथा बकाया राशि के भुगतान हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) चूरू तहसील में मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन योजना में कितना वृक्षारोपण विभिन्न चरणों में किया गया तथा वर्तमान में कितनें वृक्ष जिंदा हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन योजना में चूरू जिले में प्रथम चरण में 4007, द्वितीय चरण में 4447 तथा तृतीय चरण में 6503 कार्य स्वीकृत किये गये तथा प्रथम चरण में 4007, द्वितीय चरण में 4447 तथा तृतीय चरण में 5989 कार्य पूर्ण हो चुके है।

(2) जी हां। मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के अन्तर्गत जिला परिषद, चूरू द्वारा कवि सम्मेलन का आयोजन करवाया गया था, जिसकी राशि रू0 5.22 लाख पी.डी. खाते में हस्तांतरण हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) चूरू तहसील में मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान अन्तर्गत तीन चरणों में कुल 2627 पौधौ का पौधारोपण किया गया तथा वर्तमान में 2176 पौधे जीवित है।

बाड़मेर जिले में पंडित दीनदयाल योजना के तहत ग्रामों व ढाणियों का विद्युतीकरण

57. **श्री अमीन खाँ** (शिव): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) बाड़मेर जिले में पंडित दीनदयाल योजना के तहत कितने गांवों व ढाणियों को विद्युत से जोड़ा गया है? तहसीलवार विवरण सदन की मेंज पर रखें ?

(2) सरकार उक्त जिले की विद्युत से वंचित ढाणियों में कब तक विद्युत कनेक्शन जारी कर दिये जायेंगे? तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बाड़मेर जिले में ""दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना"" के तहत विद्युतिकृत गांवों व ढाणियों का तहसीलवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) बाड़मेर जिले की अविद्युतिकृत ढाणियों के विद्युतीकरण हेतु ""दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना"" की अवधि दिनांक 31.03.2019 को समाप्त हो गयी थी, तत्पश्चात् इसकी क्रियान्वन अवधि बढ़ाने के लिए भारत सरकार से आग्रह किया गया था। तद्नुसार भारत सरकार से दिनांक 21.06.2019 को प्राप्त निर्देशानुसार उक्त लंबित कनेक्शनों को माह अक्टूबर, 2019 तक जारी किया जाना प्रस्तावित है। विद्युतीकरण से वंचित ढाणियों का तहसीलवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

भू-जल स्तर में वृद्धि की कार्ययोजना

58. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमंद): क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में वर्ष 2011 से जून, 2019 तक सभी जिलों में भूमिगत जलस्तर क्या रहा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विगत 10 वर्षों में भू-जल स्तर बढ़ाने के क्या प्रयास किये गये और उनके क्या परिणाम रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रदेश में कौन-कौनसे जिले अति-दोहन क्षेत्र (डार्क जोन) में आते हैं? इन क्षेत्रों में भू-जल स्तर बढ़ाने के लिए क्या कार्ययोजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में वर्ष 2011 से 2018 तक जिलेवार मानसून पूर्व औसत भू जल स्तर संलग्न हैं। (परिशिष्ठ 1) वर्ष 2019 का मानसून पूर्व भू जल सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर हैं।

(2) भू जल स्तर बढ़ाने हेतु राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है तथा विगत वर्षो में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रयास/ परियोजनाओं का संचालन के माध्यम से भू जल स्तर बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है:-

(i) वर्षा जल संग्रहण हेतु नगरीय विकास स्वायत्त शासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ.55(4) पीए/एसई/डीएलबी/10/भूजलपुर्नभ/1937 2131 दिनांक 16.04.2010 एवं समसंख्यक पत्रांक 2248 2527 दिनांक 13.05.2010 के द्वारा शहरी क्षेत्र में स्थित 300 वर्ग की एवं उससे अधिक क्षेत्र के भूखण्डों पर निर्मित/नये बनने वाले समस्त भवनों में छत द्वारा वर्षा जल पुनर्भरण संरचना (Roof Top Water Harvesting Structure) का निर्माण करवाया जाना अनिवार्य किया गया हैं। (परिशिष्ठ 2 {a} & {b})

(ii) प्रदेश में जल संरक्षण हेतु राज्य जल नीति माह फरवरी 2010 में लागू कर दी गई है। जल संरक्षण को बढावा देने के लिए राज्य के सभी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में छत के वर्षा जल संरक्षण को प्रोत्साहित करना राजस्थान जल नीति 2010 में शामिल किया गया है।

(iii) भारत सरकार द्वारा अनुदानित कूप द्वारा भू जल पुनर्भरण योजना के अंतर्गत राज्य के विभिन्न जिलों में 88750 कूप पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण विगत वर्षो में किया गया।

(iv) प्रदेश में मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत राज्य के विभिन्न जिलों में जल स्वावलम्बन हेतु विभिन्न जल संरचनाओं का निर्माण किया गया है। इस योजना के तीन चरण पूर्ण हो चुके है।

(v) विश्व बैंक द्वारा पोषित राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्भरण योजना के तहत राज्य में मण्डोर- ओसियां क्षेत्र जिला जोधपुर, खमनोर क्षेत्र जिला राजसमन्द एवं पीपराली क्षेत्र जिला सीकर में 318 वाटर हार्वेस्टिंग संरचनाओं का निर्माण करवाया गया।

(vi) राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना (RACP) (विश्व बैंक वित्त पोषित) के तहत 3 भूजल कलस्टर (पीसांगन जिला अजमेर, बौंली जिला सवाई माधोपुर एवं सांगोद जिला कोटा) में सतत् भू जल प्रबन्धन किया जा रहा हैं।

(भू-जल मंत्री)

(vii) भू जल विभाग द्वारा MNEREGA परियोजना हेतु जल संवर्धन संरचनाओं के निर्माण हेतु एक मास्टर प्लान तैयार कर लागू करने हेतु प्रस्तुत किया गया हैं।

(viii) राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के माध्यम से जन जागरण कार्यक्रम द्वारा भू जल मितव्ययता हेतु जागरूक किया जा रहा हैं।

वर्षा पूर्व भू जल स्तर 2009 एवं 2018 के विश्लेषण अनुसार प्रदेश के 13 जिलों में भू जल स्तर में वृद्धि दर्ज की गई, शेष 20 जिलों में भू जल के अत्यधिक दोहन, वर्षा की अनियमितता के कारण भू जल स्तर में अपेक्षित वृद्धि दर्ज नही की गई। (परिशिष्ट-3)

(3) भू-जल आंकलन रिपोर्ट 2013 के अनुसार राज्य के कुल 33 जिलों में से 24 जिले अतिदोहित श्रेणी में आते हैं। (परिशिष्ट-4)

वर्तमान में भू-जल विभाग द्वारा भू-जल स्तर बढ़ाने हेतु कोई विस्तृत योजना क्रियान्वित नहीं की जा रही है लेकिन अन्य विभाग यथा स्थानीय निकाय विभाग, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग, जल संग्रहण एवं भूसंरक्षण विभाग, पंचायती राज विभाग, जल संसाधन विभाग आदि द्वारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग संरचनाओं का निर्माण, फार्म पौण्ड, एनिकट, कूप पुनर्भरण इत्यादि योजनाओं के माध्यम से कार्य किया जा रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जालौर जिले में नर्मदा पेयजल योजना के तहत एफ आर प्रोजेक्ट का कार्य

59. **श्री जोगेश्वर गर्ग** (जालौर): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जालौर जिले में नर्मदा पेयजल योजना के तहत FR प्रोजेक्ट का काम चल रहा है? क्या यह भी सही है कि FR प्रोजेक्ट हेतु जल संग्रहण के लिए एक बड़ी डिग्गी बनायी जानी प्रस्तावित है? यदि हां तो कितनी भराव क्षमता वाली? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त डिग्गी का निर्माण प्रारम्भ हो गया था किन्तु गत एक वर्ष से उक्त कार्य रूका हुआ है? यदि हां, तो, क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त डिग्गी का निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ होकर पूर्ण हो जाएगा? उक्त डिग्गी के शीघ्र निर्माण हेतु सरकार क्या प्रयास कर रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नर्मदा नहर आधारित एफ.आर. आधारभूत कार्यों हेतु स्वीकृत परियोजना के कार्यों का क्रियान्वयन प्रारम्भ करने हेतु विभाग द्वारा मैसर्स आई.वी.आर.सी.एल. इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, हैदराबाद को दिनांक 02.08.2007 को राशि रुपये 310.12 करोड़ का कार्यादेश जारी गया।

अनुबंधक फर्म द्वारा उक्त परियोजना का कार्य 95 प्रतिशत पूर्ण किया जाकर शेष कार्य माह मई, 2018 से पूर्ण रूप से बंद किये जाने के कारण वर्तमान में उक्त परियोजना पर कार्य नहीं चल रहा है परन्तु, इस आधारभूत परियोजना से जालौर जिले के जालौर शहर तथा 281 ग्रामों (शहरी जल योजना, जालौर अंतर्गत सम्मिलित 14 ग्राम तथा एफ. आर. क्लस्टर परियोजना के 267 ग्राम) में से 106 ग्रामों की निवर्तमान जल योजनाओं से जोड़ा जाकर इनमें पेयजल आपूर्ति की जा रही है।

उक्त एफ.आर. आधारभूत परियोजना में अन्य प्रावधित कार्यों के साथ-साथ जल संग्रहण हेतु 2100 मिलियन लीटर भराव क्षमता की एक डिग्गी (रा-वाटर रिजरवायर) का निर्माण किया जाना स्वीकृत है।

(2) एफ.आर. आधारभूत की स्वीकृत परियोजना में अनुबंधक फर्म द्वारा उक्त रॉ-वाटर रिजरवॉयर का लगभग 66 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया गया तथा रिजरवॉयर सहित परियोजना के शेष रहे कार्य अनुबंधक फर्म द्वारा माह मई, 2018 से पूर्ण रूप से बंद कर दिये गये हैं।

अनुबंधक फर्म द्वारा परियोजना के कार्य धीमी गति से करने के कारण अनुबंध की शर्तों के अनुसार विभाग द्वारा रुपये 7.44 करोड़ की क्षतिपूर्ति राशि रोक ली गई है।

विभागीय विभिन्न स्तरों से फर्म को समय-समय पर नोटिस जारी करने के उपरांत भी फर्म द्वारा परियोजना के शेष रहे कार्यों को प्रारम्भ नहीं किये जाने के कारण अनुबंध की शर्तों के अनुसार शेष रहे कार्यों को अनुबंधक फर्म की रिस्क एण्ड कोस्ट पर अन्य फर्म से कराये जाने हेतु रिसाइण्ड की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) उपरोक्तानुसार, परियोजना के शेष रहे कार्यों को प्रारम्भ नहीं किये जाने के कारण अनुबंध की शर्तों के अनुसार शेष रहे कार्यों को अनुबंधक फर्म की रिस्क एण्ड कोस्ट पर अन्य फर्म से कराये जाने हेतु रिसाइण्ड की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

रिसाइण्ड प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त रॉ-वाटर रिजरवायर सहित परियोजना के शेष रहे कार्यों को कराये जाने हेतु नई निविदाएं आमंत्रित की जाकर तद्नुरूप अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

बारां जिले में विद्युत ट्रांसफार्मरों की चोरी

60. **श्री प्रताप सिंह** (छबड़ा): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि 1 जनवरी, 2014 से 31 दिसम्बर, 2018 तक बारां जिले में विद्युत ट्रांसफार्मर चोरी हुए हैं? यदि हां, तो कहां–कहां पर कितने–कितने विद्युत ट्रांसफार्मर चोरी हुए? ग्राम पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त जिले में चोरी हुए विद्युत ट्रांसफार्मरों की एफ.आई.आर. दर्ज की गई है? यदि हां, तो किस–किस थाने में कितनी–कितनी एफ.आई.आर. दर्ज की गई? पंचायत समितिवार एवं थानेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जिले में चोरी हुए विद्युत ट्रांसफार्मरों में से कितने विद्युत ट्रांसफार्मरों में एफ.आर. दी गई है तथा कितनी रिकवरी की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। बारां जिले में दिनांक 1 जनवरी, 2014 से 31 दिसम्बर, 2018 तक कुल 864 विद्युत ट्रांसफार्मर चोरी हुए हैं, जिनका ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। उक्त जिले में दिनांक 1 जनवरी, 2014 से 31 दिसम्बर, 2018 तक चोरी हुये विद्युत ट्रांसफार्मरों की एफ.आई.आर. दर्ज करवाई गई है, जिनका पंचायत समितिवार एवं थानेवार विवरण परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

(3) उक्त जिले में चोरी हुए विद्युत ट्रांसफार्मरों में से कुल 143 मामलों में एफ.आर. दी गई है, जिनमें से किसी भी प्रकरण में कोई रिकवरी नहीं हुई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सिवाना में भूमिगत केबल का कार्य

61. **श्री हमीर सिंह भायल** (सिवाना): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री हमीर सिंह भायल)

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में झूलते बिजली के तारों से अनेक हादसों के कारण काफी जान-माल की हानि हो रही है? यदि हां, तो क्या सरकार आबादी भूमि एवं ढाणियों के बीच से गुजर रही 11/33 केवी लाइन एवं एल.टी. लाइन की जगह प्लास्टिक कोटेड केबल डालने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र सिवाना के मुख्य कस्बे सिवाना, समदड़ी एवं सिणधरी के आबादी क्षेत्र में भूमिगत प्लास्टिक कोटेड केबल डालने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। राज्य में विद्युत लाइनें विद्युत सुरक्षा अधिनियम के निर्धारित मानदण्डों के अनुसार ही स्थापित की जाती हैं/जा रही हैं एवं झूलते हुए विद्युत तारों को समय-समय पर दुरुस्त किया जाता है एवं आवश्यकता होने पर झूलते तारों को ऊंचा करने के लिए बीच में पोल लगाए जाते हैं। यह एक सतत् प्रक्रिया है।

आबादी भूमि एवं ढाणियों के बीच से गुजर रही 11 केवी एवं 33 केवी विद्युत लाइनों के स्थान पर प्लास्टिक कोटेड केबल डालने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है। यद्यपि एल.टी. लाइन में प्लास्टिक कोटेड ए.बी. केबल आवश्यकतानुसार डाली जाती है।

(2) जी नहीं। वर्तमान में सिवाना के मुख्य कस्बों सिवाना, समदड़ी एवं सिणधरी के आबादी क्षेत्र में अंडरग्राउंड प्लास्टिक कोटेड केबल डाला जाना प्रस्तावित नहीं है।

जयपुर शहर में ठोस कचरा संग्रहण का निस्तारण

62. **श्री अमीनुद्दीन कागजी** (किशनपोल): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जयपुर शहर में ठोस कचरा संग्रहण एवं निस्तारण की क्या व्यवस्था है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या जयपुर शहर में ठोस कचरा संग्रहण एवं निस्तारण की कोई नीति निर्धारित है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त के लिए कोई नीति बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री अमीनुद्दीन कागजी)

(4) राज्य सरकार ठोस कचरे का बायो-प्रोडक्ट, बिजली या अन्य उपयोगी कार्यों में उपयोग करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर शहर में ठोस कचरा संग्रहण एवं निस्तारण हेतु नगर निगम, जयपुर द्वारा घर-घर से कचरा एवं नगरीय ठोस अपशिष्ट संग्रहण, पृथक्करण एवं परिवहन कार्य हेतु मैसर्स बी.वी.जी. इन्डिया लिमिटेड को कार्यादेश दिनांक 17.03.2017 को जारी किये गये। वर्तमान में मैसर्स वी.जी. इन्डिया लिमिटेड पुणे द्वारा जयपुर शहर के सभी 91 वार्डों में घर-घर से कचरा एवं नगरीय ठोस अपशिष्ट संग्रहण कर सेवापुरा कचरागाह पर स्थापित कम्पोस्ट प्लांट व लांगरियावास स्थित आर.डी.एफ. प्लान्ट पर अंतिम निस्तारण हेतु परिवहन करवाया जा रहा है।

(2) नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हाथलन) नियम, 2016 के अनुसार मैसर्स बी.वी.जी. इन्डिया लिमिटेड, पुणे द्वारा जयपुर शहर के सभी 91 वार्डों में घर-घर कचरा संग्रहण, पृथक्करण एवं परिवहन करने का कार्य करवाया जा रहा है। (नियम 2016 की प्रतिलिपि परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।)

(3) इस भाग का उत्तर भाग संख्या 02 के उत्तर में निहित है।

(4) ठोस कचरे का बायो-प्रोडेक्ट, बिजली या अन्य उपयोगी कार्यों में उपयोग लिये जाने हेतु निम्नलिखित कार्य किये जा रहे हैं:-

1. ग्राम सेवापुरा में M/s IL & FS Environmental Infrastructure & service Ltd. के द्वारा कम्पोस्ट प्लांट स्थापित कर कचरे से खाद बनाने का कार्य किया जा रहा है।
2. ग्राम लांगरियावास में मैसर्स अल्ट्रा टेक लिमिटेड के द्वारा प्लांट स्थापित कर कचरे से Refused Dervied Fuel का उत्पादन किया जा रहा है।
3. ग्राम लांगरियावास में ठोस कचरे से ऊर्जा उत्पन्न किये जाने हेतु मैसर्स जे.आई.टी.एफ. अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को नोटिस टू प्रोसिड दिनांक 19.04.2017 जारी किया गया। वर्तमान में संयंत्र स्थापना से पूर्व पावर पर्चेज एग्रीमेंट एवं लीज डीड का सम्पादन किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

ग्राम विकास अधिकारी के स्वीकृत पद

63. **श्री जोराराम कुमावत** (सुमेरपुर): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में कितने ग्राम विकास अधिकारी के पद स्वीकृत हैं स्वीकृत पदों पर कितने कार्यरत हैं व कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में ग्राम विकास अधिकारियों के 9891 पद स्वीकृत हैं जिनमें से 7751 कार्यरत हैं एवं 2140 पद रिक्त हैं। ग्राम विकास अधिकारियों के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्रीमाधोपुर नगरपालिका के विरुद्‌ध प्राप्त शिकायतें

64. **श्री दीपेन्द्र सिंह** (श्रीमाधोपुर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) गत पांच वर्षों में नगरपालिका श्रीमाधोपुर (जिला सीकर) के विरुद्ध कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो कब-कब? शिकायतों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त शिकायतों की किस-किसके द्‌वारा कब-कब जांच की गई? जांच प्रतिवेदनों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्‌वारा उक्त शिकायतों पर कोई कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्राप्त शिकायतों का तिथिवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। प्राप्त शिकायतों की प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(2) प्राप्त शिकायतों पर किसके द्‌वारा कब-कब जांच की गई का विवरण मय जांच रिपोर्ट के परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(3) जी हां। उक्त शिकायतों पर की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" के कालम संख्या 05 में अंकित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर की चारदीवारी की पुरानी सीवर लाइनों को बदलने का कार्य

65. **श्री रफीक खान** (आदर्श नगर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार जयपुर की चारदीवारी स्थित पुराने शहर की पुरानी सीवर लाइनों को बदलने और क्षमता बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। अमृत योजना के तहत जयपुर शहर की चारदीवारी स्थित पुरानी सीवर लाइनों को बदलने और क्षमता बढाने हेतु अमृत योजना के तहत 5वीं बार निविदा आमंत्रित की गई। निविदा प्राप्ति की अंतिम दिनांक 29.05.2019 थी, परन्तु कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई है।

राजस्थान कृषि प्रोजेक्ट के तहत कार्य

66. **श्री पुखराज** (भोपालगढ़): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) RAJASTHAN AGRICULTURE COMPETITIVENESS PROJECT क्या है? इसके तहत किस-किस तरह के काम कराए जाते हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह योजना वर्ल्ड बैंक से वित्त पोषित है? यदि हां, तो उक्त योजना के लागू होने से लेकर 10 जून, 2019 तक व्यय राशि व लाभार्थियों की जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) Rajasthan Agriculture Competitiveness Project वर्ल्ड बैंक से वित्त पोषित परियोजना है, जो मुख्य रूप से कृषि एवं सम्बन्धित क्षेत्र में उत्पादकता वृद्धि तथा कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित कर आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से तैयार की गई है। इस परियोजना अन्तर्गत बारानी क्षेत्रों में वर्षा जल संरक्षण, भूमिगत एवं सतही सिंचित क्षेत्रों में जल का कुशलतम प्रबन्धन करते हुए कृषि, उद्यानिकी तथा पशुधन विकास के अन्तर्गत उन्नत तकनीकों से उत्पादकता बढ़ाना, बाजार व्यवस्था में सुधार व मूल्य संवर्द्धन से किसानों को उचित मूल्य दिलवाना, विभिन्न घटकों के अन्तर्गत संस्थागत व्यवस्थाएं स्थापित करना तथा निजी क्षेत्र की सहभागिता

(कृषि मंत्री)

को बढ़ावा दिया जाना है। उक्त योजना के तहत कराए जाने वाले कार्यों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। उक्त योजना के लागू होने से लेकर 10 जून, 2019 तक राशि रु. 368.34 करोड़ का व्यय हो चुका है व लाभार्थियों की कुल संख्या 179648 है जिसकी जिलेवार संख्या सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सिरोही पशु चिकित्सालयों में रिक्त पद

67. **श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सिरोही जिले से कितने कार्मिकों का गत दस वर्ष में जिले से बाहर स्थानान्नतरण किया गया। मय तिथि सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सिरोही विधान सभा क्षेत्र में कितने पद कब से रिक्त हैं? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पशुपालन विभाग में सिरोही जिले से गत दस वर्ष में जिले से बाहर स्थानान्तरण किये गये कार्मिकों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र सिरोही की पशु चिकित्सा संस्थाओं में रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

जी हां। रिक्त पदों को उपलब्धता अनुसार भरा जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर की मुहाना मण्डी परिसर में आबंटित सरस पार्लर

68. **श्री पृथ्वीराज** (टोडाभीम): क्या गोपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर स्थित मुहाना मंडी परिसर में सरस पार्लर स्वीकृत किया गया है? यदि हां, तो कब व किस व्यक्ति के नाम? स्वीकृति आदेश की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सरस पार्लर के लिए जयपुर डेयरी व पार्लर संचालक के मध्य क्या नियम/शर्त अनुबंध के माध्यम से तय की गई? अनुबंध पत्र की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री पृथ्वीराज)

(3) क्या यह सही है कि उक्त पार्लर आबंटित करने से पहले कोई टेंडर प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी जबकि जयपुर डेयरी में अन्य सरस पार्लर टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से आबंटित किये गये हैं? यदि हां तो क्यों? नियम विरुद्ध बिना टेंडर सरस पार्लर की स्वीकृति जारी करने के लिए कौन-कौन दोषी हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त सरस पार्लर में फर्नीचर व अन्य साज-सामान आदि का व्यय जयपुर डेयरी द्वारा किया हुआ है? यदि हां, तो क्यों? डेयरी को इस व्यय की प्रतिपूर्ति किस आधार पर प्राप्त हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि जयपुर डेयरी द्वारा किये गये व्यय का लाभ निजी व्यक्ति उठा रहे हैं और जयपुर डेयरी को इस पार्लर से भारी नुकसान हुआ है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सरस पार्लर का आबंटन निरस्त कराकर जांच कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। मुहाना मंडी परिसर में जयपुर दुग्ध संघ द्वारा एक पार्लर नं. 222 का आबंटन पत्र क्रमांक 5928-31 दिनांक 22.01.2016 द्वारा श्री बद्रीलाल भारतीय के नाम से जारी किया गया। आदेश की छाया प्रति प्रदर्श-अ पर संलग्न है।

(2) उक्त सरस पार्लर संचालक मण्डल की 159वीं बैठक दिनांक 28.12.2015 के एजेण्डा संख्या 159 (17) में लिये गये निर्णय की अनुपालना में पूर्ण अस्थाई रूप ट्रायल पर आबंटित किया गया।

बूथ आबंटन के नियम व शर्तों की छाया प्रति प्रदर्श-ब पर संलग्न है।

(3) संचालक मण्डल की 159वीं बैठक दिनांक 28.12.2015 के एजेण्डा संख्या 159 (17) में लिये गये निर्णय की अनुपालना में श्री बद्रीलाल भारतीय को पूर्ण अस्थाई रूप से राशि रु. 2500/- प्रतिमाह किराये पर ट्रायल तौर पर पार्लर आबंटन का निर्णय लिया गया है। निर्णय की छाया प्रति प्रदर्श-स पर संलग्न है। अत: कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(4) जी हां। मुहाना मण्डी स्थित पार्लर नं. 222 में फर्नीचर एवं अन्य

(गोपालन मंत्री)

साज-सामान आदि का व्यय जयपुर डेयरी द्वारा किया गया है। पार्लर का स्वामित्व जयपुर दुग्ध संघ के पास है। पार्लर लीज पर आबंटन किया गया है। लीज राशि 2500/- रुपये प्रतिमाह संचालक मण्डल की 159(17) वीं बैठक में निर्णय अनुसार ली गयी है। संचालक मण्डल की बैठक 165(22) में लीजमनी 5000/- रुपये प्रतिमाह निर्धारित की गयी है। संचालक मण्डल के निर्णय की छाया प्रति प्रदर्श-द पर संलग्न है। जयपुर दुग्ध संघ को इस सरस पार्लर के संचालन में उत्पादों की ब्रिक्री सरस के ब्रान्डिंग के रूप में प्रतिपूर्ति प्राप्त होती है।

(5) पार्लर संचालक मण्डल की 159वीं बैठक दिनांक 28.12.2015 के एजेण्डा संख्या 159 (17) में लिये गये निर्णय की अनुपालना में लीज पर पूर्ण अस्थाई रूप से ट्रायल पर आबंटित किया गया। इस पार्लर के कारण जयपुर डेयरी को क्या लाभ हानि हुई है, इसकी जांच कराई जायेगी एवं तदानुसार गुणावगुण के अधार पर आबंटन निरस्त करने या नहीं करने के बारे में विचार किया जावेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 2017 के तहत कार्यवाही

69. **श्री भंवरलाल शर्मा** (सरदारशहर): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) खान अधिनियम 1952 के सेक्शन 17, धात्विकीय खान विनियम 1961 के विनियम 34 तथा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 2017 के नियम 30 के क्या प्रावधान हैं तथा इनके उल्लंघन करने पर आरोपित शास्ति के क्या प्रावधान हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त नियमों का उल्लंघन कर खनन कार्य संचालित करने वाले खान धारकों/क्वारी लाइसेंस धारकों के विरुद्ध सरकार द्वारा विगत 8 महीनों में राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 2017 के शिड्यूल-IV के अनुसार की गयी कार्यवाही/आरोपित की गयी शास्ति का जिलेवार, तिथिवार, खानवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम के प्रावधानों के तहत एक बार खनन पट्टा/खनन अनुज्ञप्ति आबंटित होने के बाद खान अधिनियम

(श्री भंवरलाल शर्मा)

1952 के सेक्शन 17, धात्विकीय खान विनियम 1961 के विनियम 34 तथा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 2017 के नियम 30 का उल्लंघन कर क्या खनन पट्टाधारी/खनन अनुज्ञप्ति धारक अपनी खान प्रारम्भ कर खनन गतिविधियां संचालित कर सकता है? यदि नहीं, तो किन नियमों के अन्तर्गत खनन कार्य की अनुमति जारी की जा सकती है? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उपरोक्त नियमों का उल्लंघन कर खनन पट्टाधारी/खनन अनुज्ञप्ति धारक मानव बल या ब्लास्टिंग या भारी मशीनों को उपयोग कर अपनी खान में खनिज का उत्पादन कर सकता है? यदि नहीं, तो किन-किन नियमों के तहत खनन पट्टाधारी/खनन अनुज्ञप्ति धारक अभी तक खनिज का उत्पादन कर रहा है? क्या सरकार जारी अनुमति को, नियमों के पालन करने तक निलम्बित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या उपरोक्त नियमों का उल्लंघन कर उत्पादित किये गये खनिज को निर्गमित करने के लिए आनलाइन ई-रवन्ना जारी किया जा सकता है? यदि खनिज का उत्पादन ही सम्भव नहीं है तो निर्गमन के लिए रवन्ना किन नियमों के तहत जारी किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) खान अधिनियम, 1952 के सेक्शन 17, धात्विकीय खान विनियम, 1961 के विनियम 34 तथा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 30 के प्रावधान की प्रतियां क्रमश: परिशिष्ट-1, 2 व 3 पर उपलब्ध हैं। इन प्रावधानों के उल्लंघन पर शास्ति आरोपित करने के प्रावधानों की प्रतियां परिशिष्ट-4 व 5 पर उपलब्ध हैं।

(2) खान अधिनियम, 1952 के सेक्शन 17 तथा धात्विकीय खान विनियम, 1961 के प्रावधानों के उल्लंघन पर शास्ति आरोपण की कार्यवाही खान सुरक्षा महानिदेशालय, भारत सरकार द्वारा की जाती है। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 30 के उल्लंघन पर विभाग द्वारा विगत 8 माह में 48 खनन पट्टा/क्वारी लाइसेंस निरस्त किये गये हैं तथा 223 प्रकरणों में शास्ति आरोपित की गई है, विवरण क्रमश: परिशिष्ट-6 व 7 पर उपलब्ध है।

(खान मंत्री)

(3) खनन पट्टा/क्वारी लाइसेंस जारी होने के पश्चात् खनन कार्य प्रारम्भ करने बाबत् खान विभाग द्वारा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के अन्तर्गत पृथक से अनुमति प्रदान नहीं की जाती है। यद्यपि खनन कार्य प्रारम्भ/संचालित करने से पूर्व नियमों के उपरोक्त प्रावधानों के अन्तर्गत योग्यताधारी प्रबंधक की नियुक्ति करना आवश्यक है तथापि खान धारक द्वारा खनन पट्टा/क्वारी लाइसेंस जारी होने के पश्चात् नियम 30 का उल्लंघन करते हुए पाये जाने पर खान धारक को नियमानुसार नोटिस जारी कर शास्ति आरोपित करने अथवा खनन पट्टा/क्वारी लाइसेंस निरस्त करने की कार्यवाही की जाती है। खान अधिनियम, 1952/धात्विकीय खान विनियम, 1961 के प्रावधान के उल्लंघन के संबंध में कार्यवाही खान सुरक्षा महानिदेशालय, भारत सरकार द्वारा की जाती है।

(4) खान धारक डीप होल ब्लास्टिंग/भारी मशीनों का उपयोग योग्यताधारी प्रबंधक की नियुक्ति कर सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही खनिज का उत्पादन कर रहे हैं। डीप होल ब्लास्टिंग/भारी मशीनों के अतिरिक्त खनन के अन्य प्रकरणों में यद्यपि खनन कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व नियमों के उपरोक्त प्रावधानों के अन्तर्गत योग्यताधारी प्रबंधक की नियुक्ति करना आवश्यक है, परन्तु आवश्यक योग्यताधारी प्रबंधकों की कमी के कारण कई प्रकरणों में इनकी नियुक्ति नहीं हो पाती है। नियुक्ति हेतु विभाग द्वारा प्रेरित किया जाता है तथा उल्लंघन पर नियमानुसार कार्यवाही की गई है, विवरण परिशिष्ट-6 व 7 में अंकित है।

(5) खनन पट्टा धारकों को बिन्दु संख्या 4 के जवाब में अंकित अनुसार खनिज निर्गमन हेतु आनलाइन रवन्ना जारी किये जा रहे हैं। खान धारक द्वारा नोटिस के बावजूद योग्यताधारी व्यक्ति का नियोजन न करने की स्थिति में खनन पट्टा खण्डित कर ई-रवन्ना जारी किया जाना बंद किया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बी.पी.एल./अन्त्योदय योजनान्तर्गत राशन कार्डों हेतु प्राप्त राशि

70. **श्री खुशवीरसिंह** (मारवाड़ जंक्शन): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्ष 2013 से 2018 तक प्रदेश में कितने बी.पी.एल. एवं

(श्री खुशवीरसिंह)

अन्त्योदय धारियों के राशन कार्ड बनवाये गये? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त कार्ड नि:शुल्क बनाये गये यदि नही, तो प्रत्येक से कितना शुल्क वसूला गया तथा सरकार द्वारा प्रति राशन कार्ड कितनी राशि ली गई व कितनी राशि एजेन्सी (ई मित्र) द्वारा ली गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2013 से 2018 तक प्रदेश में 25,23,156 राशन कार्ड बीपीएल एवं 6,83,646 राशन कार्ड अन्त्योदय अन्न योजना में पात्र परिवारों के बनवाये गये हैं।

एनआईसी से प्राप्त सूचना दिनांक 25.06.2019 परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 02.02.2015 (प्रति संलग्न परिशिष्ट-ब) द्वारा दिनांक 31.03.2015 तक एपीएल राशन कार्ड के लिए 10 रु. शुल्क तय किया गया था। अन्य श्रेणी के राशन कार्ड नि:शुल्क वितरित किए गए थे।

इसके उपरान्त विभागीय निर्देश दिनांक 28.03.2015 (प्रति संलग्न परिशिष्ट-स) द्वारा दिनांक 01.04.2015 से सम्पूर्ण राज्य में उक्त कार्य ई मित्र/सीएससी के माध्यम से कराया गया है।

उक्त कियोस्कधारी द्वारा लिये जाने वाले शुल्क का विवरण DOIT द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.04.2015 परिशिष्ट-द व दिनांक 03.10.2018 परिशिष्ट-य पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राशन वितरण में अनियमितताएं

71. **श्री नारायण सिंह देवल** (रानीवाड़ा): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि प्रदेश में राशन वितरण की दुकानों पर गेहूं व अन्य खाद्य सामग्री के वितरण में अनियमितताएं पाई गई हैं? यदि हां, तो क्या सरकार राशन वितरण केन्द्रों का अंकेक्षण कराने का विचार रखती है यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

प्रदेश में विभाग के अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से तथा अनियमितता संबंधी शिकायत प्राप्त होने पर विशेष जांच दलों द्वारा उचित मूल्य की दुकानों का निरीक्षण किया जाता रहा है तथा अनियमितता पाये जाने पर संबंधित राशन डीलर का प्राधिकार-पत्र निलम्बित/निरस्त करने सहित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत कार्यवाही की जाती है।

इसी क्रम में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 28 के अन्तर्गत उचित मूल्य दुकानों, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में सामाजिक अंकेक्षण के प्रावधानों के आलोक में प्रथम सामाजिक अंकेक्षण (Socal Audit) ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा 26 जनवरी, 2019 को आयोजित ग्रामसभा में संयुक्त रूप से करवाया गया। विभागीय आदेश दिनांक 17.01.2019 परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत खाद्य सामग्री का वितरण

72. **श्री शंकर सिंह रावत** (ब्यावर): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में खाद्य सुरक्षा के तहत कितने प्रतिशत लोगों को खाद्य सामग्री वितरण की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में कितने लोगों को खाद्य सुरक्षा का लाभ दिया जा रहा है? यदि हां, तो उक्त योजना से कितने पात्र लोग वंचित हैं? ग्राम पंचायत वार विवरण सदन की मेज पर रखे।

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार सभी पात्र व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत चयनित पात्र लाभार्थियों को पात्रतानुसार खाद्यान (गेहूं) उपलब्ध करवाया जा रहा है।

जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान प्रदेश की कुल जनसंख्या 6,85,48,437 है। 01 जून 2019 की विभागीय पोर्टल से प्राप्त सूचना अनुसार राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत चयनित पात्र लाभार्थियों की कुल

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

संख्या 4,72,24,495 थी जो राज्य की कुल जनसंख्या का 68.89 प्रतिशत है। उक्त चयनित पात्र लाभार्थियों में से माह मई, 2019 में कुल 37,30,988 लाभार्थियों द्वारा खाद्यान (गेहूं) प्राप्त किया है जिसका प्रतिशत 79.01 प्रतिशत है।

(विभागीय एनआईसी से प्राप्त प्रपत्र परिशिष्ट-01 पर संलग्न है।)

(2) विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में पात्र 230132 व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा का लाभ दिया जा रहा है। सतत प्रक्रिया के तहत उपखण्ड अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़ने की प्रक्रिया जारी है।

विधान सभा क्षेत्र ब्यावर की ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट-02

(3) वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से वंचित पात्र लाभार्थियों के नाम खाद्य सुरक्षा सूचियों में जोड़ने एवं अपात्र व्यक्तियों के नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटाये जाने के लिए अपीलीय प्रक्रिया दिनांक 05.11.2015 से लागू है, जिसके अन्तर्गत पात्र व्यक्ति साधारण कागज पर प्रार्थना पत्र के साथ समावेश पात्रता श्रेणी के आधारभूत दस्तावेज संलग्न कर अथवा पात्र व्यक्ति ई-मित्र के परियोजना के अन्तर्गत ई-मित्र के माध्यम से संबंधित क्षेत्र के उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है। साथ ही विभागीय आदेश दिनांक 02.08.2017 द्वारा संबंधित जिले के जिला रसद अधिकारी को भी अपीलीय अधिकारी नामित किया गया है। यह एक सतत प्रक्रिया है। (जारी आदेश की प्रति परिशिष्ट-03 पर संलग्न है।)

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बामनवास में रोडवेज बसों का संचालन

73. **श्रीमती इन्द्रा** (बामनवास): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बामनवास में कौन-कौन से गांवों में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसें संचालित की जा रही हैं व किस-किस मार्ग पर उक्त बसों का संचालन सुचारु रूप से किया जा रहा है? ग्रामवार/मार्गवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही हे कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में कई गांवों में उक्त परिवहन की बसों को बंद किया गया है? यदि हां, तो क्यों एवं किन कारणों से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती इन्द्रा)

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र की समस्त ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर परिवहन बसें संचालित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बामनवास में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की मार्गवार संचालित की जा रही बसें एवं उनसे जुडने वाले गांवों का विवरण परिशिष्ट-। पर संलग्न है।

2. जी हां। बामनवास विधान सभा क्षेत्र में लालसोट से अमावरा मार्ग पर संचालित वाहन को लागत से कम आय आने पर अप्रैल, 2019 से बंद किया गया है।

विगत छः माह का आय प्रति कि.मी. एवं यात्रीभार का विवरण निम्न प्रकार है:-

माह	आय प्रति कि.मी. (रुपये)	यात्रीभार प्रतिशत	उक्त सेवा को बंद करने से परिवहन सेवा से वंचित गांव
अक्टूबर, 18	09.46	22	अमाराव, भांवरा, सुकार, रिवाली, बिचपुडी
नवम्बर, 18	08.02	19	
दिसम्बर, 18	10.27	24	
जनवरी, 19	11.02	26	
फरवरी, 19	12.45	29	
मार्च, 19	10.21	24	

जबकि निगम की संचालन परिवर्तित लागत 19.76 रुपये एवं कुल लागत 41.30 रुपये है। लागत से उक्त मार्ग की परिवर्तित प्र.कि.मी. आय करीब-करीब आधी है। इससे निगम को बहुत हानि होने के कारण उक्त बस सेवा को बंद कर दिया गया है।

(3) जी नहीं। निगम के सीमित संसाधनों के कारण वर्तमान में संचालित पंचायत मुख्यालयों के अतिरिक्त समस्त पंचायत मुख्यालयों हेतु

(परिवहन मंत्री)

राजस्थान परिवहन निगम की बस सेवा संचालित किये जाने का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बुहाना (सूरजगढ़) तहसील मुख्यालय पर आगार की स्थापना

74. **श्री सुभाष पूनिया** (सूरजगढ़): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के तहसील बुहाना मुख्यालय में आगार खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में आमजन के हितार्थ सेवा में विस्तार करने की योजना प्रस्तावित है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। राजस्थान परिवहन निगम के नये आगार खोलने की वर्तमान में निर्धारित नीति के अनुरूप केवल सामान्यत: जिला मुख्यालय पर ही नये आगार खोले जाने का प्रावधान है तथा सूरजगढ़ विधान सभा क्षेत्र के तहसील बुहाना जिला मुख्यालय नहीं होने के कारण तहसील बुहाना मुख्यालय में निगम का आगार खोले जाने का कोई विचार नहीं है ।

(2) जी नहीं। निगम के सीमित संसाधनों के कारण सूरजगढ़ विधान सभा क्षेत्र में संचालित निगम वाहनों के अतिरिक्त कोई अन्य सेवा में विस्तार की फिलहाल कोई योजना नहीं है।

सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति

75. **श्री गजराज खटाणा** (बांदीकुई): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद पुनर्नियुक्ति करने का प्रावधान है? नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में वर्ष 2018 में कुल कितने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं तथा कितनों को फिक्स वेतन पर पुनर्नियुक्ति दी गई है? नामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 08.02.2018 के अनुसार सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाएं समेकित पारिश्रमिक के आधार पर लिए जाने के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त संबंधी नियमों की प्रति परिशिष्ट-"क" पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में वर्ष 2018 में प्रारम्भिक शिक्षा अन्तर्गत कोई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सेवानिवृत्त नहीं हुआ हैं। माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत कुल 02 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए है तथा किसी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को फिक्स वेतन पर पुनर्नियुक्ति नहीं दी गई है। सेवानिवृत्त हुए कार्मिकों का विवरण इस प्रकार है:-

क्र.सं.	**नाम कार्मिक**	**पदस्थापन स्थान**	**सेवानिवृत्ति दिनांक**
1	श्री रतन लाल मीणा	रा.उ.मा.वि., श्यामपुरा, दौसा	31.05.2018
2	श्री गिरधारी लाल जांगिड़	रा.उ.मा.वि., बौजुपांडा, दौसा	31.07.2018

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सिरोही जिले के विद्यालयों में रिक्त पद

76. **श्री जगसी राम** (सिरोही): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सिरोही जिले में राजकीय उच्च माध्यमिक, माध्यमिक, उच्च प्राथमिक एवं प्राथमिक विद्यालयों में विभिन्न संवर्गों के कुल कितने-कितने पद स्वीकृत हैं तथा कितने-कितने पद कहां-कहां कब-कब से रिक्त हैं? विद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सिरोही जिले में 177 राजकीय उच्च माध्यमिक, 46 राजकीय माध्यमिक, 224 उच्च प्राथमिक एवं 428 प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं। उक्त विद्यालयों में विभिन्न संवर्गों के स्वीकृत पद एवं कहां-कहां पर कब से पद रिक्त हैं, की माध्यमिक शिक्षा की विद्यालयवार सूचना परिशिष्ट-"क-

(राज्य मंत्री, शिक्षा)

1" एवं प्रारम्भिक शिक्षा की विद्यालयवार सूचना परिशिष्ट-"क-2" पर संलग्न है।

(2) जी हां।

राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड एवं विभागीय पदोन्नति समिति से पात्र चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर विद्यालयों में रिक्त पदों को भरा जा सकेगा तथा निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा विभाग द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध कराने पर तृतीय श्रेणी अध्यापक के रिक्त पदों को जिला परिषदों के माध्यम से भरा जा सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्वीकृत राशि

77. **श्री वासुदेव देवनानी** (अजमेर उत्तर): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सर्व शिक्षा अभियान के तहत वर्ष 2008-09 से मार्च, 2019 तक केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा कितनी-कितनी राशि उपलब्ध करवाई गई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त उपलब्ध करवाई गई राशि में से कितनी राशि किस-किस मद में व्यय की गई? केन्द्र व राज्य की राशि का अलग-अलग विवरण वर्षवार व मदवार सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अवधि में कितने जिलों में कितने-कितने आवासीय व गैर आवासीय प्रशिक्षण शिविर चलाये गये तथा उन पर कितनी राशि व्यय हुई व कितने शिक्षक लाभान्वित हुए? वर्षवार, शिक्षकों की संख्या व व्यय की गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सर्व शिक्षा अभियान के तहत वर्ष 2008-09 से मार्च,2019 तक केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा वर्षवार निम्नानुसार राशि उपलब्ध कराई है:-

(राज्य मंत्री, शिक्षा)

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	प्राप्त राशि		
		केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	13वें वित्त आयोग के तहत प्राप्त राशि
1	2008-09	108326.84	62058.30	0.00
2	2009-10	127124.00	67000.00	0.00
3	2010-11	146182.29	86113.00	28700.00
4	2011-12	148580.86	133966.00	32000.00
5	2012-13	153520.11	145523.95	35600.00
6	2013-14	242488.70	112899.97	39400.00
7	2014-15	248041.55	123023.59	40900.00
8	2015-16	193462.09	213209.12	0.00
9	2016-17	182578.48	263676.12	0.00
10	2017-18	198973.00	341666.13	0.00
11	2018-19	229231.00	547673.08	0.00

(2) सर्व शिक्षा अभियान द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-09 से मार्च, 2019 तक व्यय राशि का विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

केन्द्र एवं राज्य सरकार से प्राप्त राशि एकमुश्त व्यय किये जाने के कारण केन्द्र एवं राज्य सरकार से प्राप्त राशि के व्यय का विवरण अलग-अलग दिया जाना सम्भव नहीं है।

(3) वर्ष 2008-09 से मार्च, 2019 तक 33 जिलों में 16262 आवासीय एवं 29098 गैर आवासीय (कुल 45360) शिविर चलाये गये। कुल 15977.22 लाख रुपये व्यय हुए तथा 2352551 शिक्षक लाभान्वित हुये।

वर्षवार शिक्षकों की संख्या व व्यय राशि का विवरण परिशिष्ट-ख पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूल में अतिरिक्त संकाय खोलने की कार्ययोजना

78. **श्रीमती संतोष** (अनूपगढ़): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के स्वामी विवेकानन्द माडल स्कूल में वर्तमान में किस-किस संवर्ग के कितने पद स्वीकृत हैं व उनमें से कौन-कौनसे पद कब से रिक्त हैं? रिक्त पद कब तक भर दिये जायेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त माडल स्कूल में कौन-कौनसे संकाय संचालित हैं व उनमें कितने छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त माडल स्कूल में अन्य संकाय भी खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अनूपगढ़ विधान सभा क्षेत्र के स्वामी विवेकानन्द राजकीय माडल स्कूल में वर्तमान में स्वीकृत व रिक्त पदों का विवरण निम्न प्रकार से है:-

पदनाम	स्वीकृत पद	रिक्त पद	कब से रिक्त
प्रधानाचार्य	01	0	-
व्याख्याता	07	0	-
वरिष्ठ अध्यापक	12	01	12.06.19 से रिक्त
प्रयोगशाला सहायक	03	0	-
पुस्तकालयाध्यक्ष	01	0	-
वरिष्ठ सहायक	01	0	-
कनिष्ठ सहायक	01	01	22.06.19 से रिक्त
सूचना सहायक	01	01	10.06.19 से रिक्त
कुल	**27**	**03**	

(राज्य मंत्री, शिक्षा)

परिषद द्वारा रिक्त पदों को भरने के लिए समय-समय पर वाक-इन-इन्टरव्यू आयोजित किये जाते हैं। रिक्त पद भरे जाने हेतु आगामी वाक-इन-इन्टरव्यू माह जूलाई, 2019 में आयोजित किया जाना प्रक्रियाधीन है।

(2) केवल विज्ञान संकाय संचालित है, जिसमें 229 छात्र व 265 छात्राएं कुल 494 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं।

(3) परिषद स्तर पर ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।